इस अंक में

1. **लैकलउ और मूफ का उत्तर-मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य : एक समीक्षा** 1-8
विनोद कुमार श्रीवास्तव

2. **कोविड - 19 महामारी और वैश्विक राजनीति : एक विश्लेषण** 9-19
डॉ. वीरेन्द्र चावरे

3. **सोशल मीडिया पर प्रसारित वायरल संदेशों का समाज पर प्रभाव : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन** 20-28
डॉ. रचना गंगवार

4. **भारत में इन्टरनेट की लत, उसके प्रभाव और रोकथाम** 29-36
रमेश कुमार साहू
डॉ. दिवाकर सिंह राजपूत

5. **भारतीय परिद्रश्य में अनुसूचित जाति की बदलती प्रस्थिति एवं सामाजिक गतिशीलताः उत्तर प्रदेश के पासी समुदाय का समाजशास्त्रीय विश्लेषण** 37-43
सुश्री निशी यादव
डॉ. आशीष सक्सेना

6. **राजस्थान में बालिका शिक्षा का अध्ययन** 44-53
मुकेश कुमार बैरवा
डॉ. अजय सुराणा

7. **मनरेगा के माध्यम से मध्यप्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का विकास** 54-61
डॉ. महेन्द्र सिंह यादव

8. **गौतम बुद्ध केंद्रीय पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की ओपन एक्सेस जर्नल पर अवधारणाः एक सर्वेक्षण** 62-68
सुश्री नेहा कन्नौजिया
डॉ. शिल्पी वर्मा

9. **वाजपेयी कार्यकाल में भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध : विश्वास-निर्माण उपाय-एक विश्लेषण** 69-75
डाँ.संजीव कुमार बरागटा

10. **प्राचीन जैन साहित्य में आर्थिक इतिहास एवं विचार** 76-83
डॉ. जिनेन्द्र कुमार जैन

11. **अमरकंटक के कलचुरीकालीन मंदिर एक नवीन दृष्टि** 84-91
डॉ. मोहन लाल चढ़ार

12. **बड़े डोंगर का ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक वैभव** 92-97

डॉ. नितेष कुमार मिश्र

ढालसिंह देवांगन

13. **"मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2010" के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रशासनिक मशीनरी की भूमिका** 98-106

डॉ. शीतल द्विवेदी

14. **हल्बा जनजाति में स्वास्थ्य जागरूकता का अध्ययन बस्तर के संदर्भ में** 107-111

डॉ आनंद मूर्ति मिश्रा

15. **6 से 12 वर्ष के बालक बालिकाओं के पोषण का अध्ययन बस्तर के माड़िया जनजाति के संदर्भ में** 112-117

सुश्री शारदा देवांगन

16. **"सबाल्टर्न नायक" के रूप में हिन्दी सिनेमा के मुख्य कथानक में किसान और उसके संघर्ष का विश्लेषण** 118-124

महेश कुमार मिश्रा

17. **सम्पत्ति का अधिकार व हिन्दू महिलाएं : सत्ता एवं संस्कृति में अंतर्सम्बन्ध का समाजशास्त्रीय अध्ययन** 125-132

सुश्री आभा मिश्रा

18. **वर्तमान परिदृश्य में लैंगिक समानता - एक विश्लेषण** 133-139

डॉ. वर्षा पटेल

19. **वर्तमान परिदृश्य में सोशल मीडिया की प्रासंगिकताः एक अध्ययन** 140-147

सुश्री संध्या यादव

20. **डिजिटल मीडिया की पत्रकारिताः चुनौतियाँ और संभावनाएं** 148-154

डॉ. गुरु सरन लाल

21. **पुस्तक समीक्षा** 155

समीक्षक - डॉ. श्यामधर सिंह

पत्रिका के सदस्यों की सूची

(गतांक से आगे)

894. डॉ. मनीष त्यागी, शोध अध्येता मानवशास्त्र, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)
895. प्रोफेसर अजय सुराणा विभागाध्यक्ष शिक्षाशास्त्र, बनस्थली विद्यापीठ, सम-विश्वविद्यालय, निबाई (राजस्थान)
896. श्री मुकेश कुमार बैरवा, शोध अध्येता शिक्षाशास्त्र, बनस्थली विद्यापीठ, सम-विश्वविद्यालय, निबाई (राजस्थान)
897. डॉ. मोहन लाल चढ़ार, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्व, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)
898. डॉ. शीतल द्विवेदी, पोस्ट डाक्टोरल फैलो लोक प्रशासन, राँची विश्वविद्यालय, राँची (झारखण्ड)
899. डॉ. मोहम्मद अय्यूब, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, एम.एच. (पी.जी.) कालेज, मुरादाबाद (उ.प्र.)
900. सुश्री प्रियंका सरोज, शोध अध्येत्री समाजशास्त्र, बरेली कालेज, बरेली (उ.प्र.)
901. सुश्री समरीन फात्मा, शोध अध्येत्री समाजशास्त्र, मदरहुड यूनवर्सिटी, रूड़की (उत्तराखण्ड)
902. श्री महेश कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिजाइन विभाग, वनस्थली विद्यापीठ (राजस्थान)
903. डॉ. सर्वेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, शासकीय महिला महाविद्यालय, राजसमंद (राजस्थान)
904. डॉ. महेन्द्र सिंह यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीतिशास्त्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला (हिमाचल प्रदेश)
905. सुश्री निशी यादव, शोध अध्येत्री समाजशास्त्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज (उ.प्र.)
906. सुश्री राधा, शोध अध्येत्री समाजशास्त्र, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस.एस.जे. परिसर, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)
907. सुश्री शारदा देवांगना, शोध अध्येत्री समाजशास्त्र, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)
908. डॉ. संजीव कुमार बरागटा, असोशिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला (हिमाचल प्रदेश)
909. सुश्री आभा मिश्रा, शोध अध्येत्री समाजशास्त्र, डॉ. शकुन्तला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)
910. श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह, शोध अध्येता समाजशास्त्र, डॉ. शकुन्तला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)
911. श्री रमेश कुमार साहू, शोध अध्येता अपराधशास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विभाग, डॉ. हरि सिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
912. डॉ. नितेश कुमार मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
913. श्री ढाल सिंह देवांगन, शोध अध्येता प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला, पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
914. डॉ. शोभा मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास सांध्यकालीन विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला (हिमाचल प्रदेश)
915. डॉ.विनीत कुमार पाण्डेय, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, बी.आर.डी. बी.डी. (पी.जी.) कालेज, आश्रम बरहज, देवरिया (उ.प्र.)
916. सुश्री संध्या यादव, शोध अध्येत्री पत्रकारिता, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)
917. डॉ. नीरजा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल वर्क, स्कूल आफ सोशल साइंसेज, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (उत्तराखण्ड)
918. श्री टाईश्वर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा विभाग, एल.बी.एस. कालेज, गोहावर, बिजनौर (उ.प्र.)
919. डॉ. राजकुमार नागवंशी, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 22 अंक 1, जनवरी-जून 2020 UGC-CARE List-Social Sciences

लैकलउ और मूफ का उत्तर-मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य : एक समीक्षा

❑ विनोद कुमार श्रीवास्तव

उत्तर-मार्क्सवाद शब्द से दो अलग-अलग सैद्धान्तिक मान्यताओं का बोध होता है।[1] पहली मान्यता के अनुसार मार्क्सवाद अब एक मृत वैचारिकी है[2], क्योंकि समकालीन विश्व की व्याख्या कर पाने में यह पूर्णतः अनुपयुक्त और अप्रासंगिक है।[3] 1950 के दशक के अन्तिम वर्षों में ही राल्फ डहरेन्डार्फ ने यह घोषणा कर दी कि अब पूँजीवादी युग समाप्त हो चुका है और उसकी जगह एक उत्तर-पूँजीवादी युग का आगमन हो चुका है। डहरेन्डार्फ के अनुसार, मार्क्स ने जिन मान्यताओं पर आधारित होकर पूँजीवाद का विश्लेषण किया था, वे मान्यतायें आधारभूत संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण उत्तर-पूँजीवादी प्रणाली के विश्लेषण हेतु सर्वथा अनुपयुक्त हो चुकी हैं।[4] यद्यपि डहरेन्डार्फ ने स्वयं को द्वन्द्ववाद की हीगेलवादी- मार्क्सवादी पद्धति पर आधारित करते हुए एक संघर्ष सिद्धान्तकार के रूप में प्रतिष्ठित किया, परन्तु वास्तव में उनकी सैद्धान्तिक मान्यतायें प्रकार्यवाद और संघर्ष सिद्धान्त की आपसी मेलजोल का परिणाम हैं। इसलिये डहरेन्डार्फ ने, मार्क्स के विपरीत, मानव समाज में होने वाले परिवर्तनों पर बल देने की जगह दीर्घकालिक स्थिरता पर बल दिया है।[5]

प्रस्तुत लेख का उद्देश्य लैकलउ और मूफ के उत्तर-मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की समीक्षा करना है। उत्तर-मार्क्सवादी विचारकों में अर्नेस्टो लैकलउ और चैंटल मूफ का विशिष्ट स्थान है, क्योंकि उन्होंने शास्त्रीय मार्क्सवाद की आलोचना उत्तर-आधुनिकतावादी और उत्तर संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में की है। उन्होंने वामपन्थ द्वारा शास्त्रीय मार्क्सवाद की वस्तुनिष्ठ समझी जाने वाली मान्यताओं और अवधारणाओं को डिकन्स्ट्रक्ट करते हुए उनमें निहित अंतर्विरोधों को सामने लाने का प्रयास किया है और इस बात पर बल दिया है कि समाज एक तरल और प्रवाहमय यथार्थ है जो किसी पूर्व-निर्धारित मार्ग पर चलकर पूर्व-निर्धारित अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। साथ ही समाज में 'श्रमिक वर्ग' ही एकमात्र 'शोषित वर्ग' नहीं है क्योंकि 'शोषित वर्ग' की परिभाषा मात्र 'उत्पादन की पद्धति' पर आधारित नहीं की जा सकती है। अतः उनका सुझाव है कि वामपन्थ को अब रूढ़ धारणाओं को छोड़कर नई रणनीति के अंतर्गत प्रबल प्रवचनों की रचना के द्वारा सभी तरह के शोषित समूहों को संगठित करते हुए 'मौलिक लोकतंत्र' के लिए संघर्षशील होना चाहिए। परन्तु, लैकलउ और मूफ के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है कि नवसंरक्षणवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण यदि 'उदारवादी लोकतंत्र' का ही भविष्य उज्जवल नहीं है, तब 'मौलिक लोकतंत्र' की संकल्पना किस प्रकार व्यवहार्य है?

वर्ष 1978 से डेंग सिआओपिंग के नेतृत्व में चीन में प्रारम्भ हुई आर्थिक सुधार की प्रक्रिया, वर्ष 1990 में ही पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण तथा वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विखण्डन ने इस मान्यता को आधार दिया कि मार्क्सवाद आज के विश्व की व्याख्या कर पाने में असफल है।[6] 20वीं शताब्दी के अन्तिम दशक मे ही मार्क्सवादी मान्यताओं को अस्वीकार करते हुए फ्रैंसिस फुकुयामा ने साम्यवादी समाज की सम्भावना से इन्कार कर दिया और उदारवादी लोकतन्त्र तथा मुक्त बाजार की प्रणाली से विशेषीकृत पूँजीवादी समाज को ही मानव इतिहास की अन्तिम अवस्था के रूप में निर्धारित किया।[7] यद्यपि फुकुयामा नें 21वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही यह स्वीकार कर लिया कि उदारवादी लोकतन्त्र और मुक्त बाजार की प्रणाली पर आधारित पूँजीवादी समाज मानव इतिहास की अन्तिम अवस्था नहीं होगी क्योंकि जैवप्रौद्योगिकी और जेनेटिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में घटित हुये क्रान्तिकारी परिवर्तनों के कारण उदारवादी लोकतान्त्रिक प्रणाली की स्थिरता को खतरा हो सकता है और परिणामतः मानव-समाज एक 'उत्तर- मानव' भविष्य की ओर अग्रसर हो सकता है[8]; परन्तु, उत्तर-मानव भविष्य की ओर मानव के प्रस्थान की सम्भावना पर विचार करने के लिये फुकुयामा ने मार्क्सवादी मान्यताओं को उपयुक्त नहीं माना है।

पहली मान्यता के विपरीत, दूसरी मान्यता के पक्षधर विचारक जहाँ शास्त्रीय मार्क्सवाद और नव-मार्क्सवाद की

❑ प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ.प्र.)

अनेक मूलभूत प्रतिस्थापनाओं को अस्वीकार करते हैं, वहीं ये लोग अनेक मार्क्सवादी चिन्ताओं और अवधारणाओं को गैर-मार्क्सवादी सिद्धान्तों और विचारों से जोड़ते हुये उनकी मार्क्सवादी व्याख्या नये ढ़ंग से करते हैं। मार्क्सवादी चिन्ताओं और अवधारणाओं की नये ढ़ंग से व्याख्या करने वाले विचारकों की एक श्रेणी 'विश्लेषणात्मक' मार्क्सवादियों की है।[9] इस श्रेणी के विचारकों में जॉन रोइमर[10], जोन इल्सटर[11], जी.ए.कोहेन[12] और इरिक ओलिन राइट[13] के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। इन विचारकों के सैद्धान्तिक प्रतिपादनों में मार्क्सवाद को लेकर कोई हठधर्मिता नहीं दिखलाई पड़ती है। यद्यपि ये विचारक समकालीन समाज में भी वर्गीय विभाजन, शोषण, व्यक्ति की स्वतंत्रता और पूँजीवादी प्रणाली में अन्तर्निहित विसंगतियों एवं समस्याओं पर अपने विचार रखते हैं, परन्तु इन विषयों पर इनके विचार मात्र मार्क्सवाद पर निर्भर न होकर गैर-मार्क्सवादी वैचारिक परम्पराओं पर भी निर्भर हैं।[14]

मार्क्सवादी चिन्ताओं और अवधारणओं की नये ढंग से व्याख्या करने वाले विचारकों की एक अन्य श्रेणी संरचनावाद, उत्तर-संरचनावाद और उत्तर-आधुनिकतावाद की दार्शनिक और पद्धतिशास्त्रीय आन्दोलनों से प्रभावित विचारकों की भी है। इस श्रेणी के प्रतिनिधि विचारकों में लैकलउ और मूफ[15], डेविड हार्वी[16] तथा फ्रेडरिक जेमसन[17] के नाम सम्मिलित हैं, परन्तु लैकलउ और मूफ के विचार उत्तर-संरचनावाद और उत्तर-आधुनिकतावाद से अधिक प्रभावित हैं।

चूँकि लैकलउ और मूफ के विचार उनके द्वारा उत्तर-आधुनिकतावादी और उत्तर-संरचनावादी परिप्रेक्ष्य से शास्त्रीय मार्क्सवाद की आलोचना के परिणाम हैं, इसलिए शास्त्रीय मार्क्सवाद की कुछेक आधारभूत मान्यताओं की चर्चा भी आवश्यक है। मार्क्स ने मनुष्य की पहचान एक उत्पादक प्राणी के रूप में की है। मनुष्य प्रकृति पर मात्र निर्भर नहीं रहता है, बल्कि वह प्राकृतिक वस्तुओं और दशाओं को अपनी आवश्यकतानुसार रूपान्तरित भी करता है। मनुष्य में अन्तर्निहित इसी सामर्थ्य के कारण मार्क्स ने उसे 'उत्पादक प्राणी' के रूप में परिभाषित किया है।[18]

मार्क्स के अनुसार, उत्पादन की प्रक्रिया मात्र प्राकृतिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। उत्पादन का कार्य एक व्यक्ति अकेले नहीं करता है। इस कार्य में कई व्यक्ति परस्पर अन्तर्क्रिया और सहयोग करते हैं। मार्क्स और एंगेल्स ने 'द जर्मन आइडियॉलाजी' में लिखा है कि जब कुछ व्यक्ति परस्पर मिलकर उत्पादन के कार्य में सम्मिलित होते हैं, तब उनके बीच एक निश्चित प्रकार का सामाजिक और राजनीतिक सम्बन्ध निर्मित होता है। मनुष्य की इन्हीं उत्पादक गतिविधियों और उन गतिविधियों के आधार पर उनके बीच बने सामाजिक और राजनीतिक सम्बन्धों की प्रणाली को मार्क्स ने 'उत्पादन की प्रणाली' कहा है। इस अवधारणा का उपयोग मार्क्स ने आधारभूत अवधारणा के रूप में किया है जिसमें वह जटिल प्रक्रिया सम्मिलित है जिसके माध्यम से मनुष्य प्रकृति के साथ-साथ परस्पर अन्तर्क्रिया करते हैं और जिसके फलस्वरूप वे अपने इतिहास की रचना करते हैं।[19]

मार्क्स के अनुसार उत्पादन की प्रणाली के दो भाग हैं - उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के सम्बन्ध। उत्पादन की शक्तियों का निर्माण मनुष्यों की श्रम-शक्ति, उनके मध्य पारस्परिक सहयोग के स्तर तथा उनके द्वारा उत्पादन में प्रयुक्त हो रहे यन्त्रों, उपकरणों और प्रविधियों से होता है। मानव-श्रम की उत्पादकता उत्पादन की शक्तियों पर ही निर्भर है। मार्क्स ने 'उत्पादन की शक्तियों' को सामाजिक बल कहा है क्योंकि जब अनेक व्यक्ति परस्पर मिलकर उत्पादक-कार्य करते हैं, तब उनके श्रम-शक्ति की उत्पादकता उनके द्वारा अलग-अलग किये गये कार्यों की उत्पादकता के योग से बहुत अधिक होती है।[20]

मार्क्स के अनुसार, उत्पादन की शक्तियों पर समाज के सभी व्यक्तियों का अधिकार एक समान नहीं होता है। उत्पादन की शक्तियों से सम्बन्ध के आधार पर समाज दो वर्गों में विभक्त होता है- एक वर्ग वह जो उत्पादन की शक्तियों पर स्वामित्व रखता है, जबकि दूसरा वर्ग वह जिसके पास मात्र श्रम-शक्ति होती है। मार्क्स ने उत्पादन की शक्तियों पर स्वामित्व के आधार पर बने दो वर्गों के मध्य सम्बन्ध को 'उत्पादन के सम्बन्ध' अथवा 'सम्पत्ति के सम्बन्ध' कहा है। वास्तव में 'उत्पादन के सम्बन्ध' अथवा 'सम्पत्ति के सम्बन्ध' की अवधारणा ही मार्क्स के वर्ग की अवधारणा का प्रारम्भ-बिन्दु है। इतना ही नहीं, मार्क्स की सामाजिक परिवर्तन और क्रान्ति की अवधारणायें भी इसी अवधारणा पर टिकी हैं।[21]

मार्क्स की चिन्तनधारा में 'उत्पादन की शक्तियों' और 'उत्पादन के सम्बन्धों' को संयुक्त रूप से 'उत्पादन की प्रणाली' कहते हैं। 'उत्पादन की प्रणाली' ही समाज की 'आर्थिक संरचना' भी कहलाती है और 'आर्थिक संरचना'

ही समाज की अधोसंरचना (आधारभूत संरचना) होती है। मार्क्स के अनुसार, इसी अधोसंरचना पर ही किसी समाज की दार्शनिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, विधिक अथवा समस्त वैचारिक प्रणालियाँ आधारित होती हैं। अधोसंरचना पर आधारित वैचारिक प्रणालियों की संरचना को मार्क्स ने समाज की अधिसंरचना कहा है। शास्त्रीय मार्क्सवाद की मान्यता है कि किसी समाज की अधोसंरचना में होने वाला परिवर्तन ही उस समाज की अधिसंरचना, अर्थात वैचारिक प्रणाली, में परिवर्तन का कारण बनता है। शास्त्रीय मार्क्सवाद की मान्यताओं के अन्तर्गत वैचारिक प्रणाली के आर्थिक प्रणाली पर निर्भरता के तथ्य को आर्थिक निर्धारणवाद कहते हैं।[22]

मार्क्स के अनुसार, किसी समाज की आर्थिक संरचना में होने वाले परिवर्तन का कारण उत्पादन के सम्बन्धों के आधार पर समाज में निर्मित वर्गों के मध्य होने वाला संघर्ष है। हितों की प्रतिकूलता के कारण वर्गों के मध्य होने वाला संघर्ष ही मानव जाति के इतिहास में होने वाले परिवर्तन का कारण है।[23] मार्क्स द्वारा प्रस्तावित इतिहास की इस व्याख्या को ऐतिहासिक भौतिकवाद का नाम दिया जाता है।[24] मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में 'वर्ग' की अवधारणा एक आधारभूत अवधारणा है। पूँजीवादी प्रणाली के अन्तर्गत समाज दो वर्गों – पूँजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग-में विभाजित है। यह वर्गीय विभाजन न मात्र आर्थिक संरचना में मनुष्य के स्थान का निर्धारण करता है, बल्कि समाज में उसे 'राजनीतिक पहचान' भी देता है, क्योंकि मार्क्स के अनुसार पूँजीपति वर्ग ही शासक वर्ग भी है और श्रमिक वर्ग ही शासित वर्ग भी है। इतना ही नहीं, शासक और शासित वर्ग क्रमशः शोषक और शोषित वर्ग भी हैं।[25]

मार्क्स के विपरीत, लैकलउ और मूफ ने वर्ग को व्यक्ति की 'राजनीतिक पहचान' के लिए आधारभूत अवधारणा नहीं माना है। उनका तर्क है कि व्यक्ति की राजनीतिक पहचान अनिवार्यतः उसकी वर्गीय स्थिति से ही नहीं बनती है। वास्तव में, व्यक्तियों की सामूहिक राजनीतिक पहचान उनके बीच प्रचलित प्रवचनों (डिसकोर्सेज) के द्वारा बनती है। प्रवचनों के द्वारा उनके बीच ऐसे सम्बन्ध बन सकते हैं जिनसे उनको किन्हीं मूल्यों, शक्तियों और आशयों इत्यादि के संदर्भ में 'एक समान' अथवा 'एक बराबर' होने के बोध होता है। लैकलउ और मूफ ने ऐसे प्रवचनों को 'समतुल्यता के प्रवचन' (डिसकोर्सेज ऑफ इक्वीवैलेंस) कहा है।[26] संगठित प्रयास से समतुल्यता के प्रवचन द्वारा एक ऐसी पहचान वाले श्रमिक-वर्ग का निर्माण सम्भव है जो प्रवचन द्वारा निर्मित एक पूँजीपति वर्ग के विरूद्ध खड़ा हो, अथवा किसी वैकल्पिक प्रवचन के द्वारा एक ऐसी पहचान वाले श्रमिक-वर्ग का भी निर्माण सम्भव है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी राष्ट्रवादी दल के साथ खड़ा हो। लैकलउ और मूफ ने राजनीतिक पहचान बनाने की ऐसी अनेक आत्मपरक विधियों (अथवा, प्रवचनों) पर बल दिया है जिनके द्वारा आर्थिक आधार के अतिरिक्त अनेक ग़ैर-आर्थिक आधारों पर भी समूहों और गठबन्धनों की रचना सम्भव है। विगत कुछ दशकों में लिंग, यौन, प्रजाति और पर्यावरणीय क्षरण जैसे मुद्दों पर आधारित अनेक सामाजिक आन्दोलनों के खड़े होने से यह स्पष्ट होता है कि 'शक्ति' अर्जित करने अथवा 'शक्ति' का विरोध करने के लिए 'वर्गों' (आर्थिक) में संगठित अथवा एकजुट होना ही एक मात्र रास्ता नहीं है।[27] आर्थिक विषमता का विरोध करने वाली 'वामपंथ की राजनीति' से अलग 'पहचान की राजनीति' ने धर्म, प्रजाति, जाति, संस्कृति, भाषा, बोली, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीयता, लिंग और यौन उन्मुखता जैसे विषयों को आधार बनाकर विरोधों, संघर्षों और युद्धों के आयोजन से सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित किया है। अतः जहाँ मार्क्सवाद की मान्यता है कि व्यक्तियों को इसका बोध हो अथवा न हो, उनका तादात्मीकरण (आइडेन्टीफिकेशन) समाज में विद्यमान दो निश्चित वर्गों में से एक के साथ होता है, वहीं लैकलउ और मूफ की मान्यता है कि वैकल्पिक प्रवचनों द्वारा समाज में निर्मित अनेक वर्गों और समूहों में से किसी एक के साथ किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों का तादात्मीकरण प्रतिस्पर्धी प्रवचनों के बीच चलने वाली संघर्षात्मक प्रक्रियाओं तथा आकस्मिकताओं का परिणाम होता है। लैकलउ और मूफ के अनुसार, यह पहले से नहीं जाना जा सकता है कि कौन-सा 'वर्ग' अथवा 'पहचान-समूह' कब राजनीतिक रूप से प्रासंगिक होगा और कौन-सा नहीं। इस प्रकार, लैकलउ और मूफ ने अपनी धारणाओं को आगे बढ़ाते हुये 'पहचान निर्माण' और 'समूह निर्माण' की मात्र वर्ग-विभाजन पर आधारित मार्क्सवादी व्याख्या को अस्वीकार कर दिया।[28] उन्होंने वर्ग-संघर्ष की मार्क्सवादी अवधारणा, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ श्रमिक वर्ग एक पूँजीपति वर्ग से युगान्तरकारी युद्ध में संलग्न होता है, को अस्वीकार करते हुये राजनीतिक संघर्ष की एक बहुविकल्पीय और अनेक

सम्भावनाओं वाले अवधारणात्मक ढाँचे का प्रस्ताव किया जिसमें पराधीन और बेआवाज व्यक्तियों तथा समूहों द्वारा 'समतुल्यता की श्रृंखलायें' बनती और टूटती रहती हैं।[29]

वास्तव में, लैकलउ और मूफ के विचार उत्तर-आधुनिकतावाद के परिप्रेक्ष्य में शास्त्रीय मार्क्सवाद की आलोचना में विकसित हुये हैं। उन्होंने 'विखण्डन' अथवा 'संरचना-भेदन' (डिकन्शट्रक्शन) की पद्धति पर निर्भर होकर मार्क्सवादी सिद्धान्त में निहित अप्रमाणित अथवा अतार्किक पूर्व-मान्यताओं और आन्तरिक अन्तर्विरोधों को ढूँढ निकालने का प्रयत्न किया है ताकि मार्क्सवादी सिद्धान्त, वस्तुतः किसी भी सिद्धान्त, को और आगे ले जाना सम्भव हो सके।[30]

लैकलउ और मूफ ने आर्थिक निर्धारणवाद की आधारभूत मार्क्सवादी मान्यता का भी खण्डन किया है। वास्तव में आर्थिक निर्धारणवाद की पहली मौलिक समीक्षा अंतोनियो ग्राम्शी ने की थी। ग्राम्शी ने शास्त्रीय मार्क्सवाद की परिधि में रहते हुये आर्थिक प्रणाली के महत्व को स्वीकार किया, परन्तु यह स्वीकार नहीं किया कि समाज की वैचारिक अथवा सांस्कृतिक प्रणाली आर्थिक संरचना से निर्धारित होती है। इसके विपरीत, ग्राम्शी का तर्क था कि समाज की वैचारिक प्रणाली में परिवर्तन के बिना आर्थिक प्रणाली में परिवर्तन सम्भव नहीं है। आर्थिक संरचना में परिवर्तन स्वतः संचालित वर्ग-संघर्ष की यान्त्रिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं हो सकता है। ग्राम्शी के अनुसार, क्रान्तिकारी विचारों के बिना वर्ग-संघर्ष और क्रान्ति का आयोजन सम्भव नहीं है। उसने बल देकर कहा कि विचारों का सृजन बुद्धिजीवियों द्वारा होता है, जबकि सामान्य-जन बुद्धिजीवियों द्वारा सृजित विचारों को विश्वास के आधार पर अपनाते हैं। बुद्धिजीवियों द्वारा सृजित क्रान्तिकारी विचारों से प्रभावित होने के बाद ही सामान्य-जन क्रियाशील होकर क्रान्ति की ओर अग्रसर होते हैं और 'उत्पादन के सम्बन्धों' को बदलने के लिये वर्ग-संघर्ष की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। पूँजीवाद का विश्लेषण करते हुये ग्राम्शी ने उन बुद्धिजीवियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना है जो शासक वर्ग, वस्तुतः पूँजीपति वर्ग, का समर्थन करते हैं। उसके अनुसार, आर्थिक प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन को रोकने के लिए शासक वर्ग के समर्थक बुद्धिजीवी ऐसी विचारधारा का सृजन करते हैं जिसके प्रभाव में आकर सामान्य-जन शासक वर्ग को अपना हितैषी मान लेते हैं। शासक वर्ग द्वारा शासित वर्ग, वस्तुतः श्रमिक वर्ग, को कानून, प्रशासन, सेना और पुलिस का उपयोग करते हुये अवपीड़न द्वारा नियन्त्रित करने की जगह वैचारिक प्रक्रिया द्वारा अपना समर्थक बनाकर नियन्त्रित करने की पद्धति को ग्राम्शी ने सांस्कृतिक (अथवा वैचारिक) आधिपत्य (या नेतृत्व) हेजेमनी, कहा है।[31]

लैकलउ और मूफ ने दमन, उत्पीड़न और प्रभुत्व सम्बन्धी मार्क्सवादी प्रश्नों की व्याख्या के लिये एक उत्तर-मार्क्सवादी प्रवचन (डिसकोर्स) को आगे बढ़ाते हुये ग्राम्शी के सांस्कृतिक, अथवा वैचारिक, नेतृत्व (हेजेमनी) की अवधारणा को और विकसित करने का प्रयत्न किया। ग्राम्शी ने अपनी अवधारणा में पूँजीपति वर्ग के आधिपत्य को निर्धारित अथवा निश्चित मान लिया था। आशय यह था कि पूँजीवादी व्यवस्था के केन्द्र में मात्र दो वर्ग-पूँजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग होते हैं और पूँजीपति वर्ग ही व्यवस्था में 'सांस्कृतिक नेतृत्व' प्रदान करता है। लैकलउ और मूफ ने ग्राम्शी के 'सांस्कृतिक आधिपत्य' की संकल्पना को एक तरल स्वरूप देते हुये पूँजीवादी व्यवस्था में मात्र पूँजीपति वर्ग के 'सांस्कृतिक आधिपत्य' सम्बन्धी मान्यता को अस्वीकार कर दिया।[32]

लैकलउ और मूफ की दृष्टि मे समाज सदैव निर्माण की प्रक्रिया से होकर, नवीन स्वरूपों को प्राप्त करता हुआ निरंतर आगे की ओर बढ़ता है। इस प्रक्रिया में समाज कभी अपनी अन्तिम अवस्था को प्राप्त नहीं करता है और न ही वह किसी पूर्व-निर्धारित पथ पर अग्रसर होता है। इस प्रकार लैकलउ और मूफ ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की नियतिवादी मान्यता पर प्रहार किया जिसके अनुसार शोषित वर्गों द्वारा आयोजित क्रान्तियों के माध्यम से मानव इतिहास को पूर्व-निर्धारित चरणों से गुजरते हुये अन्ततः एक 'वर्ग-विहीन' साम्यवादी अवस्था तक पहुँचना है। लैकलउ और मूफ के अनुसार, पारम्परिक मार्क्सवाद की समस्या यह है कि वह 'शोषित वर्ग' के अर्थ को 'उत्पादन की पद्धति' से ही जोड़कर देखता है और 'शोषित वर्ग' के अर्थ को 'श्रमिक वर्ग' के अर्थ तक ही सीमित रखता है। मार्क्स ने ही नहीं, बल्कि ग्राम्शी ने भी श्रमिक वर्ग की परिभाषा को विशुद्ध आर्थिक शक्तियों पर ही आधारित किया है और श्रमिक वर्ग को ही 'शोषित वर्ग' के रूप में पहचान दी है। लैकलउ और मूफ ने मार्क्स और ग्राम्शी के विपरीत, श्रमिक वर्ग की पहचान उत्पादन की पद्धति तक ही सीमित नहीं किया है। उनके अनुसार एक निश्चित, निर्धारित और एक-स्थानिक अर्थ के विपरीत, श्रमिक वर्ग का अर्थ विखण्डित, बहु-आयामी और बहु-स्थानिक

है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रवादी समूह, खेल-प्रशंसक मण्डली, अभिभावक समूह, पाठक-समूह अथवा दर्शक-समूह जैसे क्षेत्रों से श्रमिक वर्ग के लोग अलग-अलग अवसरों पर अलग-अलग रूपों में जुड़े हो सकते हैं और इन अलग-अलग रूपों में परस्पर किसी एकता-सूत्र का होना आवश्यक नहीं है।[33]

लैकलउ और मूफ ने 'सांस्कृतिक आधिपत्य', अथवा 'सांस्कृतिक नेतृत्व' की ग्राम्शी की अवधारणा को तरल बनाते हुये आधिपत्य की एक अधिक खुली और प्रवाहमय परिभाषा का प्रस्ताव किया है। उनके अनुसार, ''आधिपत्य किसी समाज में एक प्रकार का राजनीतिक सम्बन्ध है, यदि कोई चाहे तो इसे राजनीति भी कह सकता है परन्तु समाज की स्थलाकृति में इसका कोई निर्धारित स्थान नहीं है। किसी समाज की संरचना में आधिपत्य के अनेक कटान-बिन्दु हो सकते हैं, इन कटान-बिन्दुओं पर अनेक सामाजिक सम्बन्ध परस्पर मिलकर घनीभूत हो सकते हैं परन्तु चूँकि समाज की प्रकृति अनिश्चित और असीमित है, किसी समय पर समाज में मौजूद सभी कटान-बिन्दुओं का किसी अन्तर्निहित एकीकृत सैद्धान्तिक-सूत्र में न्यूनीकरण सम्भव नहीं है और इसलिए यह विचार कि समाज का अपना एक केन्द्र होता है, अर्थहीन है।''[34]

लैकलउ और मूफ का मानना है कि किसी समाज की संरचना में अनेक समूह विद्यमान होतें हैं। इनमें से प्रत्येक समूह में विचारों और परिप्रेक्ष्यों की अपनी श्रृंखलायें होती हैं। समूहों की ऐसी अनेकता के कारण यह निश्चित कर पाना सम्भव नहीं है कि कौन-से समूह परस्पर मिलकर एक गुट बनायेंगे और आपसी सहमति के आधार पर अपना 'आधिपत्य' स्थापित करेंगे। अनेक समूह मिलकर एक गुट बना सकते हैं और समय बदलने पर वह गुट विखण्डित हो सकता है और फिर एक समूह दूसरे समूहों से मिलकर एक नये गुट का निर्माण कर सकता है। स्टीवेन ए. पीटर्सन ने ऐसे दृष्टांत का उल्लेख करते हुये लिखा है कि अमेरिका में 1964 में सिविल राइट्स ऐक्ट के लिए यहूदियों और अफ्रीकी-अमेरिकियों ने मिलकर काम किया और अपने एकीकृत प्रभाव का उपयोग किया, परन्तु जब कभी दूसरे समय पर 'नेशन ऑफ इस्लाम' के सदस्यों ने यहूदी विरोधी नारे लगाये, तब अफ्रीकी-अमेरिकियों ने यहूदियों के साथ अपनी राजनीतिक एकजुटता प्रदर्शित नहीं की। अतः किसी 'सांस्कृतिक आधिपत्य' की संरचना में अचानक बदलाव सम्भव है। किसी गुट में सम्मिलित समूहों में दरार पड़ सकती है और उनके आपसी अन्तर्विरोध सामने आ सकते हैं। इन अन्तर्विरोधों के कारण अपने-अपने हितों को ध्यान में रखते हुये किसी गुट के समूह गुट का विखण्डन करते हुये नितान्त अलग-अलग गुटों में सम्मिलित हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में किसी प्रभावशाली गुट का स्थान एक नया गुट ले सकता है। इस प्रकार, लैकलउ और मूफ की दृष्टि में सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करने वाली संरचनायें अस्थिर होती हैं। प्रभावशाली विचारों में तीव्रगति से बदलाव आ सकता है और फलतः नया नेतृत्व और नये राजनीतिक मुद्दे सामने आ सकते हैं। परिवर्तन की यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। उदाहरण के लिये, सोवियत संघ में सत्तर वर्षों तक अपना आधिपत्य जारी रखने के बाद पुराना बोल्शेविक ढाँचा ढह गया और मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा समर्थित खुलेपन से सम्बन्धित नवीन वैचारिक शक्तियों ने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, यद्यपि इन नवीन विचारों का प्रभाव भी सदैव के लिये स्थापित नहीं हो सकता है।[35]

उत्तर-आधुनिकतावाद के परिप्रेक्ष्य में शास्त्रीय मार्क्सवाद की लैकलउ और मूफ द्वारा की गई आलोचना श्रमिक वर्ग को केन्द्र में रखकर उनके हितों की पूर्ति के लिये चलने वाली वामपंथ राजनीति का विरोध करना, अथवा समकालीन विश्व में उस राजनीति की असफलता का उत्सव मनाना नहीं है। लैकलउ और मूफ का उद्देश्य यह स्पस्ट करना है कि 'श्रमिक वर्ग' एक अकेला शोषित वर्ग नहीं है और 'श्रमिक वर्ग' जैसी अवधारणा से समाज में जिस समूह की पहचान बनती है वह एक वस्तुनिष्ठ सामाजिक श्रेणी नहीं है, बल्कि वह भी प्रवचन (डिसकोर्स) द्वारा उसी प्रकार निर्मित होता है जिस प्रकार अलग-अलग समयों और स्थानों पर अलग-अलग प्रबल प्रवचनों के द्वारा कभी धार्मिक, कभी प्रजातीय, कभी जातीय, कभी राष्ट्रिक, कभी क्षेत्रीय, कभी लैगिंक, अथवा कभी यौनिक पहचान वाले समूह निर्मित होते हैं। अतः लैकलउ और मूफ की दृष्टि में वामपन्थ की राजनीति की असफलता का कारण यह है कि आज का वामपन्थ ऐसे प्रबल प्रवचनों के सृजन में असफल है जिनके द्वारा श्रमिक वर्ग की पहचान वाले किसी समूह का निर्माण हो सकता है। लैकलउ और मूफ के उत्तर-आधुनिक मार्क्सवादी विचारों का विकास उस पारम्परिक वामपन्थ की राजनीति की आलोचना में हुआ है जो 'श्रमिक-वर्ग के अधिनायकत्व' का समर्थक और पोषक था। शास्त्रीय मार्क्सवाद की निर्धारणवादी मान्यता

पर आधारित वामपन्थ की एक राजनीतिक धारा ने प्रबल प्रवचनों के द्वारा ही सोवियत संघ जैसी अधिनायकवादी और अलोकतान्त्रिक प्रणाली को जन्म दिया था।

यद्यपि लैकलउ और मूफ ने सत्तावादी रूढ़ मार्क्सवाद की आलोचना की है, तथापि उन्होंने पूँजीवादी प्रणाली द्वारा मान्य उदारवादी लोकतन्त्र की उन सुधारवादी भावनाओं और विचारों की भी आलोचना की है जिनकी सहायता से पूँजीवाद अपने को सत्तासीन रखता है।[36] इस प्रकार, लैकलउ और मूफ ने जहाँ एक ओर अधिनायकवादी सत्ता का समर्थन करने वाली वामपन्थ की राजनीति की आलोचना की है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने पूँजीवाद द्वारा मान्य लोकतन्त्र की प्रणाली को अपूर्ण और भ्रामक माना है। उनका मानना है कि उदारवादी लोकतन्त्र की प्रणाली 'मतैक्य' स्थापित करने के प्रयास में अलग दिखने वाले विचारों, दृष्टिकोणों, प्रजातियों, वर्गों अथवा लैंगिक समूहों का दमन करती है। किसी देश में, अथवा सम्पूर्ण विश्व में, और यहाँ तक कि किसी सामाजिक आन्दोलन के अन्दर भी, अनेक समूह आम सहमति से अलग मत रखते हैं। उदारवादी लोकतन्त्र की प्रणाली में भिन्नताओं, मतभेदों और विरोध के प्रति दमनात्मक प्रणाली के प्रचलन की आलोचना में लैकलउ और मूफ ने 'मौलिक लोकतन्त्र' की अवधारणा का प्रस्ताव किया है।[37] मौलिक लोकतन्त्र का उद्देश्य मात्र भिन्नताओं, मतभेदों और विरोध को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि भिन्नताओं, मतभेदों और विरोध पर ही आधारित होना है। समाज में अनेक दमनात्मक सम्बन्ध अस्तित्व में होते हैं। भेदों, मतभेदों और विरोध पर आधारित लोकतन्त्र दमनात्मक सम्बन्धों को सामने लाकर उन्हें चुनौती देनें और बदल देने का अवसर देता है।[38]

लैकलउ और मूफ की मौलिक लोकतन्त्र की अवधारणा यदि एक ओर मानव की मुक्ति के लिये मार्क्स द्वारा प्रस्तावित साम्यवाद की अवधारणा का निषेध करती है, तो वहीं दूसरी ओर पूँजीवाद द्वारा पोषित उदारवादी लोकतन्त्र की अवधारणा का निषेध करते हुये प्रजातीय भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, प्रकृति के दोहन और पूँजीवादी दमन के विरूद्ध चल रहे आन्दोलनों तथा लोकतान्त्रिक संघर्षों को एक ही छतरी के नीचे लाने का प्रस्ताव करती है।[39] इसलिये उन्होंने आज के वामपन्थ को एक मौलिक और बहुलतावादी लोकतन्त्र के समर्थन की राजनीति पर आधारित होने का सुभाव दिया है। उनके शब्दों में, अतः वामपन्थ का लक्ष्य उदारवादी-लोकतान्त्रिक वैचारिकी का परित्याग नहीं है, बल्कि इसके विपरीत मौलिक और बहुलतावादी लोकतन्त्र की दिशा में उसे गहरा तथा विस्तृत बनाना है।[40]

लैकलउ और मूफ का सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य लोकतन्त्र की एक अत्यधिक व्यापक और समावेशी अवधारणा की पक्षधरता करता है। यह परिप्रेक्ष्य वामपन्थ से उन प्रबल प्रवचनों के सृजन की अपेक्षा करता है जिनके आधार पर वैचारिक आधिपत्य की एक ऐसी प्रणाली निर्मित हो जो विश्व में चल रहे अनेक प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलनों का नेतृत्व कर सके। शोषित, पीड़ित, वंचित और बेआवाज लोगों के अलग-अलग चल रहे आन्दोलनों को वैचारिक नेतृत्व देने वाला एक व्यापक गठबन्धन आज के वामपन्थ का लक्ष्य होना चाहिये। मौलिक और बहुलतावादी लोकतन्त्र की स्थापना सांस्कृतिक (वैचारिक) आधिपत्य की एक ऐसी प्रणाली के द्वारा ही सम्भव है जो लोकतन्त्र की नव-उदारवादी और नव-संरक्षणवादी मान्यताओं को चुनौती दे सके।

वर्ष 1991 के दिसम्बर महीने में सोवियत संघ के विखण्डन की व्याख्या अनेक विचारकों द्वारा एक अधिनायकवादी सत्ता की समाप्ति और लोकतंत्र की जीत के रूप में की गयी है। फुकुयामा ने मार्क्सवाद की आलोचना करते हुये 'उदारवादी लोकतंत्र' और 'मुक्त-बाजार' की प्रणाली को मानव इतिहास की सर्वोत्तम उपलब्धि माना है और ऐसी प्रणाली से विशेषीकृत समाज को इतिहास की अन्तिम अवस्था के रूप में अवधारणाबद्ध किया है[41], यद्यपि उन्होंने आगे चलकर जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले क्रान्तिकारी परिवर्तनों से समाज की ऐसी प्रणाली की स्थिरता के समक्ष उत्पन्न सम्भावित संकटों की भी व्याख्या की है।[42] वेन्डी ब्राउन जैसे विचारकों ने, फुकुयामा के दृष्टिकोण के विपरीत, 'उदारवादी लोकतन्त्र' की जीत को पूँजीवाद द्वारा मात्र 'साम्यवाद' की हार न मानकर नव-उदारवाद की नई तार्किक प्रणाली के माध्यम से लोकतन्त्र की पराजय के रूप में देखा है।[43] शीतयुद्ध की समाप्ति के प्रायः तीन दशकों के अन्दर ही अनेक विचारक 'उदारवादी लोकतंत्र' के अस्तित्व को लेकर ही आशान्वित नहीं हैं।[44] इतना ही नहीं, अत्यन्त तीव्र गति से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी ने भी कई विचारकों को लोकतन्त्र के भविष्य को लेकर चिन्ताग्रस्त किया है। डेविड ब्रूक्स ने मार्च 11, 2019 को 'द न्यू यार्क टाइम्स' में प्रकाशित एक लेख में लिखा था कि प्रौद्योगिकी ने सत्ता के केन्द्रीकरण की

प्रक्रिया को इतना तेज कर दिया है कि पहले की अपेक्षा अब तानाशाह बनना अधिक आसान हो गया है।[45] इसलिए 'सरविलान्स कैपिटैलिज्म'[46] के युग में लैकलउ और मूफ द्वारा प्रस्तावित परिप्रेक्ष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस प्रश्न का उत्तर ढूँढना है कि यदि आज उदारवादी लोकतन्त्र का ही अस्तित्व संकटग्रस्त है, तब उससे भी आगे बढ़कर एक 'मौलिक और बहुलतावादी' लोकतन्त्र की संकल्पना की अभिपूर्ति व्यावहारिक धरातल पर किस प्रकार सम्भव है।

सन्दर्भ

1. Sim, Stuart: 'Post-Marxism: An Intellectual History', Routledge, London and New York, 2001, (Originally 2000), pp. 1-11.
2. Burawoy, Michael: 'Marxism is Dead, Long Live Marxism!' in Socialist Review, 90 (2), 1990, pp. 7-19 (burawoy.berkeley.edu/marxism/marxism%20is%20dead.sr.pdf) accessed on 25-10-2019
3. Haralambos and Holborn: 'Sociology: Themes and Perspectives', Harper Collins, V Edition, 2000, p. 50 and pp. 78-79; Sim, Stuart, op. cit, p.1
4. Zeitlin, Irving M: 'Rethinking Sociology : A Critique of Contemporary Theory', Rawat Publications, Jaipur and New Delhi, 1996 (Originally 1973 by Appleton-Century-Crafts, New York), pp. 109-115.
5. 'Social Change Theories' (people.okanagan.bc.ca/wvdveen/wilmawebpage/social_change_theories.htm) accessed on 6-4-2020.
6. Ritzer, George and D.J. Goodman: 'Sociological Theory', Mc Graw Hill, New York, 2003, p. 302.
7. Fukuyama, Francis: 'The End of History and The Last Man', The Free Press (A Divison of Macmillan Inc.), New York, 1992.
8. Fukuyama, Francis: 'Our Posthuman Future : Consequences of the Biotechnology Revolution', Profile Books, London, 2003 (Originally 2002 by Farrar Straus and Giroux).
9. Roemer, John (ed): 'Analytical Marxism : Studies in Marxism and Social Theory', Cambridge University Press, Cambridge, 1986.
10. Roemer, John: 'Introduction' in Roemer John (ed.), ibid, pp. 3-8.
11. Elster, Jon: 'Further Thoughts on Marxism, Functionalism and Game Theory', in Roemer, John (ed.), ibid, pp. 202-220.
12. Cohen, G.A.: 'Karl Marx's Theory of History : A Defence', Princeton University Press, Princeton, 1978.
13. Wright, Erik Olin: 'Classes', Verso, London, 1985.
14. Ritzer, George and D.J. Goodman, op.cit., p. 307
15. Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe: 'Hegemony and Socialist Strategy : Towards a Radical Democratic Politics', Verso, London, 1985.
16. Harvey, David: 'The Condition of Postmodernity : An Enquiry into the Origins of Cultural Change', Blackwell, Oxford, 1989
17. Jameson, Fredric: 'Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism', Duke University Press, Durham, 1991.
18. Zeitlin, Irving M.: 'Ideology and the Development of Sociological Theory', Prentice-Hall, INC., Englewood Cliffs, New Jersey, 1968, p. 97
19. ibid, pp. 97-98
20. ibid, pp. 99-100
21. ibid, p. 100
22. ibid, pp. 100-101
23. Marx, Karl and Friedrich Engels: 'Manifesto of the Communist Party', Rahul Foundation, Lucknow (Originally 1848), 2008, p. 35.
24. Afanasyev, V.G.: 'Marxist Philosophy', Progress Publishers, Moscow, 1980 (First Printing 1963), pp. 180-187.
25. Haralambos, Michael with Robin Heald: 'Sociology : Themes and Perspectives', Oxford University Press, Delhi, 1980 (Indian Impression 1981), p. 39.
26. Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe: op.cit. pp. 127-128.
27. ibid, p. 159.
28. Jorgensen, Marianne and Louise Phillips: 'Discourse Analysis as Theory and Method', Sage Publications, London, 2002, p. 34.
29. Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe, op.cit, p. 170.
30. Jorgensen, Marianne and Louise Phillips, op. cit, pp. 24-40.
31. Ritzer, George and D.J. Goodman, op.cit, pp. 269-270
32. Jorgensen, Marianne and Louise Phillips, op. cit, pp.32-34; also, Review written by Steven A. Peterson on 'Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics'. (http:www.goodreads.com/review/show/82752401).
33. Review written by Michael Spivey on 'Hegemony and Socialist Strategy : Towards a Radical Democratic Politics'. (https://www.amazon.com/gp/aw/review/1859843301/

RVAHOQ8G2007D/ref=Cm_cr_dp_mb_rvw_7?ie= UTF8 & cursor=7)
34. Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe, op.cit, p.139
35. Review written by Steven A. Peterson on 'Hegemony and Socialist Strategy : Towards a Radical Democratic Politics', (https:www.goodreads.com/review/show/82752401)
36. Sim, Stuart, op.cit., 24.
37. Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe, op.cit, pp. 149-193
38. en.m.wikipedia.org/wiki/Radical_democracy.
39. Ritzer, George and D.J. Goodman, op.cit, p.308.
40. Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe, op.cit, p. 176
41. Fukuyama, Francis, 1992, op.cit.
42. Fukuyama, Francis, 2003, op.cit.
43. Review written by Jodi Dean, on Wendy Brown's book 'Undoing the Demos : Neoliberalism's Stealth Revolution', New York, 2015, Zone Books, published in 'Critical Inquiry' (http://criticalinquiry.unchicago.edu/neoliberalisms_ defeat_of_democracy/); See also, Wendy Brown's 'In the Ruins of Neoliberalism: The Rise of Antidemocratic Politics in the West', Columbia UP, 2019.
44. Jacobs, Garry et al.: 'The Future of Democracy : Challenges and Prospects' in Cadmus, vol.3, Issue 4, May 2018, pp. 7-31; see also, likhotal, Alexander (2018) : 'The world in Transit : Going Beyond Myopic Visions', in Cadmus, ibid, pp. 1-6; Also, Muller, Jan-Werner, 2016. 'What is Populism', Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
45. Brooks, David: If Stalin had a Smartphone : Suddenly technology has a centralizing effect', The New York Times, March 11, 2019.
46. Zuboff, Shoshana: 'The Age of Surveillance Capitalism' The Fight For a Human Future at the New Frontier of Power', Public Affairs, 2019 (originally 2018).

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 22 अंक 1, जनवरी-जून 2020 UGC-CARE List-Social Sciences

कोविड – 19 महामारी और वैश्विक राजनीति : एक विश्लेषण

❑ डॉ. वीरेन्द्र चावरे

कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान वैश्विक नेतृत्व का अभाव स्पष्ट दिखाई दिया। चीन के गैर जिम्मेदाराना रवैये का परिणाम पूरी दुनिया भुगत रही है। जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी से लड़ने की कोशिश करती दिखी, तब अमेरिका और चीन विश्व स्वास्थ संगठन और वैश्विक स्वास्थ्य के मुद्दे पर राजनीति करते दिखे। यह वैश्विक राजनीति का निकृष्टमत उदाहरण है। संकट के समय में अमेरिका और चीन दुनिया को मदद पहुंचाने की बजाय एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में उलझे रहे। अमेरिका अपनी घरेलू समस्याओं में उलझा रहा तो चीन मौके का फायदा उठाकर दुनिया के जरूरतमंद देशों को मदद के नाम पर मेडिकल आपूर्ति कर खुद को वैश्विक लीडर के रूप में पेश करता नजर आया। महामारी की आड़ में चीन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विशेषकर यूरोप में आर्थिक बाजार और अन्य मौके तलाशता रहा। खराब गुणवत्ता वाला सामान बेचकर मदद के नाम पर झूठा प्रचार-प्रसार करता रहा। चीन ने यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने की भी कोशिश की है। कोरोना फैलने के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर चीन खुलकर आक्रामक रूप से सामने आया। अपने विरूद्ध विश्वव्यापी गुस्सा देख चीन अपने शांतिपूर्ण उदय का नकली मुखौटा उतारकर अपने विस्तारवादी मंसूबों में जुट गया। वह दक्षिणी चीन सागर से हिन्दमहासागर और पूरे दक्षिणी महाद्वीपीय सीमा तक अपना आक्रामक रवैया दिखा कर चीन शी जीनपिंग की राष्ट्रवादी छवि को गढ़ना चाहता है ताकि अपने स्टैण्ड पर कायम रहने का संदेश दे सके। यदि अमेरिका और चीन आपस में उलझे रहते हैं तो यह उन्हें नए शीत युद्ध की ओर ले जा सकता है। अतः विश्व को अब अमेरिका और चीन के प्रिज्म से बाहर निकलकर नई वैश्विक व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है।

कोविड-19 वैश्विक महामारी में वैश्विक नेतृत्व का अभाव पाया गया। इसमें चीन की गलतियों का परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। एक ओर दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है दूसरी ओर अमेरिका और चीन आपस में उलझते दिखे। जहां अमेरिका में वैश्विक जिम्मेदारी, क्षमता और इच्छा का अभाव देखा गया तो वहीं चीन अपने आप को वैश्विक नेतृत्व के रूप में पेश करता दिखा। कोरोना फैलने के बाद चीन आक्रामक रूप से कूटनीतिक मोर्चे पर खुलकर सामने आया। अपने विरूद्ध विश्वव्यापी गुस्से को देख चीन दुनिया में शक्ति की राजनीति से अपने विस्तारवादी मंसूबों में जुट गया। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के लिए अपनी नाकामियों का ठिकरा शी जिनपिंग पर फोड़ना चाहते हैं वहीं शी जिनपिंग कोरोना में अपनी गलतियों और कुप्रबंधन से नाराज जनता का ध्यान भटकाने के लिए आक्रामक रूप दिखा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप खीजने से शक्तियां लामबद्ध होकर ध्रुवीकरण कर सकती हैं। इससे अमेरिका और चीन में एक नए शीतयुद्ध का प्रारंभ हो सकता है। अतः विश्व को सही ढ़ंग से संचालित करने के लिए एक लाइक माइंडेट ग्रुप की स्थापना हो सकती है। कोविड-19 महामारी के आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक परिणाम सामने आए हैं।

चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान से फैले कोविड-19 जैसे इस घातक वायरस ने सम्पूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। 31 दिसंबर 2019 को चीन ने कोरोना वायरस के प्रकोप की घोषणा की थी और 30 जनवरी 2020 को चीन ने अपने देश में स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) ने 30 जनवरी 2020 की रात को कोरोना वायरस को वैश्विक आपात काल घोषित किया। चीन द्वारा सूचना दिए जाने के 72 दिन बाद डब्ल्यूएचओ ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। इस अवधि में महामारी की चपेट में आने वाले लोग 13 गुना हो गए यानी अब तक 114 देशों के 1. 18 लाख लोग संक्रमित हो चुके थे। इस वायरस ने मार्च तक पूरी दुनिया को जकड़ लिया। दुनिया के लगभग 200 देशों से भी अधिक देशों में फैल गया। आब्जर्वर रिसर्च फाण्डेशन के कोविड-19 ट्रेकर के अनुसार ''04 जून तक

❑ प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

6635999 संक्रमित केस पाए गए जबकि 389705 लोगों की जान चली गई।''

प्रस्तुत शोध पत्र में कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के समय में वैश्विक राजनीति को जानने का प्रयास किया गया है। साथ ही इसमें यूरोप, दक्षिणी चीन सागर, हिन्दमहासागर में और भारत के प्रति चीन के रवैये को जानने का प्रयास किया गया है। इसमें कोविड-19 के बाद नई वैश्विक व्यवस्था के बारे में भी पड़ताल करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत शोध-पत्र में द्वितीयक स्त्रोतों का उपयोग किया गया है। द्वितीयक स्त्रोतों के आधार पर ऐतिहासिक और विश्लेषनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

इस समय पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व अदृश्य संकट कोविड -19 से जूझ रही है ऐसे समय में आपसी सहयोग और संकट में फंसी दुनिया को नेतृत्व देने की बजाय दुनिया के दो शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका और चीन आपसी संघर्ष में उलझे हैं। कोरोना वायरस के पैदा होने और एक-दूसरे के पत्रकारों के निष्कासन से विवाद शुरू हुआ। 18 मार्च को चीन ने एक दर्जन से अधिक पत्रकारों को निष्कासित किया। ये पत्रकार, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और द वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े अमेरिकी संस्थान के लिए काम कर रहे थे।[1] वहीं प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका ने चीन के पांच मीडिया संस्थानों, जैसे कि शिन्हुआ और सीजीटीएन टीवी को विदेशी अभियान घोषित कर दिया।[2]

कोरोना वायरस (कोविड - 19) के पैदा होने के स्थान को लेकर ही अमेरिका और चीन में पहला विवाद छिड़ा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट कर कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस बताया है। अमेरिकी विदेशमंत्री और ट्रम्प प्रशासन के अफसर भी इसे वुहान वायरस बता चुके हैं। इससे पहले चीन ने अंदेशा जताया था कि कहीं कोरोना को चीन में लाने का काम अमेरिकी सेना ने तो नहीं किया। चीन ने ट्रम्प के बयान पर भी आपत्ति जताई।[3] चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि चीन को वायरस से जोड़ना एक तरह से कलंक है। हम खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का सख्त विरोध करते हैं। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिनजिंन ने लिखा 'अमेरिकी शेयर बाजार गिरने, महामारी से निपटने का प्रभावी तरीका न होने, डर के इस माहौल में वे खुद को बचाने के लिए इतना कर सकते हैं कि चीन को बलि का बकरा बना दें।[4]

डब्ल्यूएचओ पर अमेरिका के आरोप : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यू एच ओ की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए कि 'चीन ने कोरोना वायरस के संक्रमण को शुरू में छुपाने की कोशिश की और डब्ल्यू एच ओ ने कुछ नहीं किया कोरोना के संक्रमण की शुरूआत चीन के शहर वुहान से पिछले साल में हुई थी।' यह भी कहा था कि 'विश्वस्वास्थ्य संगठन पर चीन का नियंत्रण है।' यह आरोप भी लगता कि 'चीन ने डब्ल्यू एच ओ पर दबाव बनाया और दुनिया को गुमराह किया।' ट्रंप ने कहा था, ''पूरी दुनिया चीन के अपराध की सजा भुगत रही है।'' यह भी कहा की 'डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कुछ ठोस नहीं किया और चीन की कठपुतली बनकर रह गया।'[5]

डब्ल्यूएचओ से संबंध खत्म करने की घोषणा : अमेरिका राष्ट्रपति ने ड्ब्ल्यूएचओ से अलग होने की घोषणा के बाद कहा कि 'हमने डब्ल्यूएचओ से व्यापक सुधार के लिए कहा था लेकिन उन्होने ऐसा नहीं किया। अमेरिका डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग करता है। जो फंड इसमें दिया जाता था अब उसे वैश्विक हेल्थ केयर के लिए दूसरे संगठनों को देंगे।' इस घोषणा के बाद ट्रंप की न केवल विदेशों में आलोचना की गई बल्कि देश के भीतर भी सवाल उठे। अमेरिका में विपक्ष ने भी ट्रंप के इस कदम को अपनी नाकामी छुपाने वाला कदम करार दिया। जबकि चीन ने भी ट्रंप के इस कदम को पूरी दुनिया में अपनी नाकामी छिपाने के लिए गुमराह करने वाला बताया।[6]

वास्तव में ट्रंप का विजन ग्लोबल कम लोकल ज्यादा प्रतीत होता है। ट्रंप का यह कदम दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ी गलती है। इससे न केवल कोविड-19 के विरूद्ध वैश्विक लड़ाई पर असर पड़ेगा बल्कि वैक्सीन बनाने के वैश्विक प्रयासों को भी धक्का लगेगा। इससे वैश्विक राजनीतिक पर दबाव भी बढ़ेगा। इसमें सुधार करने की बजाय अमेरिका का पीछे हटना ठीक नहीं कहा जा सकता क्यों कि यह चीन को मनमानी करने का अवसर करने देने जैसा है। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका नेतृत्व भी प्रभावित होगा।

पत्रकार डेंग युआन, डॉइचे वैले, से साभार में एक लेख के अनुसार 'एक ओर, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप

डब्ल्यू एच ओ को दी जाने वाली राशि में कटौती करने की बात करते हुए इस वैश्विक संस्था को छोड़ने की धमकी दे रहे है, वहीं दूसरी ओर चीन में उनके समकक्ष शी जिनपिंग आश्चर्यजनक रूप से विनम्र दिखाई दे रहे हैं। जिनपिंग ने एक वीडियों संदेश के जरिए अगले वर्ष तक चीन की ओर से विकासशील देशों को 2 अरब डॉलर देने की इच्छा जताई। जबकि इसकी तुलना में अमेरिका डब्ल्यू एच ओ को हर साल 50 करोड़ डॉलर उपलब्ध कराता है। जिनपिंग यह भी कह चुके हैं कि यदि कोरोना का टीका विकसित कर लिया जाता है और उसका प्रमाण चीन द्वारा हो, तो वह इस टीके को विश्व समुदाय को उपलब्ध कराने को तैयार है।' स्वास्थ्य तंत्र के आगे हथियार डाल चुके देश तो अंतर्राष्ट्रीय सहायता को आतुर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है यह सबकुछ दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित होने के उसके मास्टर प्लान के अनुसार हो रहा है। अमेरिका ने तो संयुक्त राष्ट्र संगठन के संगठनों में कमी करके, चीन को ऐसा करने के लिए स्थान ही उपलब्ध कराया है।[7] यानी चीन अमेरिका के विकल्प के रूप में सब देशों के साथ मिलकर काम करने और दुनिया संभालने का संकेत देना चाहता है। जैसे-जैसे अमेरिका जहां-जहां पीछे हट रहा है, चीन वहां आगे आकर मौके पकड़कर, दुनिया को अपने वैश्विक नेतृत्व का संदेश देना चाहता है। वास्तव में इससे यह साबित होता है कि चीन अपने वैश्विक नेतृत्व के लिए कोई मौका नहीं छोड़ेगा।

कोविड-19 से आहत यूरोप में छद्म कूटनीति : कोविड 19 महामारी के दौर में चीन ने जो सेनेटरी और मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराए, इस आपूर्ति को चीन ने मदद के नाम पर प्रचारित किया। चीन की इस नीति को विश्व में 'मास्क डिप्लोमेसी' कहा गया। संकट में मध्य और पूर्वी यूरोप के देश अमेरिका की ओर उम्मीद की नजरों से देखते रहे। लेकिन चीन हंगरी, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, सर्बिया को आपूर्ति में सबसे आगे रहा। चीन की मदद से पश्चिमी यूरोपीय देश तो सतर्क है लेकिन हंगरी और सर्बिया चीन की अच्छी छवी गढ़ने में सहयोगी सिद्ध हो रहा है। चीन ने इस मदद को सोशल मीडिया और अपनी समर्पित मीडिया जैसे शिन्हुआ न्यूज एजेंसी, चाइना डेली, सीजीटीएन, चाइना रेडियो इंटरनेशनल के माध्यम से जोर शोर से प्रचारित किया। हाल ही में चीन ने मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय देश (सीसीई) के साथ संबंधों को बढ़ाने में भी रूचि दिखाई। इसे 17+1 प्लेटफार्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके माध्यम से चीन एक साथ 17 देशों के साथ संवाद करता है। ये वहीं देश है जो शीत युद्ध के दौर में 'इस्टर्न ब्लाक' के नाम से जाने जाने वाले सोवियत संघ के करीबी थे। इसमें युनान को भी जोड़ लिया गया।[8]

इसका मतलब यह है कि चीन पूर्व में सोवियत संघ के करीबी देशों को अपने पाले में रखना चाहता है। यानी एक बार फिर शीत युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। अंतर बस इतना है कि पहले अमरिका को सोवियत संघ से चुनौती मिलती थी। चीन यूरोप पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा है। ऐसे समय में चीन ने यह दिखाने का प्रयास किया कि इस महामारी से वह इन देशों को उबार सकता है।

इस संकट के समय में जहां अमेरिका ने गलत फैसले लिए वहीं चीन ने सुझबूझ से काम लिया। मार्च के प्रारम्भ में जब अमरीका ने इटली समेत दूसरे कई यूरोपीय देशों के यात्रियों के लिए अपने यहां की सीमांए बंद करने का ऐलान किया तो तुरंत ही चीन की सरकार ने इटली में अपनी मेडिकल टीमें और सप्लाई भेजने का निर्णय लिया, जब इटली इस महामारी की भयंकर मार से जूझ रहा था। ऐसे में चीन ने सर्बिया और ईरान को भी मेडिकल सप्लाई भेजी। अमेरिका की एक छोटी मोबाइल यूएस एयरफोर्स मेडिकल सुविधाओं को देर से इटली भेजे जाने को शायद ही किसी ने नोटिस किया हो।[9] अमेरिका के ढीले रवैये ने यूरोपीय देशों को संकट में डाल दिया। वहीं चीन यह दर्शाने में लगा रहा कि वह यूरोपीय देशों की मदद कर इन सभी देशों को संकट से उभार सकता है।

किंग कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हर्ष वी पंत ने अपने एक लेख में लिखा कि 'इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी माइयों ने 'डॉक्टर्स के साथ मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति की खुलकर प्रशंसा की और रूरोपीय देशों के रूख के प्रति नाराजगी दिखाई। इसी बीच सर्बियाई राष्ट्रपति ने कहा था कि 'यूरोपियन एकता कही नहीं है... यह एक कागजों पर लिखी परीकथा थी।' यानी चीन के द्वारा तेजी से अत्यंत आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की तुलना पश्चिम में व्याप्त पूर्ण अर्थव्यवस्था से की गई। ऐसे संकट के समय यूरोपियन यूनियन का निष्प्रभावी संगठन के रूप में बने रहना वास्तव में आलोचकों को सही सिद्ध करता है। जबकि चीनी सरकार और निजी दल, इटली, फ्रांस, स्पेन,

बेल्जियम, ईरान, इराक, फिलीपींस और अमेरिका तक भी पहुंचा।[10]

ऐसे वैश्विक संकट के समय यूरोपियन युनियन की कमजोरियां और संवादहीनता दर्शाता है कि ये देश इस तरह के संकट से निपटने और उबरने के लिए किसी भी प्रकार की पूर्व तैयारी में नहीं है। इससे कोई भी देश इनका अनुचित लाभ उठा सकता है।

नाटो, ईयू और अन्य विशेषज्ञों ने भी चीन से सतर्क रहने की चेतावदी दी है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी एमआई 6 के पूर्व प्रमुख जॉन सॉवर्स ने भी चेतावनी दी है कि 'तकनीक पर नियंत्रण किसी दुश्मनी की दस्तक से कम नही है।' वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देश 5जी नेटवर्क के विस्तार के लिए चीन की हुआवेई कंपनी के इस्तेमाल करने पर चिंता जताई।[11] इससे यह साबित होता है कि चीन यूरोपीय देशों में अपने निवेश का जाल बिछाने में जुटा है। वहीं तकनीक एवं सूचना पर निवेश कर इसे भी अपने नियंत्रण में करना चाहता है जो कि यूरोपीय देशों के लिए चिंता का विषय है।

चीन की नजर यूरोपीय टर्मिनल्स पर भी है। चीन की मॉस्कों कम्पनी इन यूरोपीय टर्मिनल्स को खरीदने में सहायक बनी हुई है। चीन ने बेल्जियम टर्मिनल जीब्रुगी में 90 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है। वहीं ग्रीस के पायरेअस बंदरगाह के तीन में से दो टर्मिनल प्राप्त कर चुका है। शीघ्र ही तीसरा भी कर सकता है। स्पेन में भी चीन ने वैलेशिया एवं बिल्बाओं के प्रबंधन पर भी अपना नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। रॉटेर्डम, ला पैलमैस और ऐंटवर्प में भी चीनी निवेश लगातार जारी है। फ्रांस की ज्वैलरी कंपनी में चीनी कंपनी ने भारी निवेश किया। उत्तर यूरोप के एनोवेशन बेस्ड भारी कारोबार में भी चीन की रूचि और उसकी पैनी नजर हैं एवं यूरोप के रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेक्टर में भी चीनी कंपनियां भारी निवेश के अवसर देख रही हैं। यही नही नाटो और यूरोपीय संघ ने चीन द्वारा 'यूरोपीय इन्फ्रास्ट्रक्चर' में रूचि दिखाने पर सतर्क रहने की चेतावनी दी है।[12]

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट कहा जा सकता है कि वैश्विक महामारी में यूरोपीय अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। अमेरिका और यूरोप अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित हैं वहीं चीन का इन यूरोपीय देशों में भारी निवेश कर अपनी आर्थिक जड़ें मजबूत करने में लगा रहा है, जो इस ओर संकेत करता है कि चीन भारी निवेश के माध्यम से अपने कोर सेक्टर्स की क्षमताओं का विस्तार और उन्हें विकसित करना चाहता है। भारी निवेश, बाजार और वित्तीय मदद की आवश्यकता वाले देशों में चीन अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा है।

कोविड-19 महामारी के दौरान हिंद महासागर में चीन का प्रवेश : बिजनेस मैग्जीन 'फोर्ब्स' के अनुसार चीन ने हिन्दमहासागर में 12 अंडर वॉटर ड्रोन्स तैनात किए। चीन ने इन्हें दिसंबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच लांच किए। चीन ने इन्हें अपने शियान ग्यानघोंग जहाजों से तैनात किये। चीन में जहाज ओसयिनो ग्राफी यानी समुद्र की गहराई, वायु, टर्पेडिटी और तापमान आदि का पता लगाने के काम आते हैं। इससे भारत और पूरे क्षेत्र में चिंता का विषय है। इसी प्रकार एक अन्य घटना के संदर्भ में भारतीय नौसेना ने चीन के रिसर्च वैसेल को अंडमान निकोबार के नजदीक से यह कहकर खदेड़ दिया कि वह भारत के समुद्री सीमा में घुसपैठ कर रहा था।[13]

दुनिया को कोरोना महामारी देने वाला चीन इस समय अपनी युद्धक रणनीतियों में व्यस्त नजर आता है। वह इस समय का उपयोग अपने जहाज और पनडुब्बियों के माध्यम से हिन्द महासागर में जासूसी और टोह लेने के लिए कर रहा है, जबकि अभी इस शांत समुद्र में यहां जहाजों की आवाजाही कम है।

कोविड 19 की अफरा तफरी के बीच भारत के प्रभाव क्षेत्र कहे जाने वाले हिंद महासागर में चीन ने मिसाइलों से लेस अपने जंगी जहाजों को तैनात करना शुरू कर दिया। चीनी रक्षा मंत्रालय के अनुसार 'नौ सेना की 35 वीं टास्क फोर्स को अदन की खाड़ी में उतारा जाएगा। इसमें 690 नौ सैनिकों और रिप्लेसमेंट ऑयलर चाओहू है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग मिशन है। यह फोर्स सोमालिया के तट पर जहाजों को सुरक्षा देगी।'[14] यह भारत का भूराजनीक-क्षेत्र माना जाता है।

कोरोना संकट काल में चीन के इस कदम को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि चीन ने अपने जंगी जहाजों को उतारने का फैसला ऐसे समय पर किया, जबकि इंटरनेशनल मेरिटाइम ब्यूरो के अनुसार यहां 'पिछली तिमाहियों में हाइजैकिंग की एक भी घटना नहीं हुई है।' लेकिन वास्तव में चीन की इस हरकत ने भारत को संकट में डाल दिया है। हालांकि भारतीय नौसेना अपने गढ़ को

बचाने के लिए सतर्क है। भारत ने भी यह साफ कर दिया है कि कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई के बावजूद वह हिंद महासागर में पूरी ताकत के साथ जुटी है। भारत ने अण्डमान समुद्र से लेकर पूरे खाड़ी देशों तक हिन्दमहासागर में अपनी गश्त बढ़ा दी लेकिन इसने भारतीय नौ सेना का खर्च बढ़ा दिया है।[15]

कोविड 19 के संकटकाल में दक्षिणी चीन सागर में क्षेत्रीय देश, अमेरिका और चीन : कोरोना महामारी के संकटकाल में भी चीन अपने दांव-पेच दिखाने से बाज नहीं आया। 'चीन ने दक्षिणी चीन सागर में दो अनुसंधान केन्द्रों को स्थापित किया और पार्सेल द्वीप में मछली पकड़ने वाले वियतनामी पोत को डुबो दिया। फिर ताइवान के तट पर एक 'अभूतपूर्व' नाइट-एयर ड्रिल आयोजित की एवं छः जहाजों का एक बेड़ा भेज दिया, जिसका नेतृत्व लियाओनिंग विमान वाहक ने किया, जो ताइवान के सबसे उत्तरी सिर के पूर्व मियाको स्ट्रेट के माध्यम से रवाना हुआ था। इन घटनाओं के बाद अमेरिकी सैन्य विमानों ने क्षेत्र में कड़ी निगरानी की।[16] चीन की इन हरकतों की फिलीपींस से लेकर अमेरिका तक आलोचना हुई कि वैश्विक महामारी के काम में चीन की इस तरह की हरकतें दुनिया के लिए अच्छी नहीं है।

इस पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय और अमेरिकी सीनेट ने कड़ी आलोचना की। एक अमेरिकी द्विदलीय समूह ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर आरोप लगाया कि तथ्यों को छुपाए जाने और लापरवाही से महामारी फैली है। वहीं ताईवान के मामले पर बिजिंग की लापरवाही और अंतर्राष्ट्रीय कानून का 'घोर उल्लंघन' करार दिया।[17]

चीन ने फिलीपींस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हिस्से को अपने हैनान प्रांत का जिला घोषित कर दिया। चीन की इस हरकत पर फिलीपींस की सरकार ने कड़ा विरोध जताकर आपत्ति दर्ज की। फिलीपींस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लघंन और फिलीपींस की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ बताया और चीनी जहाजों द्वारा फिलीपींस की जल सीमा में नजर रखने के लिए भी चीन की आलोचना की। चीन ने मलेशिया एक्सक्लुसिव इकॉनामिक झोन में भी लगातार घुसपैठ की। मलेशिया ने चीन को जल्द अपना आक्रामक रूख छोड़कर शांति से बात करने को कहा। इसे देखते हुए अमेरिका और आस्ट्रेलिया ने भी चीन को सबक सिखाने के लिए दक्षिणी चीन सागर में अपने जंगी जहाज भेजे।[18] अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियों ने कहा कि दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वहीं चीन की इत तरह की हरकतों पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियों के अनुसार 'चीन महामारी से ध्यान हटाने के लिए दक्षिणी चीन सागर में ऐसी हरकतें कर रहा है।'[19]

दुनिया को कोविड-19 महामारी में उलझा देख मौका पाकर चीन ने दक्षिणी चीन सागर में युद्धाभ्यास भी किया। इसमें चीन के युद्धपोत, पनडुब्बियाँ और लड़ाकू विमान थे। इसमें ऐंटी शिप, ऐंटी सबमरीन और एयरक्राट गनों के साथ बड़ा युद्धाभ्यास किया गया। चीन के इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना था। लेकिन चीन के अभ्यास की अमरीका सहित कई देशों ने निंदा की। इस निंदा से बचने के लिए चीन ने भी पैतरा अपनाते हुए अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह दक्षिणी चीन सागर में अपने युद्ध पोत भेज रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे अपनी सम्प्रभुता का उल्लंघन बताया।[20]

चीन की मिलिट्री ताकत के प्रदर्शन को जवाब देने के लिए प्रतिक्रियास्वरूप अमेरिका ने तीन युद्धपोत दक्षिणी-चीन सागर क्षेत्र में भेजे। ब्रिटिश मीडिया डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, चीन अंतर्राष्ट्रीय कानून को नजरअंदाज कर क्षेत्र में तेल निकालने और न्यूक्लियर रिएक्टर तैनात करने की योजना बना रहा है। विशेषज्ञ इस बात का भय जताते रहे हैं कि दक्षिणी चीन सागर वह जगह है जहां चीन, अमेरिका और रूस के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंधे कह चुके हैं कि अमेरिका के साथ युद्ध की नौबत आने पर उनका देश किसी भी कीमत पर लड़ेगा।[21]

एक अन्य घटना में यह भी सामने आया कि चीन ने जबरन कब्जा करने की नियत से चुपके से दक्षिणी चीन सागर में 80 जगहों के नाम बदल दिए। इसमें 55 समूह के नीचे के मौजूद भौगोलिक संरचनाएं और 25 आइसलैंड्स हैं। वास्तव में चीन ने समुद्र में दखल बढ़ा दिया है।[22]

वोक्स न्यूज में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के चायना पॉवर प्रोजेक्ट एट द सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एण्ड इंटरनेशनल स्टडीज थिंक टैंक की डाइरेक्टर बोनी ग्लासेर के अनुसार, चीन किसी भी अवसर को गंवाता नहीं है। चीन जब भी कोई अवसर देखता है वह उसका दोहन जरूर करता है। संकट से जूझ रही दुनिया को देखकर चीन जरूर कोई मौका तलाश रहा होगा।[23]

कोविड-19 के संकट में भारत के प्रति चीन का आक्रामय रवैया : कोविड-19 के दौरान चीनी सेना ने पैंगोंग सो झील, गलवान घाटी के साथ-साथ लद्दाख से जुड़ी हुए लाइन ऑफ कंट्रोल (एलएसी) पर सेनाओं की तैनाती बढ़ा दी है। सीमा पर चीन का यह आक्रामक रवैया यूं ही नहीं है। दरअसल भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी सीमाएं मजबूत की हैं, उनका बेहतर प्रबंधन किया है, सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत किया है, इससे भारतीय सेना का मनोबल बड़ा है। भारतीय सेना की उपस्थिति उन क्षेत्रों में बढ़ी, जिसकी चीनी सेना उम्मीद भी नहीं कर सकती। एलएसी पर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग प्रभावी तरीके से हो रही है और चीन की हरकतों पर भारत डटकर खड़ा है। 2015 के बाद से इस बार एल ए सी पर तनाव ज्यादा है।[24] लेकिन हाल ही मे नई दिल्ली द्वारा बीजींग को सीधी चुनौती देने से चीन बौखला गया है। पहला भारत की सरकार द्वारा एफडीआई कानूनों को सख्त किया। इससे पड़ोसियों में सबसे ज्यादा व्यापार चीन से साथ है तो इसका सबसे ज्यादा असर भी चीन पर होगा। दूसरा हाल ही में 194 सदस्य देशों वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन में एक प्रस्ताव पेश किया गया। कोरोना में चीन की भूमिका जांचने के प्रस्ताव का समर्थन भारत ने भी किया।[25] तीसरा ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन के शपथ ग्रहण समारोह में वर्चुअली दो भारतीय सांसद बीजपी की मीनाक्षी लेखी और राहुल पासवान वीडियोकॉल के माध्यम से सम्मिलित हुए। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे मोदी सरकार ने चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है।[26] इससे चीन खुश नहीं है। वहीं भारत-चीन के बीच जोर पकड़ रहे सीमा विवाद को हल करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्यस्थता करने पर भारत और चीन दोनों ने इस पेशकश को मना कर दिया।[27]

कोविड-19 और वैश्विक व्यवस्था : कोविड-19 ने दुनिया को हिला के रख दिया। इस महामारी के दुष्परिणामों के फलस्वरूप विश्व व्यवस्था पर बड़ा संकट आन पड़ा है। वास्तव में इस महामारी से निपटने में एक तरफ अमेरिका की क्षमताओं और इच्छा की लाचारी को रेखांकित किया वहीं दूसरी तरफ चीन ने महामारी से निपटने के लिए देशों की मदद करके खुद को वैश्विक नेता के रूप में पेश किया है। वैश्विक व्यवस्था पर कोविड-19 असर को जी-2 यानी अमेरिका और चीन के दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति नजर आ रही है। कोविड-19 ने सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है, इसलिए क्षमताओं को लेकर कोई गंभीर असंतुलन नहीं है। इसलिए वर्तमान वैश्विक व्यवस्था को लेकर जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत हो सकता है।[28]

आब्जर्वर रिसर्च फाउण्डेशन के चेयरमेन संजय जोशी का मानना है कि कोविड-19 के संकट के बाद उम्मीद है कि नई विश्व व्यवस्था उभरकर सामने आनी चाहिए। इस महामारी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की कमजोरी को उजागर किया। वैश्वीकरण के नए फ्रेमवर्क की जरूरत है। तो क्या ऐसे में अमेरिका का रूतबा बरकरार रहेगा? या अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे गिरेगा? या उसकी जगह चीन ले लेगा? या दुनिया के देश चीन से सोशल डिस्टेंसिंग शुरू कर देगे? क्योंकि चीन के साथ जुड़े रहने से उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 'यह अमेरिका और चीन की लड़ाई नहीं है, और यह ट्रंप और प्रेसिडेंट शी के बीच की लड़ाई नहीं है। यह विचार व्यवस्थाओं की लड़ाई है।'[29] यानी यह केवल दो देशों या दो नेताओं की लड़ाई नहीं है। बल्कि यह विचार व्यवस्वस्थाओं की लड़ाई है। नई विश्व व्यवस्था के निर्धारण के लिए पूरी दुनिया को मिलाकर इस पर विचार करना होगा कि हम किस तरह की विश्व व्यवस्था चाहते हैं। दुनिया के देशों को अमेरिका और चीन जैसी शक्तियों की परिधि से बाहर निकलकर सोचना चाहिए।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित उदारवादी विश्व व्यवस्था की नियमावली विजेता पश्चिमी देशों में लिखी गई थी। इस व्यवस्था का बिखराव अमेरिका पर 2001 में 9/11 के आंतकी हमले के बाद से ही शुरू हो गया था। अमेरिका द्वारा शुरू किए गए वार ऑन टेरर के चलते संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव खोदने का काम पश्चिमी देशों ने अमेरिका के साथ किया। 2008 के आर्थिक संकट के आते-आते अमेरिकी नेतृत्व कमजोर होता चला गया और विश्व पटल पर चीन अपनी दस्तक जमाता चला गया। लेकिन कोविड-19 के वैश्विक संकट के बाद नई विश्व व्यवस्था न तो अमेरिकी रहेगी और न ही चीनी रहेगी। व्यवस्था बहु आयामी और बहुपक्षीय रहेगी। नई विश्व व्यवस्था के नियम वाशिंगटन या बीजिंग में न लिखे जाकर अन्य देशों की राजधानियों में उनकी सहभागिता के साथ लिखे जाएं और उनकी अपनी जरूरतों पर खरें उतरे। बीजिंग और वॉशिंगटन की आवश्यकताएं अन्य देशों की आवश्यकताएं नहीं हैं।[30]

वहीं इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की कोरी शेक्स के अनुसार अमेरिकी सरकार ने खुद को अपने हितों तक सीमित कर लिया है। जब पूरी दुनिया में संकट है तो अमेरिका खुद को नहीं संभाल पा रहा है। अब वैश्वीकरण अमेरिका केन्द्रित नहीं बल्कि चीन केन्द्रित होगा। इसकी शुरूआत डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हो गई थी जो अब और तेज होगी। अमेरिकी आबादी का वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भरोसा उठ गया है।[31]

इस वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य से भविष्य में अर्थव्यवस्था एक नए तरह के व्यापार युद्ध का रूप धारण कर सकती है। ट्रंप ने कई वैश्विक संधियों को तोड़ने से लेकर चीन और अमेरिका के बीच जारी व्यापार युद्ध को एक नए किस्म के टेरिफ युद्ध में बदल दिया और यहीं से डी-ग्लोबलाइजेशन की नींव को तय कर दिया था।' कोविड-19 दुनिया को नया आकार देने के साथ-साथ एक नई वैश्विक व्यवस्था को स्थापित करेगी और चीन की नई भूमिका को भी स्पष्ट करेगी।[32]

आब्जर्वर रिसर्च फाउण्डेशन के जयंत सिन्हा और समीर सरन ने अपने एक लेख में लिखा कि 'जिस अति उग्र भूमंडलीकरण ने चीन को औद्योगिक महाशक्ति बनाया, उसी वजह से दुनिया में भारी सियासी उठापटक देखी जा रही है।' भूमण्डलीकरण का अगला युग जो मुख्य तौर पर चीन के खर्च पर होगा, वो सम्भवतः आज से कम स्वतंत्र और खुला होगा।... बहुत से देशों की सरकारें अपने यहां से वस्तुओं, सेवाओं, वित्त और कामगारों के आवागमन पर नियंत्रण रखेंगी, क्योंकि मुक्त प्रवाह से उन राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों पर चोंट पहुचने की आशंका होगी। निश्चित रूप से हमें बंद भूमण्डलीकरण के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। इस महामारी से मूमण्डलीकरण के इस दौर को भी क्षति पहुंचना तय है।[33]

इसराइल के पूर्व विदेशमंत्री और टोलेडो इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस के उपाध्यक्ष श्रोमो बेन-एमी ने आगाह किया कि 'दो विश्व युद्धों से ये बात साबित हो गई थी कि संकीर्ण राष्ट्रवाद के साथ दुनिया में शांति और स्थिरता नहीं रह सकती। इस महामारी ने संकेत दिए हैं कि नेशन स्टेट की जरूरत है। इसके बिना कोरोना वायरस और भी भयावह रूप लेगा।[34]

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन्स के प्रोफेसर वॉल्ट का मानना है कि 'इस महामारी से सरकारें और मजबूत होंगी' और पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलेगा।' उन्होंने भविष्यवाणी की कि कोविड-19 के बाद पश्चिम की ताकत पूरब शिफ्ट करेगी। दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने इस महामारी का सामना बेहतर रूप से किया। चीन ने भी अपने आप को संभाल लिया लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देश महामारी के सामने लाचार दिखे। ऐसे में महामारी के बाद वैश्विक नेतृत्व पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगा। वेस्टर्न ब्राण्ड बुरी तरह से प्रभावित होगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। दुनिया कम खुली, कम सम्पन्न और कम आजादी वाली होगी। वहीं काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स के प्रमुख रिचर्ड एन हास के अनुसार 'कोविड 19 की महामारी ने गरीब-अमीर, पश्चिम-पूरब से लेकर खुले-बंद सभी राष्ट्रों की पोल खोल दी।' 'अमेरिकी मॉडल फेल चुका है।' 'महामारी के बाद अमेरिका बाकी दुनिया से अपने को काटने मे लगा रहा, वहीं चीन अपने मॉडल को बेचने में लगा रहा कि कैसे उसने कोरोना वायरस को नियंत्रित किया।'[35]

लेकिन प्रोफेसर माइकल क्लार्क के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौर की वैश्विक राजव्यवस्था कैसी होगी, ये कहना जल्दबाजी होगी। उनका मानना है कि 'चीन को लंबे समय के लिए नुकसान होने जा रहा है। पहला ये कि चीन ने जिस तरह से महामारी को हैंडल किया, उसकी राजनीतिक आलोचना हो रही है। दूसरा ये कि सप्लाई चेन को लेकर उस पर दूसरे देशों की निर्भरता से चीन के निपटने का तरीका कैसा है।[36] चीन के रवैये से दुनिया के देश खुश दिखाई नहीं दिए जैसे कि 'दुनिया के 35 देशों में चीन के नागरिकों के विरूद्ध नस्लीय हमलों की खबरों से ऐसा लगता है कि मानो चीन की छवि दुनिया में शायद हमेशा के लिए बदल गई है। 'अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल सभी चीन से चिंतित दिखे।'[37]

किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर लारेंस फ्रिडमेन का कहना है कि नई उभरती हुई विश्वव्यवस्था इस सीधी सी बात पर निर्भर करती है कि आधी से ज्यादा आबादी भारत, चीन, और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में रह रही है। इसी से विश्व का आर्थिक भूगोल तय होता है। उनकी ये ताकत राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता में बदल जाती है और ये दुनिया के सियासी ढांचे में उसी हिसाब से जगह बना लेता है।[38] यानी दुनिया में बढ़ी जनसंख्या और बड़ा बाजार और अर्थव्यवस्था भी वैश्विक व्यवस्था को तय करने में सहायक

होगी। वास्तव में विश्वव्यवस्था पश्चिम से पूरब की तरफ खिसकती नजर आती है।

कोराना संकटकाल में भारत ने अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति और रक्षा क्षमता को रेखांकित किया है। भारत ने 75 करोड़ रूपये सार्क कोविड-19 इमर्जेंसी फंड स्थापित करने के साथ मेडिकल सामान अपने पड़ोसी देशों, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका, ब्रिटेन और अमेरिका को भी भेजा। वहीं जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, लाओस, चिली, म्यामांर, सिंगापुर एवं उरूग्वे जैसे देशों ने सप्लाई चेन को बाधित नहीं होने दिया। वही यूरोप के कई राष्ट्र लेने वाले देश की भूमिका में नजर आए।[39]

किंग्स कॉलेज लंदन के ही प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत ने अपने लेख में लिखा कि कोविड-19 ने सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। अतः क्षमताओं को लेकर कोई गंभीर असंतुलन नहीं है। इसलिए जल्दबाजी में वर्तमान वैश्विक व्यवस्थाओं को लेकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। निश्चित ही पिछले कुछ दशकों में चीन वैश्विक राजनीति में एक प्रभावी खिलाड़ी बनकर उभरा है, लेकिन उसके साथ ही भारत, जापान, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया भी क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इन्होने इस महामारी के संकट में मानवीय मदद देकर अपनी क्षमताएं दिखाई हैं। इनके पास वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने की पर्याप्त क्षमता और इच्छा भी है। कोविड-19 को लेकर उनकी क्षेत्रीय पहुंच ने इसे दिखाया भी है। इसलिए भावी विश्व व्यवस्था को लेकर किए जाने वाले विश्लेषण में इन कारकों को सम्मिलित किए बिना सही नहीं होगा।[40]

यानि कोविड-19 के गहराते संकट से उभरी मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में क्षेत्रीय ताकतों ने अहम भूमिका निभाकर अपने आप को साबित किया है। इस उभरी वैश्विक व्यवस्था में दुनिया को अमेरिका और चीन के प्रिज्म से बाहर निकलकर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि अमेरिकी मॉडल के फेल होने और चीन पर से दुनिया के राष्ट्रों का विश्वास उठने से वैश्विक व्यवस्था में भ्रम पैदा हो गया है।

शी जिनपिंग की राष्ट्रवादी छवि को गढ़ने के लिए चीनी सेना को आगे करना : हाल के दिनों में देंखे तो अमेरिका के साथ चल रही चीन की ट्रेड वॉर ने आर्थिक अनुमानों पर कई प्रश्न खड़े किए हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने माना है कि 1990 के बाद से पहली बार आर्थिक हालात खराब हैं। भू-राजनैतिक लाभ लेने के लिए चीन की इकोनोमिक ग्लोबलाइजेशन नीति पर प्रश्न उठ रहे हैं। शी जिनपिंग की राजनीतिक बुलंदी इस समय डांवाडोल है। शी जिनपिंग के अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड़ इनीशिएटिव प्रोजेक्ट से लेकर कोविड 19 के कुप्रबंधन हांगकांग-ताइवान मामले पर उठ रहे विरोध से भी शी की लीडरशिप पर सवाल उठे हैं। ऐसे में जिनपिंग की राष्ट्रवादी छवि गढ़ने के लिए चीनी सेना को आगे किया गया है। दक्षिणी चीन सागर विवाद से लेकर दक्षिण एशियाई महाद्वीपीय सीमाओं पर हम चीन का यह तरीका देख चुके हैं। इनसे जिनपिंग चीनियों को संदेश देना चाहते हैं कि वे अपने स्टैंड पर कायम है।[41]

विश्लेषण : कोविड-19 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के चौपट होने, सभी राष्ट्रों का ध्यान अपनी सुरक्षा गतिविधियों से हटने और पूरी दुनिया घुटनों पर आ जाने के बाद चीन ने अपनी दबंगई दिखाना शुरू किया। चीन इसे एक मौके के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।

महामारी के संकट के बीच दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, मलक्का जलडमरूमध्य से लेकर हिन्द महासागर और पूरे दक्षिण एशियाई महाद्वीप तक दुनिया को अपनी शक्ति का अहसास करा रहा है, जो कि चीन की सोची समझी गई रणनीति को उजागर करता है।

हिन्द महासागर चीन के लिए रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण वह इस पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है। हिन्द महासागर में चीन की घुसपैठ इस का एक हिस्सा है। चीन ने दक्षिण एशिया में पहले से ही 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति के अंतर्गत पड़ोसी देशों में अपने अड्डे बना रखे हैं। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना 'बेल्ट एण्ड रोड़ इनिशिएटिव' के अंतर्गत हिन्द महासागर में आस-पास के देशों में भी अपने ठिकाने बना रखें हैं जैसे म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और जिबूती में चीन के हित हैं। मौके का फायदा उठाकर चीन यदि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा तनाव और दबाव बनाता है तो 'क्वॉड' कन्ट्रीज इसमें उलझ सकती हैं। जबकि 'क्वॉड' कन्ट्रीज भारत, जापान, आस्ट्रेलिया सहित अभी कोविड-19 से जूझ रहे हैं। तनाव अधिक होने पर विस्फोटक स्थिति को न्योता दे सकती है। जबकि चीन एंटी पायरेसी पैट्रोलिंग की

आड़ में अपने हित साधने में लगा है।

इसी प्रकार दक्षिणी चीन सागर के लिए व्यापारिक और रणनीतिक महत्व रखता है। यहां से मलक्का जलडमरूमध्य का रास्ता सीधे हिन्द महासागर के समुद्र में जाता है। अमेरिका कई बार चीन को इस मार्ग को बंद करने की चेतावनी दे चुका है। मार्ग बंद होने पर चीन की 'बेल्ट एण्ड रोड़ इनिशिएटिव' परियोजना भी संकट में आ सकती है।

चीन वियतनाम, ताईवान, इण्डोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस और जापान के समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ कर अपने दावों की पुष्टि कर यथा स्थिति में बदलाव करना चाहता है। क्षेत्र में चीन अपने सैन्य साजो सामान तैनात कर, युद्धाभ्यास बढ़ाकर, द्वीपों के नाम बदलकर अपनी छाप लगाना चाहता है, ताकि क्षेत्रीय देश चीनी हितों के प्रति संवेदनशील रहने के साथ-साथ चीन की धाक और उसके शक्तिशाली वर्चस्व को स्थायी रूप से स्वीकार कर लें।

महामारी से जूझ रहे देशों की संप्रभुता का लगातार उल्लंघन होने और शांति भंग होने से क्षेत्रीय देश परेशान होने के कारण अब ये देश लगातार चीन का विरोध कर आपत्ति ले रहे हैं। चीन की आलोचना और बहिष्कार करने से लगता है ये देश अपनी शीपिंग, जलमार्गों और आर्थिक गतिविधियों को बाधित होने से बचाने के लिए जल्द ही एक-दूसरे के सहयोग के लिए एक साथ आ सकते हैं। चीन के विरूद्ध समान सोच रखने वाले देश अपनी सम्प्रभुता और सुरक्षा के लिए बड़ी ताकतों के साथ मिल सकते हैं। पूर्वी एशिया में अमेरिका की व्यापक सुरक्षा प्रतिबद्धताएं जुड़ी हैं। फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम, के साथ अमेरिका ने सुरक्षा गठबंधन कर रखा है। इन देशों के साथ चीन विवाद बढ़ाता है तो यह निश्चित तौर पर अमेरिका को प्रभावित करेगा। ऐसे में यदि अमेरिका अपने साझीदारों के हितों की रक्षा एवं निर्धारण में मदद के लिए आता है और चीन इसका विरोध करता है तो यह क्षेत्र में बड़े टकराव का कारण बन सकता है। चीन का इरादा सुपर पॉवर बनकर इस क्षेत्र से अमेरिका को खदेड़ने का है।

चीन अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत बढ़ाने के बाद विश्व राजनीति में वैश्विक नेतृत्व के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बेताब है। चूँकि एशिया प्रशांत पर अमेरिका और चीन दोनों ही अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस क्षेत्र में भविष्य में होने वाले किसी भी टकराव के लिए खुद को तैयार करने में जुटे हैं। अतः दक्षिणी चीन सागर एक ऐसे स्थान के रूप मे सामने आता है जहां अमेरिका और चीन की भिडंत हो सकती है। दक्षिणी चीन सागर में चीनी सैन्य गतिविधियां एशिया प्रशांत पर अपना प्रभाव जमाने का ही एक हिस्सा हैं। चीन तो इस क्षेत्र में खुद को सबसे बड़ी शक्ति के रूप में साबित हुआ है। लेकिन इसी प्रतिद्वंदिता के कारण अमेरिका को अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए चीन और रूस का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका के मित्र देश जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और आस्ट्रेलिया भी बड़े टकराव में उलझ सकते हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक राजनीति के फलक पर कई क्षेत्रीय ताकतें उभरकर सामने आई हैं। साथ ही इन ताकतों ने मेडिकल सप्लाई चेन के रूप में चीन के विकल्प के रूप में कार्य करके चीन के अनुचित दबाव और प्रभाव को सीमित किया है। अतः वैश्विक व्यवस्था के निर्धारण के विश्लेषण में इन ताकतों को दरकिनार करना सही नहीं है। भारत, जापान, आस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर ने अपना प्रभाव दिखाया है। वैश्विक व्यवस्था में बनते इन समीकरणों के बीच निश्चित तौर पर हर देश अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित करने का पूरी शक्ति से प्रयास करेगा।

लेकिन जिस तरह से महामारी के दौरान विश्व का सुपर पावर अमेरिका बेबस, लाचार और लड़खड़ाता नजर आया। इसने अमेरिका की वैश्विक श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन खड़ा कर दिया। इससे यह भी साबित होता है कि विश्व व्यवस्था में कोई भी देश हमेशा के लिए सुपर पावर बनकर नहीं रह सकता। अन्य शक्तियां वैश्विक व्यवस्था के बदलाव के मौके तलाशने में जुटी रहती हैं। वैश्विक राजनीति में पहले से लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहे चीन ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की है ताकि वैश्विक व्यवस्था पर अपने आप को स्थापित कर सके। चीन की सैन्य और आर्थिक शक्ति के कारण वैश्विक व्यवस्था में चीन की भूमिका को एक दम से झटक देना आसान नहीं है।

वास्तव में अभी चीन की आर्थिक ताकत शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की तुलना में कहीं ज्यादा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक व्यवस्था में सोवियत संघ ने वैचारिक और राजनीतिक आधार पर अपना प्रभाव जमाया

था। लेकिन चीन आर्थिक और राजनीतिक आधार पर अपना प्रभाव चाहता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका को जो चुनौती सोवियत संघ से मिली थी, अब उसे चीन से मिल रही है। कोविड-19 के दौर में अमेरिका और चीन अपनी जमीन को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

अमेरिका और चीन दोनों की राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग-अलग होने के कारण यह इन्हें संघर्ष की ओर ले जाता है। कोविड-19 के दौरान जो कुछ भी घट रहा है उससे ये दोनों देश व्यापार युद्ध में उलझने के बाद एक नए शीत युद्ध में उलझ सकते हैं। इससे दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। ऐसे में वैश्विक राजनीति में अमेरिका और चीन के साथ राष्ट्रों के ध्रुवीकरण होने की संभावना अधिक है।

जहां अमेरिका के धुर विरोधी राष्ट्र और रूस जैसे राष्ट्र चीन के साथ आ सकते हैं। चीन के कर्ज में फंसे राष्ट्र भी चीन का साथ देने के लिए मजबूर हो सकते हैं। वे राष्ट्र भी चीन के साथ आ सकते हैं जिन्हें चीन की ताकत में अपना हित और भविष्य नजर आता है। जैसे पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, तुर्की। वहीं चीन से मुकाबला करने के लिए स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र एक जुट हो सकते हैं। चीन से प्रताड़ित और नाराज राष्ट्र और इसके धुर विरोधी राष्ट्र अमेरिका के साथ आ सकते हैं। चीन की झूठी उदारता ओर दोहरे रवैये से ठगे जा चुके यूरोपीय राष्ट्रों का चीन से मोह भंग हुआ है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और चीन की प्रतिद्वंदिता में जापान, आस्ट्रेलिया और भारत, दक्षिण कोरिया भी उलझ सकते हैं।

निष्कर्ष : अंततः कहा जा सकता है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी में वैश्विक नेतृत्व का अभाव पाया गया। इसमें चीन की गलतियों का परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। एक ओर दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है दूसरी ओर अमेरिका और चीन आपस में उलझते दिखे। जहां अमेरिका में वैश्विक जिम्मेदारी, क्षमता और इच्छा का अभाव देखा गया तो वहीं चीन अपने आप को वैश्विक नेतृत्व के रूप में पेश करता दिखा। कोरोना फैलने के बाद चीन आक्रामक रूप से कूटनीतिक मोर्चे पर खुलकर सामने आया। अपने विरूद्ध विश्वव्यापी गुस्से को देख चीन दुनिया में शक्ति की राजनीति से अपने विस्तारवादी मंसूबों में जुट गया। दक्षिणी चीन सागर से मलक्का जलडमरूमध्य, हिन्द महासागर और पूरे दक्षिण एशियाई महाद्वीप में आक्रामक नीति से चीनी जनता में यह संदेश देता दिखा कि शी जिनपिंग अभी भी अपने स्टेण्ड पर कायम है। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के लिए अपनी नाकामियों का ठिकरा शी जिनपिंग पर फोड़ना चाहते हैं वहीं शी जिनपिंग कोरोना में अपनी गलतियों और कुप्रबंधन से नाराज जनता का ध्यान भटकाने के लिए आक्रामक रूप दिखा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप खीजने से शक्तियां लामबद्ध होकर ध्रुवीकरण कर सकती हैं। इससे अमेरिका और चीन में एक नए शीतयुद्ध का प्रारंभ हो सकता है। अतः विश्व को सही ढ़ंग से संचालित करने के लिए एक लाइक माइंडेट ग्रुप की स्थापना हो सकती है। कोविड-19 महामारी के आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक परिणाम सामने आए हैं।

सन्दर्भ

1. 'China Takes Countermeasures Against Restricive Measures on Chinese Media Agencies in the US, Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China', 18 March 2020. www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_t1757162.shtml
2. Matthew Lee, 'US designated the chinese media outlets as foreign missions', 18 Feb 2020. https://apnews.com/46d34436b76c7d131f01 6224c509bfc8
3. https://epaper.bhaskar.com, or dainikbhaskar.com, 18 March 2020, pg-11
4. Manoj Joshi, 'Challenge the credibility of the global leadership of china and america in the time of global epidemic', 03 April 2020. http://www.orfonline.org/hindi/research/challenge-the-credibility-of-the-global-leadership-of-china-and-america-in-the-thim-of-global-epidemic-64079/?amp
5. http://www.bbc.com/hidni/internationa-52864622 , 30 May 2020
6. http://www.bbc.com/hidni/internationa-52864622 , 30 May 2020
7. http://www.patrika.com , 25 May 2020, pg 08
8. Alicja Bachulka, 'Amidst China's "Mask Diplomacy" in Europe, Beijing's Global Diplomatic Offensive and Local Dynamics', 03 April 2020 http://www.orfonline.org/expert-speak/amidst-chinas-mask-diplomacy-in-europe-beijings-global-diplomatic-offensive-and-local-dynamics-64070/amp
9. Jonathan Marcus, BBC correspondent, 24 March 2020* https://www.bbc.com/hindi/international-52015636 https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/amp/international-52015636

10. https://epaper.bhaskar.com ,31 March 2020
11. Bhavesh Saxena, 'Know why experts warning europe to block china buying spree due to covid 19 pendemic', 20 April 2020 https://hindi.news18.com/news/knowledge/know-why-experts-warnigng-europe-to-block-china-buying-spree-due-to-covid-19-pendemic-bhvs-3034654.html
12. Ibid
13. Neeraj Rajput, ABP Live, News 24 March 2020 http://www.abplive.com/news/india/amidst-the-corona-crisis-china-is-not-coming-to-terms-with-its-own-actions-underwater-drones-deployed-in-the-indian-ocean-ann-1333223
14. 'China enters Indian Ocean at time of Covid-19 crisis, India's navy hurting more than expected', 02 May 2020, The Nation https://nation.com.pk/02-may-2020/china-enters-indian-ocean-at-time-of-covid-19-crisis-india-s-navy-hurting-more-than-expected
15. Edited By Shaiesh Shukla https://navbharattimes.indiatimes.com/world/asian-countries/chinese-navy-eye-on-indian-ocean-after-south-china-sea-sent-warship-equipped-with-missiles/articleshow/75621815.cms
16. Vivek Mishra, 'Global issues amid the COVID-19 epidemic' , 26 April 2020 Indian Council of World Affairs, Sapru House, New Delhi. https://www.icwa.in/show_content.php?lang=22level=3&ls_id=4745&lid=3551 #_ednref18
17. https://www.livehindustan.com/international/story-coronavirus-us-lawmakers-slam-chinese-sinking-of-vietnamese-vessel-in-south-china-sea-3149552.html
18. Vikrant Thardak, 'How China lost its hegemony over south china sea during coronavirus crisis' , 23 April 2020 https://www.google.com/ampls/tfipost.in/2020/04/how-china-lost-its-hegemony-over-south-china-sea-during-coronavirus-crisis-02-/amp/
19. Edited by Deepak Verma, Times News Network, 27 April 2020 https://navbharattimes.indiatimes.com/india/world-batting-the-coronavirus-pendemic-china-ups-south-china-sea-powers-game/articleshow/75397863.cms
20. Edited by Priyansh Mishra, India Times, 08 April 2020 https://navbharattimes.indiatimes.com/world/asian-countries/pla-resumes-operations-in-south-china-sea-as-us-navy-straggles-with-coronavirus/articleshow/75041057.cms.
21. https://m.aajtak.in/trending-clicks-gallery-coronavirus-pandemic-south-china-sea-us-sends-treee-warships-tsta-50061-2020-05-10
22. ZeeNews, 27 April, 2020 https://www.zoomnews.in/hi/news-detail/chinas-plot-revealed-under-the-pretext-of-corona-80-places-changed-in-south-china-sea.html
23. By Alex Word, 'How china is ruthlessly exploiting the coronavirus pendemic is helped' , 28 April 2020 https://www.vox.com/2020/4/28/21234598/coronavirus-china-xi-jinping-foreign-policy
24. Harsh V. Pant, Dainik Bhaskar, 28 May 2020, pg-04 https://epaper-bhaskar.com, 28 May 2020
25. https://www.bbc.com/hindi/india-52831779 , 29 May 2020
26. https://www.bbc.com/hindi/international-52797516, 27 May 2020
27. https://www.bbc.com/hindi/international-52848592, (29 May 2020)
28. Hash V Pant, Dainik Bhaskar, 14 May 2020, pg-04 https://epaper-bhaskar.com, 14 May 2020
29. Sanjoy Joshi, 'Who Dominated The World System After Covid-19', 15 May 2020 https://www.orfonline.org/hindi/research/who-dominated-the-world-system-after-covid-19-66152/?amp
30. Ibid
31. Rajneesh Kumar (Collection) BBC, Hindi: 20 April 2020 http://www.bbc.com/hindi/international-52411019
32. Vikrant Singh and Akhil Pandey (ET contributors) 'How Much World Change After Corona', 22 April 2020 https://m.economictimes.com/hindi/news/how-much-world-change-after-corona/articleshow/7529682.cms
33. Jayant Sinha & Samir Saran, 'View: Nations May Opt to Trade with Economics Where Political Trust Exists, Thereby Fragmenting supply chains', Economic Times, 27 April 2020. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/view-nations-opt-to-trade-with-economics-where-political-trust-exists-thereby-fragmenting-supply-chains/articleshow/75395926.cms?from=mdr
34. Rajneesh Kumar (collection), BBC, Hindi, 25 April 2020 https://www.bbc.com/hindi/international-52411019
35. Ibid
36. Jonathan Marcus, Correspondent, BBC Hindi https://www.bbc.com/hindi/international-52586799
37. https://m.jayram.com/news/national-coronavirus-will-also-change-the-picture-of-the-world-jagran-special-20158703.html(03April2020)
38. Jonathan Marcus, Defense Affairs correspondent, 08 May 2020 https://www.bbc.com/hindi/international-52586799
39. Hash V Pant, Dainik Bhaskar, 14 May 2020, pg-04 https://epaper.bhaskar.com, 14 May 2020
40. Hash V Pant, Dainik Bhaskar, 28 May, 2020 pg-04 https://epaper-bhaskar.com (28 May 2020)
41. Ibid

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 22 अंक 1, जनवरी-जून 2020

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

सोशल मीडिया पर प्रसारित वायरल संदेशों का समाज पर प्रभाव : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (व्हाट्सएप के विशेष संदर्भ में)

❑ डॉ. रचना गंगवार

संचार माध्यम हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । संचार के क्षेत्र में हर नयी खोज ने मानव जीवन को अधिक सरल और सुलभ बनाया है। इसी क्रम में सोशल मीडिया का भी अपना एक विशेष स्थान है। इन्टरनेट पर आधारित इस संचार ने संचार प्रक्रिया को एक नयी गति दी है जो मार्शल मैकलुहान की global village की अवधारणा को चरितार्थ करती है। सोशल वेबसाइट्स का सफर तय करते हुये अब हम सोशल एप्प की दुनिया में आ गए हैं। सोशल एप्प की इसी दुनिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है व्हाट्सप्प। जो एक साथ बहुत से लोगों को आपके सीधे संपर्क में ले आता है। जहां आप एक साथ कई लोगों को संदेश भेज सकते हैं। स्मार्ट फोन ने इस एप्प के उपयोग को बेहद सरल एवं साधारण बना दिया है। आप एक ही क्षेत्र से जुड़े लोगों, पारिवारिक सदस्यों तथा अन्य लोगों के समूह बना कर एक साथ, एक ही प्लेटफॉर्म , एक ही विषय पर चर्चा कर सकते हैं । जहां एक ओर व्हाट्सप्प के बहुत से लाभ हैं वही दूसरी ओर कई नुकसान भी हैं। विशेषकर वायरल संदेशों का व्हाट्सप्प के माध्यम से वितरण होना एक बहुत बड़ी समस्या है। इस संबंध में आए दिन समाचार पढ़ने और सुनने को मिल जाते हैं। लगभग पिछले दो सालों में इस तरह की घटनाएँ काफी बढ़ी हैं। हद तो तब हो गयी जब इस माध्यम से आतंकी संगठन भ्रामक खबरें वायरल करके भारतीय सीमाओं पर हमले करने लगे और शत्रु देश धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने लगे। कुछ अति महत्वाकांक्षी राजनेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए आम जन को भ्रमित करने के लिए इस माध्यम का उपयोग करने लगे। प्रस्तुत शोध के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि आमजन व्हाट्सप्प जैसे संचार माध्यम का उपयोग करते समय वायरल संदेशों पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है? वायरल संदेशों का उसके व्यवहार पर क्या प्रभाव पढ़ता है?

सूचना क्रांति के इस दौर में हम चारों तरफ से सूचनाओं के जाल से घिरे हैं। हमारे आस-पास सूचनाओं का यह जाल, हम चाहें या न चाहें हमें प्रभावित करता है। सूचना तकनीक से हम जितना मित्रवत होते जा रहे हैं उतना ही हमारी निर्भरता इन तकनीकों पर बढ़ती जा रही है। सूचना एवं तकनीक के समय में लोग घर बैठ कर ही पूरी दुनिया के विषय में जान लेना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा को सूचना और प्रोद्योगिकी ने पूरा भी किया है। पहले लोग अपने संदेशों को भेजने के लिए पत्रों का उपयोग करते थे जिस प्रक्रिया में कई दिन लग जाते थे। ईमेल ने इस समय सीमा को क्षणों में परिवर्तित कर दिया। संचार की इस तीव्र गति ने पूरे विश्व को आकर्षित किया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। इसी कड़ी में लगतार अनुसंधान होते चले गए। हम सोशल मीडिया की दुनिया में आ गए जहां पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ क्षणों में पहुंचा जा सकता है।संचार की इस दौड़ को सोशल वेबसाइट से सोशल एप्प तक पहुँचने में बहुत समय नहीं लगा। स्मार्ट फोन ने संचार प्रक्रिया को सरल और सुगम बना दिया तथा स्मार्ट फोन ने उपभोक्ताओं को भी स्मार्ट बना दिया। आज सोशल एप्स की भरमार है जो आम जन मानस में बहुत प्रचलित हैं। ऐसा ही एक एप्प है व्हाट्सएप जिसका हमारे समाज में बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। आज जहां पूरे विश्व में इस एप्प के 2 बिलियन उपभोक्ता हैं वहीं भारत में 400 मिलियन उपभोक्ता हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है।

दुनिया में तकनीक का विकास जिस तेजी से हो रहा है उसी तेजी से लोग इसका उपयोग कर रहे हैं।यही वर्तमान समाज का सबसे बड़ा सच है। लोग संचार तकनीकों के माध्यम से स्वयं को सबसे ज्यादा अपडेट रखना चाहते हैं। कुछ पलों में ही पूरी दुनिया तक पहुँच जाना चाहते हैं। इस एप्प के आने के बाद संचार जगत में नयी क्रांति आ गयी। एक समय ऐसा भी था कि इस एप्प ने प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को भी चिंता में डाल दिया था। ये इसकी लोकप्रियता ही थी कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया और आज व्हाट्सएप फेसबुक से ज्यादा लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग माध्यम है।

हम सभी इस सच से परिचित हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी प्रकार व्हाट्सएप के भी कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियाँ भी। व्हाट्सएप का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सूचनाओं के आदान प्रदान में यह एप्प महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है चाहें वह सूचना किसी भी

❑ असिस्टेंट प्रोफेसर, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)

क्षेत्र में हो। जैसे किसी त्योहार या किसी उपलब्धि की शुभकामना हो या किसी कार्यक्रम के आयोजन की सूचना, किसी शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय या व्यापार संबंधी सूचना हो या राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों की, हर क्षेत्र में व्हाट्सएप ने अपना स्थान बनाया है। यहाँ तक की प्रशासन ,पुलिस तथा अन्य उत्तरदायित्व के पदों पर बैठे लोग भी व्हाट्सएप के उपयोग से अपनी सेवाएँ सुगम बना रहे हैं। आज बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप कुछ क्षणों मे ही एक सूचना कई लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यह एप्प हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। इसकी पहुँच मात्र शहरों तक है ऐसा भी नहीं है। आज यह कस्बों तथा गावों तक पहुँच गया है तथा अन्य किसी भी सोशल मीडिया से ज्यादा लोकप्रिय है।

पर यह भी सत्य है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह व्हाट्सएप के उपयोग के भी सिर्फ सकारात्मक पहलू नहीं है। यह देखा गया है कि किसी भी जन संचार माध्यम की पहुँच की गति इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है जितनी तेजी से व्हाट्सएप के उपयोग का चलन बढ़ा है। इस तीव्र गति ने कई नकारात्मक पहलुओं को भी उजागर किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है फेक न्यूज का वायरल होना। जब व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी जानकारी वायरल होना शुरू होती है तो उस पर नियंत्रण करना सबसे कठिन कार्य होता है। भारत सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से व्हाट्सएप पर कई फिल्टर लगाए हैं। जैसे एक संदेश को एक बार में पाँच लोगों से ज्यादा को नहीं भेज सकते, यदि कोई संदेश बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है तो उसे एक बार में एक व्यक्ति को ही भेज सकते हैं , एक और बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव कि अब यह पता लगाया जा सकता है कि संदेश वास्तविक रूप से कहाँ से भेजा गया है इसके लिए फारवर्ड संदेश के ऊपर फॉरवर्डेड लिखा होता है। किन्तु यह एक बहुत बड़ा सत्य है कि किसी एक व्यक्ति से शुरू हुआ संदेश बहुत तेजी से वायरल होता है और देखते देखते अनगिनत लोगों तक पहुँच जाता है। यहाँ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि संदेश जितने लोगों तक पहुंचता है मात्र वही उस संदेश से प्रभावित नहीं होते बल्कि वह जिस भी व्यक्ति के सामने चर्चा में आता है उस हर व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालता है।

प्रस्तुत शोध व्हाट्सएप के उपयोग तथा प्रभाव का अध्ययन करता है। इस शोध के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि युवाओं में व्हाट्सएप का उपयोग उनके व्यवहार पर क्या प्रभाव डालता है ? व्हाट्सएप का उपयोग केवल नकारात्मक कार्यों के लिए हो रहा है ऐसा नहीं है व्हाट्सएप का उद्देश्य मुख्यतः लोगों को आपस में जोड़ना, परिवार मित्रों और सहयोगियों को एक दूसरे की मदद करने के लिए किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं व्हाट्सएप का सही के साथ-साथ गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है जो कि अक्सर देखने को मिलता है। यह इस दिशा में एक प्रयास है कि किस प्रकार एक सकारात्मक प्रयोग नकारात्मक उपयोग में परिवर्तित होता है और समाज के लिए हानिकारक बन जाता है। प्रस्तुत शोध, सोशल मीडिया के विशेषकर व्हाट्सएप के उपयोग तथा उस उपयोग से पड़ने वाले प्रभाव या यह कहा जाए कि व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन है। इस अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार अनभिज्ञता के कारण आमजन कुछ नकारात्मक तत्वों तथा असामाजिक तत्वों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं या यह कहा जाए उनके हाथों प्रयोग होने लगते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनका देश के तथा समाज के विरुद्ध उपयोग किया जा रहा है।

साहित्य समीक्षा : प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार सोशल मीडिया की उत्पत्ति वर्ष 1994 के दौरान हुई। अमेरिकी लेखक डेरेल बेरी ने इस शब्द का उल्लेख किया। वर्ष 1995 में लिखी पुस्तक 'सोशल मीडिया' में उन्होंने कहा कि कंप्यूटर इंटरनेट की मदद से लोगों का जुड़ाव भी सोशल मीडिया है। 90 के दशक के अंत में इंटरनेट सेवाओं ने विस्तार किया 1997 में विश्व की पहली सोशल मीडिया की वेबसाइट सिक्स डिग्री की शुरुआत हुई। (कॉरपोरेट डॉट ओआरजी)

"सोशल मीडिया ने आज विश्वसनीयता का संकट खड़ा कर दिया है इसकी ज्यादातर खबरें गलत और दुर्भावनापूर्ण होती हैं। सोशल मीडिया पर मुट्ठी भर गैर जिम्मेदार लोग सक्रिय हैं लेकिन यह लोग पलक झपकते ही करोड़ों लोगों को अपना हथियार बना लेते है"।[1] 'सोशल मीडिया रुपी इस सिक्के का नकारात्मक पहलू भी है। वर्चुअल स्पेस में फेसबुक, ट्विटर, यू टयूब ऐसे मंच हैं जहां युवाओं को समाज से जोड़ने और अपनी बात कहने का मंच मिलता है। लेकिन साथ ही यह उनके लिए नई चुनौतियां भी खड़ी कर रहा है और यह चुनौतियां आसान नहीं है कड़े संघर्षों से भरी है"।[2] 'भारत में सोशल मीडिया का उपयोग

समाज से जुड़े हर वर्ग के लोग कर रहे हैं। इनमें अधिकांश लोग ऐसे स्मार्टफोन धारक हैं जो इसकी संवेदनशीलता से अनजान हैं और सिर्फ दूसरों की देखा देखी फेसबुक और ट्विटर पर सक्रिय हैं।सरकार इसकी बढ़ती लोकप्रियता के समानांतर उन कानूनी उपायों के प्रति भी लोगों को जागरूक करें जिसका इस्तेमाल विचारों के सैलाब को बेकाबू होने से रोकने में किया जा सकता है''।[3]

वायरस विषाणु से संबंधित होता है। वीडियो, फोटो समाचार आदि को सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच जल्दी और व्यापक रूप से फैलाता है। एक वायरल वीडियो वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वीडियो लोकप्रिय हो जाता है। आमतौर पर कोई भी संदेश किसी सोशल साइट या सोशल ऐप के माध्यम से फैलता है।

वायरल शब्द की अवधारणा 70 के दशक की है, जब पी. फ्रेरी ने अपनी पुस्तक ''पेडागॉजी ऑफ ऑपरेस्ड'' में वायरल मैसेज को परिभाषित करते हुए कहा था कि ''वायरल संदेश ऐसे शब्द, ध्वनियां या छवियां हैं, जो अपने विशेष आकर्षण से श्रोता या दर्शकों को प्रसारित करने के लिए मजबूर करते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे संदेशों के बाद लोग एक जैसे कार्य करने और समुदायों को जुटाने के लिए संकेत दिये जाते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में कई तरह से और रूपों में समुदाय जुटाने का अध्ययन किया गया है''।[4]

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1980 के दशक में रेडियो स्टेशनों ने एक भावनात्मक प्रतिक्रिया को भड़काने और श्रवण दर्शकों के भीतर एक विशिष्ट जनसांख्यिकीय हासिल करने के लिए एक विशेष तरह के संगीत को अपनी प्रस्तुतियों में शामिल करना शुरू कर दिया था। माइकल जैक्सन की मौत की घोषणा के बाद, यूएस0 में आप हर जगह उनके संगीत को सुन सकते थे। बहुत से लोग अपने संगीत के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसी तरह के कई भावनात्मक संगीत, धुन, शब्द या टोन का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसी अपीलें व्यक्तिगत भी होती हैं और कई बार सामाजिक और व्यवसायिक भी। पी. फ्रेरी के अनुसार एक ट्रिगर एक शब्द, ध्वनि या छवि है जो एक गतिविधि का कारण बनता है। यह एक घटना या बातचीत को प्रक्षेपित करता है, जो दो या अधिक लोगों के बीच प्रतिक्रिया उत्तेजित कर सकती है''।[5]

एस. मैकलेन के अनुसार हम समुदायों को आपदा के क्षेत्रों को छोड़ने, या बाहर निकलने और एक अभ्यास कार्यक्रम के भाग के रूप में अधिक चलने के लिए जुटाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि लोग संचार संदेश पर विचार करें और कार्य करें, तो हमें सबसे पहले दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना होगा। हमारे उदाहरण में, जैकन्स श्पासिंग के शब्द साझा करने के लिए समुदायों को जुटाया गया था ध्यान दें बयान की आवश्यकता स्पार्क्स और ट्रिगर एक स्पार्क विषय भावनाओं के लिए एक अपील, प्रभाव का एक व्यापक आधार और इसके बाद की चिंता और परिणाम, मुद्दों, योजनाओं और क्रियाओं के बारे में आम सहमति को प्रेरित करने के परिणाम है''।[6]

गोडिंग, एस के अनुसार एक वायरल संदेश का अंतिम घटक प्रासंगिकता है। यह दर्शकों तक, प्रमुख और महत्वपूर्ण के लिए तुरंत पहुंच योग्य होना चाहिए। किसी संदेश के वायरल होने में यह घटक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अगर सोशल मीडिया के माध्यम से कोई ऐसा संदेश प्रसारित किया जा रहा है जिसकी तात्कालिक प्रसांगतिकता है तो निश्चय ही उसका प्रभाव सर्वाधिक होगा। हाल के दिनों में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जब किसी घटना विशेष के बाद उससे संबंधित संदेशों की बाढ़ सी आ जाती है और देखते ही देखते वह वायरल संदेश का रूप धारण कर लेते हैं''।[7]

प्रोफेसर डगलस रूशकोफ वर्ष 1994 में प्रकाशित अपनी किताब ''मीडिया वायरस'' में लिखते हैं कि बड़ी कम्पनियां अपने उत्पादों के प्रचार के लिए निःशुल्क ई-मेल सेवा के माध्यम से लोगों को मेल भेजती थीं। जैसे ही कोई मैसेज किसी संवेदनशील व्यक्ति (ग्राहक) तक पहुंच जाता था, वह व्यक्ति विज्ञापन के उस जाल में फंस जाता और इस तरह कम्पनी को अपने टारगेट ग्राहक तक सीधे पहुंच जाने का मौका मिल जाता।''[8]

शोध का उद्देश्य -

1 व्हाट्सएप पर वायरल संदेशों के प्रति युवाओं की प्रतिक्रिया का अध्ययन करना।

2 व्हाट्सएप पर वायरल संदेशों का युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध प्रश्न -

1. क्या युवाओं को वायरल संदेश की जानकारी है?
2. वायरल संदेश की पड़ताल कैसे की जा सकती है?
3. व्हाट्सएप का प्रयोग युवा वर्ग कितने समय तक करता है?

4. व्हाट्सएप पर प्रसारित होने वाले वायरल संदेशों की विषय-वस्तु क्या होती है?
5. व्हाट्सएप के संदेशों पर युवाओं की प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है?
6. व्हाट्सएप के वायरल संदेशों का युवाओं पर कोई प्रभाव पड़ता है?
7. व्हाट्सएप पर वायरल संदेश प्राप्त करने के बाद क्या उसकी प्रमाणिकता जांचने का कोई प्रयास किया जाता है?

शोध पद्धति : प्रस्तुत शोध का प्रारूप वर्णनात्मक है, जिसमें सुविधाजनक तथा उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का प्रयोग किया गया है। शोधार्थी ने सोशल मीडिया एप्प के अपने व्हाट्सएप एकाउंट की फ्रैंड लिस्ट के 50 प्रतिशत उन लोगों का चुनाव किया है जिनकी आयु 18-35 वर्ष (युवा वर्ग) है। 250 उत्तरदाताओं को प्रश्नावली की डिजिटल कॉपी भेजी गई जिसमें से 225 उत्तरदाताओं ने प्रश्नावली भर कर वापस भेजी है, इसके लिए उत्तरदाताओं को 1 सप्ताह का समय दिया गया था। ऐसी 200 प्रश्नावली का चुनाव सारणीयन और तथ्यों के विश्लेषण के लिए किया गया जो कि पूर्ण रूप से भरी गयी थीं।

विश्लेषण

तालिका संख्या 1

उत्तरदाताओं का लैंगिक विवरण

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
पुरुष	115	57.5
महिला	85	42.5
योग	200	100

तालिका संख्या 2

उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
स्नातक	56	28
स्नातकोत्तर	108	54
पी एच डी	24	12
अन्य	12	06
योग	200	100

तालिका संख्या 3

व्हाट्सएप का एक दिन में उपयोग का समय

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
0-1 घंटा	10	5
01-05 घंटे	110	55
05-10 घंटे	50	25
10 घंटे से ज्यादा	30	15
योग	200	100

उपर्युक्त तालिका के अनुसार उत्तरदाता एक दिन में सबसे अधिक 55 प्रतिशत लोग एक से पाँच घंटे व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। 25 प्रतिशत उत्तरदाता एक दिन में पाँच से दस घंटे, 15 प्रतिशत उत्तरदाता दस घंटे से ज्यादा तथा 5 प्रतिशत उत्तरदाता एक घंटे व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं।

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि व्हाट्सएप का उपयोग सबसे अधिक पाँच घंटे किया जा रहा है जो कहीं न कहीं इस ओर इशारा करता है कि यदि इतना अधिक समय व्हाट्सएप संदेशों के साथ बिताया जाएगा तो उन संदेशों का प्रभाव उपयोगकर्ता पर होना स्वाभाविक है। यहाँ जनसंचार का कल्टीवेशन का सिद्धान्त परिलक्षित होता है, जिसके अनुसार जो जितना ज्यादा समय इन प्रकार के माध्यमों को देगा उस पर इन माध्यमों के संदेशों का उतना अधिक प्रभाव होगा।

तालिका संख्या 4

व्हाट्सएप से जुड़े समूहों की संख्या

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
0-3	02	1
3-5	10	5
5-10	50	25
10 से अधिक	138	69

तालिका संख्या 4 के अनुसार 69 प्रतिशत उत्तरदाता 10 से अधिक व्हाट्सएप समूहों से जुड़े हैं। 25 प्रतिशत उत्तरदाता पाँच से दस समूहों से जुड़े हैं, 5 प्रतिशत तीन से पाँच समूहों से और 1 प्रतिशत तीन समूहों से सम्बद्ध हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 69 प्रतिशत उत्तरदाता दस से अधिक समूहों से जुड़े हैं। यदि एक समूह में 50 सदस्य भी हैं और उन सदस्यों में यदि 20 सदस्य भी अति सक्रिय रहते हैं तो प्रतिदिन आप लगभग 20 संदेश एक समूह से प्राप्त करते हैं। 20 संदेशों में यदि 10 संदेश भी वायरल संदेश हैं तो आप प्रतिदिन 10 समूहों से लगभग 100 वायरल संदेश प्राप्त करते हैं। यह आंकड़ा बहुत चिंतनीय है क्योंकि 100 वायरल संदेशों में यदि 20 भी फेक समाचार हैं तो आप रोजाना लगभग 20 फेक समाचारों को देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कराते हैं।

तालिका संख्या 5

व्हाट्सएप पर वायरल संदेश प्राप्त होते हैं

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
हाँ	200	100
नहीं	00	00
योग	200	100

तालिका संख्या 5 के अनुसार सभी 100 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि उन्हें वायरल संदेश प्राप्त होते हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सभी उत्तरदाताओं को वायरल संदेश प्राप्त होते हैं जो कि हमारी सूचना प्राप्ति तथा संचार क्रांति का परिचायक हैं। किन्तु दूसरी ओर चिंता का विषय भी होना चाहिए क्योंकि इससे यह भी समझ में आता है कि किसी भी फेक सूचना या प्रोपगण्डा को फैलाना कितना सरल है।

तालिका संख्या 6

प्रारूप, जिसमें सबसे ज्यादा वायरल संदेश प्राप्त होते हैं

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
दृश्य- श्रृव्य (आडिओ-विजुअल)	110	55
लिखित	46	23
फोटोग्राफ	34	17
कार्टून	10	5
योग	200	100

तालिका संख्या 6 के अनुसार सबसे अधिक 55 प्रतिशत दृश्य एवं श्रृव्य वायरल संदेश उत्तरदाताओं को प्राप्त होते हैं। 23 प्रतिशत संदेश लिखित रूप में, 17 प्रतिशत संदेश फोटोग्राफ के रूप में तथा 5 प्रतिशत संदेश कार्टून के रूप में प्राप्त होते हैं।

प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि सबसे अधिक 55 प्रतिशत संदेश आडिओ-विजुअल प्रारूप में प्राप्त होते है। आडिओ-विजुअल संचार प्रारूप अन्य संचार प्रारूपों में सबसे प्रभावशाली माना जाता है जिसका प्रभाव लंबे समय तक मस्तिष्क पर रहता है।

तालिका संख्या 7

एक दिन में व्हाट्सएप पर प्राप्त होने वाले वायरल संदेशों की संख्या

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
0-20	14	7
20-50	46	23
50-100	90	45
100 से अधिक	50	25
योग	200	100

तालिका संख्या 7 के अनुसार एक दिन में 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं को 50-100 वायरल संदेश प्राप्त होते हैं। 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं को 100 से अधिक वायरल संदेश प्राप्त होते हैं, 23 प्रतिशत उत्तरदाताओं को 20-50 तथा 7 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगभग 20 वायरल संदेश प्राप्त होते हैं।

प्राप्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि एक दिन में सबसे अधिक 50-100 वायरल संदेश प्राप्त होते हैं। 50-100 संदेश का आंकड़ा काफी बड़ा है। यदि इतनी अधिक संख्या में वायरल संदेश प्राप्त होते हैं तो इस बात का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है कि वे संदेश किस प्रकृति के हैं।

तालिका संख्या 8

प्राप्त वायरल संदेशों की विषय सामग्री

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
राजनीतिक	83	43
धार्मिक	46	23
सामाजिक	26	13
व्यक्तिगत प्रचार	15	7.5
व्यवसायिक	20	10
योग	200	100

तालिका संख्या 8 के अनुसार 43 प्रतिशत सबसे अधिक राजनीतिक विषय पर वायरल संदेश प्राप्त होते हैं। 23 प्रतिशत धार्मिक संदेश प्राप्त होते हैं, 13 प्रतिशत सामाजिक संदेश ,10 प्रतिशत व्यवसायिक संदेश तथा 7.5 प्रतिशत संदेश व्यक्तिगत प्रचार से संबन्धित होते हैं।

प्रस्तुत आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि व्हाट्सएप पर सबसे अधिक राजनीतिक संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है जो इस तथ्य को उजागर करता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से राजनीतिक विचारधाराएं आम जनमानस तक अपनी पहुँच बना रही हैं।

तालिका संख्या 9

प्राप्त वायरल संदेशों पर ध्यान देते हैं।

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
हाँ	195	97.5
नहीं	00	0
कभी-कभी	05	2.5
योग	200	100

तालिका संख्या 9 के अनुसार 97.5 प्रतिशत उत्तरदाता वायरल संदेशों पर ध्यान देते हैं। जबकि 2.5 प्रतिशत उत्तरदाता वायरल संदेशों पर ध्यान नहीं देते हैं। 97.5 प्रतिशत उत्तरदाता वायरल संदेशों पर ध्यान देते हैं जो कहीं ना कही चिंतनीय विषय है क्योंकि यदि वायरल संदेशों की पहुँच इतनी अधिक है तो ऐसे संदेशों का फिल्टर होना बहुत आवश्यक है।

तालिका संख्या 10

वायरल संदेशों पर उत्तरदाता की प्रतिक्रिया

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
कोई प्रतिकिया नहीं देते हैं	104	52
अग्रसारित कर देते हैं	63	31.5
भेजने वाले से सवाल जवाब करते हैं	33	16.5
योग	200	100

तालिका संख्या 10 के अनुसार 52 प्रतिशत उत्तरदाता वायरल संदेशों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। 31.5 प्रतिशत उत्तरदाता संदेश को अग्रसारित कर देते हैं तथा 16.5 प्रतिशत उत्तरदाता वायरल संदेश भेजने वाले से सवाल जवाब करते हैं। प्राप्त आंकड़ों में सबसे संतोषजनक बात यह है कि सबसे अधिक 52 प्रतिशत उत्तरदाता वायरल संदेशों पर ध्यान ही नहीं देते। किन्तु जो 31.5 प्रतिशत उत्तरदाता प्राप्त वायरल संदेश को अग्रसारित करते हैं। यह स्थिति विचारणीय है। किसी भी संदेश को वायरल करने में सबसे बड़ी भूमिका यही जन समुदाय निभाता है।

तालिका संख्या 11

एक ही संदेश बार-बार आए तो क्या वह आपका ध्यान आकर्षित करता है।

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
हाँ	92	46
नहीं	55	27.5
कभी-कभी	53	26.5
योग	200	100

तालिका संख्या 11 के अनुसार 46 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि एक ही संदेश का बार-बार आना उस संदेश की ओर ध्यान आकर्षित करता है। 27.5 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि एक ही संदेश का बार-बार आना उस संदेश की ओर ध्यान आकर्षित नहीं करता है तथा 26.5 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि एक ही संदेश का बार-बार आना उस संदेश की ओर कभी-कभी ध्यान आकर्षित करता है

प्राप्त आंकड़ों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 46 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि यदि कोई वायरल संदेश बार-बार उन तक पहुंचता है तो यह प्रक्रिया उस संदेश के प्रति उतरदाता को आकर्षित करती है।

तालिका संख्या 12

संदेश का बार-बार आना उस पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है।

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
हाँ	85	42.5
नहीं	69	34.5
कभी-कभी	46	23
योग	200	100

तालिका संख्या 12 के अनुसार 42.5 प्रतिशत लोग ये मानते हैं कि किसी संदेश का बार-बार आना उस संदेश पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। 34.5 प्रतिशत लोग ये मानते हैं कि किसी संदेश का बार-बार आना उस संदेश पर विश्वास करने के लिए प्रेरित नहीं करता है तथा 23 प्रतिशत लोग ये मानते हैं कि किसी संदेश का बार-बार आना उस संदेश पर विश्वास करने के लिए कभी-कभी प्रेरित करता है। प्राप्त आकड़ों से यह बात स्पष्ट है कि किसी संदेश का बार-बार आना उस संदेश पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करने लगता है जिसके माध्यम से कोइ भी विचार रोपित किया जा सकता है।

तालिका संख्या 13

प्राप्त वायरल संदेशों से व्यवहार में परिवर्तन

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
बिल्कुल नहीं	45	22.5
थोड़ा	94	47
काफी हद तक	61	30.5
योग	200	100

तालिका संख्या 13 के अनुसार 47 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि प्राप्त वायरल संदेश हमारे व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन लाने का काम करते हैं। 30.5 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि यह हमारे व्यवहार में काफी परिवर्तन लाता है, 22.5 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि प्राप्त वायरल संदेशों से बिल्कुल परिवर्तन नहीं आता। प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि वायरल संदेशों का प्राप्तकर्ता के विचार तथा व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है और उसमें परिवर्तन आता है। प्राप्त आंकड़ों से यदि बिल्कुल नहीं का विकल्प हटा कर देखा जाए तो अन्य सभी विकल्प कहीं

ना कहीं परिवर्तन की बात करते हैं।

तालिका संख्या 14

प्राप्त वायरल संदेशों की प्रामाणिकता जाँचने का प्रयास करते हैं

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
हाँ	21	10.5
नहीं	37	18.5
इस विषय में कोई जानकारी नहीं	142	71
योग	200	100

तालिका संख्या 14 के अनुसार मात्र 10.5 प्रतिशत उत्तरदाता ही हैं जो प्राप्त वायरल संदेशों की प्रामाणिकता की जांच करते हैं। 18.5 प्रतिशत उत्तरदाता प्रामाणिकता की कोई जांच नही करते तथा 71 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से ही अनभिज्ञ हैं कि किसी वायरल संदेश की प्रामाणिकता जांच की जा सकती है। प्राप्त आंकड़े बहुत चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा करते हैं कि इतने अधिक वायरल संदेश प्राप्त होने के बाद भी मात्र 10.5 प्रतिशत उत्तरदाता ही संदेशों की प्रामाणिकता की जांच करते हैं जबकि भारत सरकार इस संदर्भ में कई विज्ञापनों के माध्यम से लगातार जागरूकता फैला रही हैं।

तालिका संख्या 15

प्राप्त वायरल संदेश से विचारधारा में परिवर्तन

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
बिल्कुल नहीं	36	18
थोड़ा	84	42
बहुत	48	24
पूरी तरह से	32	16
योग	200	100

तालिका संख्या 15 के अनुसार 42 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि प्राप्त वायरल संदेश हमारी विचारधारा में थोड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। 24 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि वायरल संदेश हमारी विचारधारा में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं, 18 प्रतिशत मानते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं आता है तथा 16 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि विचारधारा पूरी तरह से बदल जाती है। प्राप्त आंकड़े यह बताते हैं कि व्हाट्सएप के वायरल संदेशों के माध्यम से लोगों कि विचारधारा में परिवर्तन लाया जा सकता है।

निष्कर्ष : व्हाट्सएप ने सूचना के क्षेत्र में एक नयी क्रांति को जन्म दिया है। कुछ क्षणों में एक साथ कई लोगों तक एक ही संदेश को पहुंचाने का काम व्हाट्सएप बड़ी कुशलता से करता है। इतना ही नहीं संदेश के पहुंचाने तथा उसके देखे जाने तक की सूचना व्हाट्सएप हमें उपलब्ध कराता है। प्रस्तुत शोध से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में व्हाट्सएप आम आदमी के संचार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। शोध के लिए चयनित सभी उत्तरदाता व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं जिसमे सबसे अधिक उत्तरदाता एक दिन में लगभग पाँच घंटे इसका उपयोग कर रहे हैं, कुछ तो पाँच घंटे से भी अधिक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जार्ज गर्वनर द्वारा जनसंचार का कल्टीवेशन का सिद्धान्त दिया गया है जो यह कहता है कि यदि कोई 4 घंटे से अधिक किसी जन माध्यम का उपयोग करता है तो वह जनमाध्यम उसके व्यवहार तथा सोच पर प्रभाव डालता है और उस व्यक्ति में जनमाध्यम के संदेशों के आधार पर परिवर्तन आने लगता है।[1] अतः प्राप्त आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि जनमानस में प्रचलित व्हाट्सएप संदेश उपयोगकर्ता पर प्रभाव डाल रहे हैं। एक उत्तरदाता व्हाट्सएप पर लगभग 10 समूहों से जुड़ा है। अतः उसके वायरल संदेश प्राप्त करने की संभावनाएं और अधिक हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार एक दिन में सबसे अधिक लगभग 100 संदेश प्राप्त किए जाते हैं। सभी उत्तरदाताओं ने माना है कि उन्हें किसी ना किसी प्रारूप में वायरल संदेश प्राप्त होते हैं। प्राप्त वायरल संदेशों में भी सबसे अधिक दृश्य श्रृव्य संदेश सबसे अधिक आते हैं जिनका प्रभाव सबसे अधिक माना जाता है। सभी उत्तरदाताओं को वायरल संदेश प्राप्त होते हैं जो यह दर्शाता है कि वायरल संदेशों का आना आज के समय में बहुत आम बात है। आंकड़ों के अनुसार राजनीति से संबन्धित वायरल संदेश सबसे ज्यादा आते हैं, जिससे यह पता चलता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक गतिविधियां सक्रिय रूप से चलायी जा रही हैं। आए दिन मीडिया में ये खबरें दिखाई दे रही हैं कि लोगों में वैचारिक उद्दीपन प्रतिक्रिया के लिए फेक खबरें तथा प्रोपेगंडा चलाया जा रहा है, जोकि बहुत बार सुरक्षा संबंधी परेशानियाँ भी खड़ी करता है। प्रस्तुत शोध इस बात कि पुष्टि करता है कि वायरल संदेश बहुतायत में भेजे जा रहे हैं जिनमें राजनीतिक संदेश प्रमुख हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रचारित संदेश धार्मिक संदेश हैं। अतः धार्मिक संदेशों के साथ-साथ धार्मिक उन्माद भी फैलाया जा रहा है जो कि

देश कि सुरक्षा तथा अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करता है। अधिकतर उत्तरदाता ये मानते हैं वायरल संदेशो पर उनका ध्यान जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई संदेश बार-बार अलग-अलग लोगों या समूहों की ओर से भेजा जाता है तो वह संदेश भी ध्यान आकर्षित करता है। किसी संदेश का बार बार आना कहीं ना कहीं उस संदेश पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। आंकड़े कहते हैं कि उत्तरदाता वायरल संदेशों पर अपने मित्रों, सहकर्मियों तथा परिवार के सदस्यों से चर्चा करते हैं। यहाँ जन संचार का अजेंडा सेटिंग का सिद्धान्त परिलक्षित होता है। यह सिद्धान्त यह कहता है कि जन माध्यम आपको यह नहीं बताते कि आपको क्या सोचना चाहिए, पर वे यह बताने में काफी हद तक सफल हो जाते हैं कि हमें किस बारे में सोचना चाहिए।[10] तात्पर्य यह है कि सोशल मीडिया विशेषकर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोपगंडा या फेक समाचार को भी बहुत आसानी से वायरल संदेश के रूप में समाज में फैलाया जा सकता है और फैलाया भी जा रहा है। शोध से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह तथ्य सामने आता है कि व्हाट्सएप से प्राप्त वायरल संदेशों से लोगों के व्यवहार तथा विचारधारा में परिवर्तन आता है। सबसे चौंकने वाला आंकड़ा ये हैं कि अधिकतर उत्तरदाता इस बात से ही अनभिज्ञ हैं कि वायरल संदेशों की प्रामाणिकता भी जाँची जा सकती है।

प्रस्तुत शोध का मुख्य निष्कर्ष यह है कि व्हाट्सएप हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हम अपने दैनिक संचार के लिए इस पर निर्भर हो चुके हैं। यह सही है कि व्हाट्सएप ने हमारा जीवन आसान किया है लेकिन वहीं दूसरी ओर कई भ्रामक समाचार फैला कर यह सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा भी बन रहा है। यह जानते हुये भी कि नित्य हम अनेकों फेक खबरों का सामना कर रहे हैं फिर भी व्हाट्सएप का उपयोग रोक पाना कठिन है। इस निर्भरता का लाभ ऐसे बहुत से लोग और समूह ले रहे हैं जो इसके माध्यम से अपने प्रोपगण्डा को आमजन तक वायरल कर रहे हैं। अब इसे व्यस्तता कहा जाए या लापरवाही कि हम फेक खबरों को पहचाने बगैर उन्हे दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और अनजाने में उनके षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। यह स्थिति भयावह है और यह किसी भी समाज के उत्तथान में बाधक है।

व्हाट्सएप सोशल मीडिया का एक ऐसा माध्यम है जिससे आज हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं यह हमारे संबधों को मजबूत करने में काफी अहम भूमिका निभा रहा है।यह आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ऐसे बहुत से लोग जो अकेलेपन का शिकार हैं व्हाट्सएप ने उनके अकेलेपन को दूर करने में बहुत मदद की है। हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी व्यक्ति से व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप हमारे मित्रों को हम से जोड़ने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर यह हमें हमारे कैरियर से संबंधित कई अन्य संभावनाओं को तलाशने में भी सहयोग करता है।

नवभारत टाइम्स में प्रकाशित एक खबर के अनुसार फेक न्यूज का दौर अब खत्म होने वाला है। वॉट्सऐप के नए फीचर के माध्यम से यूजर्स खुद ही फेक न्यूज वेरिफाई कर पाएंगे। कंपनी काफी दिनों से इस फीचर पर काम कर रही थी, जिससे यूजर्स फॉरवर्ड मेसेज (forwarded messages) को वेब पर वेरिफाई कर सकते हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp ने अब इस फीचर को कुछ ऐंड्रॉयड और IOS यूजर्स के लिए जारी कर दिया है। WABetainfo के अनुसार, वॉट्सऐप वेब और वॉट्सऐप डेस्कटॉप के लेटेस्ट वर्जन पर search message on the web (मेसेज को वेब पर सर्च करना) का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा यह फीचर वॉट्सऐप के ऐंड्रॉयड और IOS अपडेट के साथ भी आने लगा है। इस फीचर के आ जाने के बाद वॉट्सऐप में किसी भी फॉरवर्ड मेसेज के ठीक बगल में एक सर्च आईकन मौजूद होगा। इस आईकन पर क्लिक करने पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस मैसेज को गूगल पर सर्च करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो आपका मैसेज गूगल सर्च में चला जाएगा जहां आप पता कर सकते हैं कि मैसेज असली है या फर्जी है।"[11]

नवभारत टाइम्स में प्रकाशित एक अन्य खबर के अनुसार आप व्हाट्सएप में ग्रुप चौटिंग करते हैं, तो आपके फोटो-वीडियो और चैट्स को कोई भी देख और पढ़ सकता है। जी हां, व्हाट्सएप ग्रुप चैट करने वाले यूजर्स की प्राइवेसी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इन ग्रुप्स को एक आसान गूगल सर्च के जरिए ऐक्सेस किया जा सकता है। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से क्या बातें करते हैं, यह कोई भी अनजान यूजर जान सकता है। सारा खेल वॉट्सऐप ग्रुप इन्वाइट लिंक का है।"[12]

सरकार द्वारा इस संबंध में कई नियम और कानून बनाए

गए हैं लेकिन आज भी व्हाट्सएप उपभोक्ता उनसे परिचित नहीं है या यह कहा जाए की व्हाट्सएप के उपयोग के लिए बनाए गए नियमों और कानूनों का सही रूप से प्रचार-प्रसार नहीं हो पा रहा है क्योंकि अगर देखा जाए तो नए कानून पहले की अपेक्षा बहुत कठोर हैं। लेकिन आमजन में जागरूकता ना होने के कारण यह कानून सही रूप से पालन नहीं हो पा रहे हैं। अतः सरकारों को चाहिए कि वह इन नियमों को पालन करने के लिए लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करें इस दिशा में सरकारों को सोचना चाहिए अन्यथा जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के नाम पर भड़काने वाले लोग तथा अन्य गैर सामाजिक तत्व जैसे आतंकवादी, अन्य अपराधी आदि इस माध्यम का उपयोग कर आमजन को पथभ्रष्ट करते रहेगें। साथ ही उपभोक्ता को भी उत्तरदायित्व के साथ किसी भी संचार माध्यम का उपयोग करना चाहिए। उपभोक्ता अपनी लापरवाही से ना सिर्फ अपनें और अपने परिवार के लिए समस्या खड़ी कर सकता है बल्कि पूरे देश को भी संकट में डाल सकता है। यह सत्य है कि सरकारों की भूमिका अहम है। लेकिन जब हमें अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का मौलिक अधिकार मिला है तो हमें कुछ मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें ऐसे वायरल संदेशों से बचना चाहिए जो हमारे देश और समाज को कमजोर करने के लिए झूठ और अफवाह फैलाते हैं। हम सिर्फ उपभोक्ता की तरह व्यवहार नहीं कर सकते, हमें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह वयवहार करना होगा।

सन्दर्भ

1. http:abpnews.abplive.in/blog/mukesh-kumar-singh-blog-on-social-media/
2. शर्मा रश्मि, आशा संपादक, 'मीडिया का बाजार और बाजार का मीडिया', प्रकाशित -नयीं गीता नई किताब, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2014, पृ. 70
3. http://www.dw.com/hi/ सोशल-मीडिया-पर- जागरूकता-की-जरूरत/a - 17725023
4. Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. Bloomsbury Publishing USA, p. 28
5. Ibid, p. 138
6. M Cleen,S, 'A Communication Analysis of Community Mobilization on the Warm Spring Indian Reservation', Journal of Health Communication, Taylor & Fransis, Philadelhia, p. 117.
7. Godin, Seth (2000). 'Unleashing the Ideavirus'. Hyperion, p. 169
8. Rushkoff, Douglas 'Media Virus: Hidden Agenda in Popular Culture', Ballantine books, 1994, p. 237
9. Shanaham James, Morgan Michal, 'Telivision & its Viewers Cultivation Theory and Research', Cambriage University Press, 1st Edition, 1999, p. 43
10. सिंह श्रीकान्त, 'सम्प्रेषन : प्रतिरूप एवं सिद्धाँत' भारती पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स, फैजाबाद, पृ. 241
11. https://navbharattimes.indiatimes.com/tech/gadgets-news/whatsapp-new-feature-to-verify-fake-forwarded-messages-on-web/articleshow/75058098.cms
12. https://navbharattimes.indiatimes.com/tech/gadgets-news/whatsapp-group-invite-link-is-a-new-danger-for-the-privacy-of-users/articleshow/74328039.cms

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 22 अंक 1, जनवरी-जून 2020
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

भारत में इन्टरनेट की लत, उसके प्रभाव और रोकथाम

❑ रमेश कुमार साहू
❖ डॉ. दिवाकर सिंह राजपूत

वर्तमान शताब्दी में इन्टरनेट कई लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है, जबकि ज़्यादातर लोगों को यह पता नहीं कि स्वयं इसकी दुनिया वास्तविक नहीं है। आज इसने अनेकों सुविधाओं के साथ अपराधों और उसके प्रकारों में भी अत्यधिक वृद्धि कर दी है, विशेषकर युवावर्ग में। मस्क, हेच और अलकेन एंड कैनबे ने इसके सन्दर्भ में कहा था कि यह दुनिया के इतिहास में सबसे तेजी से विकसित होने वाली इलेक्ट्रिक तकनीक है। अगर हम इसके लत को छोड़कर सिर्फ इन्टरनेट के प्रसार की बात करें, तो इन्टरनेट वर्ल्ड स्टेट्स के अनुसार 1989 से लेकर जून 2019 तक पूरी दूनियाँ में इसकी जनसँख्या 5,00,000 से बढ़कर 4.4 अरब तक पहुँच चुकी है यानि दुनियाँ की लगभग 57.5 प्रतिशत आबादी की पहुँच प्रत्यक्ष रूप से इन्टरनेट तक हो चुकी है। यदि इसकी वृद्धि दर की तरफ देखेंगे तो निश्चित रूप से यह तथ्य आश्चर्यचकित कर देगा, जो कि 2000-2019 तक 1,125 प्रतिशत दर्ज किया गया और जिसमे निरंतर वृद्धि हो रही है। आज भारत में 56 करोड़ भारतीय इन्टरनेट का उपयोग करते हैं यह कुल जनसँख्या का लगभग 41 प्रतिशत है एक दशक पहले तक यह लत भारत में अपने प्रारंभिक चरण में था, लेकिन पिछले 4 सालों में जब से देश में जिओ टेलिकॉम की सेवा प्रारंभ हुयी, देश की अधिकतर जनसँख्या फीचर फोन से निकलकर स्मार्टफोन का उपयोग करने लगी। इस दौरान जो फ्री डाटा सेवा शुरू हुयी, उसने देश के लोगों विशेषकर युवा वर्ग और छात्रों को लती बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज इसी का परिणाम है कि जून 2019 में स्वीडन की विश्वप्रसिद्ध टेलिकॉम कंपनी एरिक्सन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि दुनियाँ का सबसे सस्ता इन्टरनेट डाटा भारत में मिलता है और यहाँ प्रति यूजर 9.8 जीबी इन्टरनेट डाटा प्रति महीना है। भारत का प्रति व्यक्ति इंटरनेट की लत का मुद्दा कितना सामान्य है, इसका अनुमान लगाने के लिए सीमित संख्या में अध्ययन हैं। इसीलिए वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य के 10 विश्वविद्यालयों में किये जा रहे शोध अध्ययनों में इसी बात की पड़ताल की जा रही है तथा शोध साहित्य के माध्यम से इसे रोकने के निवारक उपाय एवं सुझावों पर भी चर्चा की गयी है।

आज की दुनिया में सूचना की सबसे बड़ी और सबसे अधिक संसाधन संपन्न अगर कोई चीज है तो वह है इन्टरनेट। वर्तमान शताब्दी में यह कई लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है, और इसके बिना अभी के विश्व की कल्पना भी नही की जा सकती, जबकि अधिकतर लोगों को यह पता नहीं कि स्वयं इसकी दुनिया वास्तविक नहीं है। विशेषकर युवावर्ग अपने रोजमर्रा की गतिविधियों जैसे कि पढ़ने, गृहकार्य, परियोजना कार्य, और मनोरंजन इत्यादि के लिए रोजाना ही इसका अप्रत्याशित उपयोग कर रहे हैं। हालाँकि कंप्यूटर के रूप में जानकारी को आकर्षित करने और विश्व के किसी भी कोने में बैठकर एक सक्रिय सदस्य के रूप में किसी से भी संवाद कराने में सक्षम होना ही इसके महत्व को अत्यधिक प्रभावशाली बनाता है, तब कहीं जाकर एक इंटरनेट समुदाय का निर्माण होता है। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि कंप्यूटर नेटवर्क परियोजना, अनुसंधान और नयी तकनीकों के खोज के उद्देश्य से विकसित की गई थी। इसकी शुरूआत अमेरिका में 1960 के दशक में महत्वपूर्ण रूप से रक्षा अभियानों के लिए की गयी थी, लेकिन अभी के परिपेक्ष्य में इसका प्रसार विश्व स्तर की सभी गतिविधियों जैसे अनुसंधान, शिक्षा, सामाजिक संचार, राजनीति, मनोरंजन और व्यापार के अलावा एक नए ही पहलू की ओर पहुंच गई है जो सभी लोगों को चिंतित करती है, वह है इन्टरनेट की लत। मस्क[1], हेच[2], और अलकेन एंड कैनबे[3] ने इसके सन्दर्भ में कहा था कि यह दुनिया के इतिहास में सबसे तेजी से विकसित होने वाली इलेक्ट्रिक तकनीक है।

1973 में अपने आरम्भ के बाद से इंटरनेट एक अप्रत्याशित दर से बढ़ा है। ब्लॉक[4] ने अपने अध्ययनों से ये बताया, कि 2000 के दशक में जितने भी अध्ययन हुए हैं उन सभी में दुनिया भर में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तेजी से वृद्धि के साथ एक खतरनाक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में इंटरनेट की लत भी विकसित हो चुकी है। अगर हम विशेष रूप से एशिया महाद्वीप के बारे में चर्चा करें तो किशोरों में इस लत के प्रचलन की दर यांग एवं तुंग[5] के अनुसार ताइवान में 13.8 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया में पार्क, किम, और चो[6] के अनुसार 10.7 प्रतिशत, हांगकांग में फू एवं अन्य[7] के अनुसार 6.7 प्रतिशत और काओ एवं सु[8] के अनुसार चीन में इसकी दर 2.4 प्रतिशत पाई गई। अगर यूरोप की बात करें तो दुर्की एवं अन्य[9] द्वारा 11 देशों में किए गए एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन में पाया गया कि

❑ शोध अध्येता, अपराधशास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विभाग, डॉ. हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
❖ प्रोफेसर, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, डॉ. हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाली इसकी लत बहुत तेजी से बढ़ रही है, इजरायल में यह 11.8 प्रतिशत और इटली में 1.2 प्रतिशत की दर पाई गई। भारत के सन्दर्भ में बात करें तो एक शहर, कॉलेज, विश्वविद्यालय के अलावा अभी तक किसी राज्य को लेकर या पूरे देश में कोई विस्तृत अध्ययन नही किया गया है। आज इंटरनेट एक बहुआयामी महत्व का माध्यम बन गया है जिसका लोग अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, जबकि यह सर्वविदित है कि किसी भी चीज का अधिकाधिक उपयोग हमें उसका लती बना देता है, जो कि बाद में व्यक्ति और समाज के लिए विभिन्न समस्याओं का कारण बनता है, जैसे कि मस्तिष्क तंत्रिका संबंधी जटिलता, मनोवैज्ञानिक अशांति, व्यावसायिक और सामाजिक पहलुओं जैसे कि दुरुपयोग, शोषण और आपराधिक व्यवहार। हालाँकि जब इसका अविष्कार किया गया तब इसे मनुष्य और मानवता के कल्याण के लिए सार्वभौमिक बनाने की परिकल्पना की गई थी, लेकिन जैसा आजतक होते आया है कि मानव ने विकास की जगह इन अविष्कारों का उपयोग विनाशक हथियार के रूप में ज्यादा किया है।

अगर हम इस शब्द और इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्टरनेट एडिक्शन शब्द का प्रयोग 1995 में गोल्डबर्ग[10] द्वारा अपने शोधपत्र में किया गया। अब इसे अनेक नामों से भी जाना जाने लगा है जैसे नेट एडिक्शन, ऑनलाइन एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, पैथोलॉजिकल इंटरनेट यूज, इन्टरनेट शोषण, साइबर डिसऑर्डर इत्यादि। देखा जाये तो इसका कोई एक बुनियादी और मानकीकृत विवरण नहीं है लेकिन सभी विद्वान इस बात से एकमत हैं कि इसके बुनियादी लक्षणों को पहचानकर इससे हो रही सामाजिक या शैक्षणिक क्षति को रोका जा सकता है। अगर हम इसके लत को छोड़कर सिर्फ इन्टरनेट के प्रसार की बात करें, तो इन्टरनेट वर्ल्ड स्टेट्स[11] के अनुसार 1989 से लेकर जून 2019 तक पूरी दुनियाँ में इसकी सँख्या 5,00,000 से बढ़कर 4.4 अरब तक पहुँच चुकी है, जबकि विश्व की जनसंख्या ही आज 7.7 अरब है यानि दुनियाँ की लगभग 57.5 प्रतिशत आबादी की पहुँच प्रत्यक्ष रूप से इन्टरनेट तक हो चुकी है। यदि इसकी वृद्धि दर की तरफ देखेंगे तो निश्चित रूप से यह तथ्य आश्चर्यचकित कर देगा, जो कि 2000-2019 तक 1,125 प्रतिशत दर्ज किया गया और जिसमे निरंतर वृद्धि हो रही है। इस मामले में अगर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसँख्या भारत की बात करें तो जून 2019 तक 56 करोड़ भारतीय इन्टरनेट का उपयोग करते हैं यह कुल जनसँख्या का लगभग 41 प्रतिशत है क्योंकि भारत की कुल जनसँख्या 135 करोड़ है। यहाँ की वृद्धि दर को इस तरह समझा जाना चाहिए की 2000 में इन्टरनेट उपयोगकर्ताओं की जनसँख्या सिर्फ 1.4 प्रतिशत थी, उसके बाद 10 करोड़ उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा छूने में इसे 11 वर्ष (यानि 2011) लग गए, जबकि 20 करोड़ का आंकड़ा 2014 में, 30 करोड़ का आंकड़ा 2015 में, 40 करोड़ का आंकड़ा 2016 में और 50 करोड़ इन्टरनेट उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा 2018 में पूरा हो गया। आज जून 2019 के अनुसार चीन की 82 करोड़ जनसँख्या के बाद, 56 करोड़ इन्टरनेट उपयोगकर्ता के साथ भारत विश्व में दूसरे नंबर पर विद्यमान है और 85 प्रतिशत वृद्धि के साथ यह प्रतिवर्ष बढ़ रहा है।

जब इंटरनेट उपयोग के उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित या सीमित किया जाता है तो गहरी चिंता, अकेलापन, अवसाद आदि महसूस होने के साथ-साथ सामाजिक या शैक्षिक नुकसान भी होता है। आज इंटरनेट एक विश्वव्यापी इकाई है जिसकी प्रकृति को आसानी से या केवल परिभाषित नहीं किया जा सकता है। कई लोगों के लिए इंटरनेट एक बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जो विभिन्न देशों में कई साइटों पर लाखों छोटे कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ता है। इंटरनेट एक बहुत सक्रिय जीवन वाला एक वैश्विक समुदाय है और इसके अंतरिक्ष प्रसार की भौगोलिक सीमा के बिना व्यक्तियों और कंप्यूटरों के बीच सहयोगात्मक बातचीत के लिए एक समृद्ध, बहुस्तरीय, जटिल और कभी बदलते पाठ के रूप में कल्पना की जा सकती है। देखा जाये तो पिछले एक दशक में इंटरनेट के दुरुपयोग के बारे में बहुत अधिक चिंता की गई है क्योंकि इंटरनेट से संबंधित अपराधों जैसे कि हत्या, आत्महत्या और बाल उपेक्षा के दावों ने दुनिया भर के मीडिया का ध्यान आकर्षित किया गया है।

इंटरनेट की लत के प्रभाव, परिणामों और उपचार के गहन शोध करने के लिये विश्वस्तर पर अनेकों अध्ययन किये गए हैं, लेकिन यह भी जानना उतना ही आवश्यक है कि इसका क्षेत्र असीमित है। इंटरनेट की लत का मतलब इंटरनेट का अनियंत्रित तरीके से उपयोग करना है जो व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक समस्याओं का कारण बनता है जैसे की जुआ खेलना। इंटरनेट की लत को एक आवेग-नियंत्रण समस्या के रूप में अवधारणाबद्ध किया जाता है जिसका उपचार सिर्फ दवाओं से नहीं किया जा सकता। एक दशक पहले तक यह लत भारत में अपने प्रारंभिक चरण में थी,

लेकिन पिछले 4 सालों में जब से देश में जिओ टेलिकॉम की सेवा प्रारंभ हुई, देश की अधिकतर जनसँख्या फीचर फोन से निकलकर स्मार्टफोन का उपयोग करने लगी। इस दौरान जो फ्री डाटा सेवा शुरू हुयी, उसने देश के अनेकों विशेषकर युवा वर्ग और छात्रों को लती बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज इसी का परिणाम है कि जून 2019 में स्वीडन की विश्वप्रसिद्ध टेलिकॉम कंपनी एरिक्सन[12] ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि दुनियाँ का सबसे सस्ता इन्टरनेट डाटा भारत में मिलता है और यहाँ प्रति यूजर 9.8 जीबी इन्टरनेट डाटा प्रति महीना है। भारत में इंटरनेट की लत का मुद्दा कितना सामान्य है, इसका अनुमान लगाने के लिए सीमित संख्या में अध्ययन हैं। इसीलिए वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य के 10 विश्वविद्यालयों में किये जा रहे शोध अध्ययनों में इसी बात की पड़ताल की जा रही है कि नई पीढ़ी विशेषकर छात्र व बच्चे किस तरह से इंटरनेट का उपयोग कर ज्ञान और संचार प्राप्त करते हैं और फिर अत्यधिक उपयोग कर उसी के लती बन जाते हैं। हालाँकि 2020 में रमेश कुमार साहू एवं अन्य[13] ने छोटे स्तर पर इसी राज्य के 10 विभिन्न संवर्ग वाले विश्विद्यालयों के छात्रों के बीच किये गए अध्ययन में 16 प्रतिशत प्रतिवादियों को गंभीर लती पाया, जबकि 76 प्रतिशत प्रतिदिन सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की जाँच करते हैं। इसी तरह 2015 में रमेश कुमार साहू एवं अन्य[14] दो राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले और मध्यप्रदेश के सागर जिले के बीच इन्टरनेट एडिक्शन के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन कर चुके हैं जिसमे लगभग 13 प्रतिशत प्रतिवादी एडिक्ट पाए गए थे।

इन्टरनेट लत के लक्षण : इंटरनेट की लत विकार के लक्षण शारीरिक और भावनात्मक दोनों अभिव्यक्तियों में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इस लत विकार के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों में शामिल हैं-

1. डिप्रेशन
2. अपराधबोध की भावना
3. चिंता
4. अलगाव
5. समय की कोई संवेदना नहीं
6. काम का टालना
7. पीठ दर्द
8. कार्पल टनल सिंड्रोम
9. सिर दर्द
10. अनिद्रा
11. खराब व्यक्तिगत स्वच्छता (जैसे ऑनलाइन रहने के कारण स्नान नहीं)
12. सुर्ख आंखें
13. वजन में कमी या नुकसान

साहित्य समीक्षा

इंटरनेट का क्षेत्र बहुत व्यापक है, फिर भी इसे सुलझाने और समझने के लिए विश्वभर में अनेकों वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन किये गए हैं। सबसे पहले 1996 में ब्रैडफोर्ड में पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय की किम्बर्ली एस. यंग[15] द्वारा किए गए इंटरनेट एडिक्शन पर किया गया अध्ययन सबसे व्यापक अनुभवजन्य अध्ययनों में से एक था। अपने अध्ययन में उन्होंने इंटरनेट एडिक्शन के दावे का समर्थन करने वाले ठोस सबूतों को उजागर किया। हालाँकि वेब एडिक्ट के लिए मदद उपलब्ध है और इंटरनेट की लत शब्द का उपयोग करके इंटरनेट दुरुपयोग की व्यवहार संबंधी समस्याओं का पता भी लगा सकते हैं, जो कि डीएसएम-चतुर्थ-टीआर[16] (अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन 2000) द्वारा इंटरनेट एडिक्शन के लिए नैदानिक मानदंड पर आधारित है। इसमें यंग 1996 ने 8 बिन्दुओं की चर्चा की है जिसकी मदद से एडिक्ट की पहचान की जा सकती है ताकि उसका निदान किया जा। वो बिंदु हैं 1. इन्टरनेट को वरीयता। 2. समय की मात्रा को ऑनलाइन ज्यादा खर्च करना। 3. बार-बार लेकिन इंटरनेट के उपयोग को कम करने का असफल प्रयास। 4. इंटरनेट के उपयोग में कमी कर देने से अचानक कोई पीड़ित लक्षण आ जाना। 5. समय प्रबंधन की समस्याएं। 6. स्कूल, परिवार, काम और दोस्तों से पर्यावरण संकट। 7. इंटरनेट के समय का धोखा, और 8. इंटरनेट उपयोग के माध्यम से मूड संशोधन।

भारत में इन्टरनेट बीमारी के रूप में अभी अपने प्रारंभिक स्तर पर है फिर भी 2013 में यादव एवं अन्य[17] ने अहमदाबाद में हाई स्कूल के छात्रों पर इंटरनेट की लत और अवसाद, चिंता और तनाव पर किये। अपने अध्ययन के बीच एक मजबूत सकारात्मक संबंध पाया। इसका परिणाम यह था कि 2007 से आईआईटी जैसे शैक्षणिक संस्थानों और प्रमुख विश्वविद्यालयों ने रात के घंटों के दौरान कैंपस में इंटरनेट के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि कुछ आत्महत्याओं को प्रचलित इसी असामाजिक व्यवहार से जुड़ा हुआ पाया गया जो अत्यधिक इंटरनेट को बढ़ावा देता

है।[18] हाल की रिपोर्टों ने संकेत दिया कि कुछ ऑनलाइन उपयोगकर्ता इंटरनेट के आदी हो रहे हैं उसी तरह जैसे लोग ड्रग्स या अल्कोहल के आदी हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी शैक्षणिक, सामाजिक और व्यावसायिक हानि होती है यही बात गोल्डबर्ग आई. ने भी 1996 में कही थी। कई लोग दावा करते हैं कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इंटरनेट का आदी है। एंडरसन[19] ने और वांग[20] ने में अपने शोध में बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के 15 प्रतिशत विश्वविद्यालय के छात्रों और 26 प्रतिशत ऑस्ट्रेलियाई छात्रों का दावा है कि वे जानते हैं कि कौन व्यक्ति इंटरनेट का आदी है। एक बड़े ऑनलाइन अध्ययन में लगभग 10 प्रतिशत वयस्क इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने स्वयं की इंटरनेट एडिक्ट्स के रूप में पहचान की, जबकि 31 प्रतिशत माइस्पेस उपयोगकर्ता और 42 प्रतिशत ऑनलाइन गेमर्स ने भी माना कि वे इंटरनेट एपिलीकेशन के आदी हैं।[21]

ली[22] ने 2005 में अपने अध्ययन में बताया कि हार्वर्ड यूनीवर्सिटी के मैकलीन हॉस्पिटल में कंप्यूटर एडिक्शन स्टडी के निदेशक मारेस्सा ऑर्जैक ने जब दुनिया की अग्रणी पत्रिका में से एक फोर्ब्स में साक्षात्कार दिया तो उन्होंने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि दुनियाँ के 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत युवा इन्टरनेट के पीड़ित हैं जो पूरी तरह वेब पर निर्भर हो चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और सीटीवाई ऑनलाइन के एक शोधकर्ता और वरिष्ठ निदेशक ने न्यूयॉर्क के एक बड़े विश्वविद्यालय जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ कार्यक्रम के अवसर पर अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नए लोगों के बीच ड्रॉपआउट दर नाटकीय रूप से कंप्यूटर और इन्टरनेट पर ज्यादा समय बिताने के कारण बढ़ी। बाद में प्रशासकों को यह भी पता चला कि 43 प्रतिशत ड्रॉपआउट होने वाले छात्र पूरी पूरी रात इंटरनेट पर बिताते रहे।[23]

शेक एवं अन्य[24] ने 2008 में हांगकांग में 6121 चीनी प्राथमिक और माध्यमिक छात्रों में इंटरनेट की लत के व्यवहार की जांच की और पाया कि उनके नमूने का पांचवां हिस्सा इंटरनेट आदी माना जा सकता है। इसी तरह 2010 में फू[7] और उनके सहयोगियों ने पाया कि हांगकांग के 6. 7 प्रतिशत किशोर इंटरनेट लत के पांच या अधिक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इन्ही सब विकारों के कारण इन्टरनेट की यह लत व्यक्ति में आत्महत्या के विचार और अवसादग्रस्तता के लक्षण को जन्म देती है जिसमें चीन की स्थिति भी काफी गंभीर है। हालाँकि ताइवान की स्थिति भी ऐसी ही है। लिन और त्साई[25] ने 2002 में यह पाया कि उनके ताइवान अध्ययन में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 11.8 प्रतिशत छात्र इंटरनेट पर आश्रित थे। सून वू[26] ने 2005 में ईरान में किए गए एक अध्ययन में पाया कि गंभीर इंटरनेट व्यसनों ने इसका उपयोग फिल्म, संगीत, कार्टून, कंप्यूटर गेम, सोशल साइट्स और चैट रूम जैसे गैर-जरूरी उपयोगों के लिए किया, जबकि सामान्य उपयोगकर्ता ने समाचार, घटनाओं, शैक्षिक और सार्वभौमिक साइटों के लिए। गोयल[27] 2012 में कहते हैं कि भारत में इंटरनेट का उपयोग बहुत अधिक है, विशेष रूप से युवा आबादी में।

जैसा कि इन अध्ययनों से ज्ञात होता है कि किस तरह वर्तमान समय में इन्टरनेट को उपयोगी से ज्यादा विलासी बना दिया गया है जिसका परिणाम वस्तुतः युवा विचारों पर ही नही अपितु समाज में रहने वाले सभी वर्गों को असामाजिक प्रवृति की ओर ले जायेगा जिससे समाज में अपराध और असामाजिक व्यवहार अत्यंत हावी हो जायेगा और समाज विभिन्न रिश्तों और परम्पराओं का ह्रास ही दिखेगा।

समस्या का पता लगाना : कई व्यसनों के साथ समस्या यह है कि यह बताना मुश्किल हो सकता है कि कब एक शौक सिर्फ इससे अधिक हो गया है, और आप पर पकड़ बना ली है। लक्षणों की सूची का सामना करते समय खुद के साथ ईमानदार होना भी मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसके समस्या का पता लगाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें

1. आप लोगों से ज्यादा कंप्यूटर के साथ अधिक समय बिताते हैं।
2. आप अपनी सीमाओं का पालन नहीं कर सकते।
3. अपने कंप्यूटर के उपयोग के बारे में दूसरों से झूठ बोलना।
4. कंप्यूटर/इंटरनेट के बिना रहने में असमर्थता महसूस करना।
5. आपके कंप्यूटर पर गुमराह करने वाला खर्च।
6. मनोरंजक उद्देश्यों के लिए शारीरिक, मानसिक क्रियाकलापों से ज्यादा कंप्यूटर का उपयोग।
7. अपनी प्रगति को ट्रैक करें।

नियंत्रण और इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग : यदि उपयोगकर्ता चाहें तो स्वयं के आन्तरिक मस्तिष्क विचारों से इन्टरनेट का उपयोग को सीमित या नियंत्रिक कर सकते हैं, जिसकी परिचर्चा निम्नानुसार है -

1. आत्म-अनुशासन - समय की एक निर्धारित मात्रा

निश्चित कर इन्टरनेट चलायें।

2. ध्यान देना - विभिन्न कार्यों के बीच स्थानांतरण करते समय ध्यान को भुनाना।
3. आत्मविश्वास- प्रत्येक 25 मिनट के बाद का समय विशेष घटना या कार्य पर केन्द्रित करें।
4. विचार करें - अपने विचार को एक बार में एक ही आवेदन तक सीमित करें।
5. समर्पण - लेखन के लिए एक व्याकुलता मुक्त वातावरण बनाएं।
6. ध्यान केंद्रित - आप समय बर्बाद करने वाली साइटों को ब्राउज करने में लगने वाले समय पर अंकुश लगाएं, या उन्हें तुरंत ब्लॉक कर दें।
7. अंतराल - अपने आप को एकाग्र रखने के लिए नियमित रूप से ब्रेक लेने की याद दिलाएं।

इन्टरनेट लत का आकलन : यह आकलन विधि 1998 में अमेरिका की किम्बर्ली एस. यंग[28] द्वारा 20 प्रश्नों वाले इन्टरनेट एडिक्शन टेस्ट प्रश्नावली के रूप में विकसित किया गया है, जिसके अनुसार कोई भी अनुसंधानकर्ता, प्रतिवादी से प्रश्नावली भरवाकर नीचे दिए गए मानकों से उसके प्राप्त अंको के आधार पर उसके लती होने या न होने की पहचान कर सकता है। मुख्य रूप से ये प्रश्नावली अंग्रेजी में प्रस्तुत की गयी थी, जिसे शोधकर्ता द्वारा अपने शोधप्रबंध सलाहकार समिति के समक्ष एवं परस्पर कड़ियों से गुजारते हुए हिंदी भाषा में रूपांतरित किया गया है, जिससे शोध में सम्मिलित हिंदी भाषी प्रतिवादियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और शोध की महत्ता बनी रहे।

इंटरनेट की लत परीक्षण संबंधी उपकरण	हमेशा	अक्सर	कभी-कभी	न के बराबर	कभी नहीं
क्या आप पाते हैं कि अपनी इच्छा से अधिक समय तक आप ऑनलाइन रहते हैं?	O	O	O	O	O
क्या आप ऑनलाइन ज्यादा समय बिताने के लिए घर के कार्यों की उपेक्षा करते हैं?	O	O	O	O	O
क्या आप अपने साथी के साथ अंतरंगता के लिए इंटरनेट की उत्तेजना पसंद करते हैं?	O	O	O	O	O
क्या आप साथी ऑनलाइन उपयोगर्ताओं के साथ नये संबंध बनाते हैं?	O	O	O	O	O
क्या आपके जीवन से जुड़े लोग आपके ऑनलाइन व्यतीत करने की मात्रा के बारे में आपसे शिकायत करते हैं?	O	O	O	O	O
आपके द्वारा ऑनलाइन व्यतीत किये जाने वाले समय के कारण क्या आपका काम प्रभावित होता है (जैसे-कार्यों को स्थगित करना, समयसीमा में पूरा नहीं करना इत्यादि)?	O	O	O	O	O
क्या आप कुछ और करने से पहले अपने मोबाइल/स्मार्टफोन की जाँच करते हैं?	O	O	O	O	O
क्या इंटरनेट से आपकी जॉब का प्रदर्शन या उत्पादकता प्रभावित होती है?	O	O	O	O	O
कया आप रक्षात्मक या गुप्त हो जाते हैं जब कोई भी आपसे पूछता है कि आप ऑनलाइन क्या करते हैं?	O	O	O	O	O
क्या आप इंटरनेट के सुखदायक विचारों के साथ अपने जीवन के परेशान करने वाले विचारों को रोकते हैं?	O	O	O	O	O
क्या आप खुद में अनुमान लगाते हैं कि आप फिर से ऑनलाइन कब होंगे?	O	O	O	O	O
क्या आपको डर है कि इंटरनेट के बिना आपका जीवन उबाऊ, खाली या आनंदहीन होगा?	O	O	O	O	O
यदि आप ऑनलाइन हैं तो क्या कोई आपको परेशान करता है, चिल्लाता है या आपसे नाराज होता है?	O	O	O	O	O
क्या आप रात तक इंटरनेट के उपयोग के कारण अपनी नींद खो देते हैं?	O	O	O	O	O
क्या आप आॅनलाइन नहीं होने पर इंटरनेट के साथ व्यस्त महसूस करते हैं या ऑनलाइन होने होने के बारे में कल्पना करते हैं?	O	O	O	O	O
जब आप ऑनलाइन होते हैं तो क्या खुद को "बस कुछ मिनट और...." कहते हुए पाते हैं?	O	O	O	O	O
क्या आप ऑनलाइन समय व्यतीत करने और असफल होने के समय में कटौती करने की कोशिश करते हैं?	O	O	O	O	O
क्या आप यह छुपाने की कोशिश करते हैं कि आप कितने समय से ऑनलाइन हैं?	O	O	O	O	O
क्या आप दूसरों के साथ समय व्यतीत करने के लिए ऑनलाइन अधिक समय तक बिताना चुनते हैं?	O	O	O	O	O
जब आप ऑनलाइन नहीं होते हैं तो क्या आप उदास, मुडी, या नर्वस महसूस करते हैं और क्या आप पुनः ऑनलाइन वापस जोने पर इन भावनाओं से बचे रहते हैं?	O	O	O	O	O

विश्लेषण

साहित्य में इसी तरह के अध्ययन अलग-अलग नमूनों, उपकरणों और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों का उपयोग करने के कारण उनकी दरों के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। विभिन्न देशों में किए गए उपलब्ध अनुसंधान की समीक्षा करने के बाद यंग, यू, और यिंग[33] ने निष्कर्ष निकाला कि इंटरनेट दुरुपयोग की व्यापकता आम तौर पर किशोरों के बीच 4.6 से 4.7 प्रतिशत तक, कॉलेज के छात्रों के बीच 13 प्रतिशत से 18.4 प्रतिशत तक और सामान्य जनसँख्या के बीच 6 से 15 प्रतिशत तक है। इस अध्ययन में पाया गया किशोरों की दर, सामान्य दर से थोड़ा कम है।

भारत ने हाल ही में इंटरनेट की 42.11 प्रतिशत संख्या में प्रवेश किया है जो कि ब्रुनेई (96.4 प्रतिशत), जापान (93. 3 प्रतिशत), दक्षिण कोरिया (92.6 प्रतिशत), ताइवान (87. 9 प्रतिशत), हांगकांग (87 प्रतिशत), सिंगापुर (83.6 प्रतिशत) जैसे उच्चीकृत डिजिटल देशों की तुलना में बहुत छोटी है। फिर भी भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश है। ऐप एनी[34] समूह के अनुसार, औसतन उपयोगकर्ताओं के साथ प्रत्येक भारतीय एक दिन में 3 घंटे के करीब समय इन्टरनेट पर खर्च करता है और औसतन उनके फोन पर 78 ऐप मौजूद होते हैं, जिनमें से वे 43 एप का उपयोग हर महीने करते हैं। साथ ही दुनियाँ में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप का इस्तेमाल और फेसबुक ऐप डाउनलोड भारतीयों ने ही किया। हाल ही के दो प्रमुख शोध सर्वेक्षणों से पता चला है कि किस तरह भारतीयों में, विशेष रूप से एशियाई महाद्वीपों में इन्टरनेट लत का स्तर दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। सबसे पहले इपसोस[35] द्वारा 2018 में 23 देशों के 18180 लोगों के बीच सर्वे किया गया ताकि इन्टरनेट के प्रति उनके सार्वजनिक रवैये का पता लगाया जा सके। इसका परिणाम हैरान कर देने वाला था कि इस अध्ययन में दो-तिहाई से अधिक लोगों ने कहा कि वे इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिसमे आश्चर्यजनक रूप से सबसे ज्यादा 82 प्रतिशत लोग भारतीय थे, जबकि ब्रिटेन 78 प्रतिशत, चीन 77 प्रतिशत, अमेरिका 73 प्रतिशत और जापानियों का अनुपात 62 प्रतिशत था। भारतीयों में इसका कारण था कि इंटरनेट से जुड़े स्मार्टफोन की बिक्री में वृद्धि और रिलायंस जिओ टेलीकॉम द्वारा दुनियाँ में सबसे कम कीमत में सस्ता डेटा उपलब्ध कराना। इसके अलावा, भारतीयों ने 2016 में अपने स्मार्टफोन में गूगल प्ले के माध्यम से 6.2 बिलियन से अधिक ऐप डाउनलोड किए।

दूसरा, टेलीनॉर ग्रुप द्वारा वर्सूट इन्टरनेट हैबिट्स[36] पर किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि 65 प्रतिशत भारतीयों ने स्वयं को इंटरनेट एडिक्ट होना स्वीकार किया है जबकि 33 प्रतिशत ने अत्यधिक सेल्फी लवर और 40 प्रतिशत ने यह भी माना कि देश में इन्टरनेट के द्वारा उपयोगकर्ता अफवाह फैलाते हैं। टेलीनॉर ग्रुप ने यह सर्वे चार दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया में किया। परिणाम से पता चलता है कि एशियाई महाद्वीप कई पहलुओं में एकीकृत है, लेकिन इसके अलावा अपने देश के सटीक मतभेदों में से केवल एक को दिखाता है। पिछले एक दशक में इंटरनेट दुरुपयोग एक बढ़ती चिंता बन गया है जिसने गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

निवारक उपाय और सुझाव : हाल ही में चीन सरकार ने अपने यहाँ बच्चों में बढ़ती इन्टरनेट की लत को देखते हुए अपनी राजधानी बीजिंग में एक एडिक्शन कैंप बनाया है जहाँ 40 से लेकर 300 लती बच्चों को रखकर किताबों, योगा और कुंगफू के जरिये उनका मानसिक और शारीरिक ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसी तरह के नए क्लीनिक दूसरे शहरों में भी खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही अक्टूबर 2019 में चीन की सरकार ने 18 साल तक के बच्चों के लिए पूरे देश में गेमिंग कर्फ़्यू लगा दिया है जिसके अंतर्गत अब कोई भी 90 मिनट से ज्यादा इन्टरनेट का उपयोग कर गेम नही खेल पायेगा, क्योंकि उसका एक्सेस सिर्फ फोन नंबर, वीचैट अकाउंट के द्वारा ही किया जा सकता है। यह एक्सेस उसी तरह है जैसे भारत में सभी के लिए आधार। और यदि कोई इसका नियम तोड़ेगा तो उसे जुर्माने के साथ साथ सजा भी दी जाएगी।[29]

जर्मनी में उन बच्चों की मदद करने के लिए एक शिविर स्थापित किया गया था जो इंटरनेट के आदी थे- मूरे[30]। मीडिया के प्रचार के रूप में इन दावों को खारिज करना आकर्षक है, लेकिन चिकित्सकों ने इंटरनेट से संबंधित समस्याओं की भी रिपोर्ट की है और कई देशों में इन समस्याओं के इलाज के लिए विशेष रूप से क्लीनिक स्थापित किए हैं। दक्षिण कोरियाई सरकार ने इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकने और इंटरनेट की लत को कम करने के लिए ''इंटरनेट एडिक्शन एंड काउंसलिंग'' सेंटर की स्थापना की है- इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन[31], और इंटरनेट एडिक्ट्स के इलाज के लिए उपचार केंद्रों की संख्या को 40 से बढ़ाकर 100 करने की योजना है। भारत में इन्टरनेट लत से पीड़ित इस तरह के उपचार के लिए एकमात्र अधिकारिक संस्थान कर्नाटक राज्य के बैंगलोर में स्थित नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड

न्यूरो साइंसेज निमहांस[32] है, जिसे 2014 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर शट क्लिनिक यानि सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से लतियों का उपचार किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में अनेकों निजी उपचार केंद्र भी खोले जा चुके हैं जो इन्टरनेट के लत से पीड़ितों का उपचार करते हैं। नीचे कुछ उपाय दिए गए हैं जिससे किसी व्यक्ति को इन्टरनेट की लत लग जाने के बाद या लगने से पहले सुधारा जा सकता है -

1. माता-पिता को बच्चों के साथ अपना खाली समय बिताना चाहिए, और इंटरनेट के उपयोग को सीमाओं में बाँधकर रखना चाहिए।
2. परिवारों को सप्ताह में एक बार अपने घर से बाहर ले जाना चाहिए, यह उन्हें इंटरनेट के दुरुपयोग व लत से बचने में मदद करेगा।
3. इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को टाइम जोन की निगरानी में रखा जाना चाहिए।
4. सभी वाणिज्यिक वेब-केंद्रों को न्यूनतम और अधिकतम समय तक इन्टरनेट उपयोग सीमित रखना चाहिए।
5. संस्थानों को अनधिकृत वेबसाइटों को साझा करने और अवांछित मैसेज का जवाब सोशल मीडिया न देने के लिए छात्रों को शिक्षित करना चाहिए।
6. शारीरिक गतिविधियों के कार्यक्रमों को सामुदायिक स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैसे- योग, खेल, तैराकी आदि

निष्कर्ष : इन्टरनेट लत का अध्ययन अभी भी इसकी शुरुआत में है, हालांकि पिछले एक दशक में इस विषय में रुचि बढ़ी है जिसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों के डेटा डाले गए हैं। यह स्पष्ट है कि इन्टरनेट लत जीवन गतिविधियों की एक सीमा में शिथिलता की ओर जाता है, जैसे समय प्रबंधन, सामाजिक संबंध, कार्य कर्तव्यों, और यहां तक कि जैविक डोमेन को भी प्रभावित कर सकता है। इन्टरनेट लत के संबंध में ज्ञान में वृद्धि के बावजूद इस बात पर कोई सहमति नहीं बन पाई है कि इन्टरनेट लत एक अद्वितीय नैदानिक इकाई है या केवल एक अंतर्निहित विकार। समस्याग्रस्त इंटरनेट का उपयोग जो बेकाबू है और नुकसानदायक है, वह एक बढ़ती हुयी चिंता का विषय है। कई अध्ययन और कई महत्वपूर्ण मीडिया रिपोर्ट किशोरों और युवा वयस्कों में अवसाद, अनिद्रा, चिंता, आलस्यपन, अकेलापन, उत्तेजित दवाओं और शराब का उपयोग जैसे नकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों और इंटरनेट के अति प्रयोग के बीच संभावित सम्बन्ध के बारे में बताते रहते हैं और इसके उपयोग ने वर्तमान परिदृश्य के आधार पर निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक, वित्तीय और व्यावसायिक जीवन को बाधित कर दिया है।

इंटरनेट की लत को ''मानसिक बीमारी'' कहा जा सकता है। ऑनलाइन गेम खेलने से खाली समय के दौरान लोगों को खुश किया जा सकता है। लोग इंटरनेट के उपयोग से दोस्तों के बीच संबंध भी बढ़ा सकते हैं और लोग बैंकिंग, खरीदारी और अन्य ऑनलाइन गतिविधियों की अनुमति देकर जीवन को आसान बना सकते हैं। यह संगीत और फिल्मों के माध्यम से मनोरंजन भी प्रदान करता है। लेकिन कुछ भी करने के लिए संयम की जरूरत होती है अन्यथा यह लोगों के लिए बुरा होगा। जैसे-जैसे तकनीक अपनी वर्तमान गति से बढ़ती जा रही है, वेब पर नए एप्लिकेशन उपलब्ध होते जा रहे हैं। इंटरनेट की लत को स्वीकार करने में विफलता इसके मौन और इसके स्थानिक प्रसार को और बढ़ाएगी, जिससे लाखों लोग विशेषकर बच्चे और युवा प्रभावित होंगे। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को इंटरनेट की लत के स्पेक्ट्रम के बारे में पता होना चाहिए, और उन्हें निवारक, नैदानिक और उपचार रणनीतियों के कार्यान्वयन की दिशा में काम करना चाहिए।

References

1. Musch, J. 'Die geschichte des netzes: Einhistorischerabriß'. See Batinic, 2000, 15-37.
2. Hecht, B., Hering, S., & Jerusalem, M. Geschlechtsspezifischeaspekte der internetsucht. Gender specific aspects of internet addiction). Online: http://psilab. educat. huberlin. de/ssi/publikationen, 2001
3. Alkan, M., & Canbay, C. 'Internet Alan Adlar' Yönetimi, Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 2009
4. Block, J. J. 'Issues for DSM-V: Internet Addiction'. American Journal of Psychiatry, 165, 2008, pp. 306-307.
5. Yang, S. C., & Tung, C. J. 'Comparison of Internet addicts and non-addicts in Taiwanese high school'. Computers in Human Behavior, 23(1), 2007, pp. 79-96.
6. Park, S. K., Kim, J. Y., & Cho, C. B. 'Prevalence of Internet addiction and correlations with family factors among South Korean adolescents'. Adolescence, 43, 2008, pp. 895-909.

7. Fu, K. W., Chan, W. S., Wong, P. W., & Yip, P. S. 'Internet addiction: Prevalence, discriminant validity and correlates among adolescents in Hong Kong'. The British Journal of Psychiatry, 196, 2010, pp. 486-492.
8. Cao, F., & Su, L. 'Internet addiction among Chinese adolescents: Prevalence and psychological features'. Child: Care, Health and Development, 33, 2007, pp. 275-281.
9. Durkee, T., Kaess, M., Carli, V., Parzer, P., Wasserman, C., Floderus, B., . . . Wasserman, D. 'Prevalence of pathological Internet use among adolescents in Europe: Demographic and social factors'. Addiction, 107, 2012, pp. 2210-2222.
10. Goldberg, I. 'Internet addiction disorder'. Retrieved November, 24, 1995, pp. 2004.
11. Internet World Stats, 2020: Retrieved February 2020 from https://www.internetwor ldstats.com/stats3.htm #asia.
12. Ericson Annual Report 2019: Retrieved 2019 from https://www.livemint.com/indust ry/telecom/india-s-data-usage-per-smartphone-highest-in-world-at-9-8gb-per-month-report-1560936943979.html
13. Sahu, R. K., & Rajput, D. S. 'Study on Internet Addiction and their impacts among higher educational students in Raipur & Bilaspur District of Chhattisgarh. Journal of Engineering Sciences'. Vol. 11, Issue 4, April 2020, ISSN 0377-9254, pp. 1124-1135. https://jespublication.com/upload/2020-1104154.pdf. DOI:10.15433.JES.2020.V11I04.43P.154
14. Sahu R. K., Karna S. M., Rajput D. S. 'Internet Addiction: A comparative study among children in the State of Madhya Pradesh and Chhattisgarh'. International Journal of Research and Analytical Reviews. Vol. 5, Issue 4, Oct.-Dec. 2018, E ISSN 2348 -1269, ISSN 2349-5138, pp. 950u-957u. http://doi.one/10.1729/Journal.19026.
15. Young, K. S. 'Psychology of computer use: XL. Addictive use of the Internet: a case that breaks the stereotype'. Psychological reports, 79(3), 1996, pp. 899-902.
16. American Psychiatric Association. 'Diagnostic and statistical manual of mental disorders' (4th ed., text revision ed). Washington, DC: Author, 2000
17. Yadav P., Banwari G., Parmar C., Maniar R. 'Internet addiction and its correlates among high school students: A preliminary study from Ahmedabad, India',Asian Journal of Psychiatry, December 2013, Volume 6, Issue 6, pp. 500-505 .
18. Swaminath, G. 'Internet addiction disorder: fact or fad? Nosing into nosology. Indian journal of Psychiatry, 50(3), 2008, p. 158.
19. Anderson, K. (1999). Internet dependency among college students: Should we be concerned? Paper presented at the 107th annual convention of the American Psychological Association, Boston, MA. Retrieved February 21, 2000, from http://www.rpi.edu/anderk4/research.html.
20. Wang, W. 'Internet dependency and psychosocial maturity among college students'. International Journal of Human-Computer Studies, 55, 2001, pp. 919-938.
21. Cooper, A., Putman, D., Planchon, L.,&Boies, S. 'Online sexual compulsivity: Getting tangled in the net'. Sexual Addiction and Compulsivity, 7, 1999 pp. 5-30.
22. Lee, K. et al. 'Emerging consumer issues and remedies in changing consumer environment'. BK21 Project Team Report.Seoul National University, 2001
23. Wallace, P. 'The Psychology of the Internet, paperback edn', Cambridge: Cambridge University Press, 2001
24. Shek D. T. L., Tang V. M. Y. and Lo C. Y., "Internet addiction in Chinese adolescents in Hong Kong: assessment, profiles, and psychosocial correlates," TheScientificWorldJournal, vol. 8, pp. 776-787, 2008.
25. Lin, S., & Tsai, C. C. 'Sensation seeking and internet dependence of Taiwanese high school adolescents'. Computers in Human Behavior, 18, 2002, pp. 411-426.
26. Sunwoo K, Rando K. A study of internet addiction: Status Causes and remedies. J Korean Home Econ Assoc 2002;3:1-19.
27. Goel, D., Subramanyam, A., &Kamath, R. 'A study on the prevalence of internet addiction and its association with psychopathology in Indian adolescents'. Indian Journal of Psychiatry, 55(2), 2013, pp. 140.
28. Young, K. 'Caught in the net,: How to recognize the signs of internet addiction and a winning strategy for recovery'. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1998
29. Javier C. Hernández and Albee Zhang, 2019: Retrieved December 2019 from https://www.nytimes.com/2019/11/06/business/china-video-game-ban-young.html
30. Moore, T. (2003, August 5). Camp aims to beat web addiction. BBC News. Retrieved January 8, 2007, from http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3125475.stm.
31. International Telecommunication Union. (2003, January 24). Korean Center for Internet Addiction and Counselling. ITU Strategy and Policy Unit Newslog. Retrieved November 3, 2006, from http://www.itu.int/osg/spu/newslog/Korean+Center+For+Internet+Addiction+Prevention+And+ Counselling.aspx.
32. NIMHANS, 2014: Retrieved 2019 from https://timesofindia.indiatimes.com/home/sunda y-times/deep-focus/Helping-web-junkies-log-out-Indias-first-net-de-addiction-centre/artic leshow/36986878.cms.
33. Young, K. S., Yue, X. D., & Ying, L. (2011). Prevalence estimates and etiologic models of Internet addiction. In K. S. Young & C. N. de Abreu (Eds.), Internet addiction: A handbook and guide to evaluation and treatment (pp. 3-18). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
34. App Annie Report 2018: Retrieved 2019 from https://economictimes.indiatimes.com/ma gazines/panache/indians-spend-roughly-3-hours-a-day-on-smartphones-but-are-they-paying-big-bucks-for-apps/articleshow/62866875.cms?from=mdr.
35. IPSOS Live without internet survey https://www.ipsosglobaltrends.com/life-without-the-internet/ 07.07.2018 13:47PM
36. Worst Internet Habits (2015): https://indianexpress.com/article/technology/social/five-most-annoying-internet-habits-in-india/ Access on 11.06.2018.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 22 अंक 1, जनवरी–जून 2020
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

भारतीय परिद्रश्य में अनुसूचित जाति की बदलती प्रस्थिति एवं सामाजिक गतिशीलताः उत्तर प्रदेश के पासी समुदाय का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

❑ निशी यादव
❖ डॉ. आशीष सक्सेना

अनुसूचित जाति से जुड़े हुए विभिन्न संगठनों एवं संस्थानों की असामान्य कार्य प्रणाली, सामाजिक आर्थिक स्थिति में असमानताएं और सामाजिक विविधता एक विचारणीय विषय रहा है। संवैधानिक स्तर पर इनके उत्थान के लिए विभिन्न प्रावधान बनाये गये हैं जिससे कुछ समूहों के बीच सामाजिक गतिशीलता के साथ राजनैतिक चेतना में वृद्धि हुई है। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण के इस दौर में संरचनात्मक असमानताए कम हुई हैं, क्या गुणात्मक शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हैं तथा उनके जीवन शैली में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी नीतियाँ, शिक्षा, व्यवसाय में संबंधों के आधार पर सामाजिक एवं व्यावसायिक गतिशीलता है या स्थिर हैं आदि कुछ प्रश्नों के उत्तर महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि अनुसूचित जातियों के अंतर्गत कई उपजातियां हैं जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं अतः सभी क्षेत्रों में अवसरों की समानता को सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। प्रस्तुत पत्र में 2001 एवं 2011 के जनगणना आँकड़ों का उपयोग करते हुए कुल अनुसूचित जातियों से पासी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

अनुसूचित जातियाँ, गैर अनुसूचित जातियों की तुलना में भारतीय समाज का अधिक कमजोर वर्ग हैं। इन जाति समूहों के मध्य भूमि अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अंतर, धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष विचारधारा आदि, असामनता का मूल आधार है।[1] साथ ही संरचनात्मक विभेद से उत्पन्न असंतुलन जो कल्याणकारी नीतियों के असमान वितरण का परिणाम है, ने भी अहम भूमिका निभाई है।[2] शुद्धता एवं अशुद्धता से जुड़ी धारणायें भी इन्हें नई व्यावसायिक गतिविधियों कों प्रारम्भ करने से रोकती हैं।[3] अतः सामाजिक आर्थिक पृष्टभूमि मजबूत न होने के कारण शैक्षिक प्रतिनिधित्व कम है।[4] और शिक्षा के उच्च स्तर पर भी यही स्थिति विधमान है।[5] अनुसूचित जातियां पिछड़े हुए होने कारण उच्च जातियों द्वारा भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से शोषण का शिकार होती रही हैं।[6] इनके प्रति देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले भेदभाव, हिंसा एवं शोषण के स्वरूप, समय समय पर विद्वानों द्वारा अध्ययन का केंद्र रहे हैं।[7,8,9] इन सामाजिक समस्याओं का निवारण ही हमेशा से इनके उत्थान एवं विकास के लिए प्रमुख विषय रहा है। समय के साथ इन समस्याओं के स्वरूपों में बदलाव हुए हैं परन्तु समस्याएं पूर्णरूप से समाप्त होती नजर नही आ रही हैं।

अनुसूचित जातियां हमारे देश की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जिनका महत्व परंपरा और सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ है। देश में अनुसूचित जाति की कुल आबादी की अधिकांश एकाग्रता पंजाब (31.94 प्रतिशत), इसके बाद पश्चिम बंगाल (23.51 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश (20.70 प्रतिशत), तमिलनाडु (20.01 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (16.41 प्रतिशत), बिहार (15.91 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (15.62 प्रतिशत) और शेष राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों में से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो 87.7 प्रतिशत हैं। अनुसूचित जाति 66 विभिन्न कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त उप-जातियों में विभाजित हैं। इनमें मुख्यतः चमार, पासी, धोबी, डोम, धरिकार, खटीक, मुसहर, और नट आदि हैं। अनुसूचित जाति के बीच भिन्नता सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक आधार पर विद्यमान है। इन 66 उप जातियों में से चमार सर्वाधिक संख्या में (19,803,106) हैं, जो 56.3 प्रतिशत है, और पासी दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है अर्थात अनुसूचित जाति की कुल आबादी का 15.9 प्रतिशत (5,597,002 व्यक्तियों) है।[10]

❑ शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज (उ.प्र.)
❖ विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज (उ.प्र.)

चमार विशेष रूप से उत्तरी भारत में शिक्षित, सशक्त और राजनीतिक रूप से जागरूक समूह हैं।[11,12] क्योंकि प्रारम्भ से ही ये सामाजिक गतिशीलता के लिए प्रयासरत रहे हैं।[13] चमारों के अतिरिक्त बाल्मीकि, रामदासिया, आदि द्रविण जैसे अन्य समुदायों ने भी अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाया है।[14] जो वर्तमान समय में अनुसूचित जाति के बीच एक कुलीन समूह के रूप में उभर रहे हैं, जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। विकास और पहचान निर्माण की दौड़ में अनुसूचित जाति के अन्य समुदाय अभी भी काफी पिछड़े हैं। क्योंकि उच्च संख्यात्मक शक्ति होने के बावजूद जातिगत विषमता एवं भेदभावपूर्ण सामाजिक संरचना से पीड़ित हैं जिस कारणवश सामाजिक गतिशीलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं।[15] उन्हीं में से एक पासी हैं, जो दूसरे सबसे बड़ा अछूत समुदाय हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान पासी को एक आपराधिक जनजाति माना जाता था, जो चोर, लुटेरे थे।[16] 1952 में जब औपनिवेशिक आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1924 को संसद में निरस्त किया गया, तब पासी को अनुसूचित जाति के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। आपराधिक जनजाति का कलंक हटने के बाद इनके लिए सरकारी नीतियों से लाभान्वित होने के लिए मार्ग प्रशस्त हुए ।

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति या कहें सुरक्षात्मक भेदभाव की नीति को लागू किया गया, जिससे सार्वजानिक एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, शिक्षा का सामान अधिकार, संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों का निर्धारण तथा हितों की रक्षा करना और देश में विभिन्न अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास को सुगम बनाया जा सके। अब तक के अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि शिक्षा में आरक्षण, सरकारी विभागों में रोजगार और संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के कई प्रावधानों से अनुसूचित जातियों तथा उच्च जातियों के मध्य अंतर कम हुआ है, परन्तु इससे संबंधित लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या कम है। जिन व्यक्तियों को इनका लाभ मिला है वह निश्चित ही सामाजिक आर्थिक रूप से सबल एवं सामान्य रूप से अनुसूचित जाति के जनमानस और विशेष रूप से अपनी परम्परागत स्थिति की तुलना में गतिशील हुए समूह हैं जो अब एक संपन्न वर्ग के रूप में हैं। इस प्रकार के वर्गों ने न केवल जाति बल्कि वर्ग पदानुक्रम दोनों में अपनी स्थिति को सुनिश्चित किया है। इस प्रकार की गतिशीलता एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता ही कहीं न कहीं आज अनुसूचित जातियों के मध्य संघर्ष का कारण बन गई है।[17]

पासी समुदाय आरक्षण, दलित संगठन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सहायता से क्षैतिज गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं। परन्तु आज की इस बहुआयामी एवं तेजी से परिवर्तनशील संस्कृति तथा विभेदीकृत समाज में उनकी सामाजिक गतिशीलता का स्वभाव और स्तर अधिक स्पष्ट परिलक्षित नहीं है, क्योंकि अधिकांश पासी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं जहाँ विभिन्न कारक उनके विकास के लिए बाधक बन जाते हैं जैसे छुआछूत और उचित शिक्षा प्राप्त करने एवं विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को अपनाने के लिए न्यूनतम अवसर, जो समाज में किसी व्यक्ति और समूह की गतिशीलता और सामाजिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। अतः प्रस्तुत पत्र का प्रमुख उद्देश्य कुल अनुसूचित जाति से पासी समुदाय का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना है।

पासी समुदाय की नृवंश रूपरेखा (Ethnographic Profile of Pasi Community) : अनुसूचित जाति एक समरूप समूह नही है अन्य अनुसूचित जातियों की तरह पासी भी ऐसा समुदाय है जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार पर भिन्न होने के साथ देश के विभिन्न राज्यों में पाए जाते हैं।

जनसँख्या सांख्यिकी : भारत के विभिन्न राज्यों में पासी समुदाय का भौगोलिक वितरण इस प्रकार है :-

सारणी 1

राज्य	अनुसूचित जाति	पासी
उत्तर प्रदेश	41,357,608	6,522,166
बिहार	16,567,325	880,738
झारखण्ड	3,985,644	72,357
दिल्ली	2,812,302	59,400
मध्य प्रदेश	11,342,320	51,582
हरियाणा	5,113,615	51,350
पंजाब	8,860,179	39,111
पश्चिम बंगाल	21,463,270	29,491
महाराष्ट्र	13,275,898	24,664
चंडीगढ़	199,086	21,063
उत्तराखंड	1,892,516	19432
राजस्थान	12,221,593	4,025
गुजरात	4,074,447	4,007

हिमाचल प्रदेश	1,729,252	1,496
उड़ीसा	7,188,463	426

स्रोतः भारत की जनगणना 2011 (नोटः अन्य राज्यों में पासी की जनसंख्या लगभग शून्य एवं आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण दर्शाया नही गया)

मुख्य रूप से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब और केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली और चंडीगढ़ में केंद्रित हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में पासी की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है जहां उनकी आबादी 6,522,166 दर्ज की गई (सारणी 1)। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग पहाड़ी और दक्षिण बुंदेलखंड तथा आगरा संभाग में उनकी संख्या लगभग न के बराबर है। उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, एवं लखनऊ और इलाहाबाद जिले में अन्य जाति की तुलना में अनुसूचित जाति और इनमे पासी की सबसे अधिक संख्या केंद्रित है।

नृवंशविज्ञान सम्बन्धी इतिहास : अन्य अनुसूचित जातियों की भांति पासी का भी अपना इतिहास रहा है, इनकी उत्पत्ति एवं नाम के सन्दर्भ में कई भ्रान्तियां रही हैं। प्रसिद्ध नृवंशविज्ञानशास्त्री Crooke[18] ने पासी को द्रविड़ जनजाति कहा है एवं पासी शब्द की उत्पत्ति के लिए पशिका एवं ताडमाली दो शब्दों का उपयोग किया है। ताडमाली जो कि 27 जुलाई 1977 को जारी संशोधन में पासी के साथ जोड़ा गया था। चूंकि पासी अनादिकाल से भारत में निवास करने वाले मूल समुदायों में से एक हैं[19,20], इसलिए पासी में उप जातियों की संख्या के बारे में भारतीय नृवंशविज्ञान के विभिन्न विद्वानों के बीच मतभेद हैं। पासी मुख्य रूप से उत्तर भारतीय राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जहां मांगता पासी एवं राज पासी जैसे सात उपसमूह हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग पासी की 305 उपजातियाँ पाई जाती हैं जिसके सन्दर्भ में क्रूक ने बात की है। इनमें प्रमुखतः राजपासी, गुज्जर, ताडमाली, बोरिया, बौरासी, कैथवास, बहेलिया, पाशुरी, अहेरिया आदि हैं। नागपुर में केवल तीन, बौरासी, कैथवास और गुजर उप समूह पाए जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से पलायन कर चुके हैं।[21] बौरासी पासी को स्थानीय रूप से बहोरिया कहा जाता है और अन्य की तुलना में इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति उच्च है। ये उप समूह कई कुलों (clan) में विभाजित हैं जिनमें विवाह संबंधो के लिए अतंर्विवाह (Endogamy) और वहिर्विवाह (Exogamy) का पालन किया जाता है। पासी जिन समुदायों को अपने से निम्न समझते हैं उनके यहाँ पानी एवं कच्चा भोजन नही ग्रहण करते। कुछ विशेष अवसरों पर अपने से उच्च जातियों के यहाँ स्वीकार करते हैं। परन्तु सार्वजनिक स्रोतों को सामान्य रूप से साझा करते है तथा धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेते हैं। इनका कोई परिवारिक या कुल देवता नही है इसलिए परसुराम को अपने सामुदायिक देवता के रूप में पूजते हैं क्योंकि ये अपनी उत्पत्ति परसुराम से मानते हैं।

इनका पारंपरिक व्यवसाय सुअर पालन माना गया है।[22] लेकिन भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा संकलित ''द पीपल ऑफ इंडिया'' उन्हें छोटे किसानों का समुदाय बताता है जिनकी संख्या बहुत कम थीं, उनमें से अधिकांश कृषि श्रमिक के रूप में काम करते थे।[23] इसके अतिरिक्त वे कई राज्यों में अलग-अलग व्यवसायों में लगे हुए हैं और अलग-अलग नामों से भी जाने जाते हैं जैसे उड़ीसा में चोमर, उत्तर प्रदेश के ताडमाली आदि। बिहार एवं उत्तर प्रदेश में पासी समुदाय का एक बड़ा भाग कृषि तथा कुछ भाग घरेलू उधोग और अन्य व्यवसायों में संलग्न है। लोग आजीविका की तलाश में शहरों में पलायन कर रहे हैं वे चौकीदारी एवं असंगठित क्षेत्रों में शारीरिक श्रम करते हैं।[24] कुछ जो शिक्षित हैं उन्होंने शिक्षक, व्यवसायी, प्रशासनिक और रक्षा कर्मियों के रूप में समाज में एक अच्छी स्थिति हासिल की हैं तथा अपने अंतरसामुदायिक संबंधों को मजबूत किया है। के.एस. सिंह[25] ने अपनी पुस्तक "The Scheduled Castes" में उल्लेख किया है कि वास्तव में इन लोगों की बहुल पहचान मुख्य रूप से विखंडन और संलयन की प्रक्रियाओं के कारण है ।

पासी समुदाय की सामाजिक आर्थिक गतिशीलताः पासी समुदाय की सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के कारक के रूप में शैक्षिक स्तर और व्यवसाय के स्वरुप (Occupation pattern) का उपयोग किया है। जिसको आधार बनाते हुए कुल अनुसूचित जातियों में पासी समुदाय का तुलनात्मक अध्ययन सारणी संख्या 2,4 एवं अन्य चार उप जातियां जो उत्तर प्रदेश में संख्यात्मक रूप से प्रबल हैं के मध्य अन्तर को सारणी 3 और 5 में प्रस्तुत इन संकेतकों के आधार पर दर्शाया गया है। प्रस्तुत आंकड़े 2001, व 2011 जनगणना से लिए गये हैं।[26]

(1) आर्थिक गतिशीलता

1. अनुसूचित जातियों एवं पासी समुदाय की

आर्थिक स्थिति : एक तुलना

सारणी 2

उत्तर प्रदेश में चार आर्थिक श्रेणियों के अंतर्गत श्रमिकों का वितरण (प्रतिशत में)

आर्थिक श्रेणी	कुल अनुसूचित जाति		पासी	
	2001	2011	2001	2011
कुल श्रमिक	12,194,790 (34.6%)	14,246,352 (34.4%)	2,035,921 (36.3%)	2,323,906 (35.6%)
काश्तकार	3,771,512 (30.9%)	2,817,800 (19.7%)	871,186 (42.8%)	646,451 (27.8%)
कृषि मजदूर	5,184,428 (42.5%)	6,698,706 (47.0%)	879,266 (43.2%)	1,177,690 (50.6%)
घरेलू कामगार	530,421 (4.3%)	585,054 (4.1%)	48,519 (2.4%)	68,035 (3.0%)
अन्य कामगार	2,708,429 (22.2%)	4,144,792 (29.0%)	236,950 (11.6%)	431,730 (18.5%)

Source: A-10: State primary census abstract for individual scheduled caste 2001&2011

कृषि में संलग्न अनुसूचित जातियों में किसी की भी आर्थिक स्थिति एक दूसरे से अधिक भिन्न नहीं हैं। अनुसूचित जाति के अधिकांश सदस्यों द्वारा कृषि मजदूरों के रूप में काम करने की संभावना अधिक है (सारणी 2)। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में, अनुसूचित जाति कुल भूमिहीन श्रम बल का लगभग 47 प्रतिशत योगदान देते हैं, जो कृषकों की आबादी का केवल 18 प्रतिशत है, हालांकि ये दोनों अनुपात महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भिन्नता के अधीन हैं।[27]

कुल अनुसूचित जातियों के तुलनात्मक विश्लेषण से ज्ञात होता है वर्ष 2001 और 2011 में कुल श्रमिकों में से कृषि मजदूरों एवं घरेलू कामगारों में अधिक अंतर नही आया है जबकि काश्तकारों का प्रतिशत जो 2001 में 30.9 प्रतिशत था वह घट कर 19.7 प्रतिशत (2011 में) हो गया था क्योंकि अधिकांश लोग अब अन्य व्यवसायों में संलग्न हो रहे हैं जैसा कि इनका प्रतिशत, वर्ष 2001 (22.2) की तुलना में 2011(29.0) में बढ़ गया है। यदि हम कुल अनुसूचित जातियों में पासी समुदाय की आर्थिक श्रेणियों में संलग्नता की तुलना करें तो यह पाया गया कि कुल अनुसूचित जाति के काश्तकारों का (30.9) केवल 42.8 प्रतिशत ही साझा करते हैं (2001 में)। वर्ष 2011 में यह प्रतिशत और भी कम हो गया है क्योंकि कहीं न कहीं कृषि मजदूरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं कुल अनुसूचित जातियों के अन्य कामगारों का 22.2 प्रतिशत में से सिर्फ 11.6 प्रतिशत 2001 में एवं 29.0 में से 18 5 प्रतिशत 2011 में साझा करते हैं। अर्थात पासी समुदाय का कुछ भाग कृषि एवं अपने परम्परागत व्यवसायों को छोड़ कर गैर कृषि कार्यो की ओर उन्मुख हो रहा है।

2 अनुसूचित जातियों के मध्य पासी समुदाय की आर्थिक स्थिति

सारणी 3

अनुसूचित जातियों के मध्य आर्थिक श्रेणी के अंतर्गत श्रमिकों का वितरण (प्रतिशत में)

उप समूह	आर्थिक श्रेणी									
	कुल श्रमिक		काश्तकार		कृषि मजदूरी		घरेलू कामगार		अन्य कामगार	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
चमार	34.23	33.94	29.62	19.05	44.52	47.7	3.43	3.44	22.33	29.70
पासी	36.37	35.69	42.79	27.81	43.18	50.67	2.38	2.9	11.69	18.57
धोबी	33.23	33.0	36.17	25.15	30.65	39.18	9.61	7.16	23.56	28.49
कोरी	37.36	36.39	28.99	17.60	43.71	48.51	4.93	4.57	22.35	29.30
बाल्मीकि	30.47	32.42	10.33	6.48	27.62	30.68	4.64	3.4	57.39	49.40

उपर्युक्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि आर्थिक श्रेणियों के अंतर्गत 2001 एवं 2011 मे अधिक गतिशीलता नहीं हुई है जबकि अनुसूचित जातियों के मध्य ही गहरी असामनता व्याप्त है। अन्य उप समूहों की तुलना में काश्तकार एवं कृषि मजदूरी में अधिकांश पासी कार्य कर रहे हैं (2001 और 2011 में)। घरेलू उद्योग की ओर पासी एवं चमार, कोरी एवं बाल्मीकि का थोड़ा रूझान है परन्तु धोबी इस क्षेत्र में अत्यधिक रूप से संलग्न हैं। वहीं अन्य उप समूहों की तुलना में पासी समुदाय का गैर कृषि कार्यो में बहुत कम प्रतिनिधित्व है। विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों का असमान वितरण इस स्थिति को परिलक्षित करता है।

2. शैक्षिक गतिशीलता

1. कुल अनुसूचित जातियों एवं पासी समुदाय की साक्षरता दर एक तुलना

सारणी 4

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर (प्रतिशत में)

साक्षरता दर	कुल अनुसूचित जाति		पासी	
	2001	2011	2001	2011
कुल जनसंख्या	35,148,377 (21.14)	41,357,608 (20.16)	5,597,002 (16.0)	6,522,166 (15.7)
साक्षर जनसंख्या	12916266 (36.7)	20948471 (50.6)	1714590 (30.6)	2950887 (45.2)
पुरूष	8903419 (25.3)	12958341 (31.3)	1208905 (21.5)	1828825 (28.0)
महिला	4012847 (11.4)	7990130 (19.3)	505685 (9.0)	1122062 (17.2)

Source: A-10: State primary census abstract for individual scheduled caste 2001&2011

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि 2001 में कुल अनुसूचित जाति साक्षरता दर 46.2 प्रतिशत और 2011 में 60.9 प्रतिशत है, जबकि पासी की साक्षरता दर 2001 में 38.8 प्रतिशत और 2011 में 54.7 प्रतिशत है जो की कुल अनुसूचित जाति साक्षरता दर से 5 प्रतिशत कम हैं अर्थात पिछले दस वर्षो में अधिक अंतर परिलक्षित नही होता हैं। यदि हम लिंग के आधार पर 2001 और 2011 के आंकड़ों की तुलना करते हैं, तो पाते हैं कि पासी में पुरुष साक्षरता दर जो 2001 में 52.3 प्रतिशत थी 2011 में बढ़कर 65.4 प्रतिशत हो गई, अर्थात केवल 13 की वृद्धि हुई है और महिलाओं की साक्षरता दर में भी 19 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई जो एक सकारात्मक परिणाम रहा परंतु 2001 और 2011 की तुलना में कुल अनुसूचित जाति की साक्षरता दर से कम होने के साथ ही पुरूष एवं महिला साक्षरता दर में भी अंतर है।

2.2 अनुसूचित जातियों के मध्य पासी समुदाय की शैक्षिक स्थिति

सारणी 5

अनुसूचित जातियों के मध्य साक्षरता दर (प्रतिशत में)

उप समूह	2001			2011		
	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
चमार	39.2	27.0	12.2	53.1	39.9	20.2
पासी	30.6	21.5	9.0	45.2	28.0	17.2
धोबी	39.0	26.5	12.4	53.1	32.6	20.5
कोरी	37.13	25.63	11.50	50.23	31.16	19.06
बाल्मीकि	37.89	25.00	12.89	50.06	30.41	19.64

Source: A-10: State primary census abstract for individual scheduled caste 2001&2011

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के मध्य साक्षरता दरों के संदर्भ में व्यापक भिन्नता दिखाई देती है। 2001 की जनगणना के अनुसार यह ज्ञात होता है कि चमार एवं धोबी समुदाय जनसंख्यात्मक रूप से भिन्न होने के बाद भी लगभग समान साक्षरता दर (49.3-49.9 प्रतिशत) प्रस्तुत करते हैं। वहीं दूसरी ओर कोरी एवं बाल्मीकि समुदाय की शैक्षिक स्थिति लगभग समान है, परन्तु पासी समुदाय जो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला समूह है उसका साक्षरता प्रतिशत (38.8 प्रतिशत) अन्य की तुलना में बहुत निम्न है। 2011 में भी आंकड़ों के अवलोकन से कुछ ऐसे ही परिणाम परिदृश्य होते हैं अर्थात पिछले दस वर्षो में पासी समुदाय का शैक्षिक प्रतिनिधित्व में काफी सुधार हुआ है न केवल पुरूषों (65.4 प्रतिशत) की साक्षरता दर इन दस वर्षों में 6.5 प्रतिशत बढ़ी है अपितु महिलाओं (43.26 प्रतिशत) की साक्षरता दर भी बढ़ी है। परन्तु अन्य उप समूहों की तुलना में पासी समुदाय की महिलायों का शैक्षिक प्रतिशत कम है एवं पुरूष एवं महिला साक्षरता दर में भी अन्तर विधमान है इस अंतर को समझने के लिए हम जितना पृष्ट स्तर पर जाते हैं यह अंतर और भी बढ़ता जाता है।

Babu, M.R. और Chandrasekarayy का कहना है कि सामाजिक समूहों (अनुसूचित जाति) के बीच शिक्षा के असमान वितरण का समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जैसे कि बेहतर नौकरी विकल्पों तक असमान पहुंच, अल्प आय, गरीबी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और शक्तिहीनता आदि।[28] पासी समुदाय समान दर्जे के साथ समान शैक्षिक, व्यावसायिक अवसर के लिए लंबे समय तक संघर्ष करता है। वर्तमान में इतनी जागरूकता के बाद वे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत कम लोग हैं।

निष्कर्ष : यधपि इन सीमित आकड़ों के आधार पर पासी समुदाय की स्थिति का व्यापक सामान्यीकरण करना कठिन होगा तथापि प्रस्तुत पत्र के आधार पर निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक विकलांगता और संरचनात्मक भेदभाव के कारण आज अनुसूचित जाति के मध्य पैदा हुए असंतुलन स्पष्ट हो रहे हैं। एक ओर जिनके पास थोड़ी बहुत कृषि योग्य भूमि थी वे भी अब काश्तकारी छोड़ कर गैर कृषि कार्यो को अपना रहे हैं। दूसरी ओर उप समूहों में पासी समुदाय की स्थिति दयनीय है क्योंकि जहाँ काश्तकारी में इनका प्रतिशत तेजी से गिर रहा है वही कृषि मजदूरी में संलग्नता बढ़ रही है। गैर कृषि कार्यों को भी पासी समुदाय द्वारा अपनाया जा रहा है परन्तु अन्य समुदाय की तुलना में इनकी गति धीमी है शैक्षिक दृष्टिकोण से अनुसूचित जातियों में अत्यधिक अंतर परिलक्षित नही होता क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बृद्धि हो रही रही उसी अनुपात में साक्षरता दर में भी परिवर्तन आ रहा है। परन्तु इसे हम गतिशीलता के रूप में नही देख सकते। अनुसूचित जातियों में पासी समुदाय की साक्षरता दर सबसे कम है, क्योंकि पासी समुदाय के ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल से 8वीं और 10वीं कक्षा तक की शिक्षा लेने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और शहरों में पलायन कर अपनी आजीविका की तलाश करते हैं, जहां नौकरी के लिए कोई गारंटी और सुरक्षा नहीं है। इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नयी पीढ़ी को अच्छा भविष्य देने के लिए उनके माता-पिता की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं एवं महिलायों के शैक्षिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए शैक्षिक जागरूकता के साथ सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान किया जाए।

Reference

1. Singh, H. "A Study on Socio- Economic Status of Scheduled Caste People of Kangra", Asian Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 2, Issue 12, 2014, pp 118-132
2. Sharma,K.L.,"Educational Inequalities among Rajasthan's Scheduled Castes", Economic and Political Weekly, Vol.9, No.37, 1974, pp.1589-1592.
3. Thorat,S., "Paying the Social Debt", Economic and Political Weekly, Vol.41, No.24, 2006, pp.2432-2435
4. Jain, P.C. and Bhatnagar, S., 'Scheduled Caste Women', Rawat publication,1997
5. Wankhede G.G., 'Educational Inequalities among Scheduled Castes in Maharashtra' Economic and Political weekly. Vol.36, No.18, 2001, pp. 1553-1558.
6. Karade, J. 'Occupational Mobility among the Scheduled Caste in Maharashtra', an International Peer Reviewed, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies, Vol. II/XI, 2014.
7. Desai, I.P., 'Untouchability in Rural Gujarat', Bombay: Popular Prakashan, 1976.
8. Shah,G., "Hope and Despair: A Study of Untouchability and Atrocities in Gujarat," Journal of Indian School of Political Economy ,Vol 12, No374, 2000, pp459-471

9. Mohammad Sajjad, 'Atrocity against Dalits in Bihar: Understanding Caste Dynamics', Economic and Political weekly, Vol.LI, No.51, 2016, pp 20-23
10. https://www.census2011.co.in
11. Cohn B.S.,'The Changing Status of Depressed Castes' in Marriott M. (Ed.) 'Village India', Asia Publishing House, Bombay, 1965
12. Rawat, R.S., "Reconsidering Untouchability: Chamars and Dalit History in North India", Indiana University press. 2011, PP.12-15
13. Lynch O.M., "The Politics of Untouchability: Social Mobility and Social Change in a City of India", Columbia University Press,NewYork,U.S.A,1969
14. Saberwal,S., 'Mobile man: limits to Social Change of Urban Punjab',1976
15. Ram,R, 'Internal Caste Cleavages among Dalits in Punjab', Economic and Political weekly, Vol.LII, No.3, 2017,pp 54-57
16. https://peoplegroupsindia.com/profiles/pasi
17. Shan,G. 'Neo-liberal Political Economy and Social Tensions:Simmering Dalit Unrest and Castes in Gujarat', Economic and Political weekly, Vol.LII, No.35, 2017, pp 62-70
18. Crooke, W., 'The Caste and Tribe of N.W. Provinces and Audh'. Calcutta, Vol. IV, 1896 pp 138-152.
19. Sherring, "Hindu Tribes and Castes as Represented in Banaras', Calcutta.Vol.I,1872, P.398,
20. Singh,H.N., 'Pasi: A Scheduled Caste in Uttar Pradesh, census of India 1971, monograph series part v, New Delhi. 1971.
21. B .V. Bhanu, "People of India: Maharashtra", part I. Popular Prakashan, 2004.
22. Hunt, S. B., "Hindi Dalit Literature and the Politics of Representation", Routledge. 2014, PP 8-3
23. Singh, K.S., (ed) "The people of India: Uttar Pradesh", Vol. XLII, Part III. 2005, P. 1133
24. Sherring, op.cit. p.398,
25. Singh,K.S.,"The Scheduled Castes"People of India, National Vol. ii, Anthropological survey of India, Oxford University press, 1993, PP 1071-1078
26. Census of India/A-10: State Primary Census Abstract for Individual Scheduled Caste 2001& 2011
27. Duncan, Ian, 'Dalits and Politics in Rural India: The Bahujan Samaj Party in Uttar Pradesh' The Journal of Peasant Studies, Vol.27, No.1, October 1999, pp 35-60.
28. Biradar R.R, Jayasheela, 'Effect of Educational Inequality among Social Group in Rural India', Journal of Rural Development, Vol.26, No. (3), 2007, PP, 379-401.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 22 अंक 1, जनवरी-जून 2020 UGC-CARE List-Social Sciences

राजस्थान में बालिका शिक्षा का अध्ययन

❑ मुकेश कुमार बैरवा
❖ डॉ. अजय सुराणा

भारत के स्वतन्त्र होने से पूर्व से ही बालिका शिक्षा निरन्तर चिंतन का विषय रहा है। राजस्थान में बालिकाओं की शिक्षा पर अनेक अनुंसधान, विश्लेषण एवं आलेख विद्वानों ने समय समय पर प्रकाशित किये हैं, इनमें विभिन्न स्तर के शोध जैसे पीएच.डी, एम.एड. एवं क्रियात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत शोधकर्ताओं ने अनेकानेक विश्लेषण एवं निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं। यह शोध विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों जैसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, डायट के शिक्षकों के निर्देशन में सम्पन्न करायें गये हैं। इसी प्रकार बालिका शिक्षा पर स्वतंत्र रूप से प्रायोजनायें एवं विश्लेषणात्मक आलेख के रूप में भी योगदान दिया गया है। शोधकर्ता ने प्रस्तुत आलेख में राजस्थान में बालिका शिक्षा पर उपलब्ध शोध कार्य की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। इस आलेख के अन्तर्गत राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राथमिक प्रदत्तों के साथ-साथ उपलब्ध द्वितीयक प्रदत्तों का प्रयोग शोध कार्य की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए किया है। इस लेख में राजस्थान में बालिका शिक्षा पर हुए शोध कार्यो की प्रवृति का विश्लेषण कर यह बताया गया है कि विभिन्न योजनाओं तथा सामाजिक राजनैतिक दृष्टिकोण एवं बालिका शिक्षा के नामांकन, ठहराव आदि पर क्या शोध कार्य हुए हैं तथा किस प्रकार से निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं। यह आलेख राजस्थान में बालिका शिक्षा संबंधी शोधों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है।

प्राचीन भारत के मनीषी इस तथ्य से भली-भाँति परिचित थे कि शिक्षा व्यक्ति के सर्वाङ्गीण विकास, समाज की चतुर्मुखी उन्नति और सभ्यता की बहुमुँखी आधारशिला है। अतः उन्होंने शिक्षा की ऐसी प्रशंसनीय प्रणाली का विकास किया, जिसने न केवल भारतीय शिक्षा को सुरक्षित रखा वरन् ज्ञान के विविध क्षेत्रों में भौतिक विचारकों को भी जन्म दिया। इस दृष्टि से भारत की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हुए एफ. डब्ल्यू. यमस ने लिखा ''भारत में शिक्षा विदेशी पौधा नहीं है। संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम का इतने प्राचीन समय में आविर्भाव हुआ हो या जिसने इतना चिरस्थायी और शक्तिशाली प्रभाव डाला हो।''[1]

भारतीय शिक्षा का बीजारोपण सुदूर अतीत में आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ था। किन्तु उसके ससम्बद्ध स्वरूप के दर्शन, वैदिक काल के आरम्भ में होते हैं। इस काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था। अतः कुछ लेखकों ने वैदिक कालीन शिक्षा को ''ब्राह्मणीय शिक्षा'' और कुछ ने ''हिन्दू शिक्षा'' की संज्ञा दी है। वैदिक काल के प्रारम्भ में तो महिला शिक्षा का विशिष्ट स्थान था। परन्तु बाद में स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा होने लगी। भारतीय समाज में आधुनिक नारी की स्थिति तथा उसकी शिक्षा व प्रगति को सही प्रकार से समझाने के लिए यह जानना अत्यन्त आवश्यक है, कि भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति व शिक्षा किस प्रकार की थी, क्योंकि सामाजिक जीवन कभी भी देश व काल के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता है। ऐसा माना जाता है, कि प्राचीन भारतीय समाज में स्त्रियों को काफी ऊँचा सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। समय के साथ-साथ स्त्रियों की स्थिति में काफी उतार-चढ़ाव आये। शिक्षा के कारण समाजीकरण की प्रक्रिया को गति मिलती है और समाज में गतिशीलता आती है। वैसे समाज के प्रत्येक व्यक्ति और हर एक वर्ग के लिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन महिलाओं के लिए इसका महत्व कुछ अधिक ही है। वैदिक साहित्य में, सूर्यासावित्री, सिकतानिवावरी, अपाला, आत्रेयी आदि कुल 29 विदुषी महिलाओं की चर्चा की गयी है। वैदिक काल के बाद आये जैन व बौद्ध धर्मो में भी महिला शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया गया था। वैदिक काल में महिलाओं का विशिष्ट स्थान था। उन्हें विद्या अध्ययन करने के अवसर प्रदान किये जाते थे। पुत्र के समान पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। उन्हें वेद पठन-पाठन की भी स्वतंत्रता थी। लगभग बीस विशिष्ट

❑ **शोध अध्येता, शिक्षा विभाग, वनस्थली विद्यापीठ मान्य विश्वविद्यालय, टोंक (राजस्थान)**
❖ **विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, वनस्थली विद्यापीठ मान्य विश्वविद्यालय, टोंक (राजस्थान)**

नारियों के नाम वेद ऋचाओं की रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनमें कुछ प्रमुख नारियों में लोपामुद्रा, विश्ववरा, घोषा आदि नामों से हम परिचित हैं। उस युग में स्त्रियों के लिये अभ्यास का क्षेत्र खुला था। इसका एक और प्रमाण मिलता है। वैदिक काल में महिलाओं को विद्याध्ययन का पूर्ण अधिकार था। अधिकांशतः माता-पिता या कुलपुरोहित लड़कियों को घर पर ही शिक्षा प्रदान करते थे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से पहले तक लड़कियाँ अध्ययन करती थीं परन्तु बाद में स्त्रियों की उपेक्षा होने लगी। ऋषियों के गुरुकुलों में लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से पहले तक लड़कियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। बाद में तो ऐसा लगने लगा कि वैदिक काल शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य केवल लड़कों को शिक्षा प्रदान करना है।[2]

पूर्व मुगलकाल में भी भारत में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। उनको वे सब अधिकार प्राप्त थे जो पुरूषों को प्राप्त थे। मुस्लिम युग के प्रारंभ से ही स्त्रियों की स्थिति निम्न होती चली गयी। यद्यपि हिंदू स्त्रियों का परिवार में सम्मान था। भारतीय महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन मुगल साम्राज्य के बाद उल्लेखनीय रूप से देखा गया। पर्दा प्रथा का रिवाज चल पड़ा। उस समय स्त्री शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। हिन्दू स्त्रियों ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से पर्दा प्रथा को अपनाया इस काल में स्त्रियाँ सजावट की वस्तु बन गईं। मुगलकाल में बहुविवाह का प्रचलन होने के कारण एक पुरुष को चार स्त्रियाँ रखने का अधिकार था। हिन्दू माता-पिता अपनी लड़की का विवाह शीघ्रताशीघ्र करना श्रेयस्कर समझते थे। इससे बाल-विवाह को बढ़ावा मिला। इससे स्त्रियां फिर शिक्षा से वंचित हो गई। इस प्रकार स्त्रियों की दशा सोचनीय होती चली गई। ब्रिटिश काल सन् 1813 में जनरल मैकाले द्वारा लाए गए 'मैकाले मिनिट्स' से शिक्षा व्यवस्था को और अधिक गति मिली। सन् 1824 में 'वुडस डिस्पेच' के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 'शिक्षा विकास कार्यक्रम' को मान्यता प्रदान की। इस कार्यक्रम में महिलाओं की शिक्षा तथा उसके सेवा योजना का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में देश में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण की लहर फैली। राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द आदि इस आन्दोलन के अग्रदूत बने। 'आर्य समाज', 'रामकृष्ण मिशन' आदि संस्थाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थाएँ खोलीं। तथ्य बताते हैं, कि 1881 के आसपास भारतीय महिलाओं को पहली बार कॉलेजों में प्रवेश मिला और 1883 में पहली बार दो महिलाओं ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की । सन् 1902 से 1922 के दो दशकों में महिला शिक्षा पर काफी ध्यान दिया गया। इसी दौरान लार्ड कर्जन ने महिला शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया जिसके फलस्वरूप 1913 में शिक्षा नीति का सरकारी प्रस्ताव आया। सन् 1916 में मुम्बई में देश के पहले महिला-विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो आज भी 'श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय' (एस. एन. डी. टी.) के नाम से विख्यात है। इस काल में कन्याओं की प्राथमिक शिक्षा में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। श्रीमति एनीविसेन्ट ने 1914 में बनारस में तथा महर्षि कार्वे ने 1916 में पूना में महिला शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। सन् 1917 में सैडलर आयोग ने महिलाओं हेतु पृथक पाठ्यक्रम व व्यावसायिक प्रशिक्षण की सिफारिश की। महात्मा गाँधी ने भी बालिका शिक्षा हेतु कई प्रयास किये। सन् 1922 से 1997 तक के दौर में समाज सुधारक महात्मा गाँधी द्वारा संचालित आंदोलनों का दौर रहा जिस कारण लड़कियों को लड़कों के समान समझने की भावना का विकास हुआ।[3]

इस प्रकार स्पष्ट है, कि महिला शिक्षा के प्रति चेतना की लहर ब्रिटिश काल में ही चलने लगी थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् स्त्री जीवन के इतिहास में कई उतार चढ़ाव आये। हमारे देश के समाज सुधारकों जैसे राजाराम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गाँधी, जवाहर लाल नेहरू आदि ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिये तथा उनकी शिक्षा पर जोर दिये जाने की आवश्यकता पर काफी प्रयास किये, परन्तु फिर भी स्त्रियों की शैक्षिक व सामाजिक स्थिति में अधिक संतोषप्रद बदलाव नहीं आ पाया लेकिन उस समय किये गये उनके प्रयास सराहनीय थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक परिस्थिति पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और इसके फलस्वरूप विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में स्त्री-शिक्षा पर बल दिया गया। सन् 1947 में जब देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ तो अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ महिला शिक्षा के मामले में भी लगातार गुणात्मक सुधार हुआ लेकिन इसे किसी भी दृष्टि से

संतोषजनक नही कहा जा सकता है। देश की स्वाधीनता के बाद महिला-शिक्षा में अभूतपूर्व प्रगति हुई। केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर विभिन्न शिक्षा आयोगों जैसे- डॉ. राधाकृष्ण विश्वविद्यालय आयोग (1948-49), दुर्गाबाई देशमुख राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958-59), श्रीमति हंसा मेहता स्त्री शिक्षा समिति (1962), भक्तवत्सलम् समिति (1953) आदि की स्थापना की थी। इन सभी ने महिला शिक्षा के विकास हेतु अनेक अभिशंसाएँ की हैं। स्वतत्रंता प्राप्ति के बाद गठित विभिन्न शिक्षा आयोगों व समितियों ने भी भारत में स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया हैं।[4]

सारांश रूप में कहा जा सकता है कि बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश में स्त्री-शिक्षा के प्रति सभी का रुझान बढ़ा है। स्त्री-शिक्षा की साक्षरता का प्रतिशतांक बढ़ा है। किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास तभी संभव होगा, जब उसमें महिलाओं की भागीदारी बराबर की हो। भारतीय समाज में महिलाओं की लगभग आधी आबादी है। देश की आधी आबादी को विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाये बगैर हम देश की समृद्धि, सुदृढ़ सामाजिक संरचना एवं सर्वांगीण विकास की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं।

भारतीय ग्रन्थों में कहा गया है कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान व पूजा होती है, वही देवता निवास करते हैं। इसके विपरीत ''स्त्री स्वातंत्रय मर्हति'' अर्थात स्त्री को शारीरिक एवं नैतिक दृष्टि से दुर्बल मानते हुए स्वतंत्रता से वंचित किया गया है। एक तरफ उसे सबला कहा गया है, तो दूसरी तरफ अबला कहकर कमजोर माना गया है।[5]

महिलाओं के विकास में सबसे गम्भीर बाधा हिंसा की संस्कृति और उनके प्रति बढ़ता हुआ अत्याचार है। महिलाओं को केवल एक जननी के रूप में प्रमुखता दी गई है। जबकी उसकी अन्य क्षेत्रों में भूमिका को प्रारम्भ से ही समाज द्वारा गौण माना गया है। भारत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़िसा, मध्यप्रदेश, राजस्थान इत्यादि राज्यों में महिलाओं की स्थिति अभी भी दयनीय है और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अज्ञानता, अशिक्षा एवं निजी स्वार्थो के कारण महिला विकास में बाधक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1946 में महिलाओं की दशा पर कमीशन की स्थापना की गई। सन् 1976 से 1985 तक के दशक को ''महिला दशक'' के रुप में रखा गया। 1995 में बीजिंग में आयोजित चौथे विकास सम्मेलन में भारत की ओर से जो वायदे किये गये उन्हें कार्य रुप में परिणित करने के लिए 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति बनाई गयी। वैश्विक परिदृश्य पर एक नजर डालें तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार महिला साक्षरता की स्थिति विश्व के कुछ देशों में इस प्रकार हैं-

तालिका-1

विश्व के कुछ देशों में महिला साक्षरता का प्रतिशत (सन् 2011)[6]

राष्ट्रों के नाम	साक्षरता (प्रतिशत)
ब्राजील	97.9
रुस	99.8
नाइजीरिया	86.5
चीन	98.5
भारत	65.4

उपर्युक्त तालिका 1 में विश्व के कुछ देशों में महिला साक्षरता की स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें ब्राजील की साक्षरता सर्वाधिक 97.9 प्रतिशत तथा भारत की साक्षरता मात्र 65.4 प्रतिशत है, जो उसकी अपेक्षा अत्यंत कम है। हमें स्वतंत्र हुये 69 वर्ष हो गये हैं, आज भी हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं, विशेषकर बालिका शिक्षा में तो स्थिति अत्यंत भयावह है।

पिछले डेढ़ सौ वर्षो में स्त्रियों की शिक्षा में एक असाधारण विकास हुआ है, जो आधुनिक भारत में जीवन की एक सर्वाधिक स्पष्ट विशिष्टता है। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में लड़कियों की औपचारिक शिक्षा के लिए शायद ही कोई व्यवस्था थी। यहाँ तक कि वर्तमान शताब्दी के आरम्भ तक भी कुछ अधिक प्रगति नही हुई थी। सन् 1901 में स्त्रियों में साक्षरता की प्रतिशतता कुल 0.8 थी। स्कूलों में नामांकित 100 लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की संख्या प्राथमिक स्तर पर 12 और माध्यमिक स्तर पर 4 थीं, उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का कुल नामांकन 264 था, जिसमें से 78 लड़कियाँ मेडिकल कॉलेजों में और 11 शिक्षा कॉलेजों में थी। यह इस शताब्दी के प्रारम्भ की बात है। इस शताब्दी के मध्य में अर्थात 1950-51 में 100 लड़कों की तुलना में प्राथमिक स्तर पर 39, उच्च प्राथमिक स्तर पर 21, माध्यमिक स्तर पर 15 लड़कियाँ विद्यालय जा रही थी।[7] 20 वीं शताब्दी के अंत में कुल नामांकन में लड़कियों की जो स्थिति है वह तालिका में दी जा रही है।

तालिका-2

भारत में विद्यालय जाने वाली छात्राओं का प्रतिशत[8]

विद्यालय	ग्रामीण	शहरी	कुल
प्राथमिक	41.8	46.4	42.7
उच्च प्राथमिक	40.1	45.7	41.8
माध्यमिक	37.8	47.6	41.5
उच्च माध्यमिक	29.6	41.0	36.5

भारत के विभिन्न प्रदेशों में से राजस्थान भूभाग की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा राज्य है। अन्य राज्यों की अपेक्षा इसकी स्थिति एक विशिष्ट परिदृश्य को प्रस्तुत करती है।

तालिका-3

राजस्थान में विद्यालय जाने वाली छात्राओं का प्रतिशत[9]

विद्यालय	ग्रामीण	शहरी	कुल
प्राथमिक	30.6	42.5	33.7
उच्च प्राथमिक	18.0	38.8	25.4
माध्यमिक	12.8	33.3	22.4
उच्च माध्यमिक	11.4	27.6	23.5

ज्ञातव्य है, कि भारत की स्कूली शिक्षा पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था की 'असर' (एनुअल स्टेटस ऑफ एजूकेशन रिपोर्ट) नाम से जारी होने वाली 'असर' 2013 रिपोर्ट के अनुसार भी राजस्थान में 11 से 14 वर्ष की 11 प्रतिशत छात्राओं ने शैक्षणिक सत्र 2012-2013 में विद्यालय का मुँह नहीं देखा। रिपोर्ट में बताया गया है, कि 11 से 14 वर्ष की छात्राओं का शिक्षा का स्तर वर्ष 2007 से लगातार गिरता जा रहा है। वर्ष 2011 में जहाँ 9 प्रतिशत छात्राएँ विद्यालयों से दूर थीं, वह वर्ष 2012 में बढ़कर 11 प्रतिशत पर जा पहुँची हैं। निसंदेह प्रदेशभर में छात्राओं के शिक्षा से दूर होने के आँकड़ों में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। ज्ञातव्य है कि 2011 की जनगणना में राजस्थान में महिला साक्षरता दर केवल 47.76 थी। 'असर' 2014 रिपोर्ट में कहा गया है कि देशभर में स्कूल जाने के मामले में राजस्थान प्रदेश की 14 साल तक की बच्चियाँ पिछड़ गई हैं, प्रदेश में 6 से 14 वर्ष की 12.1 फीसदी लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पातीं हैं। यह आँकड़ा देशभर में सबसे अधिक है। राजस्थान में 15 से 16 साल की 31.1 फीसदी ग्रामीण लड़कियाँ भी स्कूल नहीं जा पातीं। इसका मतलब यही है, कि 9वीं के आसपास उनका पढ़ाई के साथ से नाता टूटने लगता है। राजस्थान में देश के औसत से भी अधिक लड़कियाँ स्कूल से ड्राप आउट कर रही हैं।[10] किसी भी समाज का स्वरुप वहाँ की नारी की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि उसकी स्थिति शिक्षित, सुदृढ़ एवं मजबूत होगी तो समाज की स्थिति भी शिक्षित, सुदृढ़ एवं मजबूत होगी।[11]

वस्तुत : भारत में महिला शिक्षा की प्रगति बहुत ही धीमी गति से हुई है। दरअसल भारत में कई ऐसे सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारण हैं, जिनके कारण महिलाएँ शिक्षा प्रणाली में भाग नही ले पाती हैं। समाज में लड़कों और लड़कियों के संदर्भ में प्रचलित सांस्कृतिक मूल्यों तथा घरेलू कार्यो व प्रजनन में महिलाओं की भूमिका के कारण भी महिला शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति विभिन्न सरकारी प्रयासों के कारण आज महिला शिक्षा की दिशा में काफी प्रगति हुई है, लेकिन प्रगति की यह चमक महानगरों और शहरों तक ही सीमित है। दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में तो आज भी स्थिति काफी निराशाजनक है। यदि हम उच्च शिक्षा में महिलाओं (वर्ष 17 से 21 की आयु वर्ग) के प्रतिशत को देखें तो पता चलता है, कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा प्राप्त महिलाओं की संख्या, सम्पूर्ण महिला जनसंख्या की केवल तीन प्रतिशत है। महानगरों और शहरों में स्थिति काफी बदली है, लेकिन नगरों एवं गाँवों की महिलाएँ आज भी कला, शिक्षा या चिकित्सा के विषय पढ़ना चाहती हैं। महानगरों में महिलाएँ वाणिज्य, प्रबंधन और जनसंचार जैसे आधुनिक विषय अधिक पढ़ रही हैं, इसके अलावा तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण में भी शहरी महिलाओं की संख्या ही अधिक हैं। शिक्षा मानव संसाधन के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। इसी कारण भारत की महिलाओं के सबलीकरण हेतु शिक्षा को एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। शिक्षा के विकास में लोगों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति, अभिवृत्ति, मूल्य तथा संस्कृति कई बार बाधाएँ बनकर सामने आती हैं। भारत में बालिकाओं की शिक्षा के विकास में बाधक के रूप में इन्हें अधिक जाना जाता है। ब्रिटिश काल में शिक्षा को ब्रिटिश शासन की सहायता हेतु एक छोटे से समूह को शिक्षित करने के साधन के रूप में देखा गया था। उस समय भी सामाजिक धार्मिक परिस्थितियाँ अत्यंत हावी थीं। अतः बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था विकट स्थिति में थी।[12]

तालिका-4
भारत में साक्षरता दर (1951-2011)[13]

वर्ष	कुल	महिला	पुरूष
1951	18.33	8.86	27.16
1961	28.31	15.34	44.46
1971	34.45	21.97	45.95
1981	43.56	29.75	56.37
1991	52.17	39.42	63.86
2001	65.38	54.16	75.85
2011	74.04	65.46	82.14

तालिका 5 को देखने से स्पष्ट होता है, कि भारत में साक्षरता दर सत्र 1951 में 18.33 प्रतिशत थी, जो अत्यंत कम थी यह बढ़कर सत्र 2011 में 74..04 प्रतिशत हो गई। जिसमें पुरूष साक्षरता 82.14 तथा महिला साक्षरता 65.46 ही है। जनगणना 2011 के अनुसार कुछ जिलों की महिला साक्षरता 48.80 प्रतिशत हो गई जो राजस्थान की सम्पूर्ण साक्षरता 67.06 प्रतिशत से अत्यंत कम है।

तालिका-05
राजस्थान में साक्षरता दर (1951-2011) प्रतिशत में

सत्र	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
सम्पूर्ण साक्षरता	8.09	18.10	19.10	24.20	38.60	60.41	67.06
पुरूष साक्षरता	13.09	23.71	28.74	36.30	54.99	70.32	80.51
महिला साक्षरता	2.51	5.84	8.46	11.42	20.44	43.85	52.66

www.censusindia.gov.in2011

राजस्थान में इस प्रकार के अनेक जिले विद्यमान हैं, जिनके शैक्षिक परिदृश्य में पिछले दो दशकों में बदलाव के अनेक प्रयास किये गये हैं जो महिला शिक्षा के विकास की दृष्टि से पिछेड़पन से संघर्ष कर रहे हैं। सन् 1961 की जनगणना के अनुसार कुछ जिलों की साक्षरता दर मात्र 12.58 प्रतिशत थी, इसमें भी महिलाओं की साक्षरता 3 प्रतिशत तथा उसमें ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता मात्र 2 प्रतिशत थी। सन् 1971 में ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर मात्र 3 प्रतिशत हो पाया था। महिला साक्षरता 5 प्रतिशत था। जनगणना 2001 के अनुसार कुछ जिलों की साक्षरता केवल 56 प्रतिशत थी जिसमें महिला साक्षरता का प्रतिशत मात्र 35 था।[14] इससे यह पता चलता है कि राजस्थान में बालिका शिक्षा अत्यंत पिछड़ी हुई थी। राजस्थान में इन्हीं कारणों से राजस्थान की बालिका शिक्षा सम्बंधित शोध कार्यो की प्रवृति का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। बालिका शिक्षा के विभिन्न आयामों जैसें इसकी योजनाओं, नामांकन, ठहराव, विद्यालय परित्याग, सामाजिक-राजनैतिक दृष्टिकोण आदि सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः प्रस्तुत आलेख में राजस्थान में बालिका शिक्षा पर उपलब्ध शोध कार्य की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने का प्रयास किया है।

साहित्य समीक्षा : संबंधित साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बालिका शिक्षा निरन्तर चिंतन व शोध का विषय रहा है। भारत में ही नही बल्कि विकसित देशों में भी बालिका शिक्षा के संकेत को निरन्तर शोध के द्वारा, विस्तृत आंकड़ों के संग्रह के द्वारा नियंत्रित एवं उसमें सुधार के प्रयास किए जाते रहे हैं। बालिका शिक्षा की प्रवृत्ति का अध्ययन निम्न शोध के अन्तर्गत हुआ है।

उपाध्याय, स्नेहलता ने अपने अप्रकाशित एम.एड. स्तर के लघु शोध में 'राजस्थान में महिला शिक्षा की प्रवृत्ति का अध्ययन' किया। उन्होंने अपने अध्ययन में राजस्थान में उच्च माध्यमिक स्तर पर महिलाओं की संकायवार एवं जिले वार कुल नामांकन की प्रवृत्ति का, उत्तीर्ण महिलाओं की श्रेणीवार प्रवृत्ति का तथा साथ ही साथ राजस्थान राज्य में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरों पर संकायवार एवं विश्वविद्यालय वार महिला नामांकन प्रवृत्ति (1991-95) का भी अध्ययन किया।[15]

नीपा, ''भारत में सबके लिए शिक्षा : एक विश्लेषण'' मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा नीपा द्वारा प्रस्तुत इस रिपोर्ट में भारतीय शिक्षा की प्रगति की समीक्षा की गई है। रिपोर्ट के अनुसार शताब्दी के अंतिम दशक ने भारतीय बुनियादी शिक्षा के इतिहास में निश्चित रूप से सकारात्मक छाप छोड़ी है।[16]

मुखोपाध्याय, मर्मर ने अपने आलेख ''माध्यमिक शिक्षा

की चुनौतियाँ" में बताया है कि सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा की आंशिक सफलता के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा की मांग में भारी वृद्धि होगी। प्रस्तुत विश्लेषण में द्वितीयक स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी सीमित रखी गयी है। प्रस्तुत लेख में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तथा माध्यमिक श्रेणी के संक्रमण दर का परिकलन तथा विवेचनात्मक विश्लेषण किया गया है।[17]

सलीम, मोहम्मद ने "भारत में उच्च शैक्षिक और व्यवस्थित रोजगार क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी का एक अध्ययन" पर शोध कार्य किया जिसमें भारतीय नारी वर्तमान में उच्च शैक्षिक तंत्र में गम्भीर लैंगिक असमानता एवं सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं में इस शोध में स्वतत्रंता के बाद महिला के नामांकन का भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में क्या स्थिति है।[17]

शर्मा, जयकिशन ने दैनिक भास्कर दैनिक समाचार पत्र में "राज्य की महिलाओं में बढ़ी उच्च शिक्षा में रूचि" लेख में कहा कि महिला साक्षरता के मामले में राजस्थान भले अब तक अन्य राज्यों से पीछे रहा हो, मगर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के ताजा आँकड़े बताते हैं कि प्रदेश में महिला शिक्षा की तस्वीर बदली है। राज्य की महिलाओं की उच्च शिक्षा में रूचि बढ़ी है। तभी तो ग्रेजूएशन व पीएच.डी. के लिए एनरोलमेंट में महिलाओं की संख्या के मामले में राज्य टॉप 5 में सम्मिलित है। पीएच.डी. के मामले में तो हम तीसरे स्थान पर हैं। हमारे राज्य की 49 प्रतिशत महिलाओं का नामांकन पीएच.डी. में है। स्नातकोत्तर स्तर पर हमारे राज्य की 53.44 प्रतिशत महिलाएँ नामांकित हैं। इस स्तर पर हम देश में पाँचवें स्थान पर हैं। स्नातक स्तर पर हमारे राज्य की 46 प्रतिशत महिलाएँ नामांकित हैं। इस स्तर पर हम देश में तीसरे स्थान पर हैं। राज्य की महिलाओं की साक्षरता दर 52.7 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय दर पर 65.46 प्रतिशत है। राज्य की 14 प्रतिशत बालिकाएँ वर्ष 15-16 आयु में विद्यालय की पढ़ाई छोड़ देती हैं। राज्य की महिला साक्षरता दर एवं राज्य में बालिका के विद्यालय छोड़ने की दर की स्थिति में हमारी स्थिति चिंता करने योग्य है।[19]

श्रीवास्तव, रश्मि ने लैंगिक विषमता और बालिका शिक्षा का पिछड़ापन एवं उपचारी मापन" पर शोध कार्य किया जिसमें मुख्य उद्धेश्य बालिका शिक्षा के पिछड़े होने के कारण 1. पारिवारिक आर्थिक स्थिति 2. सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण 3. पारिवारिक अशिक्षा 4. शिक्षा के प्रति बालिकाओं का दृष्टिकोण 5. विद्यालय का शैक्षिक वातावरण अनियंत्रित पर्यवेक्षण। लैंगिक विषमता एवं बालिका शिक्षा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उपाय सुझाए हैं-1. बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की वृद्धि की जायें। 2. सरकारी विद्यालयों में शिक्षक को प्रभावी बनानें का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे बालिकायें शिक्षा कों अधूरी नही छोड़े। 3. बालिकाओं को छात्रवृति प्रदान की जानी चाहिए।[20] राजस्थान में बालिकाओं की शिक्षा अध्ययन के स्तर को निम्न आरेख द्वारा भी समझ सकते हैं।

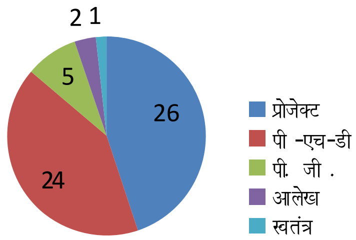

आरेख से स्पष्ट हो रहा है कि विश्वविद्यालयों में सर्वाधिक प्रोजेक्ट संम्बधित कार्य हुये हैं जो कि विभिन्न डायट्स एवं एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर में कार्यरत प्रवक्ताओं के माध्यम से किये गये। उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान किये जिसमें बालिका शिक्षा पर किये शोधों की संख्या 26 है। पीएच.डी. स्तर पर किये गये शोधों की संख्या 24 है, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में निर्देशकों के दिशा निर्देशन में शोधार्थियों के द्वारा किये गये। स्नातकोत्तर स्तर पर किये शोधों की संख्या 05 रही है तथा बालिका शिक्षा सम्बंधित लेखों की संख्या 02 एवं स्वतंत्र रूप से शोध कार्य मात्र 01 हुआ है। बालिका शिक्षा से सम्बंधित योजनाओं पर शोध कार्य किया। अनेकानेक शोध कर्त्ताओं ने शोध कार्य किया जिनमें तिवारी (2010.2011), पाण्ड्या (1998), नागदा (1998), पारीक (1998), सुथार (2008-2009), कश्यप (2008-2009), सिडाना (2009-2010), जोशी (2007-2008) इत्यादि शोधार्थीयों ने **विभिन्न योजनाओं पर** शोध कार्य किया है। उपाध्याय, शर्मा (1994-1995), रोत (2008-2009), ने मुख्यत् **बालिका शिक्षा के पिछड़ेपन के कारणों की जाँच** करने हेतु अध्ययन किया। इसी प्रकार श्रोत्रिय (2005.2006), राठौड़ (2010.2011), शर्मा (2008. 2009), छाबड़ा (2007.2008), पारीक (2007.2008) इत्यादि शोध कर्त्ताओं ने **बालिकाओं की शिक्षा से**

सम्बधित विभिन्न विषयों पर शोध अध्ययन किया। **पीएच.डी.** स्तर के शोध कार्यो में विभिन्न शोध कर्त्ताओं ने शोध निर्देशको के दिशा निर्देश में शोध कार्य किये जिसमें प्रमुखत् नायर (1989), डॉगी, मीणा एवं बैराठी (2000), काबरा (1991), माथुर, शर्मा (1984), ने **सामाजिक-राजनैतिक विषयों का शिक्षा में अनुप्रयोग** का अध्ययन किया। चौहान (2011), सुराणा (2003), दूबे (2003), भटनागर ने **बालिका शिक्षा के नामांकन पर** कार्य किया।व्यास एवं अन्य (1992), चौधरी (2007), मिश्रा (2009), कुमारी (1997), गुप्ता (1994), दूबे (2003), ने **बालिका शिक्षा विद्यालय परित्याग** पर अध्ययन किया। डॉगी(2000), मीणा एवं बैराठी (2000), सुराणा (2003), ने विद्यालयों में **शैक्षिक सुलभता से सम्बन्धित** शोध अध्ययन किया। नायर (1991), दुबे (2003), ने **विद्यालय में छात्रों के ठहराव** से सम्बन्धित शोध अध्ययन किया। द्विवेदी (2009), पाराशर (2011), यादव व शर्मा (1997), दुबे (2003), शर्मा (1984), कपूर (2009), ने **शिक्षा कार्यरत विभिन्न योजनाओं** पर शोध अध्ययन कार्य किया। जैन (1998), पाटनी ने विद्यालयी **छात्राओं के शैक्षिक** मूल्यों का अध्ययन किया। स्नातकोत्तर स्तर पर 05 शोध कार्य किये गये हैं। जिनमें उपाध्याय (1998), डासवाणी (2012), राजपूत (2008), अग्रवाल (2009), **शिक्षा में नामांकन पर शोध** अध्ययन कार्य किया। विजय (2001), ने महिला शिक्षा में **व्यावसायिक उन्नयन एवं महिला शिक्षा** के सामाजिक उन्नयन पर शोध कार्य किया।दो लेख जो सिंह (2000), ने **महिलाओं की परिस्थिति** पर तथा सिंह (2001), ने **नामांकन तथा लोक जुम्बिश परियोजना** पर अध्ययन कार्य किया। नायर ने बालिकाओं के **नामांकन एवं ठहराव** पर एक स्वतंत्र शोध अध्ययन कार्य किया। **इस प्रकार** उपर्युक्त सम्बंधित साहित्य में बालिका शिक्षा के विकास की प्रवृत्ति का अध्ययन अनेक शोधकर्ताओं ने किया है। लेकिन राजस्थान के विशेष संदर्भ में बालिका शिक्षा के विकास हेतु किए गए शोध कार्यों को समन्वित कर इसका एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिससे राजस्थान में बालिका शिक्षा के विकास हेतु किए जा रहे शोध कार्यों के विभिन्न चरणों में किस प्रकार से अलग-अलग आयामों को दर्शाया गया है इसके प्रति चिंतन हो सके एवं आवश्यकता होने पर अन्य शोध कार्यों को गति दी जा सके।

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य निम्नानुसार है

1. राजस्थान में बालिका शिक्षा की योजनाओं पर हुए शोध कार्य की प्रवृति का विश्लेषण।
2. राजस्थान में बालिका शिक्षा की नामांकन एवं ठहराव पर हुए शोध कार्य की प्रवृति का विश्लेषण।
3. राजस्थान मे बालिका शिक्षा में बालिकाओं के विद्यालय-परित्याग पर हुए शोध कार्य की प्रवृति का विश्लेषण।
4. राजस्थान में बालिका शिक्षा हेतु सामाजिक-राजनैतिक दृष्टिकोण पर हुए शोध कार्य की प्रवृति का विश्लेषण।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध एक प्रकार से महिला शिक्षा पर हुए शोध कार्यों की प्रवृति को विश्लेषित करने का प्रयास है। अतः इसके अन्तर्गत विभिन्न प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से आंकड़ों को प्राप्त किया गया है एवं विषय वस्तु विश्लेषण के अन्तर्गत प्रवृत्ति विश्लेषण के द्वारा निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं।

विश्लेषण

1. राजस्थान में बालिका शिक्षा की योजनाओं पर हुए शोध कार्य की प्रवृति के विश्लेषण से सम्बन्धित निष्कर्ष : राजस्थान में बालिका शिक्षा की योजनाओं पर जो शोध कार्य हुए है, उनमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देनें का प्रयास किया गया है। राजस्थान में बालिका शिक्षा की विभिन्न योजनाओं पर द्विवेदी (2009), पाराशर (2011), यादव व शर्मा (1997), दुबे (2003), शर्मा (1984), कपूर (2009), तिवारी (2010.2011), पाण्ड्या (1998), नागदा (1998), पारीक (1998), सुथार (2008. 2009), कश्यप (2008.2009), सिडाना (2009.2010), जोशी (2007.2008) इत्यादि शोध कार्य किये उनसे जो निष्कर्ष प्राप्त हुये वो निम्न हैं

(1) शोधों में पाया गया हैं कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय तथा ब्रिज कोर्स योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के कारण नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुई है, योजनाओं के प्रयोग से सकारात्मक परिणाम विद्यार्थियों में पाये गये हैं।

(2) विश्वविद्यालयी व्यावसायिक शिक्षा में महिला सहभागिता के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर प्रोत्साहन कार्यक्रमों व उनके मूल्यांकन

की तीव्र आवश्यकता प्रतीत होती है।

(3) राजस्थान में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत चलने वाली विभिन्न योजनाओं से सभी जिलों की बालिकाओं के प्रत्यक्षीकरण व साक्षात्कार सकारात्मक है।

(4) मुक्त विश्वविद्यालयी शिक्षा वास्तव में वंचित संवर्गो की शिक्षा है जो सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करा कर गुणवतापूर्वक शिक्षा प्रदान कर रही है।

(5) 'प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण' योजना के अन्तर्गत स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(6) बालिका शिक्षा का सार्वजनीकरण में नामांकन में वृद्वि लेकिन विद्यालय से परित्याग की प्रवृति बढ़ रही है, इससे राजस्थान में बालिका शिक्षा के अवरोध की स्थिति स्पष्ट हो रही है।

(7) सरस्वती योजना में प्रशिक्षण से नामांकन व ठहराव के क्षेत्र में सहायता मिली है।

(8) प्रेरणादायक योजनाओं से एस.सी., एस.टी. एवं बालिकाओं के नामांकन में धनात्मक प्रभाव पड़ता है।

(9) सर्वशिक्षा अभियान द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क शाला गणवेश से विद्यालय का वातावरण स्वच्छ व सकारात्मक बनता है, और शैक्षिक उपलब्धि में वृद्वि होती है।

(10) उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्राओं की शुल्क मुक्ति से सहशैक्षिक गतिविधियों पर काफी प्रभाव पड़ता हैं व नामांकन में वृद्वि होती है।

(11) ग्रीष्म कालीन शिविरों से छात्राओं के आत्मविश्वास में वृद्वि हुई, छात्राओं ने शिक्षण कार्य, पाठ्यक्रम चर्चा, परख जॉच तथा लिखित कार्य से छात्राओं ने सन्तोष व्यक्त किया है।

(12) निःशुल्क साइकिल वितरण स्कीम के अंतर्गत नामांकन में वृद्वि पाई गई, स्कीम के तहत ठहराव में वृद्वि हुई।

(13) तिमाही, छमाही शिविरों के माध्यम से बालिका शिक्षा पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

इस प्रकार उपर्युक्त शोध निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि राजस्थान बालिका शिक्षा की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यकर्मों से बालिका शिक्षा के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है अतः राज्य एवं केन्द्र सरकार तथा नीति निर्माताओं के लिए एक सकारात्मक संदेश है कि किस प्रकार की योजनाएं निरन्तर चलाई जानी चाहिए।

2. राजस्थान में बालिका शिक्षा की नामांकन एवं ठहराव पर हुए शोध कार्य की प्रवृति के विश्लेषण से सम्बन्धित निष्कर्ष : राजस्थान में **बालिका शिक्षा में नामांकन** को लेकर भी विभिन्न शोध कर्त्ताओं ने शोध कार्य किये जिनमें प्रमुखत् चौहान (2011), उपाध्याय (1998), नायर (1991), सुराणा (2003), राजपूत (2008), अग्रवाल (2009), गुप्ता (2007), गुप्ता (1994), सिंह (2001), दूबे (2003), थानवी, पालीवाल, व्यास, और शर्मा (1994), उपाध्याय, शर्मा (1984), शर्मा (1994.95), पाण्ड्या, नागदा, और पारीक (1998), श्रीमाली और श्रोत्रीय (2005.2006), व्यास (2008. 2009), साखँला (2007.2008), इत्यादि शोध कर्त्ताओं ने शोधकार्य किया। कुछ शोधकर्त्ताओं ने **नामांकन व ठहराव** दोनों लेकर शोध कार्य किये जैसे-नायर(1991), राजपूत (2008), दूबे(2003), उपाध्याय(1983)। इन शोधकर्त्ताओं ने अपने शोध कार्य में दोनों चरों-नामांकन व ठहराव को लेकर अध्ययन किया तथा जो निष्कर्ष प्राप्त हुये वो निम्न हैं-

(1) नामांकन एवं ठहराव दोनों स्थितियों की जाँच एवं उचित समाधान हेतु रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है।

(2) कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय तथा ब्रिज कोर्स योजना के अंतर्गत दी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के कारण नामांकन एवं ठहराव मे वृद्वि हुई है।

(3) नामांकन में सामान्य वर्ग व वंचित वर्ग के बच्चों की वृद्धि हुई है, ठहराव वृद्धि में डी.पी.ई.पी. का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। विद्यालय परित्याग दर कम करने में भी डी.पी.ई.पी. की सार्थक भूमिका रही है।

(4) बालिकाओं के विद्यालय परित्याग और नामांकन की परिस्थितियों पर परिवार की आय का प्रमुखतः प्रभाव पड़ता है।

(5) बाल विवाह भी नामांकन के न्यून होने का प्रमुख कारण है।

3. राजस्थान मे बालिका शिक्षा में बालिकाओं के विद्यालय-परित्याग पर हुए शोध कार्य की प्रवृति के विश्लेषण से सम्बन्धित निष्कर्ष : राजस्थान मे बालिका शिक्षा में **बालिकाओं के विद्यालय-परित्याग** को लेकर भी विभिन्न शोधकर्त्ताओं ने शोध अध्ययन किया

जिनमें निम्न प्रमुख है चौधरी(2007), मिश्रा(2009), कुमारी(1997), गुप्ता(1994), पाण्ड्या(1998), नागदा(1998), पारीक(1998), जैन(1990), शर्मा(1977), व्यास एवं अन्य(1992), इत्यादि शोधकर्त्ता ने शोध कार्य किया। विद्यालय परित्याग को लेकर जो शोध कार्य हुये उनमें निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुयें-

(1) लड़कियों के विद्यालय छोड़ने की दर लड़कों की अपेक्षा अधिक थी, ग्रामीण विद्यालय में अध्ययन कर रहे बालकों के विद्यालय छोड़ने की दर, शहरी विद्यालयों में अध्ययन के रहे बालकों के विद्यालय छोड़ने की दर से अधिक थी।

(3) बॉसवाड़ा, जोधपुर, नागौर, सिरोही तथा टोंक में छात्राओं की ड्राप-आउट दर की प्रवृत्ति घटने वाली रही तथा भीलवाड़ा, जयपुर, झुन्झनु तथा सवाई-माधोपुर में बढ़ने की प्रवृत्ति रही है।

(4) कुछ जिलों में लड़कों की तुलना में लड़कियाँ दोगुनी स्कूल जाने से वंचित हैं।

(5) प्रतिवर्ष बालिका नामांकन तो बढ़ती स्थिति का सूचक रहा है, परन्तु विद्यालय परित्याग की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, इससे राजस्थान में बालिका शिक्षा के प्रति अवरोध की स्थिति स्पष्ट होती है।

(6) शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में परित्याग की स्थिति अधिक है। इसके कई कारण है घर का कार्य, व्यवसाय, सामाजिक परिस्थितियाँ इत्यादि।

(7) कक्षा 8 से 1 तक क्रमशः परित्याग प्रतिशत कम होता जाता हैं।

(8) ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की बालिकाओं में पढ़ाई में रूचि नही है। अभिभावक कम आमदनी, कम शिक्षित, घर के कार्यों में व्यस्त रखते हैं।

(9) रूचि पूर्ण शिक्षण करवाने पर बालिकायें पहले की अपेक्षा अधिक विद्यालय में ठहरने लगी हैं।

(10) छात्राओं को अभिभावक घर के कार्य हेतु घर पर रोक लेते हैं।

(11) शैक्षिक व पारिवारिक परिस्थितियों में कुछ कारण ऐसे आ जाते है जैसे बाल विवाह जिससे बालिका शिक्षा में व्यवधान आ जाते हैं।

4. राजस्थान में बालिका शिक्षा हेतु सामाजिक-राजनैतिक दृष्टिकोण पर हुए शोध कार्य की प्रवृति के विश्लेषण से सम्बन्धित निष्कर्ष : राजस्थान में बालिका शिक्षा हेतु सामाजिक-राजनैतिक दृष्टिकोण पर हुए शोध कार्य बहुत ही कम हुए है जिनमें नायर(1989), विजय (2001), काबरा (1991), माथुर, शर्मा (1984), शर्मा (2004.2005), राठौड़ (2004.2005), ने **सामाजिक-राजनैतिक विषय** लेकर शोध अध्ययन कार्य किया। इस संबंध में शोधकर्त्ताओं ने जो निष्कर्ष प्राप्त किये वो इस प्रकार हैं-

(1) नई संस्थाओं को खोलने, विद्यालय समय तथा वैकल्पिक विद्यालय की व्यवस्था करने में लचीलेपन एवं दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता है।

(2) ग्रामीणों में महिलाओं को शिक्षित करने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, परन्तु उच्च शिक्षा देने के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है। महिला शिक्षा की आवश्यकता के प्रति जागृति औसतन सकारात्मक है व शिक्षा के व्यावसायिक उन्नयन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पाया गया है।

(3) परिवार की शैक्षिक स्थिति एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति दोनों ही बालिका को शिक्षा देने के दृष्टिकोण को प्रभावित करती है।

(4) निरक्षर महिलाएं शिक्षा के महत्त्व को समझती हैं, उनके मन में पढ़ने और बच्चों को पढ़ाने की इच्छा है, परन्तु सामाजिक, पारिवारिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा से वंचित रह जाती हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान में बालिका शिक्षा संबंधित शोध कार्यों में मुख्यतः विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई है। इन योजनाओं के आधार पर बालिका शिक्षा में कितना विकास हुआ है उसका विश्लेषण किया गया है साथ ही वर्षवार नामांकन में वृद्धि को प्रतिशत विश्लेषण के द्वारा अलग-अलग शोधकर्ताओं ने विस्तृत करने का प्रयास किया है बालिका शिक्षा से संबंधित यह सभी शोध प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर उच्च शिक्षा तक एवं परंपरागत शिक्षा से लेकर खुली प्रणाली वाली उच्च शिक्षा तक के क्षेत्र को मुख्यतः कवर करते हैं। शोध कार्यों में कुछ प्रयास बालिका शिक्षा के संदर्भ में परिवार तथा समाज की भूमिका को लेकर किए गए हैं।

सन्दर्भ

1. पाठक आर.पी., 'प्राचीन भारतीय शिक्षा', कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2008, पृ.1
2. पाठक पी. डी., 'भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ', विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 2007, पृ.1
3. Sharma Usha, B. M. Sharma, 'Women Education In Morden India Women And Education Development Series-5', Women publishers, New Delhi, 1995, p.145
4. वर्मा, बिहारी सांवलिया, एम. एल. सोनी एवं संजीव गुप्ता., 'महिला जागृति और सशक्तीकरण', आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2005, पृ.28
5. मौर्य, शैलेन्द्र, 'भारतीय समाज में महिला विमर्श एवं यथार्थ', पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2012, पृ.8-128
6. महावर, सुनील, 'भारत में महिला सशक्तीकरण विविध आयाम और चुनौतियाँ', आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2013, पृ.21
7. अग्निहोत्री, रवीन्द्र, 'आधुनिक भारतीय शिक्षा : समस्याएँ और समाधान', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2006
8. Six All India Education Survey 1998, Vol. 4, pp. 6-11
9. Six All India Education Survey 1998, Vol. 2, p.128
10. पिलानिया ज्ञान प्रकाश, 'स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न-चिन्ह?', दैनिक नवज्योति, 28 फरवरी 2015, जयपुर
11. चौधरी शशिकान्त, 'जयपुर जिले की ग्रामीण महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका', अप्रकाशित शोध प्रबन्ध शिक्षा संकाय वनस्थली विद्यापीठ, निवाई, 2014
12. Panigrahi L.K., 'Women and Child Education', Abhishek Publication Chandigarh, 2003, pp. 99-99
13. www.censusindia.gov.in2011
14. Gupta Savitri, 'Rajasthan District Gazettes Sawaimadhopur', Rajasthan Printing Works Jaipur, 1981, pp. 427-429
15. उपाध्याय स्नेहलता, 'राजस्थान राज्य में महिला शिक्षा की प्रवृत्ति का अध्ययन', शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ अप्रकाशित लघु शोध प्रबंध, 1998
16. नीपा 'सबके लिए शिक्षा-आकलन वर्ष 2000', राष्ट्रीय योजना एवं प्रशासन संस्थान एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2000
17. मुखोपाध्याय मर्मर, 'माध्यमिक शिक्षा की चुनौतियाँ' परिप्रेक्ष्य शैक्षिक योजना और प्रशासन का सामाजिक आर्थिक सन्दर्भ वर्ष 9, अंक 3 नीपा, नई दिल्ली, 2002
18. सलीम मोहम्मद, 'भारत में उच्च शैक्षिक और व्यवस्थित रोजगार क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी का एक अध्ययन' यूनिर्वसिटी न्यूज, 54 (10) मार्च 07-13, 2016
19. शर्मा, जयकिशन, 'राज्य की महिलाओं में बढ़ी उच्च शिक्षा में रूचि' दैनिक भास्कर, 6 अगस्त 2016
20. श्रीवास्तव, रश्मि 'लैंगिक विषमता और बालिका शिक्षा में वृद्धि एवं उपचारी मापन' एजूट्रेक्स, वाल्यूम 15 नं. 10, जून 2016

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 22 अंक 1, जनवरी–जून 2020 UGC-CARE List-Social Sciences

मनरेगा के माध्यम से मध्यप्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का विकास

❑ **डॉ. महेन्द्र सिंह यादव**

भारत एक ग्राम प्रधान देश है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का मुख्य साधन कृषि है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने व ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लागू हुआ वर्ष 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया तथा पूरे देश में इसे लागू किया गया। मनरेगा के अंतर्गत प्रावधान है कि अनुसूचित जाति, जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे आने वाले प्रत्येक परिवार की कृषि भूमि में उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु सिंचाई सुविधा, बागवानी, वृक्षारोपण, भूमि सुधार जैसी उपयोजनाओं को भी महत्व दिया गया ताकि जनजातीय क्षेत्र के लोगों का विकास संभव हो। प्रस्तुत शोधपत्र मध्यप्रदेश के जनजातीय बाहुल्य जिले झाबुआ एवं बड़वानी पर केन्द्रित है। इन दोनों जिलों में जनजातीय समुदाय की आर्थिक स्थिति काफी निम्न है। मध्यप्रदेश जनजातीय बाहुल्य राज्यों में से एक है, यहां प्रदेश की कुल जनसंख्या में 21.1 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या है। प्रदेश के जनजातीय समुदाय की आय का मुख्य स्त्रोत कृषि एवं मजदूरी है। वे परिवार सहित मजदूरी हेतु पलायन करते हैं या मनरेगा में मजदूरी करते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र मनरेगा के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के विकास को आंकने का एक प्रयास है।

भारत एक ग्राम प्रधान देश है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का मुख्य साधन कृषि है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने व ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लागू हुआ वर्ष 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया तथा पूरे देश में इसे लागू किया गया। मनरेगा के अंतर्गत प्रावधान है कि अनुसूचित जाति, जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे आने वाले प्रत्येक परिवार की कृषि भूमि में उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु सिंचाई सुविधा, बागवानी, वृक्षारोपण, भूमि सुधार जैसी उपयोजनाओं को भी महत्व दिया गया ताकि जनजातीय क्षेत्र के लोगों का विकास संभव हो, इन समस्त कार्यों की जिम्मेदारी लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत को सौंपी गई। प्रस्तुत शोधपत्र मध्यप्रदेश के जनजातीय बाहुल्य जिले झाबुआ एवं बड़वानी पर केन्द्रित है। इन दोनों जिलों में जनजातीय समुदाय की आर्थिक स्थिति काफी निम्न है। मध्यप्रदेश जनजातीय बाहुल्य राज्यों में से एक है, यहां प्रदेश की कुल जनसंख्या में 21.1 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या है। प्रदेश के जनजातीय समुदाय की आय का मुख्य स्त्रोत कृषि एवं मजदूरी है या तो वे परिवार सहित मजदूरी हेतु पलायन करते हैं या मनरेगा में मजदूरी करते हैं ताकि उनका आर्थिक विकास संभव हो सके। मनरेगा के क्रियान्वित होने के पश्चात् भी जनजातीय क्षेत्रों में जॉब कार्डधारियों की रोजगार के संबंध में स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि न तो उन्हें सतत् काम मिल पाता है एवं न ही मजदूरी का सही भुगतान मिल पा रहा है।

यह सर्वविदित है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है इस जनसंख्या में बड़ी हिस्सेदारी जनजातीय समाज की भी है। यह समाज आज भी कहीं न कहीं गरीबी, अशिक्षा और ऋणग्रस्तता से ग्रस्त है। इन्हीं समस्याओं के उन्मूलन एवं सम्पूर्ण ग्रामीण विकास हेतु भारत सरकार दूवारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया गया और प्रत्येक गरीब ग्रामीण को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई।[1] यह सत्य है कि स्वतंत्रता पश्चात् से ग्रामीण विकास हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों दूवारा समय-समय पर विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को चलाया गया जिसमें मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रमों को प्रायोगिक स्तर पर रूरल मेनपावर (आरएमपी 1960–61), क्रेश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लायमेंट (सीआरएसई 1971–72), नमूना सघन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (पीआईआरईपी 1972), लघु कृषक विकास एजेंसी (एसएफडीए), सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक (एफएफएएल) आदि कार्यक्रम प्रमुख थे।

❑ **असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, सांध्यकालीन विभाग, शिमला (हि.प्र.)**

1977 में काम के बदले भोजन योजना (एफडब्ल्यूपी) के माध्यम से इन कार्यक्रमों को एक सम्पूर्ण मजदूरी आधारित कार्यक्रम में रूपांतरित कर दिया गया। अस्सी के दशक में इन कार्यक्रमों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आरएएलजीपी) के रूप में और ठोस रूप दिया गया। जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाय 1993-94), रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस) को मिलाकर 1999-2000 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) में तथा 2005 से राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी 2005) में मिला दिया गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित महाराष्ट्र रोजगार गारन्टी अधिनियम 1977 के अनुभवों के आधार पर भारत के ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा की प्रतिबद्धता सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (एनआरईजीए) पारित किया गया। यह कानून 07 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया।[2]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (पूर्व में नरेगा) के माध्यम से 2006 से पहले चरण में 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था और बाद में वित्त वर्ष 2007-2008 में इसे और 130 जिलों में लागू किया गया। मनरेगा के अंतर्गत शेष बचे जिलों की अधिसूचना 01 अप्रैल 2008 को जारी की गई थी इस प्रकार रोजगार एवं ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए इसे सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया।[3]

अधिनियम की विशेषता : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम देश के 13.65 करोड़ ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार के अधिकार की गारन्टी देता है। हर जॉब कार्डधारी को काम उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्थानीय पंचायतों की है। पंचायतों के माध्यम से काम की योजना बनाना और उसे संपन्न कराना सुनिश्चित किया गया है इस हेतु उन्हें पर्याप्त संसाधन दिए गए हैं। अधिनियम का समग्र उद्देश्य रोजगार उपलब्ध कराके और टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय सामाजिक आर्थिक बदलाव लाना है।

1 ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल कामगार अपनी ग्राम पंचायत में पंजीकरण करवा सकता है।

2 प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को 15 दिन में जॉबकार्ड जारी किया जाएगा और यह जॉबकार्ड रोजगार की मांग के लिए पहचान का आधार माना जाएगा।

3 जारी किया गया जॉबकार्ड 05 वर्ष के लिए मान्य होगा, इसके बाद इसका नवीनीकरण होगा।

4 प्रत्येक जॉबकार्डधारी काम की मांग कर सकता है यदि 15 दिन में काम नहीं मिला तो वह बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र माना जाएगा।

5 गॉव के 05 किलोमीटर के क्षेत्र में काम उपलब्ध कराया जाएगा अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी का प्रावधान भी है।

6 ठेकेदारों और मजदूरों को हटाने वाली मशीनरी का उपयोग प्रतिबंधित माना गया है।

7 स्वच्छ पेयजल, बच्चों के लिए छाया, प्राथमिक उपचार सामग्री जैसी सुविधाएँ कार्यस्थल पर प्रदान की जाएगी।

8 मजदूरी का भुगतान भारत सरकार और राज्य की ओर से अधिसूचित मनरेगा वेतन के अनुसार किया जाएगा, मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर व बैंक या डाकघर खातों से होगा।

9 मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों में मुख्यतः पेयजल स्रोतों का सुधार, जलसंरक्षण के कार्य, सूक्ष्म सिंचाई-नहरों तथा नालियों का सृजन, सिंचाई कुंड़ों का पुर्नजीवन, वृक्षारोपण व सामान्य भूमि में भूमि विकास कार्य प्रमुख हैं।

10 समाज के कमजोर वर्ग के लिए भी मनरेगा में कुछ प्रावधान हैं जैसे उनकी कृषि भूमि में पौधारोपण, बंजरभूमि का विकास, बकरी पालन, पशु आश्रय, चाराद्रोणिका जैसे पशुधन के संवर्धन के लिए अवसंरचना सृजित करना।

11 ग्रामीण अवसंरचना सम्बंधी कार्यों में शौचालय निर्माण, ग्रामीण सड़कें, नालियों और पुलियाओं का निर्माण, खेल के मैदान, खाद्यान्न भंडारण संरचनाओं का सन्निर्माण के साथ-साथ सरकार द्वारा अधिसूचित कार्य पूर्ण किये जाएगें।[4]

भारत में जनजातीय परिदृश्य : भारतीय समाज अनेक जातियों एवं संस्कृतियों वाला समाज है। इस विशाल देश की भूमि पर अनेक संस्कृति, भाषा धर्म, प्रजाति एवं समुदाय के लोग पाए जाते हैं। इन सबमें पृथक एक समुदाय ऐसा है जिसे अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है, जो सभ्यता के प्रभावों से अपेक्षाकृत दूर जंगलों में निवास करता है। उनका जीवन अब भी प्राचीन परंपराओं से घिरा हुआ है उनके रीति रिवाज, विश्वास और

आस्थाएँ सभी विशिष्ट और अन्य समाजों से सर्वथा भिन्न हैं। आधुनिक सभ्यता के साथ उनका परिचय बहुत नया है।[5] **इम्पीरियल** गजेटियर के अनुसार-जनजातीय परिवार या परिवारों का एक ऐसा समुदाय है जिसका एक सामान्य नाम होता है, इसमें रहनेवाले लोग एक सामान्य बोली बोलते हैं, जो एक सामान्य भू-भाग पर रहने का दावा करते हो अथवा जो हमेशा अंर्तविवाह नहीं करते हैं। भले ही प्रारंभकर्ता रहे हों।[6] मजूमदार के अनुसार एक जनजाति अनेक परिवारों के एक समूह का एक संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भू-भाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं और एक निश्चित एवं उपयोगी आदान-प्रदान का परस्पर विकास करते हैं।[7]

इस जनजातीय समुदाय को विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग नामों की संज्ञा दी है। जैसे मार्टिन एवं रिजले ने इन्हें आदिवासी, हट्टन ने आदिम जातियाँ, सर वेंस ने पर्वतीय आदिम जातियाँ, या वन्य जातियाँ, धुरिये ने पिछड़े हुए हिन्दू तथा वनों में रहने के कारण गांधीजी ने इन्हें गिरिजन के नाम से पुकारा है। भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति के नाम से सूचीबद्ध किया गया है।[8]

मध्यप्रदेश में जनजातीय परिदृश्य : 01 नवंबर 1956 को राज्य पुर्नगठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर मध्यभारत, महाकौशल, विन्ध्यप्रदेश तथा भोपाल को मिलाकर मध्यप्रदेश राज्य का गठन किया गया लेकिन ठीक 44 वर्ष बाद अर्थात् 31 अक्टूबर 2000 को मध्यप्रदेश का विभाजन हुआ तथा छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बना। वर्तमान में मध्यप्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या 07 करोड़ से अधिक है। यदि सम्पूर्ण जनसंख्या को वर्ग वार विभाजित किया जाए तो 65 प्रतिशत से अधिक सामान्य, 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 20 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निवास करती है। मध्यप्रदेश राज्य भारत का एक समृद्ध जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद मध्यप्रदेश में कीर, मीना और पारथी को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति की सूची से विलोपित कर दिया गया इस प्रकार अब मध्यप्रदेश में कुल 43 जनजातियॉं शेष हैं। जिसमें से तीन बेगा, भारिया और सहरिया विशेष पिछड़ी जनजातियॉं घोषित हैं। राज्य में कुल जनजाति जनसंख्या में सर्वाधिक गोंड है इसके बाद भील दूसरी बड़ी जनजाति है।

मध्यप्रदेश की जनजातियों को भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर तीन क्षेत्रों में विभाजित किया है, (1) पश्चिमी क्षेत्र-इसमें झाबुआ, अलिराजपुर धार, बड़वानी, खरगौन, खंडवा, रतलाम और देवास जिले आते हैं (2) मध्य क्षेत्र-यह जनजातीय क्षेत्र सतपुड़ा पर्वत श्रेणी क्षेत्र में स्थित है इसमें मण्डला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, बालाघाट और जबलपुर जिले आते हैं (3) उत्तरपूर्वी क्षेत्र-इसमें सीधी, सतना, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, गुना तथा उमरिया जिले आते हैं।[10]

साहित्य समीक्षा

यतीन्द्र सिंह सिसोदिया[11] ने मध्य प्रदेश में विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा की भूमिका का अध्ययन किया है। अध्ययन में उन्होंने पाया कि इन क्षेत्रों में पंचायत द्वारा विकास कार्यों की कोई सूचना ग्रामसभा को नहीं दी जाती है तथा ग्राम पंचायत ग्रामसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है जिस कारण तृणमूल स्तर पर ग्रामीण विकास में ग्रामसभा की भूमिका स्पष्ट नहीं हो पाती है। साथ ही ग्रामसभा की बैठक में लोगों की कम सहभागिता के कारण यह अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को नहीं निभा पाती है। निम्न सहभागिता का मुख्य कारण गांव में मजबूत जाति व्यवस्था, वर्ग और लैंगिक विभाजन रहा है और नीति निर्माण प्रक्रिया में भी सरपंच और अन्य अभिजात वर्ग की प्रमुख भूमिका के कारण ग्रामसभा की भूमिका न के बराबर है।

वाय.जी.जोशी[12] ने जनजातियों में काम की तलाश में दूरस्थ क्षेत्रों में पलायन की प्रक्रिया का अध्ययन जनजाति क्षेत्रों की क्षेत्रीय वास्तविकता के धरातल पर किया है। पश्चिमी मध्यप्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने पलायन की प्रकृति, दिशा एवं कारणों का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अपने अध्ययन में उन्होंने संस्तुति की है कि इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए जनजातीय लोगों को उनकी जीविका के लिए बेहतर रोजगार की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के साथ ही कार्यस्थल पर उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी ठोस व्यवस्था करनी होगी।

आशीष भट्ट[13] ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं उभरता जनजातीय नेतृत्व विषय पर आधारित अपने अध्ययन में यह पाया कि नवीन पंचायतीराज व्यवस्था में जो जनजातीय नेतृत्व उभरकर आया है वह परंपरागत नेतृत्व से काफी

भिन्न है। अब गांव के तड़वी व बुजुर्ग की अपेक्षा युवा वर्ग की पंयायती राज में भागीदारी बड़ी है। राजनीतिक अनुभव की दृष्टि यह युवा वर्ग समुदाय तथा गांव की संस्थाओं से भलीभांति रूबरू है। किंतु अज्ञानता, अशिक्षा एवं कमजोर सामाजिक, आर्थिक स्थिति के रहते वह इन समस्याओं के निराकरण में स्वयं तथा पंचायत की भूमिका को स्पष्ट नहीं कर पाया है।

डी.सी.साह[14] ने अपना अध्ययन गुजरात की जनजातियों की आजीविका संघर्ष पर केन्द्रित किया है। अध्ययन में बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में इनकी आजीविका का प्राथमिक स्त्रोत कृषि है। आधुनिक कृषि उपकरणों एवं आधुनिक उन्नत बीजों तक पहुंच न होने तथा सूखी जमीन व स्थानीय बीज के उपयोग के कारण यहां की कृषि बहुत ही निम्न रहती है जिस कारण जनजातियों की आजीविका नहीं चल पाती है। परिणामस्वरूप परिवार की आजीविका के लिए ये लोग अनियमित मजदूरी एवं पलायन करते हैं। लेकिन इन सब कार्यों के करने के बाद भी इनके परिवार की आजीविका नहीं चल पाती है इस कारण इन लोगों को कठिनाईपूर्ण जीवन व्यतित करना पड़ता है। इन क्षेत्रों में कृषि में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए गए हैं जिससे जनजातियां बेहतर कृषि कर सकें और आजीविका संकट को कम कर सकें।

सुधाकर पी. रेड्डी व नारायण वी. रेड्डी[15] ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों की ऋणग्रस्तता के कारण विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया है। अध्ययन में पाया कि अधिकांश जनजातीय परिवार अत्यधिक उच्च ब्याज दर पर गैर जनजातियों से ऋण लेते हैं जिनको चुका पाने में वे असमर्थ होते हैं। फलस्वरूप वे अपनी जमीनों को दूसरों को हस्तांतरित कर देते हैं या बिक्री कर देते हैं तथा उन्हें आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

रमणिका गुप्ता[16] की पुस्तक 'आदिवासी कौन' के अंतर्गत विभिन्न समाज वैज्ञानिकों के आलेखों का संकलन कर यह उल्लेख किया है कि आदिवासियों की दशा में परिवर्तन कैसे हो? उनकी शिक्षा कैसी हो? इनकी योजना, इनकी आर्थिक नीति क्या हो? राजनीतिक हिस्सेदारी में वे क्या चाहते हैं? यह सब अगर सामने आता है तो आदिवासियों की दशा में कुछ ठोस बदलाव संभव हो सकता है।

आर.डी. मौर्य[17] ने परंपरागत आदिवासी पंचायत और नई पंचायतराज व्यवस्था के अंतरसंबंधों की चर्चा की है अपने अध्ययन में पाया कि नए पंचायतराज के क्रियान्वयन से लोगों की पंचायतराज प्रक्रिया में सहभागिता बड़ी है। कहीं-कहीं महिला प्रतिनिधि भी निर्णय प्रक्रिया में भाग ले रही है। विकास कार्यों के क्रियान्वयन में नौकरशाही और पंचायत प्रतिनिधि के बीच समन्वय और सहयोग की विकट समस्या है जो पंचायतराज व्यवस्था को कार्य करने में बाधा उत्पन्न करती है।

उदयसिंह राजपूत[18] ने अपना अध्ययन मध्यप्रदेश में आदिवासी विकास पर केन्द्रित किया है। उन्होंने अपने अध्ययन में बताया है कि आदिवासी समुदाय के विकास की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रारंभ में इस समुदाय की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु पृथक संवैधानिक एवं प्रशासनिक प्रावधान किए गए, साथ ही प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के माध्यम से विकास के विभिन्न प्रतिमान और कल्याणकारी योजनाऐं बनाई गईं। इसके अतिरिक्त इस समुदाय में पाई जाने वाली अशिक्षा, अज्ञानता, अनुपजाऊ भूमि तथा इनके निवास क्षेत्रों में रोजगार का अभाव जैसे कारण भी कहीं न कहीं इस समुदाय के विकास में बाधक रहे हैं। उन्होंने अपने अध्ययन में इस बात का उल्लेख किया है कि आदिवासी विकास में शासकीय योजनाओं के साथ-साथ गैर सरकारी संगठन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

शोध पद्धति : मध्यप्रदेश आदिवासी बहुल राज्य है। यहां मनरेगा का क्रियान्वयन 2006 से है। प्रदेश के जनजातीय बहुल जिले झाबुआ और बड़वानी पर यह अध्ययन केन्द्रित है। प्रस्तुत शोध पत्र ''पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से मनरेगा का क्रियान्वयन'' शोध परियोजना से लिए गए तथ्यों से विश्लेषित है। झाबुआ एवं बड़वानी जिले से दो-दो विकासखंड का चयन किया गया था एवं प्रत्येक विकासखंड से 05 ग्राम पंचायतों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रविधि से किया गया इस प्रकार दो जिलों से 04 विकासखंड एवं 20 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया था। चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायत से योजना से लाभान्वित 10 हितग्राहियों का चयन किया गया। इस प्रकार 200 हितग्राहियों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

शोध प्रश्न :

1 मनरेगा लागू होने के पश्चात् ग्राम के विकास कार्यों में किस तरह के बदलाव आए हैं ?

2 योजना के संचालन में पंचायत राज संस्थाओं की

भूमिका कहां तक प्रभावी है तथा रोजगार उपलब्धता एवं पलायन की स्थिति क्या है ?

3 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अपने लक्ष्य को कहां तक/किस सीमा तक पूरा कर पाई है ?

तथ्य संकलन : तथ्यों का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से किया गया। द्वितीयक स्त्रोतों में विषय से संबंधित पूर्व शोध अध्ययन, शोध आलेख, पुस्तकें, जर्नल, अध्यादेश एवं अधिनियम आदि का उपयोग किया गया है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची तथा अवलोकन प्रविधि का प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण

प्रस्तुत शोध पत्र जनजातीय क्षेत्र में मनरेगा के पंजीकृत जॉब कार्डधारियों से प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही जनजातीय समुदाय के विकास हेतु वृहत् स्तर पर नीतियां बनाई गई इस समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं के स्थान पर मनरेगा को क्रियान्वित किया गया अतः मनरेगा के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के विकास संबंधी प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण अग्रानुसार है।

तालिका 01

मनरेगा के कार्यों की आवश्यकता

कार्य की आवश्यकता	आवृत्ति	प्रतिशत
बहुत जरूरी	102	51.0
जरूरी	55	27.5
ज्यादा जरूरी नहीं	29	14.5
बता नहीं सकते	14	07.0
योग	200	100

जनजातीय क्षेत्र आज भी पूर्णतः विकसित नहीं हो पाए हैं अतः इन क्षेत्रों के विकास हेतु मनरेगा के माध्यम से कार्यों को पूर्ण किया जाता है। मध्यप्रदेश के जनजातीय बाहुल्य जिले झाबुआ एवं बड़वानी में मनरेगा के कार्यों की आवश्यकता को देखें तो आधे से भी अधिक उत्तरदाता मानते हैं कि मनरेगा के सभी कार्य जनजातीय क्षेत्र के विकास हेतु बहुत जरूरी है। 27.5 प्रतिशत उत्तरदाता किये गए कार्यों का सिर्फ जरूरी मानते हैं। 14.5 प्रतिशत इन्हें ज्यादा जरूरी नहीं मानते हैं एवं 07 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। अतः स्पष्ट है कि एक तिहाई से अधिक उत्तरदाता मनरेगा के माध्यम से किए गए कार्यों को जरूरी व बहुत जरूरी मानते हैं।

तालिका 02

मनरेगा के कार्यों में ठेकेदारों की सहभागिता

सहभागिता	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	13	06.5
नहीं	168	84.0
मालूम नहीं	19	09.5
योग	200	100

मनरेगा के अंतर्गत कुछ प्रावधानों को निश्चित किया गया है जिसमें ठेकेदारों की सहभागिता प्रतिबंधित है। अगर ठेकेदारों को सम्मिलित किया जाता है तो ग्रामीण विकास जैसे सड़कें, कृषि कार्य, निर्माण कार्य आदि द्रुतगति से तो होगें लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में निवासरत मजदूरों को व्यक्तिगत आर्थिक नुकसान होगा। अतः तालिकानुसार एक तिहाई से भी अधिक उत्तरदाताओं ने माना है कि मनरेगा के कार्यों में किसी तरह की ठेकेदारी व्यवस्था सम्मिलित नहीं थी।

तालिका 03

परिवार के लिए मनरेगा की उपयोगिता

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
बहुत उपयोगी	37	18.5
कुछ उपयोगी	81	40.5
उपयोगी नहीं	77	38.5
बता नहीं सकते	05	02.5
योग	200	100

मनरेगा का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण मजदूरों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो, पलायन रूके एवं स्थाई संपत्तियों का निर्माण हो। इसके अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी हित से संबंधित कार्य किए जाते हैं जिससे मजदूरों को मजदूरी भी मिल जाती है और उनके व्यक्तिगत कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। तालिका से स्पष्ट है कि 59 प्रतिशत मजदूरों के लिए मनरेगा उनके एवं उनके परिवार के लिए बहुत उपयोगी एवं कुछ उपयोगी है लेकिन जिसने इसे उपयोगी नहीं माना इसके पीछे मुख्य कारण समय पर काम न मिलना, मजदूरी दर कम होना या पंचायतों की उदासीनता माना जा सकता है।

तालिका 04

मनरेगा की आय से टिकाऊ वस्तु पर व्यय

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	43	21.5
नहीं	157	78.5
योग	200	100

कोई भी व्यक्ति किसी भी मंहगी या टिकाऊ वस्तु को खरीदता है तो माना जा सकता है कि उसकी आय अपनी आवश्यकताओं से अधिक है। यह भी सत्य है कि प्रत्येक परिवार को 100 दिन या तो काम नहीं मिला या उसने किसी कारणवश काम नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति या परिवार मनरेगा की आय से स्थाई वस्तु खरीदता है तो यह अर्थ लगाया जा सकता है कि उसका गरीबी से व्यक्तिगत विकास भी हुआ है। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि मात्र 21.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का ही मानना है कि उन्होंने मनरेगा की आय से कोई टिकाऊ वस्तु पर व्यय किया है। एक तिहाई से अधिक उत्तरदाता मानते हैं कि मनरेगा में सतत् काम न मिलना व कम मजदूरी के कारण किसी स्थाई वस्तु को नहीं खरीद सकते।

तालिका 05

मनरेगा की आय से कृषि कार्य पर व्यय

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	16	08.0
नहीं	184	92.0
योग	200	100

जनजातीय क्षेत्र के लोग सामान्यतः लघु किसान हैं जो कि कृषि एवं मजदूरी पर निर्भर हैं। कृषि कार्य पर यह वर्ग सामान्यतः कृषि कार्य के छोटे-मोटे उपकरण, बीज, उर्वरक आदि पर खर्च करता है। अतः स्पष्ट है कि 08 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा से प्राप्त आय को कृषि पर खर्च किया है। 92 प्रतिशत के अनुसार मनरेगा की आय को कृषि कार्य पर व्यय नहीं किया है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने कृषि पर व्यय न करने के पीछे मुख्य कारण कृषि जोत का कम होना या न होना या मनरेगा की आय का निम्न होना मुख्य कारण माना है।

तालिका 06

मनरेगा की आय से घर सुधार पर व्यय

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	43	21.5
नहीं	157	78.5
योग	200	100

जनजातीय क्षेत्र में लोगों के घर सामान्यतः घास-फूस व कच्चे खपरेल वाले अधिक होते हैं। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु से पहले ये अपने घर की मरम्मत करके व्यवस्थित करते हैं। इनके घरों को ठीक करने में इन्हें अधिक खर्च भी नहीं लगता है। छोटे-मोटे खर्च में ही ये अपने घरों को ठीक कर लेते हैं। अतः स्पष्ट है कि 21.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ही मनरेगा की आय को अपने घर सुधारने पर व्यय किया है।

तालिका 07

मनरेगा का परिवार पर प्रभाव

परिवार पर प्रभाव	हाँ (प्रति.)	नहीं (प्रति.)	बता नहीं सकते	योग (प्रति.)
परिवार की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण	42 (21.0)	152 (76.0)	06 (3.0)	200 (100)
पलायन पर रोक लगाने में सहायक	28 (14.0)	164 (82.0)	08 (4.0)	200 (100)
बच्चों को स्कूल भेजने में सहायक	06 (3.0)	189 (94.5)	05 (2.5)	200 (100)
उधारी चुकाने में सहायक	11 (5.5)	185 (92.5)	04 (2.0)	200 (100)
बीमारी से उबारने में सहायक	08 (4.0)	188 (94.0)	04 (2.0)	200 (100)
गाँव में उपयोगी संपत्ति के निर्माण में सहायक	52 (26.0)	144 (72.0)	04 (2.0)	200 (100)

जनजातीय क्षेत्र के लोगों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं अकुशल मजदूरी पर आधारित है। मनरेगा में कार्य करने वाले ज्यादातर आकस्मिक मजदूर होते हैं जो कि समाज में हाशिये पर हैं एवं अत्यधिक गरीबी से पीड़ित हैं। यह समुदाय प्राकृतिक आपदा के अलावा निजी समस्याएं जैसे अत्यधिक ऋणग्रस्तता, खराब स्वास्थ्य, मजदूरी हेतु गांव से बाहर जाना आदि समस्याओं से ग्रसित है। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 21 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि मनरेगा परिवार की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है, 14 प्रतिशत के अनुसार योजना पलायन पर रोक लगाने में सहायक है। 5.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इससे प्राप्त आमदनी को उधारी चुकाने में सहायक एवं 04 प्रतिशत ने बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायक माना है। 26 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि गांव में उपयोगी संपत्ति के निर्माण में मनरेगा सहायक है। अतः कहा जा सकता है कि योजना का परिवार पर कुछ प्रभाव तो पड़ा है लेकिन परिवार की आजीविका के लिए एवं पलायन पर रोक लगाने में भी

मनरेगा का उल्लेखनीय योगदान है।

तालिका 08

मनरेगा के पश्चात् पलायन की स्थिति

स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
कमी आई है	20	10.0
कोई अंतर नहीं	158	79.0
कह नहीं सकते	22	11.0
योग	200	100

जनजातीय क्षेत्र के अधिकांश परिवारों के पास कृषि जोत कम होने के कारण कृषि कार्य के अलावा मजदूरी पर भी निर्भर रहते हैं। गर्मी के मौसम में जनजातीय वर्ग के पास जब मनरेगा में कार्य उपलब्ध नहीं होता है, ऐसी परिस्थिति में यह वर्ग करीबी शहर या प्रदेश से बाहर मजदूरी करने हेतु पलायन कर जाता है। इन क्षेत्रों से पलायन रोकना संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है। 10 प्रतिशत उत्तरदाता जो मानते हैं कि पलायन में कमी आई है। ये वह उत्तरदाता हैं जिन्होंने मनरेगा की कृषि से संबंधित किसी योजना का लाभ लिया है एवं अपनी भूमि पर कृषि उत्पादन बढ़ाने में समर्थ हुए हैं। पलायन की स्थिति को और भी कम करना है तो मनरेगा के प्रावधानों में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है जैसे रोजगार के दिवस को बढ़ाना, मजदूरी की दर बढ़ानी होगी। सतत् कार्य उपलब्ध करवाना होगा साथ ही साथ जब भी मजदूरी की मांग करते हैं उन्हें मजदूरी उपलब्ध होना चाहिए।

निष्कर्ष : मनरेगा के क्रियान्वयन में त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। जॉब कार्ड उपलब्ध कराने से लेकर रोजगार व मजदूरी दिलाने तक की समस्त प्रक्रिया में पंचायतों की भूमिका होती है और ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के माध्यम से किए गए समस्त कार्य ग्रामीण विकास से संबंधित होते हैं, इसी संबंध में देखा जाए तो एक तिहाई से अधिक जॉब कार्डधारियों ने माना है कि मनरेगा के कार्य जरूरी व बहुत जरूरी हैं। मनरेगा के कार्यों को पूर्ण करने के लिए ठेकेदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया है क्योंकि इस व्यवस्था में मजदूरों को मजदूरी का अभाव हो सकता है। तालिका क्रमांक 02 से स्पष्ट है कि 84 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि मनरेगा के कार्यों में ठेकेदारों की सहभागिता नहीं है।

मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों में मुख्यतः तालाब निर्माण एवं कच्ची या पक्की सड़क के निर्माण संबंधी कार्य किए हैं। लाभार्थी इन कार्यों को बहुत जरूरी मानते हैं क्योंकि यह उनके एवं परिवार के लिए कहीं न कहीं आर्थिक सहायता में मददगार हैं। योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् उत्तरदाताओं के परिवार पर मनरेगा का प्रभाव देखें तो गांवों में उपयोगी संपत्ति के निर्माण के अलावा मात्र 21.5 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि उन्होंने मनरेगा की आय से कोई न कोई स्थायी वस्तु पर व्यय किया क्योंकि अधिकांश लोगों के अनुसार मनरेगा की आय या तो सतत् नहीं है या कम मजदूरी के कारण कोई टिकाऊ वस्तु नहीं खरीद सकते हैं और इसी तरह की समस्या कृषि पर खर्च करने की है।

जनजातीय क्षेत्र में जो लोग मनरेगा में मजदूरी करते हैं उनके घर सामान्यतः कच्चे बने होने के कारण घर सुधार की सामग्री उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में ही उपलब्ध हो जाती है इस कारण ये लोग घर को व्यवस्थित करने में ज्यादा खर्च नहीं करते हैं। जनजातीय परिवार पर मनरेगा का प्रभाव देखें तो अधिकांश लाभार्थी मानते हैं कि मनरेगा उनके परिवार की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण नहीं है उसी तरह मनरेगा का मुख्य उद्देश्य पलायन को रोकना या कम करना है उसमें भी 82 प्रतिशत लोगों ने माना कि पलायन रोकने में भी मनरेगा पूर्णतः सफल नहीं हो पाई है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मनरेगा जैसी प्रभावी एवं उपयोगी योजना के संदर्भ में जनजातीय क्षेत्र में लोगों की जागरूकता का स्तर संतोषजनक न होने के कारण ये लोग इसका समुचित लाभ नहीं उठा पाते हैं। मनरेगा से रोजगार सृजन के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी होता है रोजगार सृजन तो हुआ है लेकिन जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं है। व्यक्तिगत या लाभार्थीमूलक योजनाओं से लघु एवं सीमांत किसानों को भूमि-सुधार से संबंधित लाभ हुआ है परंतु भूमिहीन को अभी भी पूरे समय काम नहीं मिलता है एवं वे पलायन करने पर मजबूर हैं, यद्यपि पलायन के दिनों में आंशिक कमी जरूर दिखाई देती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जनजातीय संदर्भों में योजना प्रभावी तो है लेकिन जागरूकता के अभाव एवं पंचायतों की उदासीनता के रहते ये अपना प्रभाव पूरी तरह नहीं छोड़ पा रही है।

सुझाव : मनरेगा को जनजातीय क्षेत्रों में अधिक प्रभावी एवं महत्वपूर्ण बनाने के लिए निम्न उपाय किये जाना

आवश्यक हैं।

1. जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत कार्य तभी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए जब कार्डधारियों को उसकी आवश्यकता है।
2. मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वालों को उनकी मजदूरी का भुगतान एक छोटे किंतु नियमित अंतराल पर लगातार होना चाहिए जिससे कि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर कर सकें।
3. मजदूरी दर को स्थानीय दर के अनुसार प्रदान करना चाहिए अर्थात् कई गांव मे मनरेगा की मजदूरी कम व निजी क्षेत्र में मजदूरी दर अधिक है। अतः असमानता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
4. जनजातीय क्षेत्रों में कम कृषि जोत वाले किसान भी होते हैं वे अपनी कृषि भूमि में किसी न किसी उपयोजना का लाभ लेना चाहते हैं जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है यह जिम्मेदारी पंचायतों की है कि उन्हें भी लाभ मिले जिससे ग्रामीण गरीबों के कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके।
5. जनजातीय क्षेत्रों के मजदूर सामान्यतः गर्मियों के समय खाली हाथ होते हैं एवं इसी समय यह समुदाय अन्य क्षेत्रों में मजदूरी हेतु पलायन करता है, जनजातीय क्षेत्र की पंचायतों को इस समय अधिक से अधिक काम उपलब्ध कराना चाहिए ताकि इन लोगों के पलायन पर रोक लगे एवं स्थानीय स्तर पर ही उन्हें मजदूरी उपलब्ध हो सके।
6. मनरेगा के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर एक समिति का गठन करना चाहिए। यह समिति साल में एक बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर मनरेगा के संबंध में समस्त जॉब कार्डधारियों के मध्य बैठक करे और योजना क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को जाने तथा उनका समाधान करे।

संदर्भ

1. पटेल, पी.पी., 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी अधिनियम', ग्रामीण विकास समीक्षा, एनआइआरडी हैदराबाद, अंक 48, नवंबर 2011, पृ. 95
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2006-2007, पृ. 02
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005, महात्मा गांधी नरेगा प्रतिवेदन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2013, पृ. 03
4. वही, फरवरी 2014, पृ. 08
5. अटल, योगेश एवं सिसोदिया यतीन्द्र सिंह, 'आदिवासी भारत', रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2011 पृ. 18
6. गुप्ता, मंजू, 'जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक उत्थान', अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2011, पृ. 04
7. शर्मा जी.के., 'पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से मनरेगा का क्रियान्वयन', आईसीएसएसआर, नई दिल्ली, 2014, पृ. 21
8. राजपूत, उदयसिंह, 'आदिवासी विकास एवं गैर-सरकारी संगठन', रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2010, पृ.03
9 शर्मा जी.के., पूर्वोक्त,, पृ. 26
10. Sisodiya, Yatindra Singh, 'Decentralized Governance in Madhya Pradesh', Experience of the Gramsabha in Scheduled Area in Economic and Politically Weekly, Oct. 2002.
11. Joshi, Y.G., 'Tribal Migration', Rawat Publication, Jaipur, 1997.
12. भट्ट, आशीष, 'लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं जनजातीय नेतृत्व', रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, 2002
13. Shah, D.C., 'Livelihood Struggles Agriculture in Tribal Gujrat', Rawat Publication, Jaipur, 2004.
14. Reddy, P. Sudhakar and Reddy V. Natayam, 'Incidence of Indebtedness among the Trible in Schedule', Fifth Areas, NIRD, Hyderabad, 2005.
15. गुप्ता, रमणिका, 'आदिवासी कौन', राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008
16. Mourya, R.D., 'Tribals and Panchayats of Central India', B.R. Publishing Corporation, Delhi, 2009.
17. राजपूत, उदयसिंह, पूर्वोक्त

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

गौतम बुद्ध केंद्रीय पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की ओपन एक्सेस जर्नल पर अवधारणाः एक सर्वेक्षण

❑ नेहा कन्नौजिया
❖ डॉ. शिल्पी वर्मा

इस पेपर का उद्देश्य लखनऊ के बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) की गौतम बुद्ध सेंट्रल लाइब्रेरी के उपयोगकर्ताओं की ओपन एक्सेस जर्नल के प्रति उनकी अवधारणा को प्रस्तुत करना है। अध्ययन के डेटा संग्रह के लिए, सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया गया है। एक अर्ध-संरचित प्रश्नावली का इस अध्ययन में ओपन और क्लोज-एंड प्रश्नावली अनुसंधान उपकरण के रूप में उपयोग किया गया है। बीबीएयू की केंद्रीय लाइब्रेरी विभिन्न पुस्तकालय कार्यों और सेवाओं के प्रबंधन के लिए पारंपरिक ओपन एक्सेस जर्नल पर आधारित संसाधनों और समाधानों को लागू करने में शामिल रही है। अध्ययन में ज्ञात करना रहा है कि छात्र ओपन एक्सेस जर्नल के बारे में जानते हैं या नहीं और उनके उपयोग करने के उद्देश्य को ज्ञात करना है। अध्ययन में अध्ययनकर्ता ने पाया कि विषय की विशेष रूप से जानकारी को व्यवस्थित और प्राप्त करने के लिए अधिकांश छात्र ओपन एक्सेस जर्नल का प्रयोग करते हैं और उनका इसे प्रयोग करने का उदेद्श्य अपने अध्ययन कार्य और शोध कार्य पर क्रेंदित होता है। इसके लिए वे विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकलय की पुस्तकालय वेबसाइट लिंक का उपयोग करते हैं।

ओपन एक्सेस जर्नल इलेक्ट्रॉनिक संसाधन हैं जो अब उपयोगकर्ता को मुफ्त में मुफ्त में उपलब्ध हैं। लेखों तक पहुँचने और डाउनलोड करने के लिए किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। उपयोगकर्ता इन लेखों के पूर्ण पाठों को पढ़, डाउनलोड, कॉपी, वितरित, प्रिंट, खोज या लिंक कर सकते हैं। ओपन एक्सेस रिसोर्सेज केवल ओपन एक्सेस जर्नल तक सीमित नहीं हैं, लेकिन यह ओपन ई-बुक, ओपन डेटाबेस, ओपन एक्सेस रिपॉजिटरी और संस्थागत डिपॉजिटरी जैसे रूपों में भिन्न हो सकते हैं।

ओपन एक्सेस जर्नल विकासशील देशों में तेजी से शिक्षण और अनुसंधान के लिए जानकारी के स्रोत के रूप में इंटरनेट पर अनुकूल हैं। ई-जर्नल्स और अन्य ई-संसाधनों के उपयोग को निर्धारित करने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं।

ओपन एक्सेस इनिशिएटिव पुस्तकालय साहित्य में पहले के वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव (ओएआई) की उत्पत्ति 2001 में खुले पहुंच लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दो मुख्य साधन हैं, जो कि "गोल्ड ओपन एक्सेस जर्नल'' या "लेखक वेतन" और "ग्रीन ओपन एक्सेस जर्नल" या "सेल्फ-आर्काइविंग" के नाम से जानते हैं।

पीटर सबर ने ओपन एक्सेस के बारे में जर्नल लेखों और पुस्तकों के बारे में संक्षेप में वर्णन किया है जो डिजिटल और ऑनलाइन रूप में उपलब्ध है, बिना किसी शुल्क के, अधिकांश कॉपीराइट और लाइसेंसिंग बाधाओं से मुक्त है। ओपन एक्सेस रिपॉजिटरी में वे लेख शामिल हो सकते हैं जो ओपन एक्सेस जर्नल या क्लोज-एक्सेस जर्नल में प्रकाशित किए गए थे।

ई-जर्नल अब संकाय, शोधकर्ता और छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ओपन एक्सेस जर्नल भी ओपन एक्सेस इनिशिएटिव के सीखने और संसाधनों का एक उपकरण है। यह ऑनलाइन तकनीकों द्वारा सीखने योग्य है। पिछले दशक ने नए ओपन एक्सेस जर्नल्स को बढ़ाया है। ओपन एक्सेस जर्नल्स की निर्देशिका (डीओएज) 2006 में 2,514 पत्रिकाओं से बढ़कर 2015 के अंत में 10,963 हो गई।[1]

उपयोगकर्ता की अवधारणा : प्रौद्योगिकी के युग में, ओपन एक्सेस जर्नल संकाय, शोधकर्ता और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अधिक प्रासंगिक उपकरण है। प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता को ज्ञात हुआ कि उपयोगकर्ताओं को ओपन एक्सेस जर्नल्स के बारे में पता है। ओपन एक्सेस जर्नल के बारे में उनकी जानकारी से स्पष्ट

❑ शोध अध्येत्री, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)
❖ विभागाध्यक्ष, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)

होता है कि विद्वानों के संचार के लिए ओपन एक्सेस जर्नल और वाणिज्यिक व्यापार मॉडल की उनकी प्राथमिकता और ओपन एक्सेस जर्नल पर उपयोगकर्ता की अवधारणा बताता है। पुस्तकालय सेवाओं के संदर्भ में, यह पुस्तकालय सेवाओं से प्राप्त लाभ को अपने उपयोगकर्ताओं को दिखाता है।

साहित्य समीक्षा

साहित्य की समीक्षा, विद्वानों के पत्रों का एक पाठ है जिसमें वर्तमान ज्ञान और उनके महत्वपूर्ण निष्कर्ष शामिल होते हैं, साथ ही किसी विशेष विषय के लिए सैद्धांतिक और पद्धतिगत योगदान भी शामिल होते हैं। इस विषय के लिए कुछ प्राथमिक और माध्यमिक सूचना स्रोतों को स्कैन किया गया है।

मुथुवेंनिला, एस. और थानसुकोड़ी, एस. इध्या कॉलेज फॉर वूमेन में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के छात्रों में उपयोग किए जाने वाले ओपन एक्सेस उपयोग संसाधनों पर पहुंच की धारणा और उपयोग की जांच के लिए एक अध्ययन किया गया था। इस पत्र में, ओपन एक्सेस संसाधनों के बारे में जागरूकता का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली जिसमें डेटा संग्रह में प्रश्नावली, साक्षात्कार और टिप्पणियों का उपयोग किया गया था। अध्ययन में कुल 131 उत्तरदाताओं ने भाग लिया। आवृत्ति के 80 (61.07 प्रतिशत) यूजी छात्र हैं जबकि 51 (38.93 प्रतिशत) पीजी छात्र हैं, जो ईध्या कॉलेज फॉर वुमेन में खुले उपयोग के संसाधनों का उपयोग करते हैं। ओपन एक्सेस रिसोर्सेज 32 (24.43 प्रतिशत) का उपयोग करने वाले उत्तरदाता केवल अनुसंधान उद्देश्य के लिए सूचना का उपयोग करते हैं। आवृत्ति-वार उत्तरदाताओं का उपयोग खुले उपयोग के संसाधनों में 25 (19.08 प्रतिशत) दैनिक में किया जाता है।[2]

प्रिंस, जी. और सरावण, पी. का अध्ययन, कन्याकुमारी जिले में उच्च शिक्षण संस्थानों में उपयोगकर्ताओं की जागरूकता और धारणा का खुला उपयोग संसाधनों के प्रति विश्लेषण करता है। अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य खुले पहुंच संसाधनों के उपयोग के बारे में जागरूकता, उद्देश्य और खुली पहुंच संसाधनों का उपयोग करने के लिए कारण, संतुष्टि और संतुष्टि के स्तर का पता लगाना है। कन्याकुमारी जिले के कला और विज्ञान, इंजीनियरिंग, शिक्षा कॉलेजों और विश्वविद्यालय के छात्रों, अनुसंधान विद्वानों और संकाय सदस्यों से डेटा एकत्र किया गया था।अध्ययन से पता चलता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं को खुले शैक्षणिक संसाधनों और उनकी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उपयोग के बारे में पूरी तरह से पता था और उत्तरदाताओं में से अधिकांश अपने पाठ्यक्रम से संबंधित कार्यों के लिए खुले उपयोग संसाधनों का उपयोग कर रहे थे और अपनी शैक्षणिक गतिविधि में इसके उपयोग को संतुष्ट थे।[3]

इकबाल, जे.के., के पेपर का उद्देश्य अल ऐन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किए गए एक सर्वेक्षण के निष्कर्षों की रिपोर्ट करना है ताकि संकाय जागरूकता, उपयोग और ओपन एक्सेस संसाधनों की धारणा की जांच की जा सके। संयुक्त अरब अमीरात में पढ़ाने वाले पूर्णकालिक संकाय सदस्यों से वेब-आधारित सर्वेक्षण प्रश्नावली का उपयोग करते हुए, डेटा एकत्र किए गए थे। अध्ययन में पाया गया कि संकाय सदस्यों के पास एक अच्छा ज्ञान और संसाधनों की एक सकारात्मक धारणा है। वे शिक्षण, सीखने और अनुसंधान गतिविधियों के लिए अक्सर संसाधनों का उपयोग करते हैं। हालांकि, निष्कर्ष बताते हैं कि महिला संकाय सदस्य पुरुष संकाय सदस्यों की तुलना में ओए संसाधनों का उपयोग करने की अधिक संभावना रखते हैं।

काज़ी एवं अन्य ने मौजूदा खनन अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित किया है और केवल दो प्रकार की समीक्षाओं का पता लगाया है नियमित और तुलनात्मक। ग्राहकों और डिजाइनरों के दृष्टिकोण से उपयोगी समीक्षा प्रकारों के निर्धारण में एक दृश्य अंतर। प्रौद्योगिकी स्वीकृति मॉडल और सांख्यिकीय उपायों के आधार पर हम ऑनलाइन समीक्षा प्रणाली का उपयोग करने के प्रति व्यवहारिक इरादे के संदर्भ में विभिन्न समीक्षा प्रकारों और इसके प्रभावों के बारे में उपयोगकर्ताओं की धारणा की जांच करते हैं।उपयोगकर्ताओं और डिजाइनरों के नमूने का उपयोग करके वर्तमान शोधकार्य तीन पुनरावलोकन, ए (नियमित), बी (तुलनात्मक), और सी (विचारोत्तेजक) का अध्ययन करता है, जो कथित उपयोगिता, कथित उपयोग में आसानी और व्यवहारिक इरादे से संबंधित हैं। अध्ययन से पता चलता है कि विचारोत्तेजक समीक्षाओं के उपयोग की सकारात्मक धारणा से व्यवसायिक बुद्धि में उपयोगकर्ताओं के निर्णय लेने में सुधार होता है। परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि टाइप सी (विचारोत्तेजक समीक्षाएं) को एक नया उपयोगी समीक्षा प्रकार माना जा सकता है।अन्य प्रकार, ए और बी के अलावा उपयोगी समीक्षा के प्रकार हैं।[5]

अध्ययन समस्या : वर्तमान अध्ययन का शीर्षक "बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध केंद्रीय पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की खुली

पहुंच पत्रिका पर अवधारणा एक सर्वेक्षण" है। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय का नाम भारतीय संविधान के निर्माता बाबासाहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। विश्वविद्यालय प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जनवरी 1996 को हुई थी।

गौतम बुद्ध केंद्रीय पुस्तकालय : ज्ञान और सूचना के प्रभावी प्रसार के माध्यम से ज्ञान और अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 1998 में सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। बीबीएयू की सेंट्रल लाइब्रेरी ने भगवान गौतम बुद्ध के नाम पर गौतम बुद्ध सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम रखा है। पुस्तकालय, पुस्तकालय सलाहकार समिति (एलएसी) द्वारा शासित है।

अध्ययन का उद्देश्य : प्रस्तुत अनुसंधान कार्य का मुख्य उद्देश्य बीवीएयू के पुस्तकालय में उपयोगकर्ताओं की ओपन एक्सेस जर्नल के प्रति उनकी अवधारणा एवं प्रभाव को प्रकट करना है। अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं

1 ओपन एक्सेस जर्नल के प्रति उच्च शिक्षण संस्थानों में उपयोगकर्ताओं की जागरूकता का निर्धारण करना

2 ओपन एक्सेस जर्नल का उपयोग करने के उद्देश्य और कारणों का निर्धारण करना

3 ओपन एक्सेस जर्नल का उपयोग करने पर उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि के स्तर का पता लगाना

4 ओपन एक्सेस जर्नल के प्रति उपयोगकर्ता की धारणाओं को निर्धारित करना

अध्ययन की परिकल्पनाएँ : संबंधित साहित्य और अध्ययन के लिए निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित परिकल्पनाएँ तैयार की गई हैं

1 ओपन एक्सेस जर्नल की उपयोगिता के बारे में शोधकर्ताओं के बीच एक समान राय मौजूद है।

2 ओपन एक्सेस जर्नल के उपयोग और उपयोग में समस्याएं हैं।

शोध पद्धति : अध्ययन हमेशा कई तथ्यात्मक आंकड़ों में बदल जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में आवश्यक जानकारी को प्राप्त करने के लिए, सबसे लोकप्रिय सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया गया। धरातलीय यथार्थ और किसी स्थिति के अत्याधुनिक अध्ययन और वर्णन के लिए सर्वेक्षण विधि की जाती है।

अनुसंधान उपकरण : अध्ययन बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं के बीच आयोजित किया गया है। ऐसा करने के लिए, सर्वेक्षण तकनीक और एक अर्ध-संरचित प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार विधि का व्यापक रूप से डेटा संग्रह के लिए उपयोग किया गया है। अध्ययन के समस्त उपयोगकर्ताओं का चयन सरल यादृच्छिक नमूना तकनीक के अंतर्गत किया गया है।

अध्ययन में यह सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रश्नावली विधि का उपयोग आवश्यक जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया गया है। प्रश्नावली को व्यक्तिगत माध्यम से ई-मेल व इंटरनेट (वेब-प्रश्नावली) द्वारा वितरित किया गया।

विश्लेषण

अध्ययन के प्रतिभागी बीबीएयू में यूजी, पीजी और पीएचडी छात्र हैं। विभिन्न तरीकों के माध्यम से डेटा एकत्र करने के बाद अगले चरण डेटा विश्लेषण के अंतर्गत बीवीएयू की गौतम बुद्ध सेंट्रल लाइब्रेरी के उपयोगकर्ताओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल (आईटी) और पुस्तकालय शिक्षा का विश्लेषण किया है। अध्ययन के डेटा संग्रह के लिए 120 प्रश्नावली उपयोगकर्ताओं के लिए पुस्तकालय में वितरित की गई और 100 भरी हुई प्रश्नावली प्राप्त हुई। इसलिये, डेटा विश्लेषण 100 प्रश्नावली पर आधारित है।

तालिका 1

ओपन एक्सेस जर्नल्स के बारे में जागरूकता और उपयोग

विकल्प	हां	नहीं
जानते हैं	85(85)	15(15)
जर्नल का उपयोग करते हैं	70 (70)	30(30)

तालिका 1 का परिणाम दर्शाता है कि 85 प्रतिशत उत्तरदाता ओपन एक्सेस जर्नल के बारे में जानते हैं, और 70 प्रतिशत उत्तरदाता ओपन एक्सेस जर्नल का उपयोग करते हैं, यह तालिका दिखाती है कि अधिकांश उत्तरदाता ओपन एक्सेस जर्नल के बारे में जानते और उनका उपयोग भी करते हैं।

तालिका 2

ओपन एक्सेस जर्नल का उपयोग करने का उद्देश्य

विकल्प	प्रत्युत्तर	प्रतिशत
अध्ययन कार्य के लिए	40	40
अद्यतन विषय ज्ञान के लिए	22	22
लेख लिखने के लिए	4	4

शिक्षण कार्य हेतु	2	2
शोध कार्य के लिए	32	32
कुल	100	100

तालिका 2 के परिणाम से पता चलता है कि अधिकांश छात्र (40 प्रतिशत) अध्ययन कार्य के लिऐ ओपन एक्सेस जर्नल का उपयोग कर रहे हैं। 32 प्रतिशत उपयोगकर्ता शोध कार्य के लिए 22 प्रतिशत अद्यतन विषय ज्ञान के लिए, जबकि क्रमशः 2 प्रतिशत और 4 प्रतिशत उपयोगकर्ता शिक्षण कार्य हेतु और लेख लिखने के लिए ओपन एक्सेस जर्नल का उपयोग कर रहे हैं। तालिका दर्शाती है कि अधिकांश छात्र अध्ययन कार्य और शोध कार्य के लिए ओपन एक्सेस जर्नल का उपयोग कर रहे हैं

तालिका 3

ओपन एक्सेस जर्नल की उपयोग आवृत्ति -

विकल्प	प्रत्युत्तर	प्रतिशत
दैनिक	36	36
मासिक	25	25
साप्ताहिक	25	25
कभी-कभी	14	14
कुल	100	100

तालिका 3 के परिणाम से पता चलता है कि अधिकांश छात्र (36 प्रतिशत) शिक्षा में ओपन एक्सेस जर्नल का उपयोग दैनिक रूप में करते हैं जबकि क्रमशः 25, 25 प्रतिशत उपयोगकर्ता साप्ताहिक और मासिक में ओपन एक्सेस जर्नल का उपयोग हैं, 14 उपयोगकर्ता कभी-कभी ओपन एक्सेस जर्नल का उपयोग करते हैं।

तालिका 4

ओपन एक्सेस जर्नल कहां ब्राउज करते हैं -

विकल्प	प्रत्युत्तर	प्रतिशत
केंद्रीय पुस्तकालय	45	45
विभागीय पुस्तकालय	14	14
साइबर कैफे	20	20
घर पर	17	17
अन्य स्थानों	4	4
कुल	100	100

तालिका 4 से पता चलता है कि अधिकांश उपयोगकर्ता (45 प्रतिशत) ओपन एक्सेस जर्नल का उपयोग करने के लिए केंद्रीय पुस्तकालय का चयन करते हैं। 20 प्रतिशत उपयोगकर्ता कंप्यूटर साइबर कैफे का उपयोग करते हैं, 17 प्रतिशत छात्र घर पर ही, 14 प्रतिशत विभागीय पुस्तकालय का तथा 4 प्रतिशत उपयोगकर्ता अन्य जगहों का उपयोग करते हैं। इस तालिका के माधयम से यह पता चलता है की केंद्रीय पुस्तकालय का उपयोग अधिकांश रूप में किया जाता है।

तालिका 5

ओपन एक्सेस पत्रिकाओं चयन के लिए मानदंड

विकल्प	प्रत्युत्तर	प्रतिशत
उपयोगकर्ता की जरूरत को पूरा करने के लिए	36	36
विक्रेता की विश्वसनीयता	20	20
विषय की प्रासंगिकता	20	20
सूचना की प्रामाणिकता	16	16
अभिगमन की अवधि	8	8
कुल	100	100

तालिका 5 से पता चलता है कि अधिकांश छात्र (36 प्रतिशत) अपने विषय सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने के लिए ओपन एक्सेस जर्नल का उपयोग करते हैं। क्रमशः 20-20 प्रतिशत छात्र विक्रेता की विश्वसनीयता और विषय की प्रासंगिकता के आधार पर ओपन एक्सेस जर्नल का चयन करते हैं। क्रमशः 16 प्रतिशत और 8 प्रतिशत छात्र सूचना की प्रामाणिकता और अभिगमन की अवधि के आधार पर ओपन एक्सेस जर्नल का चयन करते हैं। तालिका दर्शाती है की अधिकांश छात्र अपने विषय सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने के लिए ओपन एक्सेस जर्नल का उपयोग करते हैं।

तालिका 6

ओपन एक्सेस जर्नल एक्सेस करने के लिए लिंकिंग पैटर्न का उपयोग

विकल्प	प्रत्युत्तर	प्रतिशत
लाइब्रेरी वेबसाइट लिंक	34	34
पब्लिशर्स वेबसाइट लिंक	21	21
सर्च इंजन वेबसाइट लिंक	30	30
ओपन एक्सेस जर्नल वेबसाइट लिंक	15	15
कुल	100	100

तालिका 6 से पता चलता है कि अधिकांश छात्र (34 प्रतिशत) ओपन एक्सेस जर्नल के लिए लाइब्रेरी वेबसाइट लिंक का प्रयोग करते हैं। 30 प्रतिशत छात्र सर्च इंजन वेबसाइट लिंक का, 21 प्रतिशत छात्र पब्लिशर्स वेबसाइट लिंक का और 15 प्रतिशत छात्र ओपन एक्सेस जर्नल वेबसाइट लिंक का प्रयोग जर्नल की खोज के लिए करते हैं।

तालिका 7

ओपन एक्सेस जर्नल का उपयोग करने की विधि

विकल्प	प्रत्युत्तर	प्रतिशत
पर्सनल कंप्यूटर पर	45	45
एंड्रॉइड मोबाइल	28	28
प्रिंट मीडिया	14	14
स्टोरेज डिवाइस में डाउनलोड	13	13
कुल	100	100

तालिका 7 से पता चलता है कि अधिकांश छात्र (45 प्रतिशत) ओपन एक्सेस जर्नल के लिए अपने पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। 28 प्रतिशत छात्र एंड्रॉइड मोबाइल का, 14 प्रतिशत छात्र प्रिंट जर्नल का और 13 प्रतिशत छात्र ओपन एक्सेस जर्नल को स्टोरेज डिवाइस में डाउनलोड करते हैं।

तालिका 8

ओपन एक्सेस जर्नल के कौन से प्रारूप का उपयोग

विकल्प	प्रत्युत्तर	प्रतिशत
एचटीएमएल	20	20
पीडीएफ	55	55
वीडियो और ऑडियो	11	11
चित्र	14	14
कुल	100	100

तालिका 8 से पता चलता है कि अधिकांश छात्र (55 प्रतिशत) ओपन एक्सेस जर्नल के लिए पीडीएफ प्रारूप का उपयोग करते हैं। 20 प्रतिशत छात्र एचटीएमएल प्रारूप का, 14 प्रतिशत छात्र वीडियो और ऑडियो प्रारूप का और 11 प्रतिशत छात्र ओपन एक्सेस जर्नल को चित्र प्रारूप में डाउनलोड करते हैं। तालिका से ज्ञात होता है कि अधिकांश छात्र ओपन एक्सेस जर्नल को पीडीएफ प्रारूप में उपयोग करते हैं।

तालिका 9

ओपन एक्सेस जर्नल्स के लिए प्रयुक्त खोज इंजन का उपयोग

विकल्प	प्रत्युत्तर	प्रतिशत
गूगल	74	74
याहू	12	12
अल्टा विस्टा	9	9
लाइकोस	5	5
कुल	100	100

तालिका 9 से पता चलता है कि अधिकांश छात्र (74 प्रतिशत) ओपन एक्सेस जर्नल के लिए गूगल सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। 12 प्रतिशत छात्र याहू का इस्तेमाल करते हैं। 11 प्रतिशत छात्र अल्टा विस्टा सर्च इंजन का और 9 प्रतिशत छात्र ओपन एक्सेस जर्नल के लिए लाइकोस का इस्तेमाल करते है। तालिका दिखाती है कि अधिकांश छात्र ओपन एक्सेस जर्नल सर्च के लिए गूगल सर्च इंजन का उपयोग करते हैं।

तालिका 10

खोज तकनीकों का उपयोग सहायक जर्नल को प्राप्त करने के लिऐ किया जाता है

विकल्प	प्रत्युत्तर	प्रतिशत
यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर	45	45
खोज इंजन	10	10
विषय	5	5
की-वर्ड	15	15
शीर्षक	10	10
डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफ़ायर	15	15
कुल	100	100

तालिका 10 के परिणामों से ज्ञात होता है की अधिकांश छात्र (45 प्रतिशत) शिक्षा में ओपन एक्सेस जर्नल की खोज के लिए यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर की मदद लेते हैं। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि क्रमशः 15, 15 प्रतिशत छात्र ओपन एक्सेस जर्नल की खोज के लिए की-वर्ड और डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर का सहयोग लेते हैं। क्रमशः 10-10 प्रतिशत छात्र सर्च इंजन और शीर्षक का उपयोग तथा 5 प्रतिशत छात्र ओपन एक्सेस जर्नल की खोज के लिए विषय की सहायता लेते हैं।

तालिका 11

ओपन एक्सेस जर्नल के उपयोग के स्रोत

विकल्प	प्रत्युत्तर	प्रतिशत
डोज (ओपन एक्सेस जर्नल की निर्देशिका)	28	28
डी-लिब पत्रिका	10	10
निःशुल्क पूर्ण पाठ	25	25
साक्ष्य आधारित पुस्तकालय और सूचना अभ्यास	7	7
प्लोस (विज्ञान का सार्वजनिक पुस्तकालय)	20	20
लाइब्रेरी दर्शन और अभ्यास	10	10
कुल	100	100

तालिका 11 से पता चलता है कि अधिकांश छात्र (28 प्रतिशत) डोज और 25 प्रतिशत निःशुल्क पूर्ण पाठ, जैसे संसाधन का अधिक प्रयोग करते हैं। 20 प्रतिशत छात्र प्लोस का उपयोग तथा क्रमशः 10-10 प्रतिशत छात्र डी-लिब पत्रिका और लाइब्रेरी दर्शन और अभ्यास का प्रयोग करते हैं और 7 प्रतिशत छात्र साक्ष्य आधारित पुस्तकालय और सूचना अभ्यास का प्रयोग करते हैं। तालिका से ज्ञात होता है की अधिकांश छात्र ओपन एक्सेस जर्नल के संशाधन का उपयोग कर रहे हैं।

तालिका 12

ओपन एक्सेस जर्नल ब्राउज़ करते समय समस्याएँ

विकल्प	रिस्पांस	प्रतिशत
कई जर्नल उपलब्ध नहीं हैं	32	32
प्रशिक्षण की कमी	12	12
बहुत समय लगेगा	17	17
प्रिंट जर्नल बेहतर है	28	28
कॉपीराइट / लाइसेंसिंग मुद्दे	11	11
कुल	100	100

तालिका 12 के परिणाम से ज्ञात होता है की 32 प्रतिशत छात्र मानते हैं कि ओपन एक्सेस जर्नल की खोज में बहुत से जर्नल प्राप्त नहीं होते हैं। 28 प्रतिशत छात्रों की मान्यता है कि प्रिंट जर्नल ज्यादा बेहतर होते हैं। 17 प्रतिशत छात्र मानते हैं कि जर्नल सर्च करने में ज्यादा समय लगता है। 12 प्रतिशत उपयोगकर्ता मानते हैं कि उनके सर्च करने की प्रक्रिया में प्रशिक्षण की कमी है तथा 11 प्रतिशत उपयोगकर्ता कॉपीराइट/लाइसेंसिंग मुद्दे को ओपन जर्नल के प्रयोग में बाधा मानते हैं।

अध्ययन के प्रमुख बिंदु : प्रस्तुत अध्ययन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष निकले-

1. कुल उत्तरदाताओं में से लिंग वार वितरण मे 65 प्रतिशत पुरुष और 35 प्रतिशत महिलाएं थीं। पुस्तकालय के उपयोग की आवृत्ति के संबंध में पाया गया कि अधिकांश छात्र जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन पुस्तकालय जाते हैं और नियमित रूप से 1 से 3 घंटे का समय बिताते हैं।
2. अधिकांश छात्र (85 प्रतिशत) ओपन एक्सेस जर्नल के बारे में जानते हैं तथा 70 प्रतिशत ओपन एक्सेस जर्नल का उपयोग भी करते हैं।
3. अधिकांश छात्र (40 प्रतिशत) अध्ययन कार्य के लिऐ ओपन एक्सेस जर्नल का उपयोग कर रहे हैं। 32 प्रतिशत उपयोगकर्ता शोध कार्य के लिए, 22 प्रतिशत अद्यतन विषय ज्ञान के लिए, जबकि क्रमशः 2 और 4 प्रतिशत उपयोगकर्ता शिक्षण कार्य हेतु और लेख लिखने के लिए ओपन एक्सेस जर्नल का उपयोग कर रहे हैं।
4. अधिकांश छात्र (36 प्रतिशत) शिक्षा में ओपन एक्सेस जर्नल का उपयोग दैनिक रूप में करते हैं और क्रमशः 25, 25 प्रतिशत उपयोगकर्ता साप्ताहिक और मासिक में तथा 14 प्रतिशत उपयोगकर्ता कभी-कभी ओपन एक्सेस जर्नल का उपयोग करते हैं।
5. अधिकांश छात्र (36 प्रतिशत) अपने विषय सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने के लिए ओपन एक्सेस जर्नल का उपयोग करते हैं। क्रमशः 20, 20 प्रतिशत छात्र विक्रेता की विश्वसनीयता और विषय की प्रासंगिकता के आधार पर ओपन एक्सेस जर्नल का चयन करते हैं। क्रमशः 16 और 8 प्रतिशत छात्र सूचना की प्रामाणिकता और अभिगमन की अवधि के आधार पर ओपन एक्सेस जर्नल का चयन करते हैं।
6. अधिकांश छात्र (34 प्रतिशत) ओपन एक्सेस जर्नल के लिए लाइब्रेरी वेबसाइट लिंक का प्रयोग करते हैं। 30 प्रतिशत छात्र सर्च इंजन वेबसाइट लिंक का, 21 प्रतिशत छात्र पब्लिशर्स वेबसाइट लिंक का और 15 प्रतिशत छात्र ओपन एक्सेस जर्नल वेबसाइट लिंक का प्रयोग जर्नल की खोज के लिए करते हैं।
7. अधिकांश छात्र (45 प्रतिशत) शिक्षा में ओपन एक्सेस जर्नल की खोज के लिए यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर की मदद लेते हैं। क्रमशः 15, 15 प्रतिशत छात्र ओपन एक्सेस जर्नल की खोज के लिए की-वर्ड और डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर का सहयोग लेते हैं तथा क्रमशः 10-10 प्रतिशत छात्र सर्च इंजन और शीर्षक का उपयोग करते हैं और 5 प्रतिशत छात्र विषय की सहायता लेते हैं।
8. अधिकांश छात्र (28 प्रतिशत) डोज (डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर) और 25 प्रतिशत निःशुल्क पूर्ण पाठ, जैसे संसाधन का अधिक प्रयोग करते हैं। 20 छात्र प्लोस (विज्ञान का सार्वजनिक पुस्तकालय) का उपयोग करते हैं। क्रमशः 10, 10 प्रतिशत छात्र डी-लिब पत्रिका और लाइब्रेरी दर्शन और अभ्यास का, तथा 7 प्रतिशत छात्र साक्ष्य आधारित पुस्तकालय और सूचना अभ्यास का प्रयोग करते हैं।
9. अध्ययन के 32 प्रतिशत छात्र मानते हैं कि ओपन

एक्सेस जर्नल की खोज में बहुत से जर्नल प्राप्त नहीं होते हैं, 28 प्रतिशत की अवधारणा है कि प्रिंट जर्नल ज्यादा बेहतर होते हैं, 17 प्रतिशत मानते हैं कि जर्नल सर्च करने में ज्यादा समय लगता है, 12 प्रतिशत मानते हैं कि उनके सर्च करने की प्रक्रिया में प्रशिक्षण की कमी है, 11 प्रतिशत कॉपीराइट/लाइसेंसिंग मुद्दे को ओपन जर्नल के प्रयोग में बाधा मानते हैं।

अध्ययन के प्रमुख सुझाव : अध्ययन के परिणामस्वरूप निकले प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं -

1. विश्वविद्यालय पुस्तकालय को आईसीटी के बेहतर उपयोग के लिए छात्रों के लिए समय-समय पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए।
2. ज्यादातर छात्रों ने सुझाव दिया कि पुस्तकालय को इंटरनेट की गति में सुधार करना चाहिए और वाई-फाई के निश्चित कोटा से अधिक डेटा प्रदान करना चाहिए जिससे वह अपनी पाठ्य सामग्री हेतु ओपन एक्सेस जर्नल को एक्सेस कर सकें।
3. पुस्तकालय में ओपन एक्सेस जर्नल के और अधिक डेटाबेस एक्सेस करना चाहिये ।
4. 24×7 पुस्तकालय खोलने के लिए पुस्तकालय का समय बढ़ाएं।
5. विश्वविद्यालय आधुनिक युग के अनुसार आईसीटी एप्लिकेशन को बदल देते हैं। ई-संचार प्रणाली शिक्षा के लिए सहायक होगी।

निष्कर्ष : हाल के वर्षो में बुनियादी कंप्यूटिंग और सूचना प्रौद्योगिकी तेजी से बढ़ी है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी गरीब छात्रों की मानव और सामाजिक क्षमता में काफी वृद्धि कर सकती है और उनके भविष्य पर एक प्रभावी प्रभाव डाल सकती है। ई- संसाधन मौजूदा व्यक्तिगत या सामुदायिक संपत्ति को मजबूत कर सकता है और उनकी सूचना क्षमताओं में वृद्धि करता है। अध्ययन में पाया गया कि ओपन एक्सेस जर्नल केवल तभी अर्थ प्राप्त करता है जब उपयोगकर्ता उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग और अधिनियमित करते हैं और यदि स्थानीय समुदाय अपने विशिष्ट शैक्षिक वास्तविकताओं के लिए उनकी व्याख्या और विनियोजित करके उनके उपयोग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अध्ययन से पता चला कि उपयोगकर्ताओं को विषय संबंधी मजबूती के लिये ई- संसाधन कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिये और नए अधिग्रहीत आईसीटी क्षमताओं का व्यक्तिगत सशक्तीकरण करना चाहिये। उपयोगकर्ताओं के सशक्तीकरण के लिए ई- संसाधन जैसे ओपन एक्सेस जर्नल की अवधारणा को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए।

संदर्भ

1. Ayeni, P. O. & Adetoro, N. (2017) 'Growth of predatory open access journals: implication for quality assurance in library and information science research'. Library Hi Tech News, 34(1), 17-22. doi: 10.1108/lhtn-10-2016-0046
2. Muthuvennila, S. & Thanuskodi, S. (2019) 'User perception on open access resources among college students in India:' A survey. Library Philosophy and Practice, 2019(January).
3. Prince, G., &Saravanan, P. (2015).A study on awareness and perception towards open access resources among the users in the higher educational institutions in Kanyakumari district.International Journal of Next Generation Library and Technologies, 1(3), 1-9.
4. Kaba, A., & Said, R. (2014). Open access awareness, use, and perception: A case study of AAU faculty members. New Library World, 116(1-2), 94-103. https://doi.org/10.1108/NLW-05-2014-0053
5. Qazi, A., Raj, R. G., Tahir, M., Waheed, M., Khan, S. U. R., & Abraham, A. (2014). Erratum: A preliminary investigation of user perception and behavioral intention for different review types: Customers and designers perspective (Scientific World Journal). Scientific World Journal, 2015. https://doi.org/10.1155/2015/258150
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Babasaheb_Bhimrao_Ambedkar_University Retrived on 15/03/2020

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 22 अंक 1, जनवरी-जून 2020

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

वाजपेयी कार्यकाल में भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध : विश्वास-निर्माण उपाय-एक विश्लेषण

❑ डॉ.संजीव कुमार बरागटा

भारत के विभाजन ने 1947 के बाद से भारत पाकिस्तान संबंधों को तोड़ कर रख दिया है। इसके बाद युद्धों ने आपसी संदेह और अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया और विविध शासन व्यवस्थाओं के दौरान ये देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री वाजपेयी के समय भारत सरकार का सबसे कठिन कार्य पाकिस्तान की भागीदारी, जो इस धारणा पर आधारित थी कि पाकिस्तान में सत्ताधारी सरकार भारत के खिलाफ आतंक के निरंतर युद्ध के लिए प्रतिबद्ध था। भारत ने पाकिस्तान के साथ विश्वास और संबंध बनाने का प्रयास, सहयोग और शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से मुद्दों का समाधान करने की एक निरंतर कोशिश की और व्यापक संवाद को सक्रिय करने के मूल्य पर जोर दिया जो दोनो देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता। वाजपेयी कार्यकाल को अन्तर्राष्ट्रीय संबंध में विश्वास-निर्माण उपायों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कारगिल युद्ध के बावजूद बस सेवा और लाहौर शिखर सम्मलेन, समग्र कम्पोजिट वार्ता, एवं सी बी एम सहित कई विषयों पर शांति और सुरक्षा पर चर्चा और संबंध बनाने का प्रयास व सहयोग की दिशा में कदम उठाए गए। भारत-पाकिस्तान के बीच संबंधो में उतार-चढ़ाव और तीन बड़े युद्ध और कारगिल युद्ध, सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा और कश्मीर मुद्दे के साथ-साथ पाकिस्तानी अधिकारियों के रवैये में बदलाव देखा गया। इसी संदर्भ में यह लेख वाजपेयी कार्यकाल (1998-2004) को भारत-पाकिस्तान संबंधो में विश्वास-निर्माण उपायों एवं दोनों देशों के रुख का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करने की कोशिश करता है।

भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के प्रमुख देशों में हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् 1947 में अपने संबंधों को संचालित करने वाले राष्ट्रों में भारत-पाक संबंधों की आपस में विरोध की विशेषता रही है। दोनों देशों ने तीन बड़े युद्ध और कारगिल का छोटे स्तर का युद्ध लड़ा। विभाजन के बाद से ही विवादित और अधिगृहीत क्षेत्रों की समस्याएं दोनों देशों के बीच झगड़े का स्रोत रही हैं।[1] इस संबंध की उत्पत्ति विभाजन में है और इससे पहले भी, जब मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में उपमहाद्वीप के मुस्लिम नेतृत्व ने भारत में मुसलमानों के लिए बार-बार धर्म के आधार पर अलग राष्ट्र की मांग की थी। पिछले 63 वर्षों में पाकिस्तान की सुरक्षा धारणा और एजेंडा में उसके पड़ोसी भारत से असुरक्षा की भावना हावी है। भारत के साथ विभिन्न संघर्षों और विशेष रूप से 1971 में पाकिस्तान के विघटन के कारण पाकिस्तान में असुरक्षा की भावना और प्रबल हो गई। पाकिस्तान ने न केवल अपनी रणनीति बदली बल्कि भारत में आतंकवाद को प्रायोजित करने के कार्यक्रम को भी शुरू किया। नेहरू-युग से लेकर वाजपेयी-युग तक इतिहास के माध्यम से भारत-पाकिस्तान संबंधों में कई उतार-चढ़ाव आए हैं।

शीत युद्ध के समय में पाकिस्तान गुटनिरपेक्ष आंदोलन में न रह कर अमेरिकी गुट सीटो, सेंटो का औपचारिक सहयोगी था। यह भारत के लिए पाकिस्तान के विदेश नीति निर्माताओं पर संदेह करने का स्पष्ट कारण भी था।[2] हालांकि, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में दक्षिण एशिया में कश्मीर घाटी और परमाणु परीक्षण, आतंकवाद के रुप में उतार-चढ़ाव देखा गया। भारत की हर सरकार के साथ पाकिस्तान का उलझने का अपना एक तरीका था। यह विषयस्तु इस संदर्भ में है कि वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दौरान, परमाणु विस्फोट और कारगिल युद्ध के बावजूद वाजपेयी सरकार विश्वास-निर्माण उपायों पर आगे बढ़ी। वाजपेयी ने भारत-पाकिस्तान संबंध में कहा, "आप इतिहास बदल सकते हैं, लेकिन भूगोल नहीं और आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं"।[3] इस अध्ययन में वाजपेयी और एनडीए सरकार की नीतियों और पाकिस्तान के प्रति विशेष रूप से शांति लाने के लिए सहयोग और राजनयिक प्रयासों के दृष्टिकोण की जांच करने की कोशिश की गई है।

वाजपेयी सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता और विश्वास-निर्माण उपायों की विभिन्न प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया गया। इसमें कोई

❑ असोशिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, सांध्यकालीन विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला (हि.प्र.)

संदेह नहीं कि वाजपेयी शासन के दौरान उनकी दूरदर्शिता और राजनीतिक इच्छा-शक्ति ने पाकिस्तान के साथ सहयोग की भरसक कोशिश की है। हम यह भी कह सकते हैं कि भारत-पाकिस्तान संबंधों का भविष्य क्षेत्र के भू-राजनीतिक और भू-सामरिक वातावरण में गुणात्मक बदलाव के अपने संबंधित मूल्यांकन पर भी आधारित है। भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्ध परमाणु विस्फोट से खराब हो गए थे और यह अंतर लाहौर घोषणा के माध्यम से भर गया। जब लाहौर समझौते में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों के लिए अपनी पारस्परिक प्रतिबद्धता व्यक्त की और भावनाओं में शिमला समझौते 1972 को लागू करने के लिए अपने पारस्परिक दृढ़ संकल्प को दोहराया। इसी बीच पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में सैन्य तख्तापलट, कारगिल के दुस्साहस का प्रत्यक्ष नतीजा था, जिसने दोनों देशों के बीच शांति प्रक्रिया को एक बड़ा झटका दिया।

दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के बाद द्विपक्षीय वार्ता के लिए ट्रैक-I एवं ट्रैक- II कूटनीति के समग्र संवाद को बड़ा महत्त्व दिया गया, जिसने काफी सकारात्मक परिणाम लाए तथा दोनों देशों को एक दूसरे के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।[4] अटल बिहारी वाजपेयी की फरवरी 1999 में लाहौर बस-यात्रा भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के लिए साहसी कदम था, क्योंकि वाजपेयी पहली बस-यात्रा के माध्यम से वाघा सीमा तक गए थे। उनका स्वागत उनके समकक्ष नवाज शरीफ ने किया। उनकी यात्रा के दौरान लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऐसी एक इच्छा थी कि लाहौर प्रक्रिया से दोनों देशों के बीच कुछ सकारात्मक संबंध बनेंगें। भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी का लाहौर के लिए यह कदम भविष्य के संबंधों के लिए एक सकारात्मक संकेत था। यहां तक कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि परमाणु परीक्षण के बाद दोनों देश एक-दूसरे के लिए अप्रत्याशित सौम्य रवैया दिखाएंगे। लाहौर घोषणा भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते की तरह मील का पत्थर था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने जनरल परवेज मुशर्रफ को 2001 में आगरा शिखर बैठक के लिए आमंत्रित किया।[5] यह तब हुआ जब वाजपेयी ने आगरा वार्ता के द्वारा फिर भारत और पाकिस्तान के बीच एक विश्वास बनाने की कोशिश की।

आगरा में 15-16 जुलाई, 2001 को वाजपेयी-मुशर्रफ शिखर सम्मेलन हुआ। यह शिखर वार्ता कारगिल युद्ध के बाद एक सकारात्मक कदम था। जनरल मुशर्रफ और वाजपेयी 21वीं सदी में अपने लोगों के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि की एक आम दृष्टि साझा करते रहे हैं। जनरल मुशर्रफ ने भी भारत के साथ विश्वास-निर्माण की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ पारस्परिक आधार पर किसी भी संयम व्यवस्था पर विचार करने को तैयार हैं।[6] दिसंबर 2001 में फिर से तनाव बढ़ गया जब पांच आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर अपनी सेना को तैनात करके भारत पर हमला किया। वाजपेयी युग के दौरान राजनीतिक और आर्थिक संबंधों ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि इन विश्वास-निर्माण उपायों ने भविष्य के लिए भारत-पाकिस्तान के संबंधों को एक मंच दिया। वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान राजनीतिक और आर्थिक विश्वास निर्माण उपायों ने बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी ओर यह कहा जा सकता है कि अटल बिहारी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार (1998-2004) अपने दृष्टिकोण में अलग थी। लाहौर से आगरा शिखर तक दोनों देशों के लिए एक स्वर्णिम पहल थी। एनडीए के कार्यकाल के अंत में वाजपेयी ने एक बार फिर सार्क सम्मेलन के लिए इस्लामाबाद की यात्रा कर शान्ति वार्ता संबंधी कदमों को मुख्य रुप से उठाया। समग्र वार्ता 2004 के अंतर्गत इसमें व्यापार, वीजा, बस-सेवा और पानी का मुद्दा जैसे मुद्दे शामिल थे। वाजपेयी और मुशर्रफ फरवरी 2004 में समग्र वार्ता की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सहमत हुए और उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे सभी द्विपक्षीय मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान होगा। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान अध्ययन एवं विश्लेषण हमें यह स्पष्ट करेगा कि किस हद तक अटल बिहारी वाजपेयी के अधीन एनडीए सरकार ने कारगिल युद्ध और विभिन्न क्षेत्र में विरोधाभासी मुद्दों के बावजूद दोनों देशों के बीच विश्वास-निर्माण उपायों को बनाए रखने का सफल प्रयास किया। प्रस्तुत शोध-पत्र में विश्वास-निर्माण उपायों का वर्णन किया और शांति पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उद्देश्य : भारत-पाकिस्तान संबंधों की संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अध्ययन करना तथा वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौरान भारत-पाक के बीच

विश्वास-निर्माण उपायों (CBMs) का अध्ययन करना। दक्षिण-एशिया में क्षेत्रीय गतिशीलता में सी.बी.एम. ने किस तरह एक सकारात्मक प्रभाव डाला है।

शोध पद्धति : सामाजिक तथ्यों या सामाजिक वास्तविकता के बारे में किसी भी प्रकार के अनुसंधान कार्य करने के लिए कार्यप्रणाली एक अनिवार्य पहलू है। वर्तमान शोध-पत्र को तैयार करने के लिए, द्वितीयक स्रोतों से सहायता ली गई है। विषय-वस्तु को ध्यान में रखते हुए अध्ययन की प्रकृति ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक है।

भारत-पाकिस्तान सम्बन्धः संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत के पहले केंद्रीय मंत्रालय की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई। जैसे ही उन्होंने 15 अगस्त 1947 को पदभार संभाला, भारत द्वारा कूटनीतिक और शांति वार्ता के माध्यम से प्रयास शुरू किए गए। भारत-पाकिस्तान युद्ध 1947-1948 कश्मीर युद्ध के रूप में जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर रियासत का भारत में विलय का फैसला एक पहली उल्लेखनीय घटना थी, जिसने सीमाओं पर बाधित शांति को चिह्नित किया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं पर 1965 में और दूसरा 1971 में दो बड़े युद्ध हुए।[7] जब भारतीय सीमाओं पर पाकिस्तान ने 1971 में भारत पर हमला किया, उस समय भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने उत्तर-पूर्व के पाकिस्तान के दृष्टिकोण का विरोध करते हुए पूर्ण रूप से उत्तर-पूर्व में मोर्चा खोलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश घोषित हुआ और पूर्व-पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया।

उपर्युक्त ऐतिहासिक घटनाओं का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि भारत-पाकिस्तान 1971 के युद्ध की हार और नुकसान से पाकिस्तान ने सीधे संघर्ष के प्रयासों को छोड़ दिया और भारत के साथ घुसपैठ, सीमा विवाद और भारत में लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन का सहारा लिया।[8] भारत-पाकिस्तान विवाद सुलझाने के क्षेत्र में अगली सभी सरकारों ने लालबहादुर शास्त्री से लेकर इंदिरा गाँधी, राजीव गाँधी, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, गुजराल सरकारों तक ने उल्लेखनीय प्रयास किये। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान 1999 में कारगिल युद्ध होने के कारण शांति प्रक्रिया कुछ समय के लिए अवरुद्ध जरुर हुई, लेकिन तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद वाजपेयी सरकार (1998-2004) का कार्यकाल शान्ति प्रयासों को निश्चित दिशा देने में कामयाब रहा।

कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्सः एक अभिप्राय

कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। अपने 33 वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 दिसंबर 1978 को 'सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण' नामक मद के अंतर्गत 33/91 बी का प्रस्ताव अपनाया, जिसमें इस पर विचार करने की सिफारिश की गई थी। इसके उपरान्त महासचिव द्वारा सभी राज्यों को सूचित कर, विश्वास निर्माण संबंधी उपायों पर अपने विचार एवं अनुभव को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया।[9] इससे पहले 10 वें सत्र का अंतिम उद्देश्य समाप्त हो गया था। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अनिवार्य रूप से संदेह को कम करके आपसी समझ बढ़ाने के लिए बनाया गया और इसका उदेश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को मजबूत करना था। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कई प्रकार के हैं। दोनों सैन्य और गैर-सैन्य विश्वास निर्माण उपाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने, संघर्षों और यहां तक कि प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच सहयोग और शांति बहाली में बहुत उपयोगी हो सकता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किसी भी मुद्दे को सीधे हल नहीं कर सकते, लेकिन यह बातचीत और सहयोग के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करके प्रतिद्वंद्वी समूह के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके एक दूसरे के साथ जुड़ने का व्यापक अवसर प्रदान करता हैं गैर-सैन्य विश्वास निर्माण उपाय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा के विभिन्न आयामों के माध्यम से भी शान्ति प्रक्रिया को बहाल करने का कार्य करते हैं। यह दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी समूहों के बीच पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्र को प्रशस्त करना और स्थायी समाधान के लिए रास्ता निकालने की कोशिश करता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स संकट के समय में दो पार्टियों के बीच विश्वास स्थापित करने एवं स्थायी शांति हासिल करने का लक्ष्य और लोगों को आवश्यकता के रूप में साथ लाने में मदद करता हैं।[10] हालांकि इस शोध पत्र में प्रयास किया गया है कि किस तरह गैर-सैन्य विश्वास निर्माण उपायों (सीबीएम) ने भारत-पाकिस्तान सम्बंधों में तनाव और प्रतिद्वंद्विता को कम करने और प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच मैत्रीपूर्ण तरीके

से एक-दूसरे के साथ जुड़ने का व्यापक अवसर प्रदान करके में मदद की है।

दिल्ली-लाहौर बस सेवा : दिल्ली लाहौर बस सेवा भारत और पाकिस्तान के बीच एक नए इतिहास की शानदार शुरुआत थी। बस सेवा मूल रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच लोगों से संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस सन्दर्भ में प्रधान मंत्री वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधान मंत्री नवाज शरीफ के बीच हुई बैठक के दौरान, सितंबर 1998 में न्यूयार्क में पहली बार सहमति व्यक्त की गई थी। दिल्ली से लाहौर के लिए बस सेवा के उद्घाटन के अवसर पर 19 फरवरी 1999 को भारतीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की ऐतिहासिक यात्रा की। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने के लिए लाहौर बस कूटनीति ने योगदान दिया था।[11] बस सेवा ने दोनों देशों के अलग-अलग परिवारों को फिर से जुड़ने और आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया। सीमाओं पर आपस में मेल-जोल बढ़ाने की सुविधा प्रदान की। दिल्ली और लाहौर बस सेवा के उद्घाटन और वाजपेयी की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि, सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क दोनों देशों के लोगों के बीच विश्वास को मजबूत करते हैं। इस तरह के कूटनीतिक संबंधों द्वारा सांस्कृतिक संबंध एवं द्विपक्षीय शांति-शर्तें हासिल करके भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बहाल किया जा सकता है। दिल्ली-लाहौर बस सेवा ने व्यापारियों, राजनयिकों और मशहूर हस्तियों को दोनों तरफ से एक दूसरे की परिस्थितियों से अवगत करवाया। कारगिल के युद्ध की खराब स्थितियों के पश्चात भी दोनों देशों द्वारा बस सेवा का संचालन किया गया। हालांकि, बाद में भारत सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान को दिल्ली में 13 दिसंबर 2001 में संसद पर हुए हमले के लिए सख्त कदमों को लेने के लिए कूटनीतिक दबाव डाला। इसके बावजूद, वाजपेयी ने शांति प्रक्रिया को बस सेवा के रूप में 11 जुलाई 2003 को फिर से बहाल किया। इन सभी प्रयासों के साथ, लोगों से संपर्क व सहयोग के क्षेत्र में विकास और समग्र संवादों में एक नए युग को फिर से खोलने की उम्मीद थी।[12]

लाहौर घोषणा : लाहौर घोषणा भारत और पाकिस्तान के बीच 21 फरवरी 1999 को हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौता था। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ ने 1999 में ऐतिहासिक लाहौर शिखर सम्मेलन का समापन किया।[13] यह भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौते के बाद से पहला बड़ा राजनीतिक समझौता था। अटलबिहारी वाजपेयी के लिए लाहौर घोषणा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर शिखर सम्मेलन परमाणु प्रगति के बाद द्विपक्षीय संबंध के विकास में महत्वपूर्ण था। ऐतिहासिक लाहौर शिखर सम्मेलन ने सभी विषयों पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया गया। लाहौर में 21 फरवरी 1999 को गवर्नर हाउस में दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत-पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे का एक स्थिर समाधान खोजने के लिए अपने पारंपरिक राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की अपनी तत्परता व्यक्त की।[14] इस शिखर सम्मेलन में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और दोनों देशों ने स्वयं को जम्मू-कश्मीर विवाद सहित सभी मुद्दों को हल करने एवं एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न कर परमाणु और पारंपरिक सैन्य क्षेत्रों में कॉन्फिडेंस-बिल्डिंग उपाय (सीबीएम) संबंधी प्रयासों को तेज किये जाने की प्रतिबद्धता दोहरायी। लाहौर शिखर सम्मेलन ने सामूहिक दृष्टिकोण से शांति और विश्वास-निर्माण उपाय को अधिक महत्व दिया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपने लोगों के आपसी सहयोग और सद्भावना की दृष्टि को सांझा किया। शिखर सम्मेलन के अधिकांश उपाय सैन्य संबंधों की तुलना में सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों पर आधारित थे। इसी दौरान एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए दोनों देशों के नेताओं ने दिल्ली और लाहौर बस सेवा शुरू करने पर खुशी जताई। भारत-पाकिस्तान शांति के लिए बस सेवा का उद्घाटन पहला प्रयास था। विश्वास निर्माण उपाय प्रक्रिया ने दोनों देश के लोगों की इच्छाओं को पूरा किया। वाजपेयी ने लाहौर की अपनी ऐतिहासिक यात्राके दौरान मीनार-ए-पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल और रणजीत सिंह की कब्रों का दौरा भी किया।[15] उनकी यह यात्रा, विशेष रूप से मीनार-ए-पाकिस्तान की एक अत्यधिक प्रतीकात्मक इशारा एवं बहादुर निर्णय था, जिसके द्वारा वाजपेयी ने पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया। उन्होंने इस यात्रा के वास्तविक इरादे को सुनिश्चित किया कि भारत एक दुश्मन नहीं, एक दोस्त है जो शांति वार्ता एवं एक-दूसरे की समृद्धि का समर्थन करता है। इस यात्रा को भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़े

सांस्कृतिक संपर्कों में एक अलग रूप से चिह्नित किया गया था। इसने लाखों पाकिस्तानी लोगों की भावनाओं के प्रति भारत के सम्मान को साबित किया। भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने 21 फरवरी 1999 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भविष्य में शांति और सुरक्षा के वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वास निर्माण उपायों संबंधी योजना बनाई।[16] यह निर्णय लिया गया कि प्रक्रिया को सामान्य करने के लिए बैक चैनल कूटनीति के माध्यम से जाना चाहिए। इस सम्बंध में विदेश सचिवों के माध्यम से ट्रैक-टू डिप्लोमेसी को शुरू किया गया। लाहौर शिखर सम्मेलन दोनों प्रधानमंत्रियों की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम था, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परिस्थितियों और जमीनी वास्तविकताओं को महसूस किया। अपने देशों को समृद्धि और शांति के रास्ते पर ले जाने का दृढ़ विश्वास उन्होंने व्यक्त किया जिससे दक्षिण एशिया को एक शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाया जा सके।

आगरा शिखर सम्मेलन : ऐतिहासिक आगरा शिखर सम्मेलन पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और भारतीय प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी के बीच 14-16 जुलाई 2001 को आगरा में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन की शुरुआत एक उच्च प्रत्याशा के साथ हुई, जो दोनों देशों के बीच पाँच दशक पुराने कश्मीर मुद्दे सहित सभी विवादों को हल करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच आगरा शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक दो दिवसीय शिखर बैठक थी, जो 14-16 जुलाई 2001 तक चली थी।[17] इसका आयोजन भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से किया गया था। इस बैठक में परमाणु शस्त्रागार को कम करने और कश्मीर विवाद और सीमा पार आतंकवाद से जुड़े अन्य मुद्दों पर एक प्रस्ताव बनाया गया था। हालाँकि वार्ता टूट गई और प्रक्रिया ध्वस्त हो गई, इसलिए आगरा संधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए गए। दोनों पक्षों ने आशा और सद्भाव के साथ शिखर सम्मेलन की शुरुआत की। विशेष रूप से राष्ट्रपति मुशर्रफ ने इस शिखर सम्मेलन के लिए 'सतर्क आशावाद', 'लचीलापन' और 'खुले दिमाग' जैसे उत्साहपूर्ण विचारों का वर्णन करने के लिए इन वाक्यांशों का इस्तेमाल किया। हालांकि, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में शिखर सम्मेलन ने यह समझ दी कि भारत और पाकिस्तान अपने द्विपक्षीय मुद्दों को आपसी सहयोग और निरंतर संवादों के माध्यम से हल कर सकते हैं।[18] आगरा शिखर सम्मेलन ने खराब संबंधों की स्थिति को बदल दिया और भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संवादों को फिर से शुरू करने के लिए अनुकूल माहौल दिया, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर जैसे भारत के लिए आतंकवाद मुद्दा और दूसरा कश्मीर मुद्दा, इन्ही कारणों से शिखर सम्मेलन का प्रक्रियात्मक पहलू विफलता का कारण बना और आगरा शिखर सम्मलेन निष्कर्ष निकालने में भी असफल रहा।

भारत की शांति पहल-2003 : आगरा शिखर सम्मेलन की विफलता और 13 दिसंबर 2001 के आतंकवादी हमले के बाद दो साल का गतिरोध तब समाप्त हुआ, जब 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति पहल की घोषणा की। आगरा की विफलता के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहे थे। किसी भी सूरत में युद्ध के लिए जाने के लिए भारतीय बलों को सतर्क किया गया। अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद संकट कम हो गया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपना रक्षा सचिव डोनाल्ड रुम्सफेल्ड और रिचर्ड आर्मिटेज को भारत और पाकिस्तान भेजा।[19]

इस भावना के अनुरूप प्रधानमंत्री वाजपेयी ने 18 अप्रैल 2003 को श्रीनगर में एक सार्वजनिक रैली में पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस संदर्भ में 28 अप्रैल 2003 को वाजपेयी ने अपने पाकिस्तान समकक्ष मीर जफरुल्ला खान जमाली के साथ बातचीत की और किसी भी मुश्किल पर चर्चा करने से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एक अनुकूल माहौल के महत्व पर बल दिया। आगे उन्होंने सुझाव दिया कि आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से लोग संपर्क करेंगे तथा भारत और पाकिस्तान को मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनुकूल मंच की सुविधा प्रदान करेगा। इससे उच्च आयुक्तों के स्तर पर संबंधों की बहाली जैसे कदमों के बाद दिल्ली-लाहौर बस सेवा की बहाली सांसदों, व्यापारियों, मीडिया, कलाकारों, लेखकों के स्तर पर उच्च स्तरीय आदान-प्रदान, सीमा और अरब सागर से सेनाओं की वापसी, पाकिस्तानी बच्चों को मुफ्त चिकित्सा, खेल संपर्क, दोनों ओर के कैदी और मछुआरे और उच्चायुक्तों संबंधित ताकत बढ़ाने और बहुस्तरीय व्यस्तताओं में आपसी विश्वास को बढ़ावा देकर सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न

होंगी।[20] इस प्रकार शांति पहल भारत की आम लोगों के प्रति जिम्मेदारी का प्रतिबिंब था इसलिए राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से सामान्यीकरण की दिशा में भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम एक सफल योगदान था।

समग्र संवाद-2004 : यह भारतीय प्रधानमंत्री के हालिया कदमों को ध्यान में रखते हुए एक और अभूतपूर्व कदम के रूप में देखा गया। यह कदम परिवारों को फिर से मिलाने और दोनों राष्ट्रों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए पाँच दशकों के बाद भारत की शांति पहलों में से एक था। इस्लामाबाद में सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान एक बैठक हुई, जिसमें वाजपेयी और राष्ट्रपति मुशर्रफ 6 जनवरी को इस्लामाबाद में शिखर सम्मेलन 2004 में सामान्यीकरण प्रक्रिया और समग्र संवाद के साथ आगे बढ़ने के लिए सहमत हुए।[21] विदेश सचिवों ने क्रमशः 15 से 16 फरवरी और 27 से 28 दिसंबर 2004 के बीच दो दौर की वार्ता को आगे निरंतर जारी रखा। भारत और पाकिस्तान के बीच दो साल की लंबी उदासीनता के बाद सौहार्दपूर्ण रिश्तों को फिर से शुरू करने के लिए पहल की गई। इसी के साथ भारत ने 12 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर (सी.बी.एम.) प्रस्तावित किए, जिसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने स्वीकार कर किया।[22]

निष्कर्ष : भारत और पाकिस्तान के बीच वैचारिक मतभेद, संघर्ष और मतभेदों को दूर करने के प्रयास में प्रगति, अपने स्वयं के मंत्रालय के भीतर भी मतभेदों और समर्थन की कमी के बावजूद वाजपेयी का निर्णय साहसपूर्ण था। भारत-पाकिस्तान के संबंध में विभिन्न उतार-चढ़ावों की विशेषता लंबे समय तक बनी रही। वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार (1998-2004) अपने दृष्टिकोण और नीतियों में भिन्न थी। पिछली विभिन्न सरकारों के विपरीत वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में कश्मीर मुद्दे पर लचीलापन, शान्तिप्रिय और लोकप्रिय रुख अपनाया। उन्होंने सभी पारंपरिक दृष्टिकोणों को तोड़ दिया और एकल कूटनीतिक रणनीतिक चाल से जैसे शिखर सम्मेलन, युद्धविराम समझौता, लाहौर और आगरा की असफलताओं के बाद भी क्रिकेट कूटनीति जारी रखी। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बनाए रखने के अपने एकतरफा प्रयासों के बारे में वाजपेयी ने संकोच नहीं किया। यह भी एक कटु सत्य है कि वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 17 से भी अधिक राजनीतिक दलों वाले गठबंधन सरकार के एक जंबो-छाते का नेतृत्व कर रही थी ।

प्रस्तावित कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ने मानवीय और सामूहिक दृष्टिकोण से सभी प्रकार की परिवहन सुविधाओं का फिर से उद्घाटन, उमरदराज और वीजा प्रतिबंधों में ढील, खेलों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । यही नही, उनकी मछुआरों की समस्याओं के बारे में समझ ने गिरफ्तारी को कम करने में मदद की। भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्ते से अलग इन विश्वास-निर्माण उपायों ने लोगों से लोगों के संपर्क को पूरक बनाने में योगदान दिया। विश्वास-निर्माण उपायों की ध्यान देने योग्य विशेषता यह भी थी कि इन उपायों ने लोगों की भावनाओं पर विचार किया तथा सीमाओं के आर-पार लोगों के आने-जाने को सुविधाजनक बनाया। भारत और पाकिस्तान ने आपस में विश्वास पैदा करके शांति निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया है। वाजपेयी ने दोनो देशों के बीच दिल और दिमाग के महत्व को महसूस किया। यह एक प्रमुख राजनीतिक सफलता भी है, जो संबंधों का सामान्यीकरण और उन्हें लोकतंत्र के लाभों का अनुभव करने में हमें सक्षम बनाता है। वाजपेयी कार्यकाल ने विविध राष्ट्रों के लिए एकता की भावना में योगदान दिया है।

सन्दर्भ

1. Gehlot N. S., 'Indo-Pakistan Relations: Twist and Turns from Partition to Agra Summit and Beyond, New Delhi', Deep and Deep Publications, 2004, pp.94-95.
2. Nautiyal A., 'Challanges to India's Foreign Policy in the New Era', Gyan Publishing House, New Delhi, 2006, pp: 207-8.
3. Vajpayee Atal Bihari, 'You Can Change Freinds, Not Neighbours', May 9th, InternetSource:http://articles.economictimes.indiatimes.com/2003-05-09/news/27547221_1_india-and-pakistanjammu-and-kashmir-lahore-declaration (accessed on 25thApril, 2020).
4. Gupta Archna, India and Pakistan, 'The Conflict Peace Syndrom', Kalinga Publications, New Delhi, 2005, p:93

5. Ibid.p:94.
6. Dixit J.N., 'India Foreign Policy and Its Neighbours', Gyan Publication House, New Delhi, 2012, p.120.
7. Dwivedi Sangit S., 'India as a Dominant Security Concern to Pakistan (1947-80)', The Indian Journal of Political Science, Vol. 69, No.4, October-December 2008, pp. 889-896.
8. Ibid.
9. United Nations Report of the Secretary General, 1998, p.1.
10. Alam Mohammed Badrul, "In Pursuit of Peace: A Micro Study of Confidence-Building Measures between India and Pakistan", Indian Journal of Asian Affairs, Vol.23, No. 1/2, 2010, pp. 41-60
11. Khalil Umair, "The Role of Confidence Building Measures in the Pakistan-India Relationship", Pakistan Horizon, Vol.67, No.1, 2014, pp.81-88.
12. Kumar Sumita, "Indo Pak Bus Diplomacy", Strategic Analysis, Vol. 23, No.1, 1999, pp.167-170.
13. The Lahore Declaration, World Affairs: The Journal of International Issues, Vol.3, No.1, January-March, 1999, pp.151-56.
14. Maggsi Amjad Abbas, "Lahore Declaration February 1999: A Major Initiative for Peace in South Asia", Pakistan Vision, Vol.141, No.1, 2013, pp.183-201.
15. Ray Jayanta Kumar, "Agra Summit", India Ouarterly, Vol.57, No.2, 2001, p.17.
16. The Lahore Declartion, op.cit., 1999, pp.151-52.
17. Ibid.p:153.
18. Layaslalu M, "The First Vajpayee Government: Golden Years of Non-Military Confidence Building Measures between India and Pakistan", Journal of Humanities and Social Science, Vol. 22, No. 4, April 2017, p.34.
19. Shukla Subhash, "Indo-Pak Relations: Gujral to Manmohan Singh", The Indian Journal of Political Science, 69, No.4, October -December 2008, p.904.
20. Ibid.
21. Ibid.p.905
22. Nabiha Gul, "Pakistan -India Peace Process 1990-2007: An Appraisal", Pakistan Horizon, Vol.60, No.2, April 2007, pp: 57-58.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 22 अंक 1, जनवरी–जून 2020
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

प्राचीन जैन साहित्य में आर्थिक इतिहास एवं विचार

❑ डॉ. जिनेन्द्र कुमार जैन

पूर्व मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के सम्पूर्ण अध्ययन के लिए धार्मिक साहित्य मुख्यतः दिगम्बर जैन साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह इतिहास के प्राथमिक स्रोत के रूप बहुत उपयोगी हैं। इस काल में रचित दिगम्बर जैन पुराण व चरित साहित्य में धर्म के अतिरिक्त तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रसंगतः विशद् विवेचन प्राप्त होता है। जैन पुराण व चरित साहित्य में आर्थिक विचारों के साथ ही पूर्व मध्यकालीन कृषि, शिल्प, व्यापार-वाणिज्य एवं निगम आदि अर्थव्यवस्था विषयक तथ्य बहुतायत में उपलब्ध हैं। जैन धर्म के अर्थ विषयक विचार वर्तमान समय में प्रासंगिक हैं। जैन धर्मानुसार जीवनोपयोगी वस्तुओं का संग्रह समाज में अभाव की स्थिति पैदा करता है। जैन साहित्य से स्पष्ट होता है कि सातवीं शती ईसवी से दसवीं शती ईसवी का समय ठहराव का समय नहीं था बल्कि कृषि उन्नत अवस्था में थी, विभिन्न तकनीक व विभिन्न खाद्यान्नों का उल्लेख प्राप्त होता है। जैन साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि पूर्व मध्यकाल में भूमि पर कृषकों का व्यक्तिगत अधिकार नहीं था जैसा कि कुछ विद्वानों ने लिखा है। व्यवसायिक व व्यापारिक गतिविधियाँ भी प्रगतिशील थीं। निगम, संघ व श्रेणियाँ व्यापक स्तर पर कार्यशील थीं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को पैठास्थान के रूप में जैन साहित्य में ही वर्णित किया गया है।

ऐतिहासिक घटनाओं तथा गतिशीलता का अध्ययन समाज पर प्रभाव डालने वाले सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं वैचारिक कारकों की पृष्ठभूमि में किए जाना आवश्यक है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाओं और प्रतिक्रियाओं के अध्ययन ने स्पष्ट अहसास करा दिया कि सम्पूर्ण देश का अर्थपूर्ण सामान्यीकरण करने के लिए क्षेत्रीय पहलुओं का अध्ययन करना आवश्यक है।[1] पूर्व मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के सम्पूर्ण अध्ययन के लिए धार्मिक साहित्य मुख्यतः दिगम्बर जैन साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह इतिहास के प्राथमिक स्रोत के रूप बहुत उपयोगी हैं। इस काल में रचित दिगम्बर जैन पुराण व चरित साहित्य में धर्म के अतिरिक्त तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रसंगतः विशद् विवेचन प्राप्त होता है। प्रस्तुत आलेख में पदमूपुराण, हरिवंश पुराण, महापुराण एवं यशस्तिलक चम्पूमहाकाव्य का विशेष समालोचनात्मक अध्ययन किया गया है। आलोच्य पुराणों एवं चरित साहित्य का रचना काल सातवीं शती से दसवीं शती ईसवी है। आचार्य रविशेण ने पदमूपुराण की रचना वि. संवत 783 में की थी।[2] महापुराण की रचना दो भागों में की गई आदि एवं उत्तर पुराण। आचार्य जिनसेन ने आदि पुराण एवं उनके शिष्य गुणभद्र ने उत्तर पुराण की रचना की। सम्पूर्ण पुराण 965 ईसवी में पूर्ण हुआ।[3] महाभारत विषयक पुराणों में महाभारत की कथा पर आधारित जिनसेनाचार्य द्वारा विरचित संस्कृत का हरिवंश पुराण इस प्रकार का सर्वप्रथम पुराण है। हरिवंश पुराण के रचयिता जिनसेन आदिपुराण के जिनसेन से सर्वथा भिन्न आचार्य थे। पुराण में उन्होने रचना समाप्ति तिथि का समय शक संवत् 705 अर्थात 840 वि.सं. दिया है।[4] यशस्तिलक चम्पूमहाकाव्य दो भागों पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध में की गई रचना है। आचार्य सोमदेव ने यशस्तिलक चम्पू महाकाव्य की रचना की। यशास्तिलक चम्पू की पुष्पिका में लिखा है कि चैत्र सुदी 13 शक संवत् 881 (1016) वि.सं. में श्रीकृष्ण राजदेव पांडय के सामंत एवं चालुक्य अरिकेसरी के प्रथम पुत्र वद्दिगराज की राजधानी गंगधारा में सोमदेव ने अपने इस ग्रंथ को समाप्त किया।[5] उक्त साहित्य के आधार पर भारत के आर्थिक इतिहास एवं विचार प्रस्तुत हैंः-

जैन साहित्य में आर्थिक विचारः- प्राचीन जैन साहित्य में अर्थ की महत्ता, इसके उपार्जन के साधन, इसकी सुरक्षा एवं संवर्द्धन तथा समुचित भोगोपभोग संबंधी विचारों पर प्रकाश डाला गया है। जैन पुराणों के अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनाचार्यों ने निवृति एवं प्रवृत्तिमूलक इन द्वैधी परस्पर विषम विचारधाराओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। जैन दर्शन मुख्यतया निवृत्तिमूलक है किन्तु व्यावहारिक जगत में

❑ असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, (म.प्र.)

जैन चिन्तकों एवं मनीषियों ने प्रवृत्ति मार्ग को निरुत्साहित नहीं किया नेमीचंद शास्त्री ने जैन आदिपुराण के आधार पर आवश्यकताओं को पाँच वर्गों में विभाजित किया है-जीवन रक्षक आवश्यकताएँ, निपुणता रक्षक आवश्यकताएँ, प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएँ, आराम संबंधी आवश्यकताएँ एवं विलासिता संबंधी आवश्यकताएँ। इस वर्गीकरण की प्रथम तीन आवश्यकताओं का अन्तर्भाव अनिवार्य आवश्यकताओं में किया जा सकता है, जिनकी पूर्णता सामाजिक तथा धार्मिक परम्पराओं की दृष्टि होना अनिवार्य है। इनकी संतुष्टि के बिना हमें शारीरिक एवं मानसिक कष्ट का अनुभव होता है और कार्यक्षमता घटती है। आराम संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति से मनुष्य को सुख एवं आराम उपलब्ध होता है इनकी पूर्ति न होने से मनुष्य को कष्ट होता है। जीवन स्तर गिरता है एवं कार्यक्षमता का ह्रास होता है। आराम संबंधी आवश्यकताएँ विलास और वासना को प्रोत्सहित करती हैं, ये आवश्यकताएँ महत्वहीन है। विलासिता के अंतर्गत हानिकारक विलासिताएँ, हानिरहित विलासिताएँ और कल्याणकारी विलासिताएँ परिगणित हैं जिन विलासिताओं के सेवन से मनुष्य व्यसनी बनता है, वे विलासिताएँ हानिकारक हैं। कल्याणकारी विलासिताओं में संस्कृति और सभ्यता के विकास की प्रगति निहित रहती है। ललित कलाओं एवं शिल्प कौशल को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रस्तुत करना कल्याणकारी विलासिता के अंतर्गत है। हानिकारक विलासिता में भव्य भवन, विभिन्न प्रकार के आभूषण एवं यान वाहन आदि सम्मिलित हैं। श्रृंगार प्रसाधन एवं उपभोग के अन्य कार्य भी इसी प्रकार की आवश्यकताओं के अंग हैं। अतएव आदि पुराण के सिद्धांतानुसार वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही वस्तुओं का उत्पादन है। सिद्धांतानुसार मनुष्य न तो नई वस्तुओं का निर्माण करता है और न ही किसी पुरानी वस्तु का विनाश करता है, केवल उपयोगिता का सृजन करता है। उपयोगिता के सृजन का नाम ही उत्पादन या उपभोग है। वस्तुओं की जैसे-जैसे उपयोगिता बढ़ती जाती है उनका मूल्य भी वृद्धिगत होता जाता है। मूल्य निर्धारण उपयोगिता के आधार पर ही किया जाता है। आदि पुराणकार ने रत्नों का उदाहरण देकर उपयोगितावाद का बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण किया है। रत्न तभी रत्न संज्ञा को प्राप्त होते हैं जब खान से निकलने के अनन्तर उन्हे सुसंस्कृत कर उपयोगी बना दिया जाता है। यदि उपयोगिता का सृजन न किया जाए तो रत्न, रत्न न होकर पाषाण कहलाएँगे। अतएव आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ उपभोग या उपयोगिता से होता है और उनकी समाप्ति भी दोनों से होती है।[6] समृद्धि को सकलजन उपभोग्य बनाने के लिए अपरिग्रह एवं संयम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। जैन दर्शन के अनुसार आर्थिक असमानता और आवश्यक वस्तुओं का अनुचित संग्रह समाज के जीवन को अस्त-व्यस्त करने वाला है। इनके लिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करता है। मनुष्य की इस लोभवृत्ति के कारण समाज अनेक कष्टों का अनुभव करता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा है कि आर्थिक असमानता को मिटाने का अचूक उपाय है-अपरिग्रह। परिग्रह के सब साधन सामाजिक जीवन में कटुता, घृणा और शोषण को जन्म देते हैं। अपने पास उतना ही रखना चाहिए जितना आवश्यक है बाकी सब समाज को अर्पित कर देना अपरिग्रह पद्धति है। धन की सीमा वस्तुओं की सीमा ये सब स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जरूरी हैं। धन हमारी सामाजिक व्यवस्था का आधार होता है और कुछ हाथों में एकत्र हो जाना समाज के एक बहुत बड़े भाग को विकसित होने से रोकता है। संपत्ति पर निरपेक्षता अथवा निरंकुशता स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार अर्थ का अभाव अनेकानेक दुराचारों, अपराधों को जन्म देता है उसी प्रकार अर्थ का आधिक्य भी दुराचार पैदा करता है। जीवनोपयोगी वस्तुओं का संग्रह समाज में अभाव की स्थिति पैदा करता है ऐसे परिग्रह के विरोध हेतु गृहस्थों के लिए जैन धर्म में परिग्रह परिमाण व्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।

ग्राम समुदाय और अर्थव्यवस्थाः- जैन पुराणों में पूर्व मध्यकालीन ग्राम्य संस्कृति का विहंगावलोकन प्रस्तुत किया गया है। पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद के प्रारम्भ से प्राचीन नगरों एवं व्यापार का पतन हुआ। आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र नगर नष्ट हो गए। कृषि के लिए गाँवों की ओर पलायन एवं प्रत्यावर्तन का दौर शुरू हुआ, गाँव आत्मनिर्भर हो रहे थे। रामशरण शर्मा ने भारतीय सामंतवाद में इसका उल्लेख किया है।[7] रामशरण शर्मा ने इस विषय पर प्राचीन नगरों का पतन शीर्षक से ग्रंथ का लेखन भी किया है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय अस्तित्व में आए। ग्राम समुदाय अर्थव्यवस्था का वर्णन विशेषकर पुराण साहित्य एवं चरित्र साहित्य में मिलता हैं। विवेच्य जैन पुराणों का रचनाकाल सातवीं से दसवीं शती ईसवी है। इस काल तक सामंतवाद लगभग

सम्पूर्ण भारत में राजकीय तंत्र का अभिन्न अंग हो चुका था। सामंतों एवं जमीदारों में परस्पर युद्ध होना सामान्य था, ग्रामीणों के आवागमन के साधन पहले से ही कम थे, सामंतवाद के कारण क्रियाशीलता अवरूद्ध हो गई। इन परिस्थितियों में प्राचीन काल से ही गतिशील आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय अर्थव्यवस्था अधिक प्रभावी एवं उपयोगी हो गये। ग्राम समुदाय में ग्रामीणों की लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति ग्राम में ही हो जाया करती थीं। गॉव की अपनी प्रशासनिक, सॉंस्कृतिक, न्यायिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएॅं प्राचीन काल से ही थी लेकिन पूर्वमध्यकाल में चरम पर पहुॅंच गई। ग्राम समुदाय की अवधारणा को प्रकाश में लाने का श्रेय ईस्ट इण्डिया के राजस्व प्रशासकों को है। उन्होने इंग्लैण्ड में अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत के गॉंव आत्म निर्भर हैं। बाद में राष्ट्रवादियों तथा प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने ब्रिटिश लेखकों से अपनी सहमति व्यक्त की।[8] जैन पुराणों के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि भारत के गॉव आत्मनिर्भर थे। जैन पुराणों में पूर्वमध्यकालीन ग्राम समुदाय अर्थव्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। पुराणों के भारत का आर्थिक संगठन ग्रामों पर निर्भर था जिसमें बाड़े से घिरे हुए घर हों, जिनमें अधिकतर शूद्र और किसान रहते हों तथा जो बगीचा और तालाबों से सहित हों उन्हें ग्राम कहते हैं। जिसमें सौ घर हों उसे छोटा गाँव कहते हैं तथा जिसमें पाँच सौ घर हों और जिसके किसान धन संपन्न हो उसे बड़ा गाँव कहते हैं। छोटे गाँवों की सीमा एक कोस की और बड़े गाँवों की सीमा दो कोस की होती है। जो परिखा, गौफर, अटारी, कोट और प्राकार से सुशोभित हों जिसमें अनेक भवन बने हुए हों जो बगीचे ओर तालाबों से सहित हों जो उत्तम रीति से अच्छे स्थान पर बसा हुआ हो जो प्रधान पुरुषों के रहने के योग्य हो वह प्रशंसनीय पुर अथवा नगर कहलाता है। जो नगर नदी ओर पर्वत से घिरा हुआ हो उसे खेट कहा गया है और केवल पर्वत से घिरा हुआ हो तो उसे खर्वट कहते हैं जो 400 गाँवों से घिरा हो उसे मडम्ब कहते हैं और जो समुद्र के किनारे हो तथा जहाँ लोग जल मार्ग से आते हों उसे पत्तन कहते हैं जो नदी के किनारे हो उसे द्रोणमुख कहते हैं। इसी पुराण में वर्णित है कि गाँवों में लौहार, नाई, दर्जी, धोबी, बढ़ई, राजगीर, चर्मकार, वैद्य, पंडित, क्षत्रिय आदि व्यवसाय एवं वर्ण के सभी व्यक्ति निवास करते थे। ये गाँवों को स्वावलंबी बनाते थे। उस समय के गाँवो की आत्मनिर्भरता का एक प्रमुख कारण यह था कि उस काल में आवागमन के साधन अत्यधिक सीमित थे। ग्रामीण समस्याओं एवं कार्यो का प्रबंध ग्राम के प्रधान के द्वारा होता था।महापुराण (आदिपुराण) में ग्राम व्यवस्था के संबंध में योग क्षेमनुचिन्तनम् पद आया है। इस पद का आशय यह है कि उपभोग योग्य समस्त वस्तुएँ गाँवों में उपलब्ध हो जाती थीं अतः आदि पुराण का ग्राम्य जीवन अधिक आत्मनिर्भर, सहयोगी और जनतंत्रीय था।[9] आदिपुराण के छब्बीसवें पर्व में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अर्थात आर्थिक जीवन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। वर्णित है कि अनाज, तरकारियों, फल, दूध, दही, धृत एवं गुड आदि उपभोग के पदार्थ प्रचुर परिमाण में उत्पन्न होते थे। ग्रामों की समृद्धि पशु धन पर निर्भर थी, क्योंकि पशुओं के बिना कृषि संभव नही हैं। गाय की उपयोगिता दूध देने, कृषि हेतु बछड़े उत्पन्न करने की दृष्टि से है। पशुपालन की प्रथा रहने से दूध, दही, आदि पदार्थ तो उपलब्ध होते ही थे, पर ऊन की प्राप्ति भी होती थी, जिससे ऊनी कपडे, कम्बल आदि गाँवों में तैयार किए जाते थे। कपास की खेती प्रायः प्रत्येक गाँव में होती थी जिससे वस्त्र संबंधी आत्मनिर्भरता भी गाँवों में विद्यमान थी। समृद्ध ग्राम अपनी आवश्यकताओं की समस्त वस्तुएँ स्वयं उत्पन्न करते थे। इसी कारण उन्हे आत्मनिर्भर कहा गया। बाजार गाँवों के भीतर ही रहते थे। बाहरी बाजार पर गाँव निर्भर नहीं थे। कृषि के प्रसंग में आए हुए संदर्भों से भी यह सिद्ध होता है कि भारत के ग्राम अपनी सामान्य आवश्यकताओं की सभी वस्तुएँ स्वयं उत्पन्न करते थे। उन्हे उपयोगिता की वस्तुएँ प्राप्त करने के लिए नगरों की शरण नहीं लेनी पड़ती थी। झोपड़ी बनाने के लिए नगरों की शरण नहीं लेनी पडती थी। झोपड़ी बनाने के लिए बाँस, घास एवं अन्य उपयोगी सामग्रियाँ वहीं उत्पन्न होती थीं। अतः आवास की व्यवस्था संबंधी उपकरणों को खरीदने के लिए ग्रामीणों को अन्यत्र नहीं जाना पड़ता था। लोहार फाल, हॅंसुए, खुरपी आदि तैयार करता था और बढ़ई हल, जुआ एवं चारपाई आदि उपयोग की सामग्रियाँ बनाता था। गाँव का धोबी, कपड़े धोता था। रंगरेज उन्हें रंगता था एवं जुलाहा कपड़ा बुनता था। सूचिकार (दर्जी) कपड़े सिलकर देते थे। पद्मपुराण में भी ग्रामों का अत्यंत मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया गया है।[10] प्राचीन भारत के ग्राम समुदाय के सन्दर्भ में इतिहासकार राधाकृष्ण चौधरी ने भी लिखा है कि ग्राम समुदाय प्राचीन भारत के सामाजिक-सह-आर्थिक ढॉचे के लिए महत्वपूर्ण

अंग था। गॉव केवल भौमिक इकाई नहीं बल्कि मूलतः मानवीय इकाई परस्पर निकट सम्पक्र-सूत्र में बॅधे मनुष्यों का समवाय होता था। आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताएँ इन्हें एकजुट किए रहती थीं। इसके केन्द्र बिन्दु तो किसान होते थे, पर उनके साथ-साथ कुम्हार, लुहार, बढ़ई, मोची, धोबी, भंगी, ग्वाला, नाई आदि विभिन्न व्यवसाय के लोग रहते थे। साथ ही भू-स्वामी, काश्तकार, कर्मकार एवं अन्य सभी वर्ग बसते थे, जिनकी जरूरतें परस्पर पूर्ण होती थीं। अपनी पारस्परिक रक्षा भी एकजुट होकर किया करते थे। हर गॉव की सीमा निर्धारित थी। इस प्रकार ग्राम आत्मनिर्भर इकाई बन चुके थे। इसमें शिल्प कर्म एवं कृषि के संयोजन से ग्राम समुदाय के सदस्यों के बीच सेवा विनिमय की परिपाटी उदित हुई। अपने आंतरिक मामलों में ग्राम समुदाय स्वतंत्र था।[11]

आजीविका के साधनः- आदि पुराण में आजीविका के प्रमुख छः साधनों का वर्णन है। असि, मषि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प में छः कार्य प्रजा की आजीविका के कारण है।[12] तलवार आदि शस्त्र धारण कर सेवा करना असि कर्म कहलाता है। असिकर्म का अभिप्राय सैनिक वृत्ति है जो व्यक्ति प्रशासन के किसी भी कार्य में योगदान के लिए लिपिक या गणक का काम करता है वह मसिकर्म या मसिवृत्ति कहलाता है।

कृषि :- एक बड़ा वर्ग कृषि कार्यों में संलग्न था। आदि पुराण में लिखा है राजा को आलस्य रहित होकर अपने अधीन ग्रामों में बीज देना आदि साधन उपलब्ध करवाकर किसानों से खेती कराना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह अपने शासित देश में किसानों द्वारा भली भाँति खेती कराए और धान्य का संग्रह करने के लिए उनसे न्यायपूर्ण उचित अंश लेवे। ऐसा करने से राजा के भंडार में संपत्ति इकट्ठा हो जाएगी और उसका बल बढ़ जाएगा तथा धान्यों से ही देश पुष्ट तथा समृद्धिशाली होता है। कृषि जीवी श्रमिक स्वयं की खेती करने के अनन्तर दूसरों के कृषि कर्म में भी सहायता प्रदान करते थे। उनके पास हल, बैल और कृषि के औजार रहते थे और बुलाए जाने पर दूसरों के खेत को जोत-वो देते थे। कृषि विद्या के विशारदों की बड़ी ही प्रतिष्ठा थी। वे समाज में आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। खेती करने में विशेषज्ञ क्षेत्रज्ञ कहलाता था लेकिन पद्मपुराण में कृषक को कर्षक एवं हलधारक को कीनाश कहा गया है।[13] सिंचाई की दृष्टि से तीन प्रकार के क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है। अदैवभावृक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नदी नहरों आदि से सिंचाई होती थी। दैवभावृत वह क्षेत्र कहलाते थे जिसमें वर्षा के जल से ही सिंचाई होती थी। उद्घात (काली भूमि) और अनुद्घात (पथरीली) नाम की भूमि बताई गई है।[14] रहट को घटी यंत्र कहा गया है।[15] इसमें दो बैलों के द्वारा चमड़े में पात्र या अन्य पात्र से कुआँ या तालाब से पानी को निकाला जाता था एवं सीधे बहाकर सिंचाई करते थे, जिसमें श्रमिक छोटी नाली बनाकर खेतों में कृषि करने में सफल हो जाता था। घटी यंत्र के अतिरिक्त कूप वापी और सरोवरों से सिंचाई की जाती थी। वर्षा भी समयानुसार पर्याप्त रूप में होती थी। यथेष्ट रूप में वर्षा के होने से खेती अच्छे रूप में उत्पन्न होती थी। नहरों के द्वारा सिंचाई का उल्लेख हुआ है। कृषक सिंचाई के कृत्रिम साधनों का प्रयोग बहुतायत में करते थे। खेती हल के द्वारा होती थी। गाय, हाथी के समान हल भी प्रतिष्ठा के द्योतक थे। भरत के पास एक करोड़ हल थे। वह चक्रवर्ती सम्राट था जैन सूत्रों में, कुलीय और नंगल नाम के हलों का उल्लेख मिलता है। प्राचीनकाल में हल देवता के सम्मान में सीतायज्ञ नाम का उत्सव मनाया जाता था। एक हल के द्वारा सौ निवर्तन (नियंत्रण 40000 वर्ग हाथ) भूमि जोती जा सकती थी।[16] जैन पुराणों में निम्नलिखित अनाजों का उल्लेख मिलता हैं- साढी, चावल, कलम आदि व्रीहि, जौ, गेहू, कांगनी, सामा, कोदो, नीवर, बयने, तिल, अलसी, मसूर, सरसो, धनिया, जीरा, मूँग, उडद, अरहर, रौजा, मोट, चना, कुलथी, तैवरा कुलित्थ (कुलथी), कुमुम्भ, कपास, पुण्ड (पौडो), इक्षु (ईख) शरक।[17] जैन साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्राचीन काल में भूमि पर कृषकों का व्यक्तिगत अधिकार नहीं था जैसा कि रामशरण शर्मा जैसे उच्चकोटि के विद्वान ने लिखा है।[18] प्राचीन भारत में भू-स्वामित्व के सन्दर्भ में तीन प्रकार के मत हैं- राजा का भू-स्वामित्व, व्यक्तिगत स्वामित्व एवं सामुदायिक स्वामित्व। प्राचीन काल के साहित्य गौतम, आपस्तम्ब धर्मसूत्र, कौटिल्य, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, त्रिपिटक, जातक, बाद में पूर्व मीमांसा, मेघातिथि एवं जैमिनि भूमि पर राजा का भू-स्वामित्व एवं व्यक्तिगत स्वामित्व दोनों सिद्धांतों का विवेचन किया है। भूमि पर गॉव के सामुदायिक स्वामित्व होने संबंधी मत भी अनेक विद्वानों ने दिए हैं लेकिन सामुदायिक स्वामित्व यूनानी लेखकों की कल्पना है। भू-स्वामित्व एवं व्यक्तिगत स्वामित्व दोनों विचारधाराओं का विवेचन करने पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि

सैद्धांतिक दृष्टि से तो भूमि पर राजा का अधिकार था किन्तु व्यवहारिक रूप में भूमि देश के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों व कृषकों के ही हाथ में थी।[19] जैन साहित्य में व्यक्तिगत अधिकार सिद्ध होता है क्योंकि जैसा कि ऊपर लिखा है कि राजा उचित व न्यायसंगत अंश ही लेवें। स्वयं सम्राट भरत के पास अपनी भूमि का उललेख है।

विद्या कर्म :- शास्त्र अथवा पढ़ाकर या नृत्य-गायन आदि के द्वारा आजीविका करना विद्या कर्म कहा गया हैं। विद्या आजीविका किये जाने से यह ध्वनित होता है कि कुछ व्यक्ति पठन-पठन द्वारा आजीविका सम्पन्न करते थे। विद्या कर्म का सामान्यतः अर्थ उपाध्याय कर्म से है। शिक्षा देना एवं आवश्यक क्रियाकांडों का सम्पादन करना आजीविका का एक साधन था। आदिपुराण के एक संदर्भ में बताया गया है कि राजा को अपने राज्य में विद्या व्यसनी द्वारा आजीविका सम्पन्न करने वाले व्यक्तियों की आजीविका का ध्यान रखना चाहिए। जो राजा सेवकों को उचित आजीविका नहीं दे सकता है उस राजा का राज्य कीट-खादन से नष्ट हुए काष्ठ के समान निःसार हो जाता है। आगम में इस वर्ग में आचार्य, चिकित्सक (वैद्य), वास्तु पाठक, लक्षण पाठक, नैमित्तिक (निमित्त शास्त्र के वेत्ता), कथक (कथावाचक), आख्यायक (शुभ-अशुभ बखान करने वाले) आदि इस वर्ग में माने गए।

विभिन्न रोजगार :- जैन पुराण साहित्य में विभिन्न रोजगार में संलग्न विभिन्न वर्गों का उल्लेख है जैसे गांधार्विक नट, नर्तक, जल्ल (रस्सी), मल्ल (मल्ल युद्ध करने वाले), मौष्टिक (मुष्टि युद्ध करने वाले), विडंवक (विदूषक), प्लवक (तैराक), लासक (रास गाने वाले), लंख (बांस पर चढकर खेल दिखाने वाले), मंख (चित्रपट लेकर भिक्षा माँगने वाले), तूणइल्ल (तूणा बजाने वाले), तुंववीणिक (वीणा वादक) तालाचार (ताल देने वाले), भुजंग (सपेरे), मागध (गाने-बजाने वाले), हास्यकार (हँसी-मजाक करने वाले) डमरकर (मसखरे), चाटुकार, दर्पकार तथा कौत्कुच्य (काय से कुचेष्टा करने वाले), छत्रग्राही, सिंहासनग्रही, पादपीठग्राही, पादुकाग्राही, यष्टिग्राही, कुंतग्राही, चापग्राही, चमरग्राही, पाशकाग्राही, पुस्तकाग्राही, फलकग्राही, पीठग्राही, वीणाग्राही, कुतुपग्राही, छडप्फ (धनुष) ग्राही, दीपिका (मशाल) ग्राही आदि कला-कौशल में दक्ष वर्गों का उल्लेख है। शिल्प कर्म के अन्तर्गत चटाई बनाने वाले (कटादिकार), मुजंपादुका निर्माता (मुंजपादुकाकार) रस्सी बटने वाले (बरूड) ताड के पत्रों से पंखे बनाने वाले (लालवृंतकार) बांस की खपच्चियों से छाते बनाने वाले, चमड़े के सामान बनाने वाले (चर्मकार) माला बनाने वाले (मालाकार) तेल बनाने एवं बेचने वाले (गंधी) और लाक्षारस आदि से रंग बनाने वाले यंत्र निर्माता कुम्भकार, चित्रकार, लोहार (कर्मकार), नापित (काश्यप), वस्त्रकार आदि शिल्प द्वारा जीविकोपार्जन करने वाले प्रमुख थे।[20] आदिवासी, पुलिन्द जाति, हाथी-दाँत का काम करने वाले को शिल्प आर्यों में गिना जाता था। बंदरों की हड्डियों से लोग मालाएँ तैयार करते थे और उन्हें बच्चों के गले में पहनाते थे। हाथी के दाँत एवं हड्डी से सिंहासन बनाने का उल्लेख हरिवंश पुराण में भी हुआ है।[21] एक बहुत बड़ा वर्ग वस्त्र उद्योग में कार्यरत था। वस्त्र हेतु सूत कातना, रंगना, सुगंधित करना, सूती एवं रेशमी धागों से कढ़ाई करना आदि कार्यों में हस्तकला का प्रयोग होता था। वस्त्र निर्माण के साथ ही आभूषण बनाने का कार्य कुछ लोग करते थे। महापुराण में नुपुर, बाजूबंद, रुचिका, अंगद (अनंत, करधनी, हार एवं मुकुट आदि) आभूषणों का उल्लेख है।[22] जैन पुराणों में विभिन्न प्रकार की मणियों का वर्णन उपलब्ध है। चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, हीरा, वैदूर्यमणि, कौस्तुभमणि, मोती, वज्र, इन्द्रमणि, महाइन्द्र मणि, इन्द्रनीलमणि, प्रवाल, गौमुखमणि, मुक्ता, स्फटिक मणि, मरकट मणि, पद्मराग मणि, जात्यंजय (कृष्णमणि), पद्मराग (कालमणि), हैम (पीतमणि), मुक्ता (वेत मणि) आदि। आभूषण निर्माण में उक्त मणियों का प्रयोग होता था।[23] एक बहुत बड़ा वर्ग खनिज उद्योग में व्यस्त था। खनिज पदार्थो की भरमार थी। इसलिए प्राचीन काल में खानों का उद्योग महत्वपूर्ण माना जाता था। खानों में से लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, चाँदी, सोना, मणि, रत्न, लवण, उस, गेरु, हरताल, हिगुलक, मणसिल,सासग (पारा), सोडियम (सफेद मिट्टी) उपलब्ध होते थे।

व्यापार-वाणिज्य :- पुराणों के रचनाकाल में व्यापार-वाणिज्य की स्थिति उन्नत थी। वाणिज्य की व्यवस्था दो प्रकार की होती थी- स्थानीय तथा जहाँ दूर-दूर तक के व्यापारी जाकर धंधा करें। अरब यात्रियों ने इन नगरों की एक-दूसरे से दूरी का उल्लेख किया है। सड़कों पर छायादार वृक्ष तथा दूरी दर्शन के लिए पाषाण स्तम्भ, एवं यात्रियों की सुविधा के लिए जगह-जगह सरायों का उल्लेख है। स्थानीय व्यापार के लिए हर वस्तु का प्रायः अपना-अपना बाजार होता था। पद्मपुराण में गाड़ियों से व्यापार का उल्लेख हैं जबकि हरिवंश पुराण में नदी मार्ग से व्यापार

का उल्लेख है।[24] समकालीन साहित्य समराइच्च कथासरित्सागर तथा कुवलयमाला कथा में अनेक विवरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि व्यापारी किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान को व्यापार के लिए वस्तुओं का आदान-प्रदान करते थे। राजस्थान में उदयपुर के अहाड के 953 ईस्वी के अभिलेख से ज्ञात होता है कि कर्णाट, मध्यप्रदेश और टक्क प्रदेशों के वणिक अपनी व्यापारिक वस्तुओं की बिक्री के लिए वहाँ पहुँचे। पंजाब में करनाल के पास पेहोआ के 882-883 ईस्वी के अभिलेख से पता चलता है कि विभिन्न स्थानों के घोड़े व्यापारियों ने पारस्परिक समझौता किया।[25] यशस्तिलक के संस्कृतिक अध्ययन में गोकलचंद ने लिखा है कि व्यापार की बड़ी-बड़ी मंडियाँ पैठास्थान कहलाती थीं। पैठास्थानों में व्यापारियों को सब प्रकार की सुविधाओं का प्रबंध रहता था। यहाँ दूर-दूर तक के व्यापारी आकर अपना धंधा करते थे। सोमदेव ने पैठास्थान का सुंदर वर्णन किया। उस पैठास्थान में अलग-अलग अनेक दुकानें बनाई गई थीं। सामान की सुरक्षा के लिए बड़ी-बड़ी खोडियाँ या स्टोर हाउस थे। पोखरों के किनारे पशु धन की व्यावस्था थी। पानी, अन्न, ईधन या यातायात के साधन सरलता से उपलब्ध हो जाते थे। सारा पैठास्थान चार मील के घेरे में फैला था। चारों ओर सुरक्षा के लिए अहाता और खाई थे, आने-जाने के लिए निश्चित दरवाजे और मुख्य द्वारा की व्यवस्था थी। सैनिक सुरक्षा का समुचित प्रबंध था। हर गली में प्याऊ, भोजनालय, सभा भवन पर्याप्त थे। शुल्क भी यथोचित लिया जाता था। नाना देशों के व्यापारी वहाँ व्यापार करने आते थे। पैठास्थान राजाओं के लिए कामधेनु के समान है। व्यापारियों से शुल्क अधिक नहीं लेना चाहिए और यदि पिष्ठा से किसी व्यापारी का कोई माल चोरी चला जाए तो उसे राजकोश से भरना चाहिए। सोमदेव ने पिष्ठा को पण्यपुटभेदिनी कहा है। टीकाकार ने इसका अर्थ वणिकों की कुमकुम, हिंगु, वस्त्र आदि वस्तुओं को संग्रह करने का स्थान माना है। पैठास्थान व्यापार के बहुत बड़े साधन थे और व्यापारिक समृद्धि में इनका सबका महत्वपूर्ण योगदान था।[26] यशस्तिलक में सार्थवाह के लिए सार्थ, सार्थपार्थिक तथा सार्थनीक शब्द आए हैं। समान या सहयुक्त अर्थ (पूँजी) वाले व्यापारी जो बाहरी मंडियों से व्यापार करने के लिए टांडा बाँधकर चलते थे, सार्थ कहलाते थे, उनका ज्येष्ठ व्यापारी सार्थवाह कहलाता था। सार्थवाह का कर्तव्य होता था कि वह सार्थ की सुरक्षा करते हुए उसे गंतव्य स्थान तक पहुँचाए। सार्थवाह कुशल व्यापारी होने के साथ-साथ अच्छा पथ-प्रदर्शक भी होता था। प्राचीन काल में कोई एक उत्साही व्यापारी सार्थ बनकर व्यापार के लिए उठता था, उसके सार्थ में अन्य लोग सम्मिलित हो जाते थे, इसके निश्चित नियम थे। सार्थ का उठना व्यापारिक क्षेत्र की बड़ी घटना होती थी। धार्मिक यात्रा के लिए जिस प्रकार संघ निकलते थे और उनका नेता संघपति होता था, वैसे ही व्यापारिक क्षेत्र में सार्थवाह की स्थिति थी।[27] सार्थ का उल्लेख पूर्वमध्यकालीन साहित्य से पूर्व के साहित्य में भी बहुतायत में प्राप्त होता है। मूर्धन्य विद्वान मोतीचन्द्र ने सार्थवाह शीर्षक से ही ग्रंथ की रचना की है जिसे प्राचीन भारत की पथ पद्धति भी कहा गया है। इस ग्रंथ में प्राचीन भारत में छठवी शती तक के व्यापार-वाणिज्य एवं व्यापार की स्थिति पर विशद् विवेचन किया गया है। श्वेताम्बर जैन ग्रंथ बृहतकल्पसूत्र भाष्य में पॉच प्रकार के सार्थ का उल्लेख है -मंडी साथ (माल ढोने वाले सार्थ), बहलिका (इस सार्थ में ऊँट, खच्चर बैल इत्यादि होते थे), भारवह (स्वयं अपना माल ढोने वाले), औदारिका (मजदूरों का सार्थ) एवं कार्पटिक सार्थ (इसमें भिक्षु एवं साधु भी होते थे)। सार्थ द्वारा ले जाने बाले माल को विधान कहते थे। माल चार प्रकार का होता था -गणिम (गणना योग्य), धरिम (तौल योग्य), मेय (माप योग्य) एवं परिच्छेय (जिसे देखकर जॉच कर सकते थे)। जैन साहित्य में कुछ ऐसी परिभाषाएँ व व्याख्याएँ आयीं हैं जो दूसरे साहित्य में नहीं मिलती हैं। बिक्री के बाजार कौन से थे, प्राचीन भारत में माल खरीदने-बेचने एवं लाने-लेजाने के बाजार कौन से थे। जलपान, समुद्री बन्दरगाह था तो स्थलपान वह बाजार होता था जहॉ बैलगाड़ी से सामान उतारा जाता था। द्रोणमुख ऐसे बाजारों को कहते थे जहॉ जल व थल दोनों से माल उतरता था जैसे ताम्रलिप्ति एवं भरूकच्छ। निगम उस बस्ती को कहा गया है जहॉ लेन-देन और ब्याज वट्टे का काम करने वाले व्यापारी रहते थे। निवेश, सार्थ की बस्तियों को कहा गया है। सार्थों के पड़ाव को भी निवेश कहते थे। पुटभेदन उस बाजार को कहा जाता था जहॉ चारों ओर आए हुए माल की गॉठें खोली जाती थीं। शाकल इसी तरह का पुट्टभेदन था।[28] व्यापारिक मार्गों का उल्लेख विवेच्य साहित्य में बहुत अधिक प्राप्त नहीं होता है। अहिच्छत्र (रामनगर, बरेली) को एक मार्ग था। उज्जैन और पम्पा के मध्य कौशाम्बी तथा बनारस होकर एक मार्ग था। इसी

मार्ग पर धनवसु नामक सार्थवाह के लुटने का उल्लेख है। स्थल मार्ग से व्यापारी द्वारा ईरान (पारसद्वीप) तक की यात्रा करने का उल्लेख हैं। आवश्यक चूर्णि में वर्णित है कि मदूरा से सौराष्ट्र को जहाज चलते थे। चम्पा से ताम्रलिप्ति होते हुए स्वर्णद्वीप एवं कालियद्वीप (जंजीबार) के लिए समुद्री व्यापारिक मार्ग था।[29] जैन धर्म व्यापारियों का धर्म था और आज भी है अतः जैन साहित्य में व्यापार व वाणिज्य का वर्णन स्वभाविक रूप से प्राप्त होता है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार :- जैन पुराणों में विदेशों से व्यापार का उल्लेख प्राप्त होता है। यशस्तिलक में स्वर्णद्वीप और ताम्रलिप्ति के व्यापार का उल्लेख है।हरिवंश पुराण में वर्णन आया है कि एक व्यापारी स्त्री के आभूषण हाथ में लेकर व्यापार के निमित्त उशीरवर्त देश आया। वहाँ से कपास खरीदकर उसे बेचने के लिए समुद्र मार्ग से ताम्रलिप्ति गया।इसी पुराण में वर्णित है कि इस काल में थल और जल मार्गों से व्यापार होता था। व्यापार कपास आदि वस्तुओं के अलावा अन्य बहुमूल्य रत्नों के होने का भी उल्लेख प्राप्त होते हैं। स्वर्ण आभूषणों का भी क्रय-विक्रय होता था।[30] आदिपुराण के एक संदर्भ में आया है कि भवदेव नामक व्यक्ति धनोपार्जन कर रतिवेगा के साथ विवाह करना चाहता है। अतएव वह विवाह हेतु विदेश गया और वहाँ पर नाना प्रकार की वस्तुओं का क्रय-विक्रय करता रहा। श्रीपाल की जल यात्राएँ भी व्यवसाइयों के जल व्यापार को सूचित करती हैं। व्यवसाइयों व व्यापारियों के चरित्र के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि व्यवसाय में श्रम, पूँजी के अतिरिक्त साहस की भी आवश्यकता थी। जल मार्ग से जाते समय जलपोतों का भग्न होना एवं आँधी-तूफानों के द्वारा जलपोतों का बीच जलमार्ग में फँस जाना आदि तथ्य जलयात्रा की कठिनाइयों को सूचित करते हैं। जिस तरह भारतीय सार्थ विदेशी व्यापार के लिए जाते थे, उसी तरह विदेशी सार्थ भारत में भी व्यापार करने के लिए आते थे। यशस्तिलक में अंतरराष्ट्रीय बाजार का उल्लेख पैठास्थान के नाम से आया है जहाँ पर अनेक देशों के व्यापारी व्यापार के लिए आते थे। पद्मपुराण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोत्साहनार्थ यह उल्लेख आया है कि धनोपार्जन, विद्याग्रहण एवं धन संचय ये तीनों कार्य यद्यपि मनुष्य के अधीन हैं, तथापि अधिकांशतः इनकी श्रेष्ठ उपलब्धि विदेशों में ही होती है। महापुराण में उल्लिखित है कि रत्नों का व्यापार समीपवर्ती देशों के साथ होता था। जैन पुराणों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि उस समय भारत में विदेशों से सामान का आयात-निर्यात दोनों ही होता था। यूनान, कश्मीर, बाहलीक से भारत घोड़ों का आयात करता था। भारत से निर्यातित वस्तुओं में हाथी दाँत, रेशम, सूत, हीरा, नीलम, चंदन, केसर, मूँगे आदि थे।[31] विदेशी लेखक जैसे खुर्दादव, सुलेमान, मार्कोपोलो, अल इद्रिसी आदि ने यहाँ के बंदरगाहों तथा विदेशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया है। इस काल में लिखित कुछ साहित्यिक ग्रंथ जैसे अभिधान रत्नमाला और उपमिति भव प्रपंच कथा में भी कहीं-कहीं विदेशी व्यापार का वर्णन है।

उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि सातवी से दसवी शती ईसवी के कालखण्ड में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नति पर था। इस देश से हाथी दाँत, सुगन्धित द्रव्य, कपड़े, रत्न, खिलोने, मसाले आदि का निर्यात किया जाता था। इस देश से सूती कपड़े निर्यात किए जाते थे जबकि चीन रेशमी एवं मध्य एशिया समुर एवं पश्मीने कपड़े आयात किए जाते थे। अनंतगतदशाओं से स्पष्ट होता है कि यूनान, सोमानीलैण्ड, वक्षुप्रदेश, सिंहल, फरगना, बल्ख एवं फारस से दासियाँ आती थीं जो भाषा ज्ञान के अभाव में इशारों में बात करती थीं। जैन साहित्य से यह भी स्पष्ट होता है कि घोड़ों का व्यापार भी बड़े स्तर पर किया जाता था। सीमा प्रान्त के व्यापारी देश के कोने कोने में पहुँचकर घोड़ों को बेचा करते थे।[32] दिगम्बर जैन साहित्य में अधिकांशतः विशेषकर धार्मिक आख्यानों का वर्णन है, किसी संदर्भ या प्रसंगवश आर्थिक पक्ष का वर्णन किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जैन साहित्य में असि, मसि, कृषि, विद्या, शिल्प एवं व्यापार का वर्णन आर्थिक पक्ष के संदर्भ में किया गया है। धर्म के अनुकूल ही अर्थार्जन पर बल दिया गया।

दिगम्बर जैन साहित्य तत्कालीन अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करता है। जैन धर्म के अर्थ विषयक विचार वर्तमान समय में प्रासंगिक हैं। जैन धर्मानुसार जीवनोपयोगी वस्तुओं का संग्रह समाज में अभाव की स्थिति पैदा करता है। धन हमारी सामाजिक व्यवस्था का आधार होता है और कुछ हाथों में एकत्र हो जाना समाज के एक बहुत बड़े भाग को विकसित होने से रोकता है। संपत्ति पर निरपेक्षता अथवा निरंकुशता स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। इस साहित्य से स्पष्ट होता है कि सातवीं शती ईसवी से दसवीं शती ईसवी का समय ठहराव का समय नहीं था बल्कि कृषि उन्नत अवस्था में थी, विभिन्न प्रकार

की तकनीक, विभिन्न खाद्यान्नों एवं रोजगारों का उल्लेख प्राप्त होता है। भू स्वामित्व व्यक्तिगत होता था। व्यवसायिक व व्यापारिक गतिविधियॉ भी प्रगतिशील थीं। निगम, संघ व श्रेणियॉ व्यापक स्तर पर कार्यशील थीं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को पैठास्थान के रूप में जैन साहित्य में वर्णित किया गया है। पूर्व मध्यकालीन आर्थिक इतिहास लेखन में दिगम्बर जैन पुराण एवं चरित साहित्य महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

संदर्भ

1. गुरू, विनीत कुमार; 'क्षेत्रीय इतिहास के नए क्षितिज', ग्रंथ-बुन्देलखण्ड का सांस्कृतिक एवं राजनैतिक इतिहास, सरोज प्रकाशन, सागर, 2006, पृ. 98
2. पद्मपुराण (भाग 1,2,3); सम्पादकीय, सम्पादक- पन्नालाल, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, बनारस, 1997, पृ. 6
3. कौछल, हरिवंश; 'अपभ्रंश साहित्य', दिल्ली विश्वविद्यालय प्रकाशन, 1990, पृ. 34
4. हरिवंश पुराण; सम्पादकीय,सम्पादक- पन्नालाल, भारतीय ज्ञानपीठ बनारस, 1996, पृ. 4
5. यशस्तिलक चम्पू; सम्पादकीय, सम्पादक-सुंदरलाल शास्त्री, महावीर जैनग्रंथमाला, बनारस, 1960
6. नेमिचन्द्र शास्त्री; 'आदिपुराण मे प्रतिपादित भारत', गणेश प्रसाद वर्णी ग्रंथमाला, वाराणसी, 1968, पृ. 326-327
7. शर्मा, रामशरण; 'भारतीय सामंतवाद', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1990, पृ. 118
8. वर्मा, हरिश्चन्द्र; 'मध्यकालीन भारत', दिल्ली विश्वविद्यालय प्रकाशन, 1998, पृ. 375
9. आदिपुराण; 16/164-173, नेमिचन्द्र शास्त्री ; वही, पृ. 331
10. पद्मपुराण; 2/3-40
11. चौधरी, राधकृष्ण; 'प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास', जानकी प्रकाशन, अशोक राजपथ, पटना, 1986, पृ. 42-43
12. आदिपुराण; 16/179-181
13. आदिपुराण; 42-175-177, 42/178, पद्मपुराण; 6/208, आदिपुराण; 34/60
14. जैन, जगदीचंद्र; 'जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज', चौखम्भा प्रकाशन, बनारस, 1965, पृ.120
15. आदिपुराण; 17/24 पद्मपुराण 9/82
16. जैन, जगदीचंद्र; पृ. 120-121
17. आदिपुराण; 3/186-188, पद्म 2/3-8, हरिवंश पु. 14/161-163, 19/18
18. शर्मा, रामशरण; 'भारतीय सामंतवाद', राजकमल प्रकाशन, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली, 1973, पृ. 140
19. चौधरी, राधकृष्ण; पूर्वोक्त, पृ. 49-51,
20. आदि पुराण; 15/182, 16/182,32/29, हरिवंश 27/71, 38/68, 56/57
21. हरिंवश पुराण; 27/71
22. आदिपुराण; 9/41, 61/124
23. मिश्र, देवीप्रसाद; 'जैन पुराणों का सांस्कृतिक अध्ययन', हिन्दुस्तान एकादमी इलाहाबाद, 1988, वही, पृ 152
24. पद्मपुराण; 33/46, हरिवंश पुराण 8/134
25. जैन, कैलाशचंद्र; 'प्राचीन भा. सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाएँ', म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल,1979, पृ. 220
26. जैन, गोकुलचंद्र; 'यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन', पार्श्वनाथ विद्याश्रम ग्रंथमाला, मोहनलाल, जैन धर्म प्रचारिक समिति, अमृतसर, 1967, पृ. 192
27. पूर्वोक्त, पृ. 193
28. मोतीचंद्र; 'सार्थवाह', बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, पटना, 1953, पृ. 163, 166
29. पूर्वोक्त, पृ. 170
30. हरिवंश पुराण; 21/75-78, 50/1, 21/75-76
31. देवीप्रसाद मिश्र; पूर्वोक्त, पृ. 33, नेमिचंद्र शास्त्री; वही, पृ. 345
32. मोतीचंद्र; पूर्वोक्त, पृ. 172-173

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 22 अंक 1, जनवरी–जून 2020
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

अमरकंटक के कलचुरीकालीन मंदिर एक नवीन दृष्टि

❑ डॉ. मोहन लाल चढ़ार

अमरकंटक, मध्यप्रदेश में अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित है। यहाँ से नर्मदा नदी, सोन नदी एवं जोहिला नदी का उद्गम हुआ है। अमरकटंक के विषय में रामायण, महाभारत, स्कन्दपुराण एवं कालीदास के साहित्य में उल्लेख मिलता है। अमरकंटक युगों युगों से सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उल्लेखनीय रहा है। अमरकंटक से प्राप्त पुरावशेषों से ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र रहा है। अमरकटंक प्राचीनकाल से ललितकलाओं, संस्कृति, धर्म एवं योग के विकास के महत्वपूर्ण केन्द्र के रुप में प्रसिद्ध रहा है। अमरकंटक में कलचुरीकाल की संस्कृति विभिन्न मंदिरों व मूर्तियों के रुप में प्राप्त होती है। यहॉ से शैव सम्प्रदाय, वैश्णव सम्प्रदाय, शाक्त सम्प्रदाय, सौर सम्प्रदाय, गाणपत्य सम्प्रदाय तथा जैन सम्प्रदाय के पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। अमरकंटक पर्वत एवं नर्मदा नदी दोनों का संबंध शिव से होने के कारण इसका महत्व प्राचीन काल से भारतीय समाज में अधिक रहा है। यहाँ से दसवी एवं ग्यारहवी शती ईस्वी में निर्मित कलचुरि मंदिर बडी संख्या में मिले है। अमरकंटक की स्थापत्य कला में स्थानीय जनजातीय कला का समावेश स्पष्ट रुप से दिखाई देता है। इसका विस्तार से वर्णन आलेख में किया गया है।

अमरकंटक 22^0, 66',67" उत्तरी अक्षांश से 81^0, 75',00" पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। यह स्थल विन्ध्य पर्वत श्रेणी एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को जोड़ने वाली मेखला मैकल पर्वत पर स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में पूज्यनीय नदियों में नर्मदा नदी के महत्व की चर्चा प्राचीन भारतीय साहित्य एवं पुरातात्विक स्त्रोतों में विस्तार से की गई है।[1] अमरकंटक का रामायण, महाभारत, स्कन्दपुराण[2] में ऋक्षवान पर्वत के नाम से उल्लेख है। कालीदासेंत रघुवंशम्, मेघदूतम में अमरकंटक का नाम आम्रकूट मिलता है। अमरकंटक को साहित्य में मैकल कहा गया है इसी आधार पर नर्मदा नदी का एक नाम मैकलसुता भी है।[3] महाभारत में अमरकंटक को वंशगुल्म तीर्थ कहा गया है।[4] मत्स्यपुराण में अमरकंटक के समीपवर्ती क्षेत्र को 'सुरथाद्रिज' कहा गया है। मार्कण्डेय पुराण में इसके लिए अमरकण्ठ, सोमपर्वत, सुरथगिरी इत्यादि शब्दों का उल्लेख है। ब्राह्मण पुराण में इसे सिद्ध क्षेत्र कहा गया है। पदम पुराण में इस क्षेत्र को चण्डिका तीर्थ कहा गया है।[5] अमरकंटक युगों युगों से सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहा है। मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण, वामनपुराण, वायुपुराण, पद्मपुराण एवं कालीदास के रघुवंशम एवं मेघदूतम्[6] में अमरकंटक का अनेक बार उल्लेख हुआ है। अमरकंटक से प्राप्त पुरावशेषों से ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है।[7]

अमरकंटक में कलचुरीकालीन अनेक प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं। इन मंदिरों को नागर शैली में बनाया गया है।[8] इन मंदिरों व इनके समीपवर्ती क्षेत्रों में शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, विष्णु, सूर्य, अन्य स्त्री व पुरुषों की अनेक प्रतिमाएँ मिलती है जो कलचुरीकालीन कला का प्रतिनिधित्व करती हैं।[9] अमरकंटक के मंदिरों की द्वारशाखाओं पर पुष्प- लताओं का सुन्दर अंकन किया गया है। मंदिर की वाह्य दीवारों पर प्राकृतिक दृश्यों जैसे तारे, सूर्य, चन्द्र एवं पुष्प लताओं के साथ अमरकंटक में पाये जाने वाले वृक्ष की पत्तियों के साथ फूलों का सुन्दर अंकन किया गया है। अमरकंटक से प्राप्त प्राचीनतम् मंदिर व मूर्तियॉ कलचुरि शासकों द्वारा निर्मित की गई हैं। अमरकंटक पर्वत एवं नर्मदा नदी दोनों का संबंध शिव से होने के कारण अमरकंटक का महत्व प्राचीन काल से भारतीय समाज व संस्कृति में अधिक रहा है। स्कंद पुराण के रेवाखण्ड में नर्मदा की उत्पत्ति की विस्तृत चर्चा है। नर्मदा नदी का धार्मिक महत्व प्राचीन काल से समाज में रहा है क्योंकि भारत की यह एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है।[10] दसवी एवं ग्यारहवी शती ईस्वी में निर्मित कलचुरि मंदिरों का विस्तार से विवरण अग्र प्रकार है:-

❑ असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्व, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)

मच्छेन्द्रनाथ मंदिरः- इस मंदिर की योजना में आयताकार मण्डप एवं वर्गाकार गर्भगृह है। मंदिर पंचरथ योजना में निर्मित है। इस मंदिर के स्तम्भ लता कर्ण अलंकरण से अलंकृत किये गये हैं। जंघा की दीवार एक पट्टिका से दो भागों में विभाजित है। मंदिर का ऊपरी भाग निचले भाग की तुलना में कम चौड़ा है। कलचुरी मंदिरों में सुन्दर लताओं की कलाकृतियों का अंकन किया गया है।[11] अन्तराल की वाह्य दीवार में भी दो देव कोष्ठ हैं, जिनमें रत्नपुष्प का शिल्पांकन है। शिखर के उत्तरी व दक्षिणी भाग में बाहर की ओर देवकोष्ठ बनाये गये हैं, जिसमें चन्द्रशिला अलंकरण है। ये देवकोष्ठ स्तम्भों सहित दोहरे रत्नपुष्प अलंकरणों से आच्छादित हैं। मण्डप की दीवार में प्रयुक्त स्तम्भ अधिष्ठान के ऊपर लताकर्म से अलंकृत हैं तथा पट्टिकाएं हीरक एवं लताकर्म अलंकरणों से अलंकृत हैं। मध्य के देवकोष्ठ में दो पुष्प जबकि अन्य कोष्ठकों में मात्र एक पुष्प का शिल्पांकन है। तदुपरांत सात पटिटकाओं के ऊपर चन्द्रशिला अंलकरण है। शुकनासा में गजसिंह की आकृति शिल्पांकित है। यहां बैठे हुए गज के ऊपर सिंह को दिखाया गया है जिसका गज तुण्ड ऊपर की ओर उठा हुआ है, जिसे सिंह द्वारा अपने पंजे से आघात करता शिल्पांकित किया गया हे। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। द्वार शाखाओं में लताकर्म के साथ-साथ रूप स्तम्भ शाखा का भी शिल्पांकन किया गया है। उदुम्बर लताकर्म से अलंकृत है। उत्तरंग में इन शाखाओं की लघु आकृतियां शिल्पांकित हैं, जबकि राधिका में लताकर्म का शिल्पांकन है। आयताकार मण्डप के आन्तरिक भाग में चार गोलाकार स्तम्भ हैं, इन स्तम्भों की लम्बाई 2.10 मीटर है। मण्डप में 1.55 मीटर की ऊंचाई पर कक्षासन निर्मित है। इन आसनों की चौड़ाई 65 से. मी. है तथा इन पर 1.10 मीटर के लघु स्तम्भ हैं, जो वितान को समर्थन दे रहे हैं। ये लघु स्तम्भ प्रत्येक दिशा में चार-चार हैं, इस प्रकार मण्डप में लघु स्तम्भों सहित कुल 12 स्तम्भ हैं, जिन पर मण्डप की धरणियां आधारित हैं। मण्डप का वितान नौ वर्गाकार भागों में धरणियों द्वारा विभाजित है जिनमें से मध्य का वितान विकसित कमल से अलंकृत है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार का माप 1.40 गुणा 0.70 मीटर है। द्वार शाखाएं रेखा कर्म के अलंकरण के अतिरिक्त सादगीपूर्ण हैं। ललाट विम्ब पर नृत्य गणेश का शिल्पांकन है। वर्गाकार गर्भगृह का माप 2.90 मीटर है। गर्भगृह की दीवार में चारों कोनों पर सुन्दर स्तम्भ हैं गर्भगृह के मध्य में शिवलिंग प्रतिष्ठित है।[12]

कर्ण मंदिर : त्रिआयतन शैली में यह मंदिर एक ऊंची जगती पर निर्मित है तथा तीनों गर्भगृह एक ही मण्डप में जुड़े हुए हैं। महामण्डप वर्गाकार है। इसकी प्रत्येक भाग का माप 5.75 मीटर है। मण्डप में पूर्व भाग में मूल मंदिर पश्चिमाभिमुखी है, जबकि उत्तरी व दक्षिणी ओर दो अन्य मंदिर हैं। प्रत्येक मंदिर में आयताकार अन्तराल एवं वर्गाकार गर्भगृह है। ये तीनों गर्भगृह सप्तरथ योजना में निर्मित हैं। माना जाता है कि, इस मंदिर का निर्माण कलचुरि शासक लक्ष्मीकर्ण या कर्ण द्वारा करवाया गया था। मूल मंदिर कर्णेस्ता मंदिर समूह में निर्मित यह मंदिर पश्चिमाभिमुखी है। सप्तरथ योजना में निर्मित इस मंदिर

की अंतराल की दीवार में देव कोष्ठक गर्भगृह की दीवार सात रथों में विभाजित है। भद्र रथ में तीन देव कोष्ठ निर्मित हैं। इस प्रकार अंतराल एवं गर्भगृह की दीवार में निर्मित देवकोष्ठ रिक्त है। मध्य के रथ चैत्य अलंकरणों से अलंकृत है। गर्भगृह के प्रत्येक रथ को ऊपर तक बढ़ाया गया है, जिसमें से भद्र रथ की ऊँचाई को आमलसार तक बढ़ाया गया है, तदुपरांत आमलसारिका स्थापित की गई है। शिखर 17 भूमियों में विभाजित है। इन भूमियों की गणना कर्णरथ के शिखर में स्थापित है। कलश के आधार पर निर्धारित की गई है। इन सभी रथों में लताकर्म का अलंकरण है।[13] गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ललाट विम्ब के ऊपर दो क्षैतिज बन्धन है, जिसके ऊपर पांच देव कोष्ठ निर्मित है, ये सभी देव कोष्ठ वर्तमान में रिक्त हैं। इस पट्टिका के ऊपर शुक्रनासिका है। इसकी ऊँचाई अधिष्ठान से तीन मीटर है। आमलाकार के ऊपर चन्द्रिका तदुपरांत आमल सारिका एवं पुनः चन्द्रिका तथा कलश विद्यमान है। मंदिर का विनिर्गम मकराकृति प्रकार की उत्तरी दिशा में है, जिससे होकर अर्ध्यजल बाहर निकलता है। मंदिर के प्रवेश द्वार का माप 1.96 गुणा 0.97 मीटर है। मंदिर के स्तम्भ लताकर्म, मालाकर्म एवं रत्नपुष्प अलंकरण से अलंकृत हैं। स्तम्भों में भी लताकर्म अलंकरण है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार पंच शाखा प्रकार का है, जिसका निचला भाग सादा है। तदुपरांत पंच कुडश शाखाओं में विभाजित है। ये शाखाएं क्रमशः अन्दर की ओर से पत्र शाखा, रूप स्तम्भ, खल्व शाखा एवं सिंह शाखा हैं। रूप शाखा में रेखा कर्म का भी अलंकरण है। इसी प्रकार उदुम्बर भी लताकर्म अलंकरण से अलंकृत है। उत्तरंग में पत्र शाखा, त्रिशाखा, मालाधर, छज्जी, फालना, रथिका, कण्ठ और उद्गम आदि का प्रावधान है, जिसमें पत्र शाखा सबसे निचली पटटी है। मालाधर, पटिटका, लताकर्म और फासना रेखाकर्म से अलंकृत है, जबकि उद्गम में रत्नपुष्प एवं ललाट विम्ब पर विकसित पुष्प है।

अंतराल का माप 2.12 गुणा 1.10 मीटर है। यह दक्षिणी गर्भगृह से अपेक्षाकृत बड़ा है एवं दोनों कोनों पर स्तम्भ निर्मित हैं। इन स्तम्भों का माप 5.5 मीटर है। मंदिर के आयताकार गर्भगृह का माल 2.75 गुणा 2.65 मीटर है। इसके प्रत्येक कोनो पर कुडश स्तम्भ है। गर्भगृह में अर्धपटट विद्यमान है तथा निर्गम उत्तर की ओर है। गर्भगृह का वितान नीचे चौकोर तद्ોपरान्त अष्टकोणीय है, जिसके मध्य से विकसित कमल का शिल्पांकन है। इस प्रकार उत्तरी गर्भगृह का प्रवेश द्वार अधिष्ठान और अंतराल सुरक्षित है। कर्ण मंदिर के लगभग 200 फीट उत्तर की ओर स्थित एक अन्य मंदिर के भग्नावशेष है।[14]

केशव नारायण मंदिर :- यह मंदिर भी मच्छेन्द्र नाथ के सपीप ही स्थित है। ऊँची जगती पर निर्मित इस मंदिर में कालान्तर में पश्चिमी ओर एक अन्य देवालय भी निर्मित किए गए हैं। इस प्रकार निर्मित वर्गाकार महामण्डप में दोनों गर्भगृह खुलते हैं। दोनों देवालयों में वर्गाकार गर्भगृह एवं आयताकार अंतराल है। दोनों ही देवालय पंचरथ योजना में निर्मित हैं तथा दोनों का प्रवेश द्वार मण्डप में है। दक्षिणी देवालय उत्ताभिमुखी एवं पश्चिमी देवालय पूर्वाभिमुखी है।

दक्षिणी मंदिर के अधिष्ठान में तीन बन्धनों की एक श्रृंखला है, जिसमें मध्य का बन्धन कुमुद बन्धन एवं दो अन्य सामान्य बन्धन हैं, तदुपरान्त पुनः चार बन्धनों के द्वारा अधिष्ठान को ऊँचा उठाया गया है। इन बन्धनों में दो बन्धन घट एवं कुमुद अलंकरण युक्त है तदुपरान्त पतले बन्धन पट्टिका के ऊपर पुनः कुमुद बन्धन है। जंघा की दीवार मच्छेन्द्रनाथ मंदिर की जंघा की तरह एक पट्टिका द्वारा दो भागों में विभाजित है। जंघा की दीवार में मध्य के रथ में दो देव कोष्ठ कुडश स्तम्भ सहित हैं जिनमें रत्नपुष्प का शिल्पांकन है। अंतराल की दीवार में भी जंघा दीवार की तरह देव कोष्ठ है। ये सभी देव कोष्ठ चैत्योदगम अलंकरण से अलंकृत है। जंघा के ऊपर मंचिका में चार बन्धन हैं। तदुपरांत मंदिर का भाग निर्मित है। शिखर में भद्ररथ को आमलसार तक तथा अन्य रथों को ग्रीवा तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार कर्णरथ देखने में वामनोंत (ढ़ेगना) लगते हैं। कर्णरथ को 12 भूमियों में विभक्त किया गया है। यद्यपि शिखर का जीर्णोद्धार किया गया है यथापि मूल आमलसार एवं चन्द्रिका सहित शिखर सुरक्षित है। यह मंदिर वास्तु एवं शिल्प संयोजन में मच्छेन्द्र नाथ मंदिर से साम्य रखता है।[15]

इस समूह का दूसरा देवालय पूर्वाभिमुखी है, मंदिर का मण्डप वर्गाकार कक्षासनों सहित सुरक्षित है। कक्षासनों पर आधारित स्तम्भ मण्डप के वितान को संभाले हुए हैं। इस प्रकार पातालेश्वर मंदिर के समान स्तम्भ एवं स्तम्भिकाएं मण्डप को समर्थन दे रही हैं। मण्डप का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर कुडश स्तम्भों सहित लघु द्वार युक्त है। गर्भगृह एवं मण्डप के प्रवेश द्वार के ललाट विम्ब पर गणेश का शिल्पांकन है। इस मंदिर में लगभग 5 फिट ऊची लाल

बलुआ पत्थर से निर्मित विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। पूर्वीमुखी मंदिर में भी एक प्रतिमा रखी है, किन्तु इसकी पहचान करना कठिन है।[16]

पातालेश्वर मंदिर :- यह मंदिर जोहिला देवी मंदिर के पास स्थित है। निर्माण योजना में यह मंदिर मच्छेन्द्रनाथ मंदिर से साम्य रखता है, इसके भू-विन्यास में वर्गाकार गर्भगृह एवं आयताकार मण्डप है, मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। मंदिर के अधिष्ठान में सामान्य बन्धनों की श्रृंखला है। तदुपरान्त चार गहरे बन्धन, सामान्य बन्धन एवं कुमुद बन्धन हैं। जंघा की दीवार पट्टिका द्वारा दो भागों में विभाजित हैं। जंघा की यह संयोजना अंतराल की दीवार में भी है, परंतु अलंकरण के संयोजना में मंदिर मच्छेन्द्रनाथ मंदिर से भिन्न है। अंतराल की दीवार को भी इसी प्रकार देव कोष्ठ युक्त बनाकर अलंकृत किया गया है। जंघा की ऊपरी दीवार के ऊपरी भाग में मात्र चन्द्रशाला अलंकरण युक्त पटिटका को बढ़ाया गया है। ये सभी स्तम्भ प्राकृतिक अलंकरण से अलंकृत हैं। जंघा के ऊपर मध्य रथ में चैत्यत्योग्म अलंकरण है। अलंकरण की यह व्यवस्था जंघा के तीनों दीवार में दी गई है। शिखर भाग में भद्ररथ को आमलसार तक बढ़ाया गया है। जबकि कर्णरथ को आमलसार तक न ले जाकर ग्रीवा तक ही ले जाया गया है। यह मंदिर ग्यारह भूमियों में विभक्त किया गया है।[17]

मंदिर शिखर के सभी रथ लता कर्म से अलंकृत हैं, जबकि अन्य रथों का जीर्णोद्वार किया गया है। अंतराल की छत पर शुकनायिका में देव कोष्ठ निर्मित है। यह देव कोष्ठ दोनों तरफ से कुडश स्तम्भों से आवृत है। इसमें रत्न पुष्प का शिल्पांकन है। आमलसारिका चन्द्रिका के ऊपर कलश एवं बीजपूरक सुरक्षित है। मण्डप का प्रवेश द्वार पश्चिम की तरफ तथा मच्छेन्द्रनाथ मंदिर के द्वार की तरफ निर्मित है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के समक्ष एक मुख मण्डप बना है जो कालान्तर में निर्मित किया गया होगा। मण्डप में प्रयुक्त स्तम्भ भी मच्छेन्द्रनाथ मंदिर के स्तम्भों के समान हैं। गर्भगृह का प्रवेश द्वार बड़ा परन्तु जीर्णोद्धारित है। इसका माप 1.58 गुणा 0.50 मीटर है। इस मंदिर की विशेषता यह है, कि इसका गर्भगृह यहां स्थित मंदिर की शैली से पृथक है। गर्भगृह मण्डप के फर्श से 1.40 मीटर नीचा है, जिसके कारण इसके निर्माण शैली पर भूमिज शैली के मंदिर से प्रमाणित होने का अनुमान होता है। वर्गाकार गर्भगृह का माप 2.45 गुणा 2.45 मीटर है। गर्भगृह के कोनों पर स्तम्भ स्थापित हैं, जो गर्भगृह के धरणियों को मजबूती प्रदान करते हैं। गर्भगृह का वितान मध्य में पुष्प अलंकरण से अलंकृत है।[18]

जोहिला मंदिर :- अमरकंटक में कलचुरी मंदिर परिसर में पातालेश्वर मंदिर के पास जोहिला मंदिर बना है। यह उत्तरमुखी है। मंदिर में प्रतिमा नही है। यह मंदिर केशवनरायण व मछेन्द्रनााथ मंदिर के सामने बना हुआ है। निर्माण योजना में यह मंदिर मच्छेन्द्रनाथ मंदिर से साम्य रखता है, इसके भू-विन्यास में वर्गाकार गर्भगृह एवं आयताकार मण्डप है, मंदिर का प्रवेश द्वार उत्तर की ओर है। मंदिर के अधिष्ठान में सामान्य बन्धनों की श्रृंखला है। मंदिर में रत्नपुष्प का अलंकरण है। अंतराल की दीवार को भी इसी प्रकार देव कोष्ठ युक्त बनाकर अलंकृत किया गया है। जंघा की ऊपरी दीवार के ऊपरी भाग में मात्र चन्द्रशाला अलंकरण युक्त पट्टिका को बढ़ाया गया है। जंघा के ऊपर मध्य रथ में चैत्यत्योग्म अलंकरण है। शिखर पर आमलसार बना है। आमलसार के ऊपर चन्द्रिका दृष्टव्य है, सुन्दर कलश विद्यमान है। शिखर के सभी रथ लता कर्म से वानस्पतिक अलंकृत हैं।[19]

कलचुरीकालीन शिव मंदिर :- अमरकंटक में कलचुरी मंदिर परिसर में अन्य पॉच मंदिर बने हैं। इनमें एक शिव मंदिर जोहिला मंदिर के पीछे बना है। इसकी ऊँचाई लगभग 15 फिट है। यह कलचुरीकालीन है। इसके गर्भगृह में कोई प्रतिमा नही है। यह सम्भवतः शिव मंदिर था। इसके ललाट बिम्ब पर गणेश बने थे किन्तु वह अब अस्पष्ट है। मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। मंदिर के अधिष्ठान में सामान्य बन्धनों की श्रृंखला है। तदुपरान्त चार गहरे बन्धन, सामान्य बन्धन एवं कुमुद बन्धन हैं। जंघा की दीवार व मंदिर में रत्नपुष्प का अलंकरण है। शिखर पर आमलसार बना है। आमलसार के ऊपर चन्द्रिका दृष्टव्य है, किन्तु कलश नही है।[20]

नर्मदा मंदिर :- नर्मदा उद्गम कुण्ड के समीप मुख्य नर्मदा मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कलचुरी राजाओं ने करवाया था। जे. डी. बेगलर के सर्वेक्षण के समय यह मंदिर टूटा हुआ था। इसका जीर्णोद्धार कार्य लगभग 1800 ईस्वी के अन्तिम चरण में हुआ था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कालान्तर में रीवा के महाराज ने करवाया था। इस मंदिर में द्वारशाखा तथा गर्भगृह के स्तम्भ कलचुरीकालीन है। इस प्रमुख मंदिर के गर्भगृह में कलचुरीकालीन देवी नर्मदा की प्रतिमा रखी है। इसका

काल लगभग 1000 ईस्वी है। चतुर्भुजी नर्मदा पूर्ण विकसित कमल पुष्प पर खड़ी है। वह अपने ऊपरी दाये हाथ में कमण्डलु तथा निचले बाये हाथ में सनाल पद्म धारण किये है। उनके पैरो के समीप दोनो ओर आसन पर दाढ़ी वाले ऋषि ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। कमल के नीचे एक दाड़ी वाला योगी दोनों हाथ जोड़े हुए पद्मासन मुद्रा में बैठा है। इसके दोनों ओर एक एक चवरधारिणी परिचारिका घुटने टेके बैठे हुए प्रदर्शित है। माँ नर्मदा जी के सिर के समीप दोनों ओर मालाधारी विद्याधर युगल प्रदर्शित हैं। यह मंदिर व इसमें स्थापित नर्मदा प्रतिमा नर्मदा पूजा के प्रसार प्रचार का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। नर्मदा पूजा के व्यापक प्रसार के कारण ही इस क्षेत्र में नर्मदा की मूर्ति का निर्माण किया गया। इस मंदिर में सुबह दोपहर व शाम को माँ नर्मदा जी की आरती व शंकराचार्येकृत नर्मदाष्टक का पाठ होता है। नर्मदा मंदिर के समक्ष अमरकंठ बाबा अर्थात भगवान शिव पार्वती का मंदिर स्थित है। इन दोनों मंदिरों के दरवाजे कलात्मक ढंग से रजत धातु के बने हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कलचुरी काल में नर्मदा देवी की स्वतन्त्र प्रतिमाएँ निर्मित होने लगी थीं। त्रिपुरी के कलचुरी राजाओं के समय अमरकंटक व डाहल मण्डल में शैव मत, वैष्णव मत के साथ साथ नर्मदा देवी की पूजा प्रचलित थी।[21]

बद्रीनारायण मंदिर :- यह विष्णु मंदिर कलचुरी मंदिर परिसर में स्थित है। इस मंदिर के शिखर का जीर्णोद्धार कलचुरी काल के बाद किया गया है, किन्तु मूल मंदिर कलचुरीकाल में ही बना था। इस मंदिर के अन्दर द्वारशाखा के स्तम्भ व ललाटबिम्ब सुरक्षित हैं। यह द्वारशाखा पूर्णरुप से कलचुरीकालीन कला में निर्मित है। द्वारशाखा में गंगा यमुना का अंकन किया गया है। ललाट बिम्ब पर गरुणासीन विष्णु के साथ ब्रह्मा व शिव को भी बनाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में काले रंग के पत्थर पर निर्मित विष्णु की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। यह कलचुरीकाल की उत्कृष्ट प्रतिमाओं में से एक है। इस मंदिर में यह स्थानक विष्णु की प्रतिमा लगभग 6 फिट ऊँचाई की है। इस प्रतिमा में पैरों के समीप करबद्ध अवस्था में भक्तगणों को बनाया गया है। सिर के समीप मालाधारी गन्धर्व बने हैं। प्रतिमा के समीप विष्णु के द्वाररक्षक जय विजय बनाये गये हैं। दायें हाथ में शंख लिये तथा बायें हाथ में चक्र लिये प्रतिमा को बनाया गया है। नीचे के दायें हाथ में गदा व एक हाथ वरद मुद्रा में बनाया गया है। प्रतिमा में ऊपर परिकर में त्रिदेव बनाये गये हैं। यह प्रतिमा कला के आधार पर कलचुरीकालीन में निर्मित है। कला के आधार पर यह प्रतिमा लगभग 11 वीं शती ईस्वी की प्रतीत होती है। हाथों में गदा, चक्र, शंख स्पष्ट रुप से दिखाये गये हैं। इस मंदिर को स्थानीय लोग बद्रीनाथ मंदिर के रुप में जानते हैं।[22]

लक्ष्मीनारायण मंदिर :- अमरकंटक नर्मदा उद्गम के पास एक कलचुरीकाल का मंदिर बना है। इसका जीर्णोद्धार बाद के कालों मे किया गया। इस मंदिर के गर्भगृह में कलचुरीकाल में निर्मित गरुणासीन उत्कृष्ट सुन्दर व कलात्मक लक्ष्मीनारायण की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा नर्मदा मंदिर परिसर में एक मंदिर में स्थापित है। आकृति में लक्ष्मी को भगवान विष्णु के बायीं ओर बैठे दिखाया गया हैं। विष्णु की चार भुजाएँ हैं। दोनों दाहिने हाथों में क्रमशः चक्र और गदा है। बाँयें हाथों में शंख तथा कमल है। विष्णु के लक्ष्मीनारायण रूप का वर्णन अनेक ग्रंथों में हुआ है। इन रूपों में भुजाओं की ही भिन्नता है। कहीं पर वे दो भुजा वाले, कहीं चार भुजा वाले, तथा कहीं आठ भुजा वाले कहे गऐ हैं।[23]

अमरकंटक के समीप राजेन्द्रग्राम मार्ग पर धरहरकला ग्राम में बहगढनाले से कल्चुरीकालीन मंदिर प्राप्त हुआ है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर था। इस मंदिर की द्वार शाखा में ऊपर ललाट पर नवग्रहों के साथ साथ शिव, विष्णु एवं ब्रह्मा का अंकन है। इसके अतिरिक्त भारत की पवित्र नदियों मकर वाहिनी गंगा एवं कूर्म वाहिनी यमुना का कलात्मक अंकन शिल्पकार ने द्वारशाखा पर किया है। द्वारशाखा पर ही लताओं, गज व अश्व इत्यादि का सुन्दर अंकन किया गया है। यह मंदिर अमरकंटक के मंदिरों के समान पंचरथ शैली में निर्मित है। मंदिर की वाह्य दीवारों पर अनेक शिलाफलक लगे हैं। उनमें मुख्यता से वीणाधारी शिव, विष्णु, ब्रह्मा,, चमुण्डा, स्थानक गणेश, नृत्यरत गणेश, इत्यादि का भव्यता से अंकन किया गया है।[24] इस मंदिर मे लगे शिलाफलकों का विस्तार से वर्णन अग्र प्रकार है।

नृत्यरत गणेश प्रतिमा:- स्थानक गणेश की प्रतिमा युक्त सुन्दर शिलाफलक शिव मंदिर की पूर्वी दीवार में लगा हुआ। इस शिलाफलक में गणेश को द्विभुजी रुप में बनाया गया है। एक हाथ में परशु एवं दूसरे हाथ को वरद मुद्रा में शिल्पांकन किया गया है। गणेश शिवगणों के अधिपति थे इसलिए उन्हें गणपति कहा गया। इस प्रतिमा

में गणेश का एकदन्त स्पष्ट रुप में प्रदर्शित किया गया है। लम्बोदर, सूर्पकर्ण, वक्रतुण्ड गणपति सिर पर मुकुट, हाथों में कंगन और यज्ञोपवीत धारण किए हैं। उन्हें नृत्य मुद्रा में उत्कीर्ण किया गया है। नृत्त गणेश का स्थूलकाय शरीर नृत्यमुद्रा में दर्शनीय है।[25]

वीणाधारी शिव प्रतिमाः– धरहरकला ग्राम से प्राप्त इस मंदिर की पश्चिमी दीवार पर वीणाधारी शिव को हाथों में वीणा लिए प्रदर्शित किया गया है। शिव को संगीत कला में श्रेष्ठ माना जाता है। प्रतिमा चतुर्भुजी रुप में बनायी गई है। प्रतिमा जटामुकुट, कण्ठहार, पादवलय आदि से अंलकृत है। शिव के दायी ओर के एक हाथ में त्रिशूल एवं बायें हाथ में अक्षमाला को दिखाया गया है। प्रतिमा के नीचे शिव के वाहन नंदी का अंकन है। यह प्रतिमा कला में दुलर्भ है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की तीन प्रतिमाएं मिली हैं।[26]

नृत्यरत शिव प्रतिमाः– मंदिर की पश्चिमी दीवार में नृत्यरत शिव की षडभुजी प्रतिमा को बनाया गया है। इस प्रतिमा में शिव के दायें वाले एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में खड्ग तीसरा हाथ नृत्य की मुद्रा में दिखाया गया है। बायें तरफ के एक हाथ में पिनाक नामक धनुष एवं दूसरे हाथ में मुण्ड लिए है। तीसरा हाथ नृत्य अवस्था में बनाया गया है। शिव का एक नाम पिनाकी भी है। शिव जटामुकुट, कण्ठहार, पादवलय आदि से अंलकृत है। शिव के वाहन नंदी को दाये पैर के नीचे उत्कीर्ण किया गया है। यह दृश्य तान्डव नृत्य को प्रदर्शित करता है। शिव को तान्डव नृत्य करने के कारण नृत्यशास्त्र का जनक भी कहा माना जाता है।[27]

ब्रह्मा प्रतिमाः– इस मंदिर के बाह् पूर्वी दीवार पर एक शिलाफलक पर द्विभुजी ब्रह्मा का अंकन है। ब्रह्मा को एक हाथ में वेद एवं दूसरे हाथ का आयुध अस्पष्ट है। तीन मुख दिखलाये गये हैं। उन्हे कमलासान मुद्रा में बैठे दिखाया गया है।[28]

चमुण्डा देवी का अंकनः– चमुण्डा देवी की प्रतिमा युक्त शिलाफलक मंदिर की पश्चिमी दीवार पर लगा है। देवी की प्रतिमा को षड्भुजी बनाया गया है। दायें हाथ में त्रिशूल, खड्ग एवं एक आयुध अस्पष्ट है। बायें हाथ में धनुष एवं परशु है एक आयुध अस्पष्ट है। देवी के पैरों के नीचे एक शव पडा हुआ है। देवी के शरीर में हडिड्यां दिख रही हैं। देवी की उपासना मातृदेवी अथवा समृद्धि की देवी के रूप में प्राचीन काल में प्रचलित रही है।[29]

मंदिरों में पूजा उपासना के दृश्य, योद्धा, कामक्रीड़ा प्रसंग, स्त्री व पुरुष इत्यादि की प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। स्त्री-पुरुषों की आकृतियों को चोली, साड़ी हार, पगड़ी तथा केशविन्यास से सुसज्जित कर मनमोहक बनाया गया है।[30] मंदिरों की द्वार शाखा में ऊपर ललाट पर सूर्य सहित नवग्रहों का अंकन मंदिर के प्रवेश द्वार के सिरदल का निचला बंध करबद्ध नाग प्रतिमाओं से अलंकृत है। नागों का निचला शरीर जो कि सर्पकार है एक दूसरे से लिपटा हुआ अंकित है।[31] अमरकंटक के मंदिरों की द्वारशाखा पर दो नारियों को पुष्पों एवं पल्लवों से परिपूर्ण पूर्णघट लिए दिखाया गया है। यह घट मांगलिक प्रतीक है। मंदिर के द्वारमंडल के बाह्य स्तंभों के ऊपरी हिस्से में एवं प्रवेश द्वार के बन्धों पर घटपल्लव अलंकरण है। पुष्पों एवं पल्लवों से परिपूर्ण पूर्णघट मांगलिक प्रतीक है।[32] अमरकंटक में कलचुरीकालीन मंदिरों की दीवारों, स्तम्भों, द्वारशाखाओं एवं मंदिरों के शिखरों के समीप गज एवं सिहों का अंकन हुआ है। प्राचीन काल में गज एवं सिंह का अंकन मंदिरों में शुभ माना जाता था। सिंह को कलचुरी नरेश अपना राजचिह्न मानते थे। अमरकंटक में एक कलचुरीकालीन मंदिर के शिखर पर भी सिंह एवं गज की आकृति उत्कीर्ण है। इस आकृति में सिंह को गज की सूंड पकड़े गज के ऊपर बैठे दिखया गया है। इससे ज्ञात होता है कि कलचुरियों ने गज सेना से युक्त दक्षिण कोशल के राजा को पराजित किया था।[33]

इस प्रकार कहा जा सकता है कि अमरकंटक क्षेत्र धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा है। यहॉ सभी धर्म सम्प्रदायों का सम्यक विकास हुआ। कलचुरी कालीन समाज में जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, सौर धर्म, शाक्त धर्म, गाणपत्य धर्म इत्यादि का बोलबाला था। कलचुरी कालीन प्रशासक भी सभी धर्मो को समान रुप से महत्व देते थे। इसी कारण उन्होने सभी धर्मो के देवी देवताओं की प्रतिमाओं एवं मदिरों का निर्माण करवाया था। देवी प्रतिमाओं की प्राप्ति से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र मे शाक्त धर्म का भी बोलबाला था। कलचुरी नरेश शैव धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए इस क्षेत्र मे शैव धर्म का अधिक प्रचार प्रसार हुआ तथा यहॉ शिव मंदिरों व शिव की विभिन्न प्रतिमाओं का भी निर्माण किया गया। धरहरकला ग्राम के कलचुरीकालीन मंदिर में शिव के विभिन्न रुपों का अंकन किया गया है। भगवान शिव पुराणों के अनुसार नृत्य एवं संगीत के प्रणेता है। इस मंदिर में शिव के

नृत्यरत स्वरुप का अंकन व वीणाधारी शिव का अंकन भव्यता से किया गया है। गणेश को नृत्यरत मुद्रा में दिखाया गया है। अनेक पुरुष व नारियों को नृत्यरत एवं संगीत के विभिन्न बाद्य यन्त्रों जैसे वांसुरी मृदंग एवं ठोलक. बजाते अंकित किया गया है। संगीत प्रेम इस क्षेत्र के लोगों में इस कला के माध्यम से देखने को मिलता है। कलाकार ने विभिन्न वाद्य यन्त्रों को कला में उत्कीर्ण किया है इससे ज्ञात होता है कि कलचुरी कालीन समाज में वीणा, ठोलक, मजीरा एवं नृत्य काफी प्रचलित था एवं शिव एवं गणेश को नृत्य संगीत का प्रारम्भ करते समय स्मरण किया जाता होगा। इसलिए ही कला में कलाकार ने शिव को नृत्य एवं संगीत की मुद्रा में दिखाया है। शिव मंदिरों में अनेक पुरुष व नारियों को भी नृत्य एवं संगीत की मुद्रा में दिखाया है। अमरकंटक के कलचुरीकालीन मंदिरों के स्तंभों पर अधोमुखी एवं ऊर्ध्वमुखी कमल का अंकन किया गया है। मंदिरों के द्वार मंडप के दोनों बाह्य द्वार-स्तंभों के मुख्य भाग में ऊपर की ओर अधोमुखी कमल का अंकन किया गया है। इन मंदिरों की दीवारों पर क्रमशः मेखला, घटपल्लव, कीर्तिमुख तथा फिर ऊर्ध्वमुखी कमल का सुंदर अंकन है। अमरकंटक के वास्तु शिल्प में कलात्मक रूप से प्रकृति चित्रण किया गया है। इन मंदिर के द्वार शाखाओं पर लता पत्र और पुष्प उकेरे गये हैं। पुष्पांकन में पूर्ण विकसित एवं अर्द्धविकसित पुष्पों का अंकन हैं मंदिरों के विशाल पाषाण खंडों के निचले बंध पुष्पांलकरण युक्त है। अमरकंटक से प्राप्त कलचुरी कालीन मूर्तियों के आभूषणों पर पुष्पों एवं पंक्तियों का सुंदर अंकन मिला है। विष्णु प्रतिमाओं में वनमाला को धारण किए हैं उस पर विभिन्न वृक्षों के पत्ते, अशोक के पत्ते, पूर्ण विकसित पुष्प एवं लताओं का अंकन हुआ है। प्रतिमाओं में जो आभूषण पहनाये गये है, वह सभी आभूषण आज भी यहॉ के जनजाति समुदाय के लोग श्रृगांर में प्रयुक्त करते हैं। मंदिरों एवं प्रतिमाओं में अमरकंटक में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों के फूल पत्तियों का अंकन प्रमुखता से किया गया है। इससे यह कहा जा सकता है कि मंदिरों व प्रतिमाओं के निर्माण करने वाले कलाकार स्थानीय ही रहे होंगे। मंदिरों की दीवारों व द्वारशाखाओं पर वनस्पति व नदियों के साथ सूर्य, चन्द्रमा एवं तारों का सुन्दर अंकन किया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि समाज में प्रकृति प्रदत्त शक्तियों की पूजा आराधना की जाती थी। स्थानीय समाज के लोग नदियों व वृक्षों की पूजा देवी देवताओं के रुप में करते थे।

सन्दर्भ

1. चढ़ार, मोहन लाल, 'अमरकंटक क्षेत्र का पुरावैभव', एसएसडीएन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2017, पृ. 1
2. शर्मा रामजी, 'वृहद् नर्मदा पुराण', रामू प्रिंट्रिग प्रेस, श्री दुर्गा पुस्तक भण्डार, इलाहाबाद, 2008, पृ. 21
3. ज्योतिषी, नरेश, 'मंडला एवं डिण्डोरी जिले का पुरातत्व', सुषमा कम्प्यूटर एवं पिन्टरर्स, मण्डला, 2006, पृ. 16
4. महाभारत, वनपर्व, 83/9
5. पद्म पुराण, 133/21
6. मेघदूत, 1/17
7. शर्मा, राजकुमार, 'मध्य प्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ ग्रन्थ', म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1974, पृ. 361
8. अनन्त, आर, ऐस, 'आर्ट एण्ड आर्केटेकचर ऑफ दा कलचुरी ऑफ त्रिपुरी', शोध प्रबन्ध, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, 1965, पृ. 68
9. मालपानी, जे.एन., 'अनूपपुर जिले का ग्रामवार पुरातत्व सर्वे रिपोर्ट', संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल, 2009, पृ. 11
10. दुबे, के. एन. 'अमरकटंक परिदर्शन', विजन कम्प्यूटर, जबलपुर, 2008, पृ. 20
11. चढ़ार, मोहन लाल, पूर्वोक्त, पृ. 66
12. मालपानी, जे.एन., पूर्वोक्त, पृ. 58
13. चढ़ार, मोहन लाल, पूर्वोक्त, पृ. 69
14. मालपानी, जे.एन. पूर्वोक्त पृ. 58
15. शर्मा,राजकुमार पूर्वोक्त, पृ. 380
16. चढ़ार, मोहन लाल पूर्वोक्त, पृ. 70
17. मलपानी, जे.एन. पूर्वोक्त, पृ. 61
18. चढ़ार, मोहन लाल पूर्वोक्त, पृ. 71
19. शर्मा,राजकुमार, पूर्वोक्त, पृ. 381
20. चढ़ार, मोहन लाल पूर्वोक्त, पृ. 73
21. चन्द्रोल, जी. के. 'मूर्तिशिल्प में नदी देवी नर्मदा का रुपांकन', प्रकाशक रानी दुर्गावती राज्य पुरातत्व संग्रहालय, जबलपुर, 1994 पृ.11
22. चढ़ार, मोहन लाल, पूर्वोक्त, पृ. 114

23. चढार, मोहनलालः हिस्टोरिकल रेमेन्स आफ अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, ग्रन्थ-बुद्धिष्ट स्टीडीज, इन मध्यप्रदेश, प्रकाशक प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, 2017, पृ. 133 से 145
24. चढार, मोहनलाल, 'बहगढनाले से प्राप्त नवीन कलचुरीकालीन पुरावशेष', कोशल पत्रिका, छत्तीसगढ संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग की पत्रिका, खण्ड 4 अंक 8, बर्ष 2015, पृ. 1-'6
25. राव, टी.ए. गोपीनाथ, एलीमेन्टस ऑफ हिन्दू आइकोनोग्राफी खण्ड 1, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1985, पृ. 212-213
26. चढार, माहनलाल 'बहगढनाले से प्राप्त नवीन कलचुरीकालीन पुरावशेष', पूर्वोक्त, पृ. 1-6
27. चढार, मोहनलाल, 'हिस्टोरीकल रेमेन्स ऑफ अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट', पूर्वोक्त, पृ. 133 से 145
28. श्रीवास, संजय, 'श्री नर्मदा परिक्रमा', प्रकाशक श्री मॉ नर्मदा साहित्य सदन, अमरकटंक, 2014, पृ. 27
29. चढ़ार, मोहन लाल, 'अमरकंटक क्षेत्र की प्राचीनता, प्राग समीक्षा, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, की पत्रिका, खण्ड 1, अंक 2, फरवरी 2014, पृ.. 41 से 54
30. चढार, मोहनलालः 'बहगढनाले से प्राप्त नवीन कलचुरीकालीन पुरावशेष', पूर्वोक्त, पृ. 1-'6
31. मालपानी, जे.एन., पूर्वोक्त, पृ. 63
32. चढ़ार, मोहन लाल, 'अमरकंटक का पुरावैभव', पूर्वोक्त, पृ. 116
33. श्रोत्रिय, आलोक एवं चढ़ार, मोहन लाल : अमरकटंक क्षेत्र की कलचुरीकालीन कला, ग्रन्थ-भारतीय कला संस्कृति के नवीन आयाम, एस के बुक एजेन्सी, नई दिल्ली, 2018, पृ. 58 से 82

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 22 अंक 1, जनवरी-जून 2020
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

बड़े डोंगर का ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक वैभव (सती स्तंभों के विशेष संदर्भ में)

❑ डॉ. नितेष कुमार मिश्र
❖ ढालसिंह देवांगन

छत्तीसगढ़ भारत के मध्य क्षेत्र में स्थित मध्यप्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का अपना एक समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास रहा है। ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक दृष्टि से यह क्षेत्र भारत के अन्य राज्यों की तरह महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में पाषाणकाल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो समय समय पर किये गये अन्वेषणों एवं उत्खननों के आधार पर प्रमाणित होता है। पुरातात्त्विक दृष्टि से इस अंचल में शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य एवं अनेकों मूर्ति प्राप्त हुई हैं साथ ही अन्य पुरावशेषों में सती स्तंभ एवं योद्धा की प्रतिमा उल्लेखनीय हैं जो इस स्थल के इतिहास निर्माण में सहायक हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का दक्षिणी भाग बस्तर संभाग के अंर्तगत आता है। यह क्षेत्र आदिकाल से मानव का विचरण स्थल रहा है। बस्तर के पुरातात्त्विक एवं सांस्कृतिक इतिहास के अवशेष यहाँ के विस्तृत भू-भागों में विद्यमान प्राचीन स्मारक, मूर्ति एवं भग्नावशेषों में समाहित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न स्थलों से सती स्तंभ एवं योद्धाओं की प्रतिमा प्राप्त हुई हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि इस प्रथा से छत्तीसगढ़ भी अछूता नही रहा। बस्तर क्षेत्र के विभिन्न स्थलों जैसे छोटे डोंगर, बंगोली तीरथगढ़, चपका एवं टेमरा से सती स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जिनमें से छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव जिले के बड़े डोंगर से प्राप्त सती स्तंभ का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ एक ही स्थान पर 36 सती स्तंभ एवं योद्धाओं की प्रतिमा प्राप्त हुई हैं। चूंकि ये सारे स्तंभ खुले में हैं अतः संरक्षण के अभाव के कारण इन मूर्तियों का क्षरण तीव्र गति से हो रहा है। इस लेख में बड़े डोंगर से प्राप्त सती स्तंभों का विस्तार से वर्णन किया गया है जो बस्तर के इतिहास एवं पुरातत्त्व में नई कड़ी जोड़ने का प्रयास होगा।

प्रत्येक राष्ट्र एवं उनके अंतर्गत विभिन्न राज्यों का अपना एक अलग अस्तित्व एवं गौरवशाली इतिहास होता है। सांस्कृतिक विविधताओं यथा उनकी बोली, भाषा, धार्मिक रीतिरिवाज, परम्परा, पहनावा एवं खानपान आदि के बीच उनकी एक अलग पहचान होती है। जनजातीय बहुल क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य का भी अपना एक समृद्ध सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक इतिहास है। छत्तीसगढ़ भारत के मध्य क्षेत्र में स्थित मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है।[1] वर्तमान छत्तीसगढ़ क्षेत्र प्राचीन दक्षिण कोसल, दण्डकारण्य एवं मेकल का ही परिवर्तित स्वरूप है। यह भू-भाग अपने अनुकूल जैविक एवं भौतिक संरचना के कारण प्राचीन भारत के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

इस क्षेत्र में प्रागैतिहासिक पुरास्थलों के साथ-साथ मानव द्वारा बनाये गये शैलचित्र विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि यह क्षेत्र मानव के विकास का प्रमुख केन्द्र रहा होगा। प्राचीन काल से छत्तीसगढ़ मौर्य, कुषाण, गुप्त, वाकाटक, नल, शरभपुरीय, पाण्डु-वंशी, कलचूरि एवं नागवंशी शासकों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव क्षेत्र में रहा। इस क्षेत्र का उल्लेख महाकाव्यों एवं पुराणों में भी किया गया है। अभिलेखीय साक्ष्यों में समुद्र-गुप्त के प्रयाग-प्रशस्ति में इस क्षेत्र की उपस्थिति कोसल के महेन्द्र एवं महाकान्तर के व्याघ्रराज के रुप में होती है जिन्हें इस क्षेत्र का शासक बताया गया है।[2]

छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग बस्तर संभाग के अंर्तगत आता है। पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित वनाच्छादित इस भू-भाग को इंद्रावती, नंदीराज, कोटरी, निबरा, नारंगी, भवरडीग, भसकेली, चिंतावसगु, शंखनी एवं डंकनी आदि सरिताएँ अपने पवित्र जल से अभिसिंचित करती हैं।[3] खनिज एवं प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह क्षेत्र आदिकाल से मानव का विचरण स्थल रहा है। बस्तर के सांस्कृतिक इतिहास के अवशेष यहाँ के विस्तृत भू-भागों में विद्यमान प्राचीन स्मारक एवं भग्नावशेषों में समाहित स्थापत्य एवं मूर्ति कला के रूप में प्राप्त होते हैं। समय-समय पर विभिन्न इतिहासकारों एवं पुरातत्त्वविदों ने बस्तर के पुरातत्त्व विषय पर प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक का अध्ययन किया।

❑ असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रा.भा.इ.सं.एवं पुरातत्त्व अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
❖ शोध अध्येता, प्रा.भा.इ.सं.एवं पुरातत्त्व अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

19वी सदी के उत्तरार्द्ध में केप्टन मेकबिकर, केप्टन इलियट एवं कर्नल ग्लसफर्ड के द्वारा प्रदत्त विवरणों से बस्तर के इतिहास और संस्कृति के विषय में हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।[4] कर्नल ग्लसफर्ड एवं पण्डा बैजनाथ ने बस्तर अंचल में विभिन्न अभिलेखों को ढून्डा एवं इनका सम्पादन किया तथा रायबहादुर हीरालाल एवं एच. कृष्णशास्त्री ने इन अभिलेखों के माध्यम से बस्तर का इतिहास उजागर किया।[5] सन् 1906-7 में पण्डा बैजनाथ ने बस्तर के केशकाल के समीप गढ़धनोरा का उत्खनन किया तथा बाद में सन् 1989 में जी.के. चन्द्रौल द्वारा वृहत स्तर पर इस स्थल का उत्खनन किया गया।[6] सन् 1908 में प्रकाशित ग्रंथ ''बस्तर भूषण'' में केदारनाथ ठाकुर ने बस्तर से संबंधित राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विषयों में जानकारी दी।[7] सन् 1965 से 1985 के मध्य वी.डी.झा द्वारा किये गये अन्वेषण के माध्यम से निम्नपुरापाषाण काल से नवपाषाण, महाश्म संस्कृति, एवं बस्तर के स्थापत्य एवं मूर्तिकला पर महत्वपूर्ण सूचना मिलती है।[8] इस क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व के विविध पक्षों को प्रकाशित करने के लिए इस विषय से संबंधित विभिन्न पुस्तकों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ एवं बस्तर के विषय में वृहत्तम् जानकारी प्राप्त होती है।

इस अंचल से शैव, वैष्णव एवं शाक्त धर्म से संबंधित अभिलेख, स्थापत्य एवं अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुईं साथ ही साथ अन्य पुरावशेषों में सती स्तंभ एवं योद्धा की प्रतिमा एवं अनके भग्नावशेष मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। जब हम छत्तीसगढ़ से प्राप्त सती स्तंभों के विषय में बात करते हैं तो इस संदर्भ में विष्णु सिंह ठाकुर की 1972 में प्रकाशित पुस्तक ''राजिम'' में सती स्तंभों के विषय में जानकारी मिलती है। सीताराम शर्मा ने 1989 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ''भोरमदेव'' में वहाँ से प्राप्त सती स्तंभों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया था। संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्त्व छत्तीसगढ़ की वार्षिक पत्रिका 'कोसल' में वर्ष 2017 अंक 10 के Notes - News में प्रकाशित लेख ''सोंढूर नदी सर्वेक्षण से ज्ञात प्रतिमाएं एवं स्थापत्य अवशेष'' में प्रवीन तिर्की ने सती स्तंभों एवं योद्धा प्रतिमाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी दी है। बस्तर क्षेत्र के विभिन्न स्थालों जैसे छोटे डोंगर, बंगोली तीरथगढ़, चपका एवं टेमरा से सती स्तंभ प्राप्त हुए हैं।[9] विवेक दत्त झा ने अपनी पी-एच.डी. शोध प्रबंध "The Archaeology of Bastar Region" (1980) में बड़े ड़ोगर के पुरातत्त्व के विषय कुछ प्रकाश डाला तथा 1989 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ''बस्तर का मूर्तिशिल्प'' में बस्तर एवं इस स्थल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इन साक्ष्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ एवं बस्तर के सती स्तंभों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है।

बस्तर क्षेत्र में पूर्व में किये गए ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक शोध कार्यों के अध्ययन एवं विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि इस अंचल में पाषाण काल, महाश्म संस्कृति, स्थापत्य एवं विभिन्न मूर्तियों से संबंधित कार्य किये गये हैं किन्तु किसी भी लेख में सती स्तंभों के विषय में विस्तृत जानकारी नही मिलती है। इसलिए हमनें ''बड़े डोंगर का ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक वैभव'' (सती स्तंभों के विशेष संदर्भ में) विषय का चयन किया है। इस लेख में बड़े डोंगर से प्राप्त सती स्तंभों का विस्तार से वर्णन किया गया है इनके माध्यम से बस्तर के इतिहास एवं पुरातत्त्व में नई कड़ी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

इस शोध कार्य में मुख्य रूप से स्रोत के रूप में दो पद्धतियों का प्रयोग किया गया है -

1. ऐतिहासिक पद्धति - प्राचीन मौलिक ग्रंथों एवं सहायक ग्रंथों को लिया गया है। प्राचीन मौलिक ग्रथों के अंर्तगत वेद, पुराण, रामायण एवं महाभारत आदि प्रमुख ग्रंथ हैं साथ ही साथ इस शोध कार्य में मौलिक ग्रथों के अतिरिक्त सहायक ग्रंथों को लिया गया जो आधुनिक लेखकों द्वारा इस संदर्भ में लिखे गये हैं। इन ग्रथों के माध्यम से प्राचीन नदी, भौगोलिक स्थलों की जानकारी प्राप्त की गई। इस विषय से संबंधित पूर्व में प्रकाशित लेखों, शोध पत्रों एवं शोध प्रबंधों का विश्लेषण इस शोध कार्य में किया गया।

2. स्थल सर्वेक्षण - प्रस्तुत लेख में आकड़ों का संग्रह व्यतिगत रूप से बड़े डोंगर का सर्वे करके किया गया। गाँव के लोगों से व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से आंकड़े संकलित किए गए जिनसे आपेक्षित आकड़े प्राप्त हुए। इस शोध कार्य में आधुनिक तकनीकों जैसे Net, Google Earth, Global Positioning Systam (G.P.S.), Topographic Maps, Geographic Information System (G.I.S.) एवं Computer आदि की मद्द ली गई जिनसे नवीनतम आंकड़े प्राप्त किये गये। इन सभी आंकड़ों की हमारे शोध कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका रही।

बड़े डोंगर[10] चारों ओर से सघन वन एवं पहाड़ियों से

घिरा हुआ है, यद्यपि यहाँ के पुरातात्त्विक महत्त्व के अवशेषों के विषय में लोगों को कमतर ही ज्ञात है, परन्तु इस पुरास्थल की ख्याति इससे कहीं अधिक है। बड़े डोंगर छत्तीसगढ़ राज्य के कोण्डागाँव जिले में फरसगाँव तहसील से 16 कि.मी. की दूरी पर एवं राजधानी रायपुर से दक्षिण दिशा की ओर 198 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ी बोली में ''डोंगर'' शब्द पहाड़ के लिए प्रयुक्त होता है, अतः बड़े डोंगर का अर्थ एक विशाल पहाड़ी या पहाड़ से लिया जा सकता है। लोक मान्यताओं के अनुसार बड़े डोंगर महाराजा पुरूषोत्तम देव के समय में बस्तर की राजधानी हुआ करती थी। चारों ओर पहाड़ियों एवं घने जंगलों के बीच स्थित बड़े डोंगर के हर पहाड़ी पर देवी-देवताओं के वास होने के कारण इसे ''देवलोक'' की संज्ञा भी दी गई है। इसे ग्रामीण लोग ''भैंसादोंद'' डोंगरी भी कहते हैं। बड़े डोंगर देवी स्थल होने के कारण अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ पर भी महिषासुर के वध स्थल होने का दावा किया जाता है तथा कालान्तर में यह बस्तर के राजपरिवार की इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती थी एवं आज भी पूजा की परम्परा निरन्तर बनी हुई है। कहा जाता है कि राजा यही से देवी को दन्तेवाड़ा ले गये एवं विश्व प्रसिद्ध बस्तर के दशहरे की पूजा का प्रारंभ भी यही से होता है।

यहाँ मुख्य रूप से तीन प्राचीन मंदिरों के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त होता है। दन्तेश्वरी मंदिर जो पहाड़ी पर स्थित है तथा दूसरा मंदिर नकटी देवी या नकटी देवरी का जो पहाड़ी के नीचे है। कला एवं स्थापत्य के महत्व की दृष्टि से ये दोनों मंदिर ही महत्वपूर्ण है। तीसरा मंदिर जगन्नाथ मंदिर का है, जिनके कुछ भग्न अवशेष ही मिलते हैं। काकतीय वंश के शासक मूलतः शैव मतावलंबी थे, इसलिए इस अंचल से शिव लिंग, उमामहेश्वर, गणेश एवं कार्तिकेय आदि की विभिन्न मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। बड़े डोंगर की मूर्तियाँ गाँव के अलग-अलग हिस्सों में बिखरी हुई अवस्था में प्राप्त हुई है। ग्रामीणों के द्वारा यहाँ एक नवीन मंदिर का निर्माण किया गया है, इसी मंदिर में इन बिखरी हुई मूर्तियों को एकत्रित करके रखा गया है। इस मंदिर में गणेश, विष्णु की प्रतिमाएं, एक षष्ठभुजी भैरव[11] की प्रतिमा स्थानक मुद्रा में प्राप्त हुई है, जिसने नर मुण्डों की एक माला धारण की हुई है, इसने अपने बायें हाथ में डमरू धारण किया है। नरसिहं की एक मूर्ति मिली है, जिनके बाये जांघ पर देवी लक्ष्मी बैठी हुई है साथ ही नाग की एक प्रतिमा प्राप्त हुई जो मूर्तिकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

सती स्तंभ :- सती प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल से ही देखा गया है। लोक मान्यताओं के अनुसार सती प्रथा का प्रारंभ माँ सती के समय से माना जाता है। जब माँ सती अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति महादेव का अपमान करने पर क्षुब्ध होकर अग्नि में प्रविष्ट हो जाती है एवं आत्मदाह कर लेती है, सम्भवतः इसी घटना ने इस प्रथा को जन्म दिया होगा। सती प्रथा कुछ पुरातन हिन्दू समुदायों में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी, जिसमें किसी पुरूष की मृत्योपरान्त उनकी पत्नी उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनकी चिता में प्रविष्ट होकर आत्मदाह कर लेती थी। सती होने के उदाहरण हमें महाकाव्य काल में देखने को मिलता है। रामायण काल में रावण के पुत्र मेघनाथ की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सुलोचना अग्नि में प्रविष्ट होकर सती हो गयी थी एवं महाभारत कालीन कुरू वंशी शासक पाण्डु की दो पत्नियाँ थी, कुंती एवं माद्री। ऐसा माना जाता है कि, पाण्डु की मृत्यु के पश्चात माद्री अपने पति के साथ सती हुई थी।

ऐतिहासिक काल में सती प्रथा का मुख्य कारण यह भी रहा है कि युद्ध में आक्रमणकारियों द्वारा जब पुरूषों की हत्या कर दी जाती थी, तो उनकी पत्नी अपनी अस्मिता व आत्मसम्मान को महत्वपूर्ण समझते हुए, अपने पति की चिता में कूद जाती थी अथवा विवशता के कारण आत्मदाह कर लेती होंगी। सती प्रथा के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं-पहला सहगमन एवं दूसरा अनुमरण। पति की मृत्यु हो जाने पर उनके साथ ही उनकी चिता पर जल जाना सहगमन एवं पति की अन्यत्र मृत्यु हो जाने पर उसकी कोई वस्तु लेकर चिता में प्रविष्ट होकर आत्मदाह कर लेना अनुमरण कहलाता है। कालांतर में स्त्रियों की इस स्वैच्छिक विवशता का अपभ्रंश हो गया और शनैः-शनैः यह सती प्रथा एक समाजिक कुप्रथा बन गयी।

अभिलेखीय साक्ष्यों में सती होने की सूचना हमें सर्वप्रथम गुप्त कालीन शासक भानूगुप्त के एरण अभिलेख में मिलती है। इस अभिलेख में युद्ध में गोपराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उनके साथ अग्नि में प्रविष्ट हो गयी अर्थात सती हो गयी थी।[12] छत्तीसगढ़ अंचल के विभिन्न स्थानों से भी सती होने के अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में मल्हार, सेमरसल (बिलासपुर) एवं आतुरगाँव (कांकेर) से अभिलिखित स्मृति प्रस्तर के प्रमाण मिलते

है।[13] सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख दुर्ग जिले के छातागढ़ (मोहलई) से प्राप्त प्रस्तर लेख है जिसमें प्रथम एवं द्वितीय सदी ई. की ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। इस अभिलेख में निसा एवं समिनिका नामक गृहणी का पंचतत्व में विलीन होना बताया गया है, इसके अलावा इनकी कोई और सूचना नही मिलती।[14] एक शिलालेख में सूचना मिलती है कि त्रिपुरी के कलचुरी कालीन शासक गांगेय देव (1015-1041) की मृत्यु के पश्चात उनकी 100 रानियाँ सती हुई थीं।

सती स्तंभ एकाश्म[15] एवं मूलतः चार या पाँच फिट ऊँचे चौकोर पाषाण पर बनाया जाता था। यह स्तंभ प्रायः अकेले या समूह में मिलते हैं। जो देश एवं अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध में अपने प्राण दे देते थे अर्थात वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, उनकी स्मृति में यह स्तंभ बनाया जाता था। कई गाँव में आज भी सती चौरा मिलता है, जहाँ इन स्तंभों को गढ़ाया जाता था। इन स्तंभों को गाँव के मुख्य भाग या चौराहे एवं तालाब के किनारे स्थापित किया जाता था।

सती स्तंभ समान्यतः तीन सूचियों में विभाजित होती है, शीर्ष, मध्य एवं मूल। कभी-कभी चार या पाँच सूचियों में भी विभाजित की जाती थी। सती स्तंभ के शीर्ष भाग पर शिवलिंग, स्त्री का ऊठा हुआ हाथ एवं हाथ की कलाई में सौभाग्य चिन्ह उनकी चूड़ी एवं कंगन तथा हाथ के पंजे खुले हुए होते हैं। चाँद एवं सूरज प्रत्येक स्तंभ में बने होते हैं। चाँद एवं सूरज सम्भवतः एक निश्चित तिथि एवं काल को दर्शाते होगें, जिस समय यह घटना घटी हो एवं ये युद्ध में शहीद हुए वीरों के साक्षी स्वरूप होते होगें। दूसरा इनके प्राकृतिक देव होने के कारण ये अनश्वर हैं अर्थात जब तक सूर्य एवं चन्द्र रहेगें तब तक धरती पर वीरों की कीर्ति बनी रहेगी।

जिन व्यक्तियों की स्मृति में यह स्तंभ बनाया जाता था उसकी आकृति मध्य में बनी होती है, इस कारण इसे स्मृति स्तंभ या छाया स्तंभ भी कहा जाता है। छाया स्तंभ मृत व्यक्तियों के पुण्यस्मृति एवं उनके प्रतिबिम्ब स्वरूप गाड़ा जाता था तथा उन व्यक्तियों के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं, गतिविधियों एवं उनके उपलब्धियों से संबंधित चित्रण इन स्तंभों में उत्कीर्ण किये जाते थे। मध्य भाग में पुरूष के साथ प्रायः उनकी पत्नियों को उनके समीप पालकी, राजगद्दी, सीढ़ी या झूले में बैठे एवं प्रायः शिवलिंग की पूजा करते दिखाया जाता हैं तथा इन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता था मानों ये स्वर्ग में बैठे हो। मूलतः सती स्तंभ का निचला भाग सादा होता है, पर कहीं-कहीं घोड़े, हाथी एवं कुत्ते जैसे पशुओं का चित्रण मिलता है जो यह इंगित करता है कि इन पशुओं से उनका लगाव रहा हो। इसी भाग में अभिलेखों को भी उत्कीर्ण किया जाता था।

स्तंभों का निर्माण केवल युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए योद्धाओं का ही नही बल्कि शत्रुओं से गाय की रक्षा करते हुए, शिकार करते हुए, अपने राजा के लिए आत्म बलिदान करने एवं कभी-कभी मल्ल युद्ध करते समय से मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी स्तंभों का निर्माण किया जाता था।

सती स्तंभ, सती चौरा एवं युद्ध से संबंधित योद्धाओं की प्रतिमा देश एवं छत्तीसगढ राज्य के अनेक स्थलों से प्राप्त हुए हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि इस प्रथा से छत्तीसगढ़ भी अछूता नही रहा, जिनमें बड़े डोंगर से प्राप्त सती स्तंभ एवं योद्धाओं की मूर्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ योद्धा एवं सती से संबंधित 36 स्तंभ एक कतार में रखी हुई हैं। ग्रामीण यशवंत लाल नायक (वन संरक्षक) ने बतलाया कि यहाँ की सारी मूर्तियाँ गाँव के अलग-अलग हिस्सों में पड़ी हुई थीं जिन्हें संरक्षित कर एक स्थान पर रखा गया है। इनमें से कुछ पूर्ण एवं कुछ टूटी हुई अवस्था में है। ये सभी स्तंभ तीन से चार फीट की होगीं क्योंकि इनका आधा हिस्सा टूटा एवं जमीन में गढ़ा हुआ होने कारण स्पष्ट नही कहा जा सकता है कि ये स्तंभ कितने बड़े होगें। यह बलुआ पत्थर से निर्मित प्रतीत होते हैं। चूकिं ये सारे स्तंभ खुले में हैं अतः संरक्षण के पूर्ण अभाव एवं इन मूर्तियों पर धूप एवं पानी के कारण काई जम गयी है तथा इनका क्षरण तीव्र गति से हो रहा है।

1 एक स्तंभ में एक सुसज्जित जींन युक्त घोड़े के ऊपर बैठे राजा की आकृति बनी हुई है, राजा तलवार लिए युद्ध में जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं।[16] इनके कानों में कुण्डल एवं गले में हार स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक सिपाही राजा के पीछे दण्ड युक्त छत्र लिए खड़ा है। राजा के सामने एक स्त्री खड़ी है, सम्भवतः वे उनकी पत्नी हो एवं उन्हें कुछ वस्तु दे रही हो। इस स्तंभ में सबसे ऊपर एक शिवलिंग बनी हुई है। बड़े ड़ोगर से इस प्रकार के स्तभों का केवल एक ही उदाहरण मिलता है।

2 यहाँ से प्राप्त एक सती स्तंभ के शीर्ष का भाग टूटा हुआ है, इसमें तीन सूची रही होगीं, मध्य भाग में

आलिंगित स्त्री और पुरूष की आकृति स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये किसी पटिये पर बैठे हुए हैं। इनके सिर भग्न अवस्था में है। स्तंभ के सबसे नीचे एक सुसज्जित जींन युक्त घोड़े की आकृति बनी हुई है, जो द्रुत गति से बायी ओर जाते हुए प्रतीत हो रहे है। इस स्तंभ में घोड़े का चित्रण इस ओर इंगित करता है कि यह उस व्यक्ति का सम्भवतः प्रिय पशु रहा हो। यहाँ इस प्रकार का केवल एक ही उदाहरण मिलता है।

3 बड़े डोंगर से प्राप्त सती स्तंभों में यह पूर्णतः सुरक्षित एवं सबसे भिन्न है। इनमें तीनों सूचियाँ स्पष्ट परिलक्षित हैं। शीर्ष भाग में सूर्य एवं चन्द्र स्पष्ट दिखाई दे रहे है, इन दोनों के बीच में एक स्त्री के हाथ के पंजे की आकृति बनी हुई है। इसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक तराजू पकड़ी हुई हो, जिसमें सूर्य और चन्द्रमा को बराबर तौला गया हो। सूर्य की ओर एक शिवलिंग दिख रहा है। इस सती स्तंभ को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह समाज के किसी जाति विशेष को इंगित करता हो। इस प्रकार के उदाहरण छत्तीसगढ़ के भोरमदेव[17] एवं राजिम[18] से प्राप्त सती स्तंभो में देखने को मिलते हैं, जहाँ समाज के विभिन्न वर्ग से संबंधित सती स्तंभ स्थापित किये गये हैं। भोरमदेव में हल (कृषक), मछली (मछुवारे), ढाल एवं तलवार (क्षत्रिय), तीर कमान (आदिवासी जनजाति), कलश (कुम्हार) एवं कोल्हू (तेली) तथा राजिम में तेल निकालने की धानी वाला प्रतीक संभवता यह चिन्ह संबंधित परिवार के व्यवसाय का अंकन हो। इससे हमें यह भी सूचना मिलती है कि युद्ध में केवल क्षत्रिय जाति के लोग ही नही बल्कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोग सम्मिलित होते रहे होगें, जिनका यह सती स्तंभ बना है। मध्य भाग में अन्य मूर्तियों की तरह आलिंगित स्त्री और पुरूष की आकृति स्पष्ट दिखाई दे रही है, परन्तु यहाँ प्राप्त मूर्तियों से कुछ भिन्न, सीढ़ी पर बैठी हुई है। स्त्री के बायें हाथ में पुष्प जो स्पष्ट है। नीचे का भाग सादा है।

4 यह सती स्तंभ भी पूर्व की भाँति पूर्णतः सुरक्षित एवं प्रथम सूचि में परिलक्षित होने वाली सारी विशेषताएं जैसे शिवलिंग, सूर्य, चन्द्र एवं स्त्री के हाथ के पंजे स्पष्ट हैं, लेकिन इस स्तंभ में दो स्त्री के हाथों को देखा जा सकता है, जो अन्य स्तंभों में पाये गये गुणों से भिन्न है, अर्थात इस पुरूष की सम्भवतः दो पत्नियाँ रही होंगी। इनके मध्य भाग में एक पुरूष आसन मुद्रा में बैठा हुआ है एवं दो स्त्री इनके बाये एवं दाहिने पार्श्व में खड़ी हैं।

5 कला की दृष्टि से यह स्तंभ महत्वपूर्ण जान पड़ता है। यह स्तंभ तीन सूचियों में विभक्त है। ऊपर के भाग में सूर्य-चन्द्र एवं स्त्री के हाथ स्पष्ट है। मध्य भाग में स्त्री एवं पुरूष को किसी पालकी या राजसिहांसन में बैठे दिखाया गया है। पुरूष के दाहिने हाथ में तलवार एवं स्त्री ने अपनी बाये हाथ में कुछ वस्तु रखी है, जो स्पष्ट नही है। इन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्वर्ग की ओर गमन कर रहें हो।

6 बड़े डोंगर से प्राप्त एक अन्य सती स्तंभ का शीर्ष का भाग टूटा हुआ है। इस स्तंभ में यहाँ से प्राप्त अन्य स्तंभों से कुछ भिन्न शिवलिंग को मध्य सूची में उकेरा गया है तथा स्त्री एवं पुरूष को अंजली मुद्रा में शिवलिंग की पूजा करते दिखाया गया है, बाकी कोई विशेष लक्षण परिलक्षित नही होते हैं।

7 इस स्तंभ के शीर्ष भाग में भी शिवलिंग, सूर्य-चन्द्र एवं स्त्री पूर्व की भांति है। मध्य भाग में स्त्री एवं पुरूष को उत्कीर्ण किया गया है। स्त्री अपने बायें हाथ में कुछ वस्तु पकड़ी हुई है एवं इनका हाथ आकाश की ओर उठा हुआ है। पुरूष आसन मुद्रा में अंजलीबद्ध है।

8 बड़े डोंगर से प्राप्त एक अन्य सती स्तंभ के मध्य सूची में एक योद्धा को अपनी स्त्री के साथ दिखाया गया है, जो उनके दाहिने पार्श्व में है। योद्धा के दाये हाथ में तलवार एवं बाये हाथ में ढ़ाल है। शीर्ष का भाग टूटा हुआ और केवल सूर्य की आकृति ही दिखाई दे रही है।

9 सती स्तभों के अलावा यहाँ से प्राप्त अधिकांश स्तंभों में वीर योद्धाओं की मूर्तियाँ बनी हुई प्राप्त हुई हैं, जिसे "HERO STONE" भी कहते हैं।[19] ये योद्धा तलवार और खण्डग लिए युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे होते प्रतीत होते हैं। इनके कानों में कुण्डल एवं ये गले में विभिन्न आकार एवं प्रकार की माला धारण किए हुए हैं।

ग्रामीणों के अनुसार इन योद्धाओं की मूर्तियों को मेलिया की संज्ञा दी गई है। ये लोग नर बली से संबंधित हैं, जो उस समय बस्तर में प्रचलित था।[20] केप्टन मेक वीकर ने भी मेलिया का वर्णन अपनी पुस्तक (History of Operation for the Suppression of Human Sacrifice in the Hilly Tract of Odisa) में किया है।[21] ये लोग बल पूर्वक अलग-अलग क्षेत्रों से नर बली के लिए लोगों को लाने का कार्य करते थे।

इन स्तंभों से तत्कालिक समय के न केवल कलात्मक पक्षों को देखा जा सकता है, बल्कि उनके जीवन के विविध

पक्ष यथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पक्षों को भी देखा जा सकता है। संरक्षण के पूर्ण अभाव के कारण इन मूर्तियों के अलावा बाकी मूर्तियाँ क्षरित एवं खण्डित अवस्था में है, जो कला की दृष्टि से कोई विशेष महत्त्व की नही जान पड़ती हैं। इस प्रकार इतिहास एवं पुरातत्त्व की दृष्टि से बड़े डोंगर के सती स्तंभों का छत्तीसगढ़ एवं भारतीय कला में महत्वपूर्ण स्थान है। इन मूर्तियों की वेश-भूषा एवं केशविन्यास को देखने से क्षेत्रीय प्रतीत होते हैं, इनके आधार पर ऐसा कहा जा सकता है, कि इनका निर्माण क्षेत्रीय शासकों के संरक्षण में हुआ होगा। यहाँ पुरातत्त्व विभाग द्वारा अन्वेषण एवं उत्खनन कराये जाते हैं, तो सम्भवतः इस स्थल के विषय में कोई नवीन जानकारी मिल सकती है, नही तो भविष्य में शोधार्थी इस स्थल के वैभव से वंचित रह जायेगें।

सन्दर्भ

1. परिहार दिनेश नंदिनी, 'दक्षिण कोसल का इतिहास' प्रतिभा प्रकाशन, दिल्ली, 1998 पृ.21
2. पाण्डे राजबली, 'प्राचीन भारत', विश्वविद्यालयीन प्रकाशन, वाराणसी, 2010 पृ.294
3. झा विवेके दत्त, 'बस्तर का मूर्तिशिल्प' अभ्युदय प्रकाशन, भोपाल, 1989, पृ.2
4. वही, पृ. 6
5. वही, पृ.6
6. चन्द्रौल जी.के., 'पुरास्थल गढ़धनोरा', संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्त्व रायपुर, छत्तीसगढ, 2015, पृ.10
7. झा विवेके दत्त, 'बस्तर का इतिहास एवं पुरातत्त्व' Proceedings of the national seminar, संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्त्व रायपुर, छत्तीसगढ, 2018, पृ.99
8. वही, पृ. 100
9. वहीं, पृ.114
10. झा विवेक दत्त, पूर्वोक्त, पृ. 54
11. वही, पृ.76
12. गुप्त परमेशवरी लाल, 'प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख', 2, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2013 पृ.204
13. जैन बालचन्द्र, 'उत्कीर्ण लेख' संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्त्व रायपुर, छत्तीसगढ, 2005, पृ.182
14. वही, पृ.182
15. Ghosh A., 'An Encyclopaedia of Indian Archaeology Volume two' Munshiram Manoharlal Publisher Pvt Ltd, Delhi 1889,pp.269-270
16. झा विवेके दत्त, पूर्वोक्त, पृ.115
17. शर्मा सीताराम, 'भोरमदेव' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1989 पृ.44,45
18. ठाकुर विष्णु सिंह, 'राजिम' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1972, पृ.50
19. Ghosh A., op.cit p. 269
20. झा विवेके दत्त, पूर्वोक्त, पृ.114
21. जैन बालचन्द्र, पूर्वोक्त, पृ.114

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 22 अंक 1, जनवरी-जून 2020 UGC-CARE List-Social Sciences

"मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2010" के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रशासनिक मशीनरी की भूमिका

❑ डॉ. शीतल द्विवेदी

प्रस्तुत शोध आलेख में मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के क्रियान्वयन में प्रयुक्त प्रशासनिक मशीनरी की भूमिका को जानने का प्रयास किया गया है। सुसंगठित प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम से अधिनियम के क्रियान्वयन से नागरिकों को त्वरित सेवा प्राप्त हो रही है या नहीं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को ऑनलाइन माध्यम से सेवा प्रदाय करने की क्या व्यवस्था है। उपर्युक्त अधिनियम के क्रियान्वयन में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका, लोक-निजी सहभागिता, ई-शासन से प्रशासन की कार्यकुशलता की वस्तुस्थिति को जानने का प्रयास किया गया है। अधिनियम, क्रियान्वयन की प्रशासनिक संरचना के विकेन्द्रीकृत स्वरूप को समझने का प्रयास किया गया है। साथ ही ई-गवर्नेन्स सोसाइटी एवं जनप्रतिनिधियों की भूमिका को भी जाना गया है। इस संरचना के प्रादेशिक स्तर के लोक सेवा प्रबंधन विभाग से लेकर गांव के स्थानीय स्तर के प्रशासनिक ढाँचे के गठन और उनके कर्त्तव्यों का अध्ययन किया गया है।

कोई भी नीति, नियम, योजना, परियोजना कितने ही सर्वश्रेष्ठ स्तर की निर्मित क्यों न की गई हो उनकी सार्थकता उनके क्रियान्वयन पर अवलम्बित है। हरमन फाइनर के शब्दों में "किसी भी देश का संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो और उसके मंत्रिगण भी योग्य हो, परंतु बिना दक्ष प्रशासकों के उस देश का शासन सफल नही हो सकता"।[1] इस तरह प्रशासन में सुनिश्चित प्रशासनिक मशीनरी का संगठित होना और प्रशासनिक अधिकारियों में निश्चित जवाबदेही का निर्धारण ही शासन के कार्यक्रमों की सफलता निर्धारित करता है। प्रशासनिक मशीनरी में एक व्यवस्थित पदसोपान का होना संचालन हेतु निश्चित प्रक्रिया के निर्धारण से शासकीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अधिक सुगम हो जाता है। इस प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व प्रशासनिक अधिकारियों में जवाबदेही का होना है।

शासन के कर्मचारियों में कर्तव्यपरायणता का भाव ही जवाबदेही है अर्थात जिस कार्य के लिये उन्हें नियुक्त किया गया है और जिस कार्य को पूर्ण करने हेतु उन्हें प्राधिकार सौंपा गया है, उसे वह सम्पूर्ण ईमानदारी व सत्यनिष्ठा के साथ प्रयोग में लायें। जवाबदेही शासकीय अधिकारियों के कार्य निष्पादन से संबंधित है जिसका उन्हें जवाब देना पड़ सकता है। इस संबंध में IInd ARC ने अपने दसवें प्रतिवेदन कार्मिक प्रशासन की स्वच्छताः नयी ऊँचाईयों की प्राप्ति (Refurbishing of Personnel Administration: Scaling New Heights) में निम्न प्रकार टिप्पणी की है, "जवाबदेही का अर्थ उत्तरदायित्व भी है, अर्थात सरकारी अधिकारियों से पूछे गये प्रश्नों का उन्हें उत्तर देना है। इनसे दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते है। Right to Information (RTI) अधिनियम के अंतर्गत सूचना/डाटा की मांग की जा सकती है तथा इसके अन्तर्गत सूचना का एकतरफा पारेषण सम्मिलित है। इससे पारदर्शिता को और कुछ मात्रा में सरकार की जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। दूसरी किस्म के प्रश्न के अंतर्गत न केवल क्या किया गया, बल्कि क्यों किया गया, पूछा जा सकता है और इसलिए इसके अन्तर्गत जानकारी की पारदर्शिता में दो-तरफा प्रवाह सम्मिलित है जिसके अंतर्गत नागरिक सरकारी विभागों के कार्यकरण और सार्वजनिक अभिकरणों की सेवा सुपुर्दगी के संबंध में प्रतिपुष्टि करते हैं। ऐसी पद्धतियों के अन्तर्गत सम्मिलित है, नागरिक चार्टर, सेवा सुपुर्दगी सर्वेक्षण, सामाजिक परीक्षण, नागरिकों की रिपोर्ट और आउटकम सर्वेक्षण।"[2]

वे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिन्होंने सुशासन की अवधारणा को परिभाषित किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार उन्मूलन या कुशासन उन्मूलन और सुशासन के उद्देश्यों को जोड़ने के प्रयास किये हैं जैसे कि UNDP द्वारा उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के लिए कार्यक्रम 'Programme for Accountability and Transparency' (PACT)

❑ पोस्ट डाक्टोरल फैलो, लोक प्रशासन, राँची विश्वविद्यालय, राँची (झारखण्ड)

चलाया जा रहा है। सुशासन के मानक उत्तरदायित्व व पारदर्शिता को प्रमुखता प्रदान करने हेतु अलग से कार्यक्रम चलाया हैं। सुशासन के सन्दर्भ में ये रणनीतियां व प्रयास अभूतपूर्व हैं तथा सुशासन को एक वैश्विक मान्यता व अवधारणा देते हैं।[3]

वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में उत्तरदायित्व का अभाव प्रमुख प्रशासनिक चुनौती है। प्रशासनिक कर्मचारियों में उत्तरदायित्व का अभाव होने से भ्रष्टाचार, लालफीताशाही व नौकरशाही जैसी समस्याएँ उपजी हैं। शासन में अकार्यकुशलता के लिए बताया जाने वाला प्रमुख कारण प्रशासन व्यवस्था के अन्तर्गत अपने कार्यों के प्रति लोकसेवकों में जवाबदेही का अभाव है। जवाबदेही के अभाव के कारण व्यवस्था में निष्पादन आकलन पद्धतियाँ प्रभावी ढ़ंग से संरचित नहीं है। पद्धति से कर्मचारियों में जो उदासीनता आई है उसका कारण कर्मचारियों द्वारा नागरिकों और उनकी शिकायतों के प्रति निरुत्साही अथवा उदासीनतापूर्ण अभिवृत्ति का अपनाया जाना है।[4]

प्रशासन व्यवस्था की इन्हीं चुनौतियों से निपटने हेतु मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय अधिकारियों में जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिये सुशासन की दिशा में नवाचार करते हुए प्रदेश के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली चुनिन्दा सेवाओं को समय-सीमा में प्रदान करने की गारंटी देते हुए सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 25 सितम्बर, 2010 को ''मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2010'' लागू किया। ऐसा कानून बनाकर लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इस महत्वपूर्ण पहल का अनुसरण कर देश के अन्य राज्यों ने भी इस अधिनियम को अपने-अपने राज्य क्षेत्रों में लागू किया है। ये हैं, - पंजाब, बिहार, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मु-कश्मीर, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश और दिल्ली।[5] यह अधिनियम नागरिकों को सेवा प्रदान की गारंटी ही नहीं देता वरन् एक निश्चित समय-सीमा के अंदर सेवा प्रदान करने की भी गारंटी देता है। इस अधिनियम के अनुसार लोकसेवकों को समय-सीमा में कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है, और ऐसा न कर पाने पर लोकसेवकों पर आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है, जो 500 रूपये से कम तथा 5000 रूपये से अधिक नहीं होगा।

अधिनियम का उद्देश्य :- सरकार द्वारा अधिसूचित सेवाएँ आम नागरिकों को एक निश्चित समय-सीमा के अंदर उपलब्ध कराना है। अधिनियम की धारा 4 में पदाभिहित अधिकारी धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को, निश्चित की गई समय-सीमा के भीतर ऐसी सेवा प्रदान करायेगा।

अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाएँ :- अधिनियम की धारा 3 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार समय-समय पर, उन सेवाओं,पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय-सीमा को अधिसूचित कर सकेगी जिन पर यह अधिनियम लागू होगा। प्रारम्भ में इसमें 9 विभागों की 26 सेवाएँ थीं, किन्तु सरकार द्वारा आम नागरिकों से जुड़ी सेवाओं में समय-समय पर वृद्धि की गई है। दूसरे चरण 2011 में 16 विभागों की 52 सेवाओं को इसमें सम्मिलित किया गया। तीसरे चरण में 22 विभागों की 135 सेवाएँ इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित हैं। यह सेवाएं ऑनलाइन एवं आफलाइन दोनों ही माध्यम से प्रदान की जा रही है। ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं की संख्या 69 है जिनके आवेदन प्रपत्र लोक सेवा केन्द्रों में लिये जाते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य- मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासन ने वृहद संगठनात्मक ढ़ाँचा निर्मित किया है। यह प्रशासनिक ढ़ाँचा मंत्रालय से लेकर जनता तक अपनी पहुँच विस्तारित करता है। इस सम्पूर्ण प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम से नागरिकों को सहज रूप में समय पर सेवाएँ प्राप्त हो रही है या नहीं, जिनका वह हकदार है। इसी परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित प्रशासनिक मशीनरी की भूमिका का अध्ययन करना है।

अध्ययन का समग्रः- अध्ययन का समग्र मध्यप्रदेश का उज्जैन जिला है। उज्जैन मध्यप्रदेश के उत्तर-पश्चिम भाग में उज्जैन संभाग का एक जिला है। यह जिला मालवा पठार के हृदय स्थल में स्थित है जिसका मुख्यालय उज्जैन शहर है। जनगणना 2011 के अनुसार उज्जैन जिले की कुल जनसंख्या 19,86,597 है जिसमें कुल पुरूषों की संख्या 10,16,432 व महिलाओं की संख्या 9,70,165 है। जिले की 60.47 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है। उज्जैन जिले की साक्षरता दर 73.06 प्रतिशत है। जिले में स्त्री-पुरूष अनुपात एक हजार में 954 है। उज्जैन में जनसंख्या का घनत्व 326 प्रति वर्ग किलो मीटर है। जिले

में 26.04 प्रतिशत अनुसूचित जातियाँ निवासरत हैं जो इन्दौर जिले के पश्चात सबसे अधिक है। इन्दौर में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 54,52,39 है जबकि उज्जैन में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 52,38,69 है। जनगणना 2011 के पूर्व सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाला जिला उज्जैन था।[6]

प्रदेश के सभी जिलों की भांति उज्जैन जिले में भी मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010, 25 सितम्बर 2010 को प्रभावी हुआ। अधिनियम के कुशल क्रियान्वयन हेतु लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रत्येक जिले के विकासखण्ड/तहसील स्तर पर एवं शहरी क्षेत्र में लोक सेवा केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया गया। जिले में आठ लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना 25 सितम्बर 2012 को की गई। यह आठ लोक सेवा केन्द्र निम्नवत् हैं- (1) नगर निगम उज्जैन, (2) तराना, (3) महिदपुर, (4) जनपद उज्जैन, (5) घटिया, (6) नागदा, (7) खाचरौद, (8) बड़नगर।

अवलोकन की इकाईः- अवलोकन की इकाईयाँ इस प्रकार हैं। (1) हितग्राही (2) सेवा प्रदाता (3) शासकीय अधिकारी (4) लोक सेवा केन्द्र के कर्मचारी।

हितग्राही - अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं को प्राप्त करने हेतु किये जाने वाले आवेदनों के आवेदकों को सम्मिलित किया गया है। इनमें मुख्यतः दो प्रकार के आवेदक होंगे एक वे जिन्हें समय-सीमा में सेवा का लाभ मिला है, विलम्ब से लाभ मिला है अथवा अपील के बाद सेवा प्राप्त हुई है। दूसरे वे जिनके आवेदन समस्त अपीलों के बाद निरस्त हो चुके हैं। इस तरह व्यवहार में हितग्राहियों के सेवा प्राप्ति या अप्राप्ति का आँकलन किया गया हैं।

शासकीय अधिकारी- अधिनियम में अधिसूचित सेवाओं के पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी व द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी है।

लोक सेवा केन्द्र के कर्मचारी - लोक सेवा केन्द्र के मुख्य संचालक, जनसम्पर्क अधिकारी (पी.आर.ओ.) व कम्प्यूटर आपरेटर हैं।

प्रतिचयन की प्रविधि :- हितग्राहियों का चयन दैव-निदर्शन पद्धति से किया गया है, विभिन्न विभागों के आवेदनों की सूचियों पर यादृच्छक संख्या अंकित कर कुल 8 केन्द्रों में, प्रत्येक से 20 हितग्राही चयनित किए गए हैं। इनमें चार प्रकार के हितग्राहियों का उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन (purposive sampling) निम्नानुसार किया गया है।

1. वे आवेदन जिन्हें समय-सीमा में सेवा प्रदान की गई।
2. वे आवेदन जिन्हें समय-सीमा के उपरान्त सेवाएँ प्रदान की गई।
3. वे आवेदन जिनमें उच्च अधिकारियों से अपील की गई एवं तदुपरांत सेवा प्राप्त या अप्राप्त हुई।
4. वे आवेदन जिन्हें समय-सीमा के अंदर निरस्त कर कार्यवाही पूर्ण मानी गई।

इन चार प्रकार के हितग्राहियों में से प्रत्येक श्रेणी से 5 आवेदन लिए गए हैं, अर्थात 5×4= 20। इस तरह 8 लोक सेवा केन्द्र से 20 आवेदन लिये गये, द्वितीय स्तर पर सेवा प्रदाता अधिकारियों का उद्देश्यपूर्ण चयन किया गया हैं। प्रत्येक केन्द्र से सर्वाधिक सेवा की मांग/आवेदनों के आधार पर उस विभाग के पदाभिहित अधिकारी। कुल 8 केन्द्रों के 8 अधिकारी।

प्रथम अपीलीय अधिकारी - प्रत्येक केन्द्र पर सर्वाधिक प्रथम अपील प्राप्त 8 विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी।

द्वितीय अपीलीय अधिकारी - उज्जैन जिले में कोई द्वितीय अपील नहीं होने से इन अधिकारियों में से किसी को नहीं लिया गया हैं।

लोक सेवा केन्द्र के कर्मचारी - लोक सेवा केन्द्र में एक मुख्य संचालक और 4 कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत हैं। इनमें से 1 मुख्य संचालक अर्थात 1×8 = 8 संचालक व शेष 4 कम्प्यूटर ऑपरेटरों में से एक वरिष्ठतम कम्प्यूटर ऑपरेटर का उद्देश्यपूर्ण चयन किया गया है, अर्थात 1×8 = 8 कर्मचारी। इस प्रकार लोक सेवा केन्द्र के कुल 16 कर्मचारियों का चयन किया गया हैं।

हितग्राही	8 × 20	160
शासकीय अधिकारी	8 × 2	16
LSK के कर्मचारी	8 × 2	16
	कुल	192

प्रस्तुत अध्ययन में अधिनियम क्रियान्वयन के सम्पूर्ण प्रशासनिक मशीनरी ढाँचे के संचालन को समझने का प्रयास किया गया है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार के मंत्रालय से लेकर ग्रामीण स्तर की प्रशासनिक मशीनरी के प्रबंधन का अध्ययन किया गया है, जिसके अन्तर्गत नीति-निर्माण से लेकर नीति क्रियान्वयन की प्रशासनिक मशीनरी शामिल है। इस प्रशासनिक ढाँचे के माध्यम से नागरिकों को निश्चित समय-सीमा में सेवाएँ प्रदान करने

की गांरटी दी गई है। जो इस प्रकार है, -

लोक सेवा प्रबंधन विभाग - सम्पूर्ण प्रदेश में अधिनियम को लागू किये जाने की घोषणा के साथ ही अधिनियम के सुचारु रुप से क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश शासन ने लोक सेवा प्रबन्धन विभाग का सृजन किया जो सम्पूर्ण प्रदेश में अधिनियम क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी है। इस विभाग के अन्तर्गत कार्मिकों में प्रमुख सचिव के आधीन उप सचिव, अवर सचिव व अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं। यह विभाग ही राज्य के 53 जिलों में अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रबन्धन कार्य करता है। लोक सेवा प्रबन्धन विभाग ही अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित आवश्यकता के अनुरुप नियम निर्मित कर क्रियान्वित किये जाने का आदेश जारी करता है। अधिनियम को लागू करने में विभिन्न विभागों के बीच मे समन्वय बनाना, संसाधन उपलब्ध कराना अनुश्रवण कार्य आदि इसी विभाग का दायित्व है। क्रियान्वयन हेतु संचालित प्रशासनिक मशीनरी के बीच मे हुए विवाद व असमंजस का निराकरण करना भी अन्ततः इसी विभाग का कार्य है।

राज्य लोक सेवा अभिकरण (State Agency for Public Service)

मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44) के अधीन राज्य लोक सेवा अभिकरण को 22 मई 2013 को पंजीकृत किया गया है। इस अभिकरण के उद्देश्य इस प्रकार हैं-

1. प्रदेश में लोक सेवाओं के प्रदान की प्रक्रिया को सरल एवं जन-मित्र बनाने में सहायता करना।
2. अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं को समय-सीमा में निराकरण की व्यवस्था हेतु संस्थागत, नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार करने की दिशा में मार्गदर्शन करना।
3. लोक सेवाओं के प्रदाय एवं अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं को प्रदाय में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना ताकि शासन द्वारा प्रदत्त अधिक से अधिक नागरिक सेवाएँ ऑनलाइन प्राप्त हो सकें।
4. सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए डाटा डिजिटलाईजेशन की आवश्यकता का आंकलन करना तथा विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
5. भारत सरकार की "ई-डिस्ट्रिक्ट" मिशन मोड परियोजना के लिए स्टेट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के रूप में कार्य करना।
6. लोक सेवाओं को प्रदान करने के लिए शासकीय कार्यालयों में आवश्यक उपकरणों तथा नेटवर्किंग के लिए संसाधनों के मानक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से निर्धारित करना।
7. प्रदेश में दी जा रही नागरिक सेवाओं विशेषकर अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के क्रियान्वयन का थर्ड पार्टी असेसमेंट। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मूल्याकंन कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाना।
8. गैर-अधिसूचित सेवाओं के लिए प्रदाय की प्रक्रियाओं का मानकीकरण और उन्हें ऑनलाइन प्रदान करने की व्यवस्था करना।
9. लोक सेवा केन्द्रों की प्रशासकीय व्यवस्थाओं का संचालन एवं समन्वय करना।
10. लोक सेवाओं के प्रदाय संबंधी सलाहकारी सेवाओं का प्रदाय करना।
11. लोक सेवा प्रबंधन विभाग के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन करना।

अभिकरण के संचालन में दो तरह की सभाएं सम्मिलत की गई हैं, पहली साधारण सभा और दूसरी कार्यकारी परिषद। अभिकरण की साधारण सभा निम्नानुसार है :-

साधारण सभा

नाम	पद
मुख्यमंत्री	सभापति
मंत्री, लोक सेवा प्रबंधन विभाग	उप सभापति
मंत्री, राजस्व विभाग	सदस्य
मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त विभाग	सदस्य
प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग/महानिदेशक लोक सेवा अभिकरण	सदस्य सचिव
प्रमुख सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
लोक प्रशासन/सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त चार व्यक्ति	सदस्य
लोक सेवा/लोक प्रशासन/प्रबंधन से संबंधित दो संस्थाओं के प्रतिनिधि	सदस्य
मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले से ई-गवर्नेन्स सोसायटी के अधिकृत	20 सदस्य रोटेशन के

एक प्रतिनिधि	के अनुसार प्रत्येक दो वर्ष में परिवर्तित किये जावेंगे

साधारण सभा :- केवल पदेन सदस्य को छोड़कर प्रत्येक सदस्य की कार्य अवधि 3 वर्ष होगी अथवा जब तक उसे सभापति द्वारा पृथक न किया गया हो। अभिकरण के किसी सदस्य को उसके धारित पद या नियुक्ति के कारण अभिकरण की सदस्यता प्राप्त है उस पर धारित पद या नियुक्ति पर नहीं रहने पर अभिकरण की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जावेगी। इस सभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है किन्तु बैठक की आवश्यकता होने पर सभापति विशेष बैठक बुला सकता है। मुख्यतः साधारण सभा का कार्य आय-व्यय पत्रकों एवं अंकेक्षण रिपोर्ट को स्वीकृत करना होता है।

अभिकरण की कार्यकारी परिषद निम्नानुसार सदस्यों से गठित हैं :-

कार्यकारी परिषद

नाम	पद
प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग /पदेन महानिदेशक लोक सेवा अभिकरण	अध्यक्ष
प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग या उसके प्रतिनिधि	सदस्य
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग या उसके प्रतिनिधि	सदस्य
प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग या उसके प्रतिनिधि	सदस्य
प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या उसके प्रतिनिधि	सदस्य
कार्यपालन संचालक, लोक सेवा अभिकरण	सचिव
उपाध्यक्ष द्वारा नामांकित दो सदस्य	सदस्य
महानिदेशक द्वारा नामांकित ई-गवर्नेन्स सोसायटी के दो सदस्य	सदस्य

कार्यकारी परिषद :- अभिकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजनाएँ बनाना या बनवाना तथा उन्हें जहाँ जैसे आवश्यक हों, जन सहयोग से क्रियान्वित करवाना या करना। आवश्यकतानुसार विषय विशेषज्ञ/सलाहकारों की सेवाएँ लेना एवं ऐसे सभी अन्य कार्य जो अभिकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक हों। परिषद की बैठक छः माह में एक बार होती है किन्तु अध्यक्ष द्वारा उचित समझने पर विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।[7]

जिला लोक सेवा प्रबंधक – जिला स्तर पर अधिनियम के क्रियान्वयन का समस्त प्रबंधन कार्य जिला लोक सेवा प्रबंधक देखता है। जिला स्तर पर अधिनियम के सम्पूर्ण संचालन का दायित्व जिला लोक सेवा प्रबंधक का होता है। जिले के गांव व शहरी स्तर के समस्त लोक सेवा केन्द्रों व विभागों में अधिनियम का नियमानुसार क्रियान्वयन जिला लोक सेवा प्रबंधक अधिकारी की निगरानी में होता है। अधिनियम के संचालन में लोक सेवा केंद्र व विभाग स्तरीय समस्याओं का निराकरण जिला लोक सेवा प्रबंधक द्वारा ही किया जाता है। जिला लोक सेवा प्रबंधक कई प्रकार से मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन करता है। (1) जिला स्तर के संबंधित पदाधिकारियों व लोक सेवा केन्द्रों के बीच, (2) जिला स्तर के संबंधित पदाधिकारियों व लोक सेवा प्रबंधन विभाग और लोक सेवा अभिकरण के बीच, (3) लोक सेवा केन्द्रों व लोक सेवा प्रबंधन विभाग, और लोक सेवा अभिकरण के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है।

लोक सेवा केन्द्र का गठन :- लोक-निजी अवधारणा के आधार पर गठित लोक सेवा केन्द्र निजी कम्पनियों द्वारा संचालित होते हैं। LSKकी स्थापना हेतु इन कम्पनियों का चयन शासन द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक जिले के विकास खण्ड स्तर व शहरी स्तर पर लोक सेवा केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों में निजी कम्पनी के 5 कर्मचारी, जिनमें से 1 मुख्य संचालक, 4 कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत हैं। कुछ केन्द्रों में इन ऑपरेटरों में से 1 को लोक जनसम्पर्क अधिकारी (PRO) के रूप में नियुक्त किया गया है।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के नागरिकों को अधिनियम में अधिसूचित सेवाओं के आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के साथ ही निजी भागीदारी के माध्यम से एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की जाए। इस निर्णय के अनुपालनस्वरुप प्रदेश में 336 लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है। लोक सेवा केन्द्र में सभी आवेदन ऑनलाइन प्राप्त होंगे और उनकी जानकारी ऑनलाइन संधारित होगी। राज्य शासन के आदेशानुसार लोक सेवा केन्द्रों में उपर्युक्त प्रक्रिया के संचालन हेतु NIC द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसी सॉफ्टवेयर से सेवा प्रदाय की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

कार्यकाल :- शासन द्वारा इन कम्पनियों से 3 साल का अनुबन्ध किया जाता है। उक्त अवधि पूर्ण होने के पश्चात अगले सत्र के लिए इन कम्पनियों की कार्य प्रतिपुष्टि के आधार पर सरकार पुनः चयन कर सकती है या नवीन अनुबन्ध के लिए कम्पनियों से निविदा आमंत्रित करती है।

कार्य :- लोक-निजी सहभागिता वास्तव में सरकार व निजी क्षेत्र के बीच एक अनुबन्ध है जिसके अंतर्गत विभिन्न सेवाओं व कार्यों में सरकार व निजी क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं। इस मिश्रित कार्य विभाजन के आधार पर गठित लोक सेवा केन्द्रों में नागरिकों के सेवा प्रदाय के आवेदन व उससे संबंधित अभिलेख लिये जाते हैं और इनकी ऑनलाइन प्रविष्टि की जाती है। समस्त संबंधित अभिलेखों को स्केन कर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। अधिनियम की धारा 5 में उल्लेखित आवेदन की पावती अनिवार्य रूप से दी जाती है। इस तरह ऑनलाइन प्रविष्टि से संबंधित पदाभिहित अधिकारी तक आवेदन पहुँचाये जाते हैं जिसके आधार पर वह अग्रिम कार्यवाही कर प्राप्त आवेदन का निराकरण करता है। इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था भी है कि विभाग द्वारा किसी कर्मचारी को नियमित रूप से LSK भेजकर अपने विभाग से संबंधित आवेदन प्रपत्र हार्डकॉपी में प्राप्त किये जाते हैं व पूर्व के आवेदनों की सेवाएँ, निराकृत निर्णय आदि हार्डकॉपी में LSK तक पहुँचाये जाते हैं। आवेदन के उपरान्त प्राप्त सेवाएँ व आवेदन निरस्तिकरण की सूचना, निरस्ति का कारण आदि की जानकारी LSK के कर्मचारी द्वारा आवेदक को उपलब्ध करायी जाती है। अतः अधिनियम की धारा 5 में निर्धारित प्रक्रिया को कार्यरुप देने के लिए म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) अधिनियम के नियम 4 में निर्धारित पंजी का अलग से संधारण करने की आवश्यकता नहीं है।

पदाभिहित अधिकारी - अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत परिभाषित पदाभिहित अधिकारी का यह उत्तरदायित्व है कि वह अधिसूचित सेवा, पात्र व्यक्ति के आवेदन प्रस्तुत करने पर, निर्धारित समय-सीमा में उसे सेवा उपलब्ध करायेगा। अधिनियम की धारा 2 मे ''पदाभिहित अधिकारी'' जैसे विशेष शब्दावली को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार पदाभिहित अधिकारी से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन सेवा प्रदान करने के लिए इस रुप मे अधिसूचित कोई अधिकारी।

प्रथम अपील अधिकारी - अधिनियम की धारा 2 मे परिभाषित ''प्रथम अपील अधिकारी'' से अभिप्रेरित है, ऐसा अधिकारी जो धारा 3 के अधीन इस रुप मे अधिसूचित किया गया है। अधिनियम में अपीलीय अधिनियम का प्रावधान है। अपीलीय अधिकार के अंतर्गत प्रथम अपील अधिकारी अधिसूचित किये गये हैं।

द्वितीय अपील अधिकारी - अधिनियम, के अन्तर्गत आवेदक के आवेदन संबंधित प्रकरण का प्रथम अपील स्तर पर निराकृत न होने पर द्वितीय अपील अधिकार का प्रयोग करने का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 2 मे परिभाषित "द्वितीय अपील अधिकारी" से अभिप्रेरित है, ऐसा अधिकारी जो धारा 3 के अधीन इस रुप मे अधिसूचित किया गया है।

संभागायुक्त- संभागायुक्त संभाग स्तर पर अधिनियम क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण कर सुनिश्चित करे कि उनके संभाग के सभी जिलों में अधिनियम का उसके उद्देश्य के अनुरुप क्रियान्वयन हो रहा है। संभागायुक्त से अपेक्षा है कि वे-

1. सभी जिलों में लोक सेवा केन्द्रों द्वारा किये जा रहे कार्य की समीक्षा करें।
2. संभागायुक्त यह सुनिश्चित करे कि संभागीय अधिकारियों द्वारा उनके विभागों में इस अधिनियम के अंतर्गत हो रही कार्यवाही की समीक्षा की जा रही है।
3. जिलों में मासिक आधार पर लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन निराकरण की जानकारी की कलेक्टर कांफ्रेस में समीक्षा की जाये।
4. इस कार्य के लिए किसी उपयुक्त अधिकारी को संभाग स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करें।
5. माह में 2 पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालय का निरीक्षण करें।
6. सभी जिलों में अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु तैयार की गई योजना की समीक्षा करें।[8]

जिला कलेक्टर - जिला स्तर पर अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व जिला कलेक्टर का है। जिला स्तर पर अधिनियम का सम्पूर्ण क्रियान्वयन जिला कलेक्टर की निगरानी में होता है।

जनप्रतिनिधि - आम नागरिकों के कल्याण के लिए बनाये गये कानूनों अथवा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जन-जागृति जरुरी है। अधिनियम के प्रतिफल का सीधा जुड़ाव आम नागरिक से है, इसलिए व्यापक स्तर

पर इसके प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। इस दिशा में राज्य शासन द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं, साथ ही जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि वे अपने क्षेत्र में भ्रमण एवं जनसम्पर्क के दौरान इस संबंध में प्रचार-प्रसार करें, नागरिकों को सेवा के अधिकार के संबंध में जागरुक करें जिससे कि आम नागरिक बिना किसी परेशानी एवं समय की बचत के साथ सुगमता से सेवा प्राप्त कर सकें।

ई-गवर्नेन्स सोसायटी - जिला स्तर पर ई-गवर्नेन्स से जुड़े कार्यों को बढ़ावा देने हेतु ई-गवर्नेन्स सोसायटी का गठन हुआ है। इस सोसायटी को मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत लोक सेवा केन्द्रों में प्राप्त आवेदनों के शुल्क में से 5 रूपये प्रति आवेदन ई-गवर्नेन्स सोसायटी के कोष में संकलित किया जाता है। इस राशि को सोसायटी जिला स्तर पर ई-गवर्नेन्स के अन्य कार्यक्रमों में खर्च कर ई-गवर्नेन्स को प्रोत्साहित करती है।

प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत नागरिकों को निश्चित समयावधि में सेवाएँ प्राप्त हुई या नहीं, इसके माध्यम से उपर्युक्त प्रशासनिक मशीनरी की अधिनियम क्रियान्वयन में भूमिका को जानने का प्रयास भी किया गया है। इसके लिए (जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है) अध्ययन समग्र से हितग्राहियों (160), शासकीय अधिकारियों (16) एवं लोक सेवा केन्द्र के कर्मचारियों (16) से अधिनियम क्रियान्वयन की वस्तुस्थिति को जाना गया है।

सारणी 1

हितग्राहियों के अनुसार

क्या आपको सेवा प्राप्त हुई?			
	हाँ	नहीं	योग
आवृत्ति	95	65	160
प्रतिशत	59.4	40.6	100

यदि हाँ तो सेवा कहाँ से प्राप्त हुई?				
	एल.एस.के	विभाग	स्थानीय कार्यालय	योग
आवृत्ति	88	3	4	95
प्रतिशत में	53.0	1.9	2.5	100

कुल हितग्राही उत्तरदाताओं में से 50 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों को सेवा प्राप्त हुई है। इनमें वे हितग्राही भी सम्मिलित हैं जिन्हें निश्चित समय-सीमा व अपील उपरान्त सेवा प्राप्त हुई। नवीन सेवा प्रदाय व्यवस्था के अन्तर्गत ऑनलाइन सेवाओं के आवेदन व आवेदन पश्चात सेवाएँ एवं आवेदन निराकरण की जानकारी LSK से प्रदान किये जाने की व्यवस्था है, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वाधिक हितग्राहियों ने LSK से सेवा प्राप्त की, किन्तु निश्चित समय-सीमा उपरान्त हितग्राही द्वारा संबंधित विभाग में सम्पर्क करने के पश्चात अन्ततः कुछ हितग्राहियों को विभाग से सेवा प्राप्त हुई। कई बार सुविधा की दृष्टि से ग्राम सेवकों व पंचायत सचिवों द्वारा परिचित स्थानीय व्यक्ति की सेवाएँ LSK से प्राप्त कर ली जाती हैं जिसे संबंधित व्यक्ति स्थानीय कार्यालय में सहजता से प्राप्त करता है। इस तरह नवीन सेवा प्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत अधिकांश हितग्राहियों ने निश्चित स्थान LSK से सेवा प्राप्त की है।

सारणी 1.2

हितग्राहियों को सेवा कब मिली

	समय के पूर्व	समय पर	समय उपरान्त	योग
आवृत्ति	0	57	38	95
प्रतिशत में	0	60.0	40.0	100

सारणी 1.3

शासकीय अधिकारियों द्वारा हितग्राहियों को सेवा प्रदान करने की स्थिति

सेवा प्रदान करने की स्थिति		**हाँ**	**नहीं**	**योग**
समय-सीमा की निर्धारित तिथि के पूर्व प्रदान की गई सेवाएँ	आवृति	16	0	16
	प्रतिशत	100	0	100
सेवा प्रदाय की निर्धारित तिथि को प्रदाय सेवाएं	आवृति	16	0	16
	प्रतिशत	100	0	100
समय-सीमा की निर्धारित तिथि के पश्चात प्रदाय सेवाएँ	आवृति	5	11	16
	प्रतिशत	31.2	68.8	100

सारणी 1.4
LSK के कर्मचारियों के अनुसार

सेवा प्रदान करने की स्थिति		हाँ	नहीं	योग
अधिकारी समय-सीमा की निर्धारित तिथि को सेवा प्रदान करते हैं	आवृति	14	2	16
	प्रतिशत	87.5	12.5	100
अधिकारी समय-सीमा की निर्धारित तिथि के पूर्व भी सेवा प्रदान करते हैं	आवृति	11	5	16
	प्रतिशत	68.8	31.2	100
अधिकारी समय-सीमा की निर्धारित तिथि के पश्चात भी सेवा प्रदान करते हैं	आवृति	14	2	16
	प्रतिशत	87.5	12.5	100

अधिनियम क्रियान्वयन के उपरान्त राज्य के नागरिकों को निश्चित समय-सीमा में सेवा प्राप्ति हो पा रही है तथा, अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा में सेवा प्रदान किये जाने का अनुपालन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इसकी जाँच करने के उद्देश्य से सभी प्रकार के उत्तरदाताओं से सेवा प्राप्ति एवं सेवा प्रदाय की स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है। सेवा प्राप्त हितग्राही उत्तरदाताओं के अनुसार निश्चित समय-सीमा पूर्व उन्हें कोई भी सेवा प्रदान नहीं हुई है, जबकि शत-प्रतिशत अधिकारी उत्तरदाताओं ने बताया कि कुछ सेवाएँ निश्चित समय-सीमा पूर्व सेवा प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही LSK के कर्मचारियों में सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने बताया है कि अधिकारियों द्वारा कुछ सेवाएँ निश्चित समय-सीमा के पूर्व प्रदान कर दी जाती हैं। इन सेवाओं में आय प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र आदि हैं।

सर्वाधिक हितग्राही उत्तरदाताओं को निश्चित समय-सीमा के अन्तर्गत सेवाएँ प्राप्त हुई हैं। शत-प्रतिशत अधिकारी उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके द्वारा समय-सीमा की निर्धारित तिथि के अन्तर्गत सेवाएँ प्रदान कर दी जाती हैं।

निश्चित समय-सीमा के उपरान्त भी 40 प्रतिशत हितग्राहियों को सेवाओं की प्राप्ति हुई हैं। इसी सन्दर्भ में 31.2 प्रतिशत अधिकारी उत्तरदाताओं ने बताया कि कुछ सेवाएँ समय-सीमा की निर्धारित तिथि के पश्चात भी प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएँ हैं, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की नवीन नल कनेक्शन प्रदान करना, राजस्व विभाग की चालू खसरा/खतौनी, चालू नक्शा की प्रतिलिपियों, भू-ऋण पुस्तिका की प्रथम एवं द्वितीय प्रति का प्रदान करना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की गरीबी रेखा का प्रमाणपत्र प्रदान करना, गृह विभाग की अवर्जित बोर के शस्त्र लाइसेन्स का नवीनीकरण आदि। अधिकारियों के अनुसार इन सेवाओं को प्रदान करने की समय-सीमा कम है जिसके परिणाम स्वरूप व्यावहारिक रूप में ये सेवाएँ निर्धारित समय-सीमा के पश्चात ही प्रदान हो पाती हैं। तालिका 1.4 में स्पष्ट है कि 87.5 प्रतिशत LSK के कर्मचारी उत्तरदाताओं ने बताया कि अधिकारियों द्वारा सामान्यतः निश्चित समय-सीमा के अन्तर्गत सेवाएँ प्रदान की जाती हैं और निश्चित समय-सीमा उपरान्त भी कुछ अधिकारी सेवाएँ प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष- सुशासन लोकतांत्रिक ढाँचे में कुशल एवं प्रभावी प्रशासन की मांग करता है। अध्ययन में यह पाया गया कि अधिनियम का प्रशासनिक ढ़ाँचा वैधानिक रूप से सुशासन के अनुरूप है। इस संरचना का विस्तार प्रदेश स्तर से लेकर गांव के स्थानीय स्तर तक है। शासकीय भागीदारी के साथ-साथ निजी भागीदारी को लोक सेवा केन्द्र के रूप में सम्मिलित किया गया है। अधिनियम को प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित करने वाली प्रशासनिक मशीनरी लोक सेवा प्रबंधन विभाग से निर्देशित होती है। राज्य लोक सेवा अभिकरण लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अधीन कार्य करते हुए व्यावहारिक रूप में अधिनियम क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है।

अधिनियम क्रियान्वयन हेतु गठित प्रशासनिक ढ़ाँचे में कार्य विशेषज्ञता भी परिलक्षित होती है। स्वीडन के The Split System के अन्तर्गत नीति निर्माण तथा नीति क्रियान्वयन के कार्य का पृथक्करण किया जाता है। इसी व्यवस्था के अंतर्गत लोक सेवा प्रबंधन विभाग सम्पूर्ण प्रदेश में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नीति निर्माण करता है तो राज्य लोक सेवा अभिकरण राज्य स्तर पर इन नीतियों के क्रियान्वयन व मूल्यांकन का कार्य करता है।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग, राज्य लोक सेवा अभिकरण

प्रादेशिक स्तर पर अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। अधिनियम क्रियान्वयन संबंधित संभागायुक्त का दायित्व संभाग के सभी जिलों में और जिला कलेक्टर व जिला लोक सेवा प्रबंधक जिला स्तर के लिए उत्तरदायी हैं। वास्तव में जिला स्तर पर अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन इन दोनों के विशेष प्रयासों पर ही निर्भर करता है।

इसी तरह विकासखण्ड स्तर व शहरी स्तर पर संचालित लोक सेवा केन्द्र का दायित्व अपने क्षेत्र के नागरिकों के सेवा प्रदाय के आवेदन प्राप्त करना है। संबंधित सेवा के पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी का दायित्व प्राप्त आवेदन, अपील का समय-सीमा में निराकरण करना है। जनप्रतिनिधियों को भी अधिनियम के प्रति नागरिकों को जागरूक करने संबंधी कार्य से जोड़ा गया है। ई-गवर्नेन्स सोसायटी का दायित्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदाय होने वाली ऑनलाइन सेवाओं को सुगम बनाने से संबंधित है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपर्युक्त संगठित प्रशासनिक ढ़ाँचे के माध्यम से नागरिकों को सेवा प्राप्त करना सुगम हुआ है।

संदर्भ

1. Finer, Herman, 'The Theory and Practice of Morden Government', Methuen and Co.Ltd.,London-1931.
2. कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत शासन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, दसवां प्रतिवेदन, कार्मिक प्रशासन की स्वच्छताः नयी ऊँचाईयों की प्राप्ति, नई दिल्ली-2005, पृ,9.
3. गुप्ता, सुनील, एवं कमल कुमा रसिंह, 'सुशासन', नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली -2012, पृ.25,
4. फाइनर, पूर्वोक्त.
5. मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2010 'जन-प्रतिनिधियों के लिए अध्ययन-सामग्री', सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल, भोपाल -2012, पृ.3.
6. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, जिला सांख्यिकीय कार्यालय उज्जैन, उज्जैन-2010.
7. मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, आदेश क्र.928/2012/लो.से.प्र./61 भोपाल दिनांक 03.08.2012. राजपत्र (असाधारण) क्र. 456 भोपाल, शुक्रवार दिनांक 17 सितम्बर 2010, पृ. 1-4.
8. वहीं, पृ.7.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 22 अंक 1, जनवरी-जून 2020
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

हल्बा जनजाति में स्वास्थ्य जागरूकता का अध्ययन बस्तर के संदर्भ में

❑ डॉ आनंद मूर्ति मिश्रा

पोषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है जिसका प्रभाव स्वास्थ्य और भोजन लेने की आदतों पर पड़ता है। मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिये यह आवश्यक है कि आसपास का वातावरण स्वास्थ्यकर हो, मनुष्य का भोजन उचित मात्रा में एवं संतुलित होना चाहिये जिससे उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार उसे पर्याप्त शारीरिक सक्रियता व आराम उपलब्ध हो सके। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य हल्बा जनजाति में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाना है जिसके लिये प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु जगदलपुर ब्लाक के माडपाल ग्राम का चयन कर 49 हल्बा परिवारों का साक्षात्कार, अवलोकन एवं समूह चर्चा के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है। अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि सर्वेक्षित हल्बा परिवारों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में कमी के साथ-साथ भोजन के प्रति उदासीनता व स्वच्छता में कमी पायी गयी हैं।

जैविक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं से मिलकर बने होने के कारण स्वास्थ्य एक बहुआयामी संकल्पना है। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों का न होना ही नहीं है बल्कि यह भोजन, सुरक्षा, शुद्ध जलापूर्ति, आवास, साफ-सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आधारभूत आवश्यकताओं तक पहुँच से भी प्रभावित होता है और आकार प्राप्त करता है। स्वास्थ्य की इस विस्तृत परिभाषा में व्यक्तिगत स्वास्थ्य का भी सामाजिक कारकों से गहरा संबंध बताया गया है। अतः व्यक्तिगत स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण होने के कारण यह जरूरी हो जाता है कि इसका संबंध उस प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के साथ रेखांकित किया जाए जिसमें लोग रहते हैं।[1]

व्यक्ति का स्वास्थ्य अनेक कारकों पर निर्भर करता हैं। ये कारक आंतरिक वैयक्तिक हो सकते हैं और वाहृय रूप से उस समाज तथा वातावरण में भी हो सकते हैं, जिसमें व्यक्ति रहता है। मूल रूप से व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट या खराबी दो कारणों से होती है। पहला वे जो उनके जन्म से जुड़े होते हैं अर्थात आनुवांशिक व दूसरा कारण पर्यावरण या वातावरण होता है जिसमें वह रहता है। किसी भी रोग की तीव्रता इन दोनों ही कारकों पर निर्भर करती है। कई बार इसके परस्पर समन्वय से स्वास्थ्य की स्थिति में सकारात्मक और गुणात्मक सुधार देखने को मिलता है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक मूलतः - आनुवांशिक, पर्यावरण, जीवनशैली, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ एवं स्वास्थ्य सेवाएं आदि हैं।

उद्देश्य : प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य हल्बा जनजाति में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाना है।

साहित्य समीक्षा : बसु[2] ने अपने अध्ययन में पाया कि आदिवासी बीमारी के इलाज के लिए अलौकिक चिकित्सा पद्धति में विश्वास रखते हैं जबकि उनमें बीमारी का मुख्य कारण व्यक्तिगत स्वच्छता का अभाव एवं अशिक्षा है। गर्भावस्था के दौरान आयरन, कैल्शियम का सेवन नहीं करने के कारण गर्भवती माताओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

बालगीर[3] ने अपने अध्ययन में पाया कि जनजातियों में उचित स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव व दोषपूर्ण भोजनशैली और विवेकरहित विश्वासों की मान्यता के कारण भारत में जनजातियों की स्वास्थ्य स्थिति अच्छी नहीं है।

बसु[4] ने भारत की जनजातियों के बीच मृत्यु दर रूग्णता के पैटर्न की जांच की, जिसमें उन्होनें पाया कि रोगों की व्यापकता का मुख्य कारण स्वच्छता में कमी, संतुलित भोजन का अभाव है, जिसके कारण रोगों का फैलाव जनजातीय समुदायों के बीच होता है।

मित्रा और अन्य[5] ने छत्तीसगढ़ के कमार एवं गोंड़ जनजाति के 1 से 5 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं के पोषण के अध्ययन में पाया कि बालिकायें बालकों की तुलना में अधिक कुपोषित पायी गयी हैं, साथ ही उन्होनें कुपोषण के नैदानिक संकेतों पर भी प्रकाश डाला।

शोध पद्धति : बस्तर जिले के माडपाल ग्राम में

❑ असिस्टेंट प्रोफेसर, मानवविज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

निवासरत 49 हल्बा परिवारों का चयन कर साक्षात्कार, अवलोकन एवं समूह चर्चा के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया है। अध्ययन में तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची, समूह चर्चा अध्ययन प्रविधि का प्रयोग किया गया है।

शोध क्षेत्र - बस्तर, भारत के छत्तीसगढ़ प्रदेश के दक्षिण दिशा में स्थित जिला है। बस्तर जिले एवं बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर शहर है। इसका क्षेत्रफल 4029.98 वर्ग कि. मी. है। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर जिलों से घिरा हुआ है। बस्तर जिले की जनसंख्या वर्ष 2011 में 1,411,644, वर्तमान कोंडागांव जिले को सम्मिलित करते हुए थी जिसमें 697,359 पुरूष एवं 714,285 महिलाएँ थीं। बस्तर की जनसंख्या में 70 प्रतिशत जनजातीय समुदाय जैसे- गोंड, मारिया, मुरिया, भतरा, हल्बा, धुरवा समुदाय निवास करते हैं। बस्तर जिला को सात विकासखण्ड/ तहसील- जगदलपुर, बस्तर, बकावण्ड, लोहण्डीगुडा, तोकापाल, दरभा, बास्तानार में विभाजित किया गया है। बस्तर के जनजातीय समुदाय की बड़ी जनसंख्या आज भी घने जंगलों में निवास करती है। बस्तर के जनजातीय समुदाय अपनी संस्कृति, कला, पर्व ,सहज जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं।[6]

हल्बा जनजाति : हल्बा जनजाति बस्तर के बड़े डोंगर, छोटे डोंगर, केशकाल, भैरमगढ, ढोडरेपाल, सरगीपाल, माड़पाल, बड़ांजी, कुमली आदि गांवों में निवास करते हैं। हल्बा जनजाति के लोग हल्बी बोली बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में निवासरत हल्बा समाज के लोग छत्तीसगढ़ी बोली बोलते हैं। बस्तरिया हल्बी, पूर्वी हिन्दी की एक मिश्रित बोली हैं। हल्बा जनजाति के लोग घूम-घूम कर कृषि कर्म करते और राजाओं की सेनाओं में सैनिक वृत्ति में जुटे रहते थे। बस्तर अंचल में स्थित हल्बा जनजाति के लोग समय-समय पर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और उड़िया क्षेत्रों में अधिक रहे होंगें । बस्तर में बस्तरिया हल्बी की उपबोलियाँ प्रचलित हैं, जैसे -भतरी, कुनबुचिया,मिरगानी, पनारी आदि । बस्तरी हल्बी अपने अंचल में संपर्क बोली के रूप में प्रतिष्ठित है। बस्तर के हल्बी लोक जीवन में जगार, लेजा, छेरता, मारीरोसेना,तारा और खेल गीत, उनकी अपनी आकर्षक लोकधुनें तथा विभिन्न लोक-नृत्य प्रचलित हैं।[7]

विश्लेषण

तालिका क्रमांक-1

हल्बा परिवारो में जनसंख्या संबंधी जानकारी

आयु वर्ग	महिला	पुरूष	कुल योग
0-10	25	21	46
	17.73	15.22	16.49
11-20	44	36	80
	31.21	26.09	28.67
21-30	28	25	53
	19.86	18.12	19
31-40	21	22	43
	14.89	15.94	15.41
41-50	13	21	34
	9.22	15.22	12.19
51-60	4	7	11
	2.84	5.07	3.94
60 से अधिक	6	6	12
	4.26	4.35	4.30
योग	141	138	279
	100	100	100

तालिका 1 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित हल्बा परिवारों में महिलाओं की सर्वाधिक आवृत्ति 11-20 आयुवर्ग में 31. 21 प्रतिशत, 21-30, 0-10, 31-40 आयुवर्ग में क्रमशः 19.86 प्रतिशत, 17.73 प्रतिशत, 14.89 प्रतिशत, तथा इसी क्रम में पुरूषों की सर्वाधिक आवृत्ति 11-20 आयु वर्ग में 26.09 प्रतिशत, 21-30, 0-10, 31-40 आयु वर्ग में 18.12 प्रतिशत, 15.22 प्रतिशत, 15.94 प्रतिशत पायी गयी है।

तालिका क्रमांक-2

हल्बा परिवारों में शिक्षा का स्तर

शैक्षणिक स्थिति	महिला	पुरूष	कुल योग
आंगनबाड़ी	21	21	42
	14.89	15.22	15.05
प्राथमिक	14	18	32
	9.93	13.04	11.47
माध्यमिक	19	17	36
	13.48	12.32	12.90
हाईस्कूल	15	19	34
	10.64	13.77	12.19
हायरसेकेण्डरी	4	11	15
	2.84	7.97	5.38

स्नातक	2	4	6
	1.42	2.90	2.15
अशिक्षित	66	48	114
	46.81	34.78	40.86
योग	141	138	279
	99.99	99.99	99.99

प्रस्तुत तालिका क्रमांक 2 से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित परिवारों में सबसे अधिक अशिक्षित महिलाओं (46.81 प्रतिशत) व पुरूष 34.78 प्रतिशत, की आवृत्ति है, तथा महिलाओं में स्नातक स्तर की शिक्षा सबसे कम 1.42 प्रतिशत है। इसका मुख्य कारण अधिकांश बालिकाएँ माध्यमिक शिक्षा के पूर्ण होते - होते मजदूरी करने लगती हैं एवं गृह कार्यो की जिम्मेदारियां उन पर बढ़ने लगती हैं जिसके कारण बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रूझान कम होने लगता है। पुरूषों में स्नातक स्तर की शिक्षा की आवृत्ति सबसे कम 2.90 प्रतिशत है। पुरूष वर्ग में भी शिक्षा का स्तर कम है इसका कारण भी मजदूरी तथा पालकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता है जिसके कारण महिला एवं पुरूष वर्ग दोनों में ही शिक्षा कमी पायी जाती है।

तालिका क्रमांक-3
वैवाहिक स्थिति

वैवाहिक स्तर	महिला	पुरूष	कुल योग
विवाहित	43	41	84
	30.50	29.71	30.11
अविवाहित	92	95	187
	65.25	68.84	67.03
विधवा	6	0	6
	4.26	0	2.15
विधुर	0	2	2
	0	1.45	0.72
योग	141	138	279
	99.99	99.99	99.98

तालिका क्रमांक 03 से यह स्पष्ट होता है कि हल्बा परिवारों में सबसे अधिक अविवाहित महिलाओं एवं पुरूषों की आवृति क्रमशः 65.25 प्रतिशत व 68.84 प्रतिशत है, इसी प्रकार विवाहित महिलाओं एवं पुरूषों की आवृति क्रमशः 30.50 प्रतिशत व 29.71 प्रतिशत पायी गयी है। तथा दोनो ही वर्ग में विधवा एवं विधुर की आवृत्ति क्रमशः 4.26 प्रतिशत, 1.45 प्रतिशत पायी गयी है।

तालिका क्रमांक-4
हल्बा परिवारों में व्यवसाय

विवरण	संख्या	प्रतिशत
कृषि	23	46.94
मजदूरी	22	44.90
नौकरी	4	8.16
योग	49	99.99

उपर्युक्त तालिका 4 में स्पष्ट है कि सर्वेक्षित हल्बा परिवारों में सर्वाधिक (46.94प्रतिशत) कृषि कार्य करते हैं तथा 44.90 प्रतिशत परिवार केवल मजदूरी के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं एवं 8.16 प्रतिशत परिवार सरकारी नौकरी करने वाले हैं।

तालिका क्रमांक-5
हल्बा परिवारों में विगत एक वर्ष में बीमारी

विवरण	संख्या	प्रतिशत
हाँ	31	63.27
नहीं	18	36.73
योग	49	99.99

तालिका 5 में स्पष्ट है कि हल्बा परिवारों में विगत एक वर्ष के भीतर 63.27 प्रतिशत परिवारों में बीमारी पायी गयी है तथा 36.73 प्रतिशत परिवारों में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं पायी गयी है।

तालिका क्रमांक-6
हल्बा परिवारों में विगत एक वर्ष में बीमारी का विवरण

बीमारी	संख्या	प्रतिशत
मलेरिया	5	16.13
टायफायड	2	6.45
बुखार	11	35.48
सर्दी खांसी	9	29.03
चेचक	1	3.23
अन्य बीमारी	3	9.68
योग	31	100

तालिका 6 से परिलक्षित है कि हल्बा परिवारों में विगत एक वर्ष में सबसे अधिक आवृत्ति 35.48 प्रतिशत बुखार एवं 29.03 प्रतिशत सर्दी खाँसी की एवं 16.13 प्रतिशत मलेरिया की आवृत्ति पायी गयी हैं इसी क्रम में अन्य प्रकार की बीमारियों की आवृत्ति क्रमशः 6.45 प्रतिशत, 9.68 प्रतिशत व 3.23 प्रतिशत टायफायड, अन्य बीमारी व चेचक की पायी गयी है। बीमारी का मुख्य कारण साफ-

सफाई में कमी तथा उचित खान-पान का अभाव है।

तालिका क्रमांक-7

हल्बा परिवारों में बीमारी का कारण

बीमारी	संख्या	प्रतिशत
उत्तम आहार नहीं लेना	5	10.20
अस्वच्छता	15	30.61
देवी देवताओं की नाराजगी	19	38.78
पता नहीं	10	20.41
योग	49	100

तालिका 7 से ज्ञात होता है कि सर्वेक्षित हल्बा परिवारों द्वारा बीमारी का कारण सर्वाधिक (38.78 प्रतिशत) देवी-देवताओं की नाराजगी माना जाता है, एवं 30.61 प्रतिशत परिवारों का मानना है कि बीमारी का कारण अस्वछता है तथाा 20.41 प्रतिशत परिवारों को बीमार होने के कारण की जानकारी नहीं है। जनजातियों का अपने इष्ट देवी-देवताओं पर अटूट विश्वास होता है विपत्ति या किसी भी प्रकार की समस्या होने पर देवी देवताओं की नाराजगी मानता है।

तालिका क्रमांक-8

हल्बा परिवारों में बीमारी का उपचार

बीमारी	संख्या	प्रतिशत
झाड फूंक	13	41.94
परम्परागत चिकित्सा	8	25.81
आयुर्वेदिक	3	9.68
एलोपैथिक	7	22.58
योग	31	100.00

तालिका 8 से विदित है कि हल्बा परिवारों में बीमारी से ग्रसित होने पर उसके उपचार की सर्वाधिक आवृत्ति (41. 94प्रतिशत) झाड फूंक करवाने की तथा 25.81 प्रतिशत परिवारों द्वारा बीमारी के उपचार हेतु परम्परागत चिकित्सा के उपयोग की है इसी प्रकार 22.58 प्रतिशत परिवारों द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा का उपयोग कर बीमारी का उपचार किया जाता है।

तालिका क्रमांक-9

हल्बा परिवारों में विगत एक वर्ष में मृत्यु

विवरण	संख्या	प्रतिशत
हाँ	6	12.24
नहीं	43	87.76
योग	49	99.99

तालिका 9 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में विगत एक वर्ष के भीतर 12.24 प्रतिशत परिवारों में मृत्यु हुई है तथा 87.76 प्रतिशत परिवारों में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है।

तालिका क्रमांक-10

हल्बा परिवारों में विगत एक वर्ष में मृत्यु का कारण

बीमारी	संख्या	प्रतिशत
गंभीर बीमारी	2	33.33
आकस्मिक मृत्यु	1	16.67
अज्ञात	3	50.00
योग	6	100

तालिका 9 से ज्ञात है कि सर्वेक्षित परिवारों में विगत एक वर्ष के भीतर (50 प्रतिशत) परिवारों में मृत्यु अज्ञात कारणों से हुयी है तथा 33.33 प्रतिशत परिवारों में मृत्यु का कारण गंभीर बीमारी बताया गया है।

तालिका क्रमांक-11

सर्वेक्षित ग्राम में उपलब्ध पानी का स्त्रोत

पानी का स्त्रोत	संख्या	प्रतिशत
हेण्डपम्प	33	67.35
सरकारी नल	9	18.37
अन्य	7	14.29
योग	49	100

तालिका 11 से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित ग्राम में पीने के पानी के स्त्रोत की सर्वाधिक आवृत्ति (67.35प्रतिशत) हैण्डपम्प की तथा 18.37 प्रतिशत ग्राम में सरकारी नलों की है एवं केवल 14.29 प्रतिशत पानी के अन्य स्त्रोत हैं।

तालिका क्रमांक-12

सर्वेक्षित ग्राम में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा

चिकित्सा सुविधा	संख्या	प्रतिशत
हाँ	47	95.92
नहीं	2	4.08
योग	49	99.99

तालिका 12 से स्पष्ट होता है की सर्वेक्षित ग्राम माडपाल में 95.92 प्रतिशत परिवारों का मानना है कि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है तथा 4.08 प्रतिशत परिवारों के अनुसार गांव में चिकित्सा सुविधा का अभाव है।

तालिका क्रमांक-13
हल्बा परिवारो में नशा की प्रवृत्ति

मादक द्रव्यसेवन	संख्या	प्रतिशत
प्रतिदिन	31	63.27
कभी-कभी	16	32.65
नहीं	2	4.08
योग	49	100

तालिका 13 से ज्ञात होता है कि हल्बा परिवारों में नशा करने की सर्वाधिक आवृत्ति 63.27 प्रतिशत परिवारों में प्रतिदिन नशा करने की है 32.65 प्रतिशत कभी-कभी तथा केवल 4.08 प्रतिशत परिवारों द्वारा किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य सेवन नहीं किया जाता है।

निष्कर्ष : उपर्युक्त विश्लेशण से निष्कर्ष निकलता है कि सर्वेक्षित हल्बा परिवारों में 40.86 प्रतिशत परिवार अशिक्षित हैं जिसके कारण उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में कमी तथा स्वच्छता का अभाव होने के कारण उनमें बीमारी होने का प्रमुख कारण है। हल्बा परिवारों में 63.27 प्रतिशत प्रतिदिन मादक द्रव्यों के सेवन की आवृत्ति पायी गयी है जो कि उनके स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव डालता है। साथ ही बीमार होने की स्थिति में 41.94 प्रतिशत परिवारों द्वारा झाडफूंक द्वारा उपचार किया जाता है एवं उपचार नहीं होने की स्थिति में अस्पताल में इलाज कराया जाता है जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तथा कभी कभी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। आवश्यकता है कि जनजातीय समाजों को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिये साथ ही सरकार द्वारा चलाये जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों से अवगत कराते हुये उसके महत्व को समझाना चाहिये।

संदर्भ

1. भारतीय आधुनिक शिक्षा प्रतिवेदन, 'स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र', एन.सी.ई.आर.टी. दिल्ली, 2009, पृ. 1
2. Basu, Salil, 'Socio-Cultural and Environmental Perspectives on Morbidity and Mortality pattern of the Scheduled Tribes', Tribal Health Bulletin, Vol. 13(1&2), 2007,pp 1-13
3. Balgir, R.S., 'Tribal Health Problems, Diseases Burden and Ameliorative Challenges in Tribal Communities with special emphasis on Tribes of Orissa'. Tribal Health: Proceedings of National Symposium.Regional Medical Research Centre for Tribals, Indian Council of Medical Research, Delhi 2006, pp.161-176.
4. Basu, Salil, 'Dimensions of Tribal Health in India. Health and Population : Perspectives and Issues', Vol. 23(2). 61-70.
5. Mitra et.al., 'Nutritional and Health status of Gond and Kawar Tribal Pre- school Children of Chhattisgarh, India', J.Human Ecology.,21(4): 2007, pp-293-299
6. https://bastar.gov.in/
7. जगदलपुरी लाला, 'बस्तर इतिहास एवं संस्कृति', मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल, 2007, पृ.80-87

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 22 अंक 1, जनवरी–जून 2020 UGC-CARE List-Social Sciences

6 से 12 वर्ष के बालक बालिकाओं के पोषण का अध्ययन बस्तर के माड़िया जनजाति के संदर्भ में

❑ शारदा देवांगन

विकासशील देशों में कुपोषण बाल्यावस्था की प्रमुख समस्या रही हैं। इसे सामान्यतः प्राथमिक रूप से निम्न शारीरिक वृद्धि के रूप में स्वीकार किया जाता हैं। वर्तमान में पोषण, वृद्धि एवं स्वास्थ्य का आपस में घनिष्ठ संबंध है। पोषण मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है। कुपोषण प्रत्येक लिंग आयु समूह के व्यक्तियों को प्रभावित करता है किंतु इससे 0–5 वर्ष के बच्चों में अनेक चिकित्सकीय विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य 6 से 12 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं के मानवमितीय मापों के माध्यम से पोषण के स्तर की जांच करना है। वर्तमान शोध में प्राथमिक तथ्यों का संकलन 6 से 12 वर्ष के 350 बालक-बालिकाओं के विभिन्न मानवमितीय मापों जैसे- वजन, ऊँचाई के मापों की सांख्यिकीय गणना करके किया गया है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि माडिया जनजाति के बालक एवं बालिकाओं में कुपोषण की स्थिति विद्यमान है जिसका कारण माडिया परिवारों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में कमी एवं अशिक्षा के साथ-साथ भोजन के प्रति उदासीनता भी है।

अतिशय कुपोषण से ग्रसित एक बालक शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। अतः कुपोषण की जानकारियाँ होना अत्यंत जरूरी है। कुपोषण प्रायः पर्याप्त संतुलित आहार के अभाव में होता है। बच्चों और स्त्रियों के अधिकांश रोगों का कारण कुपोषण होता है। स्त्रियों में रक्तअल्पता या घेंघा रोग अथवा बच्चों में सूखा रोग या रतौंधी और अंधत्व भी कुपोषण के ही दुष्परिणाम हैं। इसके अलावा और भी कई रोग हैं जो अपर्याप्त या असंतुलित भोजन के कारण होते हैं।

किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले समूह का स्वास्थ्य वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, मिट्‌टी, खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, जनांकिकीय विशेषताएं, साक्षरता, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक, राजनैतिक एवं पर्यावरणीय दशाएं, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आधारभूत संरचनाएं स्वास्थ्य सेवाओं की गांव से दूरी आदि पर निर्भर करता है।

सभी समाजों के लिए बच्चों का स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा महत्वपूर्ण हैं।

साहित्य की समीक्षा

बालगीर और उनके सहयोगी[1] ने उड़ीसा के कालाहांडी जिले में आश्रम स्कूल के 6 से 14 आयु वर्ग के 224 बच्चों में पोषण संबंधी अध्ययन किया जिसमें यह पाया गया कि बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण स्थिति बहुत ही खराब है तथा व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी के कारण उनमें संक्रामक रोगों की प्रवृत्ति पायी गयी है।

मित्रा एवं अन्य[2] ने उड़ीसा के कालाहांडी जिले में आश्रम स्कूल के बच्चों के पोषण की स्थिति का अध्ययन W.H.O. के पोषण संबंधी सूचकांकों का उपयोग करते हुए किया। अध्ययन के परिणामों से पता चलता है कि 4 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के 90 प्रतिशत बालक एवं बालिकाएं कम वजन से पीड़ित हैं जो तुलनात्मक रूप से 7 से 9 और 10 से 13 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों से कम था।

जोशी[3] और उनके सहयोगियों ने 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच पोषण के अध्ययन में पाया कि बच्चों के पोषण का सीधा संबंध पर्यावरण, आर्थिक स्थिति, स्वच्छता से है, साथ ही पोषण और संक्रमण के बीच बीमारी और कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है जो कि भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारको से प्रभावित होते हैं।

पाटनवार और शर्मा ने अनुसूचित जाति जनजाति की

❑ शोध अध्येत्री, मानवविज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

500 किशोर बालिकाओं का अध्ययन कर बताया कि 53.8 प्रतिशत बालिकायें पतली (बी.एम.आई. 18.5), बी.एम.आई. ग्रेड I,II, और III पर क्रमशः 20प्रतिशत, 14.4 प्रतिशत और 13.4 प्रतिशत था। केवल 3.6 प्रतिशत बालिकाओं में अधिक वजन की आवृत्ति पायी गयी तथा 42 प्रतिशत बालिकाओं में वजन की आवृत्ति सामान्य पायी गयी। **नायक** और खान[5] ने अपने अध्ययन में 0 से 5 वर्ष के 200 पहाडो कोरवा जनजाति के बालक-बालिकाओं के पोषण के स्तर का अध्ययन कर बताया कि 0 से 5 वर्ष के बालकों में 42.86 प्रतिशत सतही कुपोषण, 5.36 प्रतिशत मध्यम कुपोषण, 3.75 प्रतिशत गंभीर कुपोषण तथा मात्र 0.89 प्रतिशत बालक मोटापा जैसी समस्या से ग्रसित हैं तथा बालिकाओं में 46.86 प्रतिशत सतही कुपोषण, 5.10 प्रतिशत मध्यम कुपोषण तथा 2.04 प्रतिशत मोटापे से ग्रसित पाई गई।

उददे्श्य : वर्तमान शोध का उददे्श्य 6 से 12 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं में मानवमितीय मापों के माध्यम से पोषण के स्तर की जांच करना है।

शोध पद्धति : बस्तर जिले के बास्तानार ब्लाक में विभिन्न स्कूलो से 350 बालक-बालिकाओं के मानवमितीय मापों को लिया गया है। जिसका विवरण इस प्रकार है-

स्कूल का नाम	बालिकाओं की संख्या	बालकों की संख्या
किलेपाल पटेलपारा प्राथमिक शालाएं किलेपाल	14	33
प्राथमिक शाला पुजारी पारा किलेपाल	6	14
कन्या आश्रम शाला पुजारी पारा, किलेपाल	37	0
बालक आश्रम शाला, तिरथुम	0	55
बोदेनार माध्यमिक शाला, बास्तानार	4	16
बोदेनार कन्या आश्रम शाला, बास्तानार	93	31
दुलापारा प्राथमिक शाला, किलेपाल	21	26
कुल योग	175	175

अध्ययन में प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु मानवमितीय मापों को 6 से 12 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं से लिया गया है। अध्ययन के अंतर्गत बालक-बालिकाओं के शारीरिक भार के मापन हेतु भार मापने वाली मशीन (Weight Machine) तथा ऊँचाई मापने के लिए लम्बाई मापक छड़ (Anthropometric Rod) का उपयोग किया गया। बालक-बालिकाओं के भार, ऊँचाई, पोषण के स्तर आदि का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए माध्य (Mean), प्रमाप विचलन (Standard Deviation), मानक त्रुटि (Standard ERR), शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक (B.M.I.) आदि सांख्यिकीय विधियों का अध ययन के अंतर्गत प्रयोग किया गया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2004 में शरीर द्रव्यमान सूचकांक का वर्गीकरण निम्न प्रकार से निर्धारित किया है।

शरीर द्रव्यमान सूचकांक का वर्गीकरण (डब्ल्यू. एच. ओ. 2004) के अनुसार[6]

गंभीर कुपोषण	BMI<16.00 kg/m2
मध्यम कुपोषण	BMI<16.00kg/m2-16.99 kg/m2
सतही कुपोषण	BMI<17.00kg/m2- 18.49kg/m2
सामान्य	BMI<18.50kg/m2- 24.99kg/m2

शोध क्षेत्र : बस्तर छत्तीसगढ़ प्रान्त का एक जिला है। खूबसूरत जंगलों और आदिवासी संस्कृति में रंगा जिला बस्तर, प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। 39114 वर्ग किलोमीटर में फैला ये जिला एक समय केरल जैसे राज्य और बेल्जियम, इज़राइल जैसे देश से बड़ा था। ज़िले का संचालन व्यवस्थित रूप से हो सके इसके लिए 1998 में इसमें से दो अलग जिले कांकेर और दंतेवाड़ा बनाए गए। बस्तर का ज़िला मुख्यालय जगदलपुर, राजधानी रायपुर से 305 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ज़िले की करीब 70 प्रतिशत आबादी गौंड, मारिया-मुरिया, ध्रुव और हलबा जाति की है। उड़ीसा से शुरू होकर बीजापुर की भद्रकाली नदी में समाहित होने वाली करीब 290 किलोमीटर लंबी इंद्रावती नदी बस्तर के लोगों के लिए आस्था और भक्ति की प्रतीक है। इंद्रावती नदी के मुहाने पर बसा जगदलपुर एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं हस्तशिल्प केन्द्र है। यहां मौजूद मानव विज्ञान संग्रहालय में बस्तर के आदिवासियों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं मनोरंजन से संबंधित वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। डांसिंग कैक्टस कला केन्द्र, बस्तर के विख्यात कला संसार की अनुपम भेंट हैं। यहां एक प्रशिक्षण संस्थान भी है। पर्यटन स्थलों में बस्तर महल, दलपत सागर, चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कुटुमसर, कैलाश गुफा और एक ग्रिन गुफा मिलते हैं।[6]

माडिया जनजाति : माडिया मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अबुझमाडिया और बाईसन हार्न माडिया। अबुझमाडिया नारायणपुर जिला में पाये जाते हैं तथा बस्तर जिला में बाईसनहार्न माडिया निवास करते हैं। इनकी विशिष्टता सिर में पहने जाने वाला जंगली बाइसन के सिंगों से बना हुआ मुकुट है जो कि अब विलुप्त होते जा रहे हैं। ये मुख्यतः स्थानान्तरित कृषि करते हैं। इनकी आर्थिक व्यवस्था का आधार मुख्यतः वनों पर निर्भर है। माडिया जनजाति विभिन्न गोत्रों में विभाजित है जैसे कुहरामी, कर्मा, पोडयामी, कवासी आदि। इनमें एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है।

विश्लेषण

तालिका क्रमांक 1

6 से 12 वर्ष के बालक बालिकाओं में शरीर द्रव्य सूचकांक (बी.एम.आई) के द्वारा पोषण का स्तर

पोषण का स्तर	बालक		बालिकायें		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
गंभीर कुपोषण	109	62.29	103	58.86	212	60.57
मध्यम कुपोषण	20	11.43	20	17.09	40	11.43
सतही कुपोषण	29	16.57	31	7.69	60	17.14
सामान्य	17	9.71	21	22.22	38	10.86
	175	100	175	100	350	100

तालिका क्रमांक 1 के अनुसार माडिया जनजाति के 6-12 आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं मे शरीर द्रव्य सूचकांक बी.एम.आई. (डब्ल्यू. एच. ओ. 2004) के आधार पर बालकों में सर्वाधिक आवृत्ति 62.29 प्रतिशत गंभीर कुपोषित, 11.43 मध्यम कुपोषित एवं 16.57 प्रतिशत सतही कुपोषित एवं केवल 9.71 प्रतिशत बालक सामान्य पाये गये । इसी प्रकार बालिकाओं में भी गंभीर कुपोषण की सर्वाधिक आवृत्ति 58.86 प्रतिशत, 17.09 प्रतिशत मध्यम कुपोषित तथा केवल 22.22 प्रतिशत बालिकायें सामान्य पोषित पायी गयीं।

तालिका क्रमांक 2

6 से 12 वर्ष के बालक-बालिकाओं में शारीरिक भार के आधार पर समान्तर माध्य एवं प्रमाप

आयु वर्ष में	बालक एवं बालिकाओं की संख्या	बालक						बालिका					
		समान्तर माध्य और मानक त्रुटि Mean±S.E.			प्रमाप विचलन और मानक त्रुटि S.D.±S.E.			समान्तर माध्य और मानक त्रुटि Mean±S.E.			प्रमाप विचलन और मानक त्रुटि S.D.±S.E.		
6	25	17.28	±	0.52	3.10	±	1.05	15.90	±	0.46	2.68	±	0.92
7	25	19.48	±	0.48	2.58	±	0.91	17.87	±	0.64	3.51	±	1.28
8	25	22.38	±	1.04	5.87	±	2.07	18.48	±	0.47	2.63	±	0.94
9	25	22.48	±	0.55	3.16	±	1.10	23.00	±	0.58	3.30	±	1.16
10	25	24.20	±	0.77	4.43	±	1.54	29.80	±	0.87	4.99	±	0.87
11	25	29.08	±	0.76	4.28	±	1.51	30.08	±	1.11	7.27	±	2.22
12	25	29.36	±	0.69	4.30	±	1.4	34.68	±	0.77	4.92	±	0.77

तालिका क्रमांक 2 से स्पष्ट होता है कि 6 से 12 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं के वजन में आयु के आधार पर प्रति वर्ष वृद्धि हुई है बालकों में सर्वाधिक शारीरिक भार का समान्तर माध्य अधिकतम 29.36 किलो ग्राम 12 वर्ष की आयु में एवं प्रमाप विचलन 4.43, 10 वर्ष की आयु में सर्वाधिक मापा गया है। इसी प्रकार बालिकाओं में

भी 12 वर्ष की आयु में सर्वाधिक माध्य 34.68 किलोग्राम मापा गया है जो कि बालकों की औसत शारीरिक भार से अधिक है तथा प्रमाप विचलन 11 वर्ष की आयु में सर्वाधिक 7.27 मापी गयी है।

तालिका क्रमांक 3

माडिया बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक भार में वार्षिक वृद्धि दर

आयु वर्ष में	बालको में वार्षिक वृद्धि		बालिकाओं में वार्षिक वृद्धि	
	वृद्धि दर कि.ग्रा. में	प्रतिशत	वृद्धि दर कि.ग्रा. में	प्रतिशत
6 से 7 आयु वर्ग	2.2	12.73	1.97	12.39
7 से 8 आयु वर्ग	2.9	14.89	0.61	3.41
8 से 9 आयु वर्ग	0.10	0.45	4.52	24.46
9 से 10 आयु वर्ग	1.72	1.72	6.80	29.57
10 से 11 आयु वर्ग	4.88	4.88	0.28	0.94
11 से 12 आयु वर्ग	0.28	0.28	4.60	15.29

तालिका 3 से स्पष्ट होता है कि माडिया बालकों के शारीरिक भार में सर्वाधिक वृद्धि दर (4.88 प्रतिशत) 10 से 11 आयु वर्ग के बीच है तथा न्यूनतम वृद्धि दर (0. 10 प्रतिशत) 8 से 9 आयु वर्ग के बीच पायी है। इसी क्रम में बालिकाओं के शारीरिक भार में सर्वाधिक वृद्धि दर (6. 80 प्रतिशत) 9 से 10 आयु वर्ग के बीच है तथा न्युनतम वृद्धि दर (0.28 प्रतिशत) 10 से 11 आयु वर्ग में पायी गयी है जिससे स्पष्ट होता है कि बालको की अपेक्षा बालिकाओं में शारीरिक भार में वृद्धि की दर अधिक है।

तालिका क्रमांक 4

6 से 12 वर्ष के बालक-बालिकाओं में उंचाई के आधार पर समान्तर माध्य एवं प्रमाप विचलन

आयु वर्ष में	बालक एवं बालिकाओं की संख्या	बालक						बालिका					
		समान्तर माध्य और मानक त्रुटि Mean±S.E.			प्रमाप विचलन और मानक त्रुटि S.D.±S.E.			समान्तर माध्य और मानक त्रुटि Mean±S.E.			प्रमाप विचलन और मानक त्रुटि S.D.±S.E.		
6	25	114.38	±	1.65	9.79	±	3.31	112.30	±	0.96	5.61	±	1.92
7	25	120.84	±	1.15	6.92	±	2.32	117.24	±	1.36	7.46	±	2.72
8	25	126.27	±	1.83	10.37	±	3.67	119.29	±	1.00	5.56	±	2.00
9	25	126.90	±	1.03	5.54	±	2.07	124.20	±	1.05	5.96	±	2.11
10	25	131.46	±	1.48	8.48	±	2.95	133.24	±	1.11	6.38	±	1.11
11	25	134.12	±	1.04	5.87	±	2.08	138.34	±	1.20	7.87	±	2.40
12	25	139.62	±	1.11	6.94	±	2.2	145.64	±	1.02	6.52	±	1.02

उपर्युक्त तालिका 4 से स्पष्ट होता है कि 6 से 12 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं के उचाई में आयु के आधार पर प्रति वर्ष वृद्धि हुई है बालकों में सर्वाधिक ऊँचाई का समान्तर माध्य अधिकतम 139.62 सेमी. 12 वर्ष की आयु में एवं प्रमाप विचलन 10.37, 10 वर्ष की आयु में सर्वाधिक मापा गया है इसी प्रकार बालिकाओं में भी 12 वर्ष की आयु में सर्वाधिक माध्य 145.64 सेमी. मापा गया है जो कि बालको की औसत ऊँचाई से अधिक है तथा प्रमाप विचलन 11 वर्ष की आयु में सर्वाधिक 7. 87 मापी गयी है।

तालिका क्रमांक 5
माडिया बालक एवं बालिकाओं के ऊँचाई में वार्षिक वृद्धि दर

आयु वर्ष में	बालको में वार्षिक वृद्धि		बालिकाओं में वार्षिक वृद्धि	
	पूर्णतः	प्रतिशत	पूर्णतः	प्रतिशत
6 से 7 आयु वर्ग	6.46	5.65	4.94	4.40
7 से 8 आयु वर्ग	5.43	4.49	2.05	1.75
8 से 9 आयु वर्ग	0.63	0.50	4.91	4.12
9 से 10 आयु वर्ग	4.56	3.59	9.04	7.28
10 से 11 आयु वर्ग	2.66	2.02	5.10	3.83
11 से 12 आयु वर्ग	5.50	4.10	7.30	5.28

तालिका 5 से स्पष्ट होता है कि माडिया बालकों के ऊँचाई में सर्वाधिक वृद्धि दर (6.46 प्रतिशत) 6 से 7 आयु वर्ग के बीच है तथा न्यूनतम वृद्धि दर (0.63 प्रतिशत) 8 से 9 आयु वर्ग के बीच पायी है। इसी क्रम में बालिकाओं के ऊँचाई में सर्वाधिक वृद्धि दर (9.04 प्रतिशत) 9 से 10 आयु वर्ग के बीच है तथा न्यूनतम वृद्धि दर (2.05 प्रतिशत) 7 से 8 आयु वर्ग में पायी गयी है जिससे स्पष्ट होता है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में ऊँचाई में प्रति वर्ष वृद्धि की दर अधिक है।

तालिका क्रमांक 6
6 से 12 वर्ष के बालक-बालिकाओं में शरीर द्रव्य सूचकांक (बी.एम.आई) के आधार पर समान्तर माध्य एवं प्रमाप विचलन

आयु वर्ष में	बालक एवं बालिकाओं की संख्या	बालक						बालिका					
		समान्तर माध्य और मानक त्रुटि Mean±S.E.			प्रमाप विचलन और मानक त्रुटि S.D.±S.E.			समान्तर माध्य और मानक त्रुटि Mean±S.E.			प्रमाप विचलन और मानक त्रुटि S.D.±S.E.		
6	25	13.21	±	0.24	1.42	±	0.48	12.49	±	0.25	1.44	±	0.49
7	25	13.30	±	0.16	0.88	±	0.31	12.90	±	0.20	1.09	±	0.40
8	25	13.80	±	0.26	1.49	±	0.53	12.94	±	0.19	1.08	±	0.39
9	25	14.05	±	0.21	1.21	±	0.42	13.67	±	0.20	1.12	±	0.40
10	25	13.97	±	0.32	1.86	±	0.65	15.16	±	0.26	1.50	±	0.26
11	25	16.22	±	0.46	2.62	±	0.93	15.51	±	0.37	2.46	±	0.75
12	25	15.00	±	0.21	1.31	±	0.42	16.30	±	0.28	1.78	±	0.28

उपर्युक्त तालिका 6 से स्पष्ट होता है कि 6 से 12 वर्ष तक के बालकों के शरीर द्रव्य सूचकांक (बी.एम.आई) में आयु के आधार पर 6 से 8 वर्ष की आयु में बी.एम. आई. में वृद्धि तथा 10 वर्ष व 12 वर्ष की आयु में बी. एम.आई मे कमी आयी है इस आधार पर सर्वाधिक (16. 22) बी.एम.आई 11 वर्ष की आयु में तथा न्यूनतम (13. 21) बी.एम.आई. 6 वर्ष की आयु में मापी गयी है। इसी क्रम में माडिया बालिकाओं में बी.एम.आई. की दर में प्रतिवर्ष वृद्धि परिलक्षित हो रही है बालिकाओं में सर्वाधिक (16.30) बी.एम.आई. मापी गयी है तथा न्यूनतम (12. 49) बी.एम.आई. 6 वर्ष की आयु में मापी गयी है। अतः स्पष्ट होता है कि माडिया बालक एवं बालिकाओं दोनो ही वर्ग में कुपोषण की स्थिति विद्यमान है ।

तालिका क्रमांक 7

माडिया बालक एवं बालिकाओं के शरीर द्रव्यसूचकांक (बी.एम.आई) में वार्षिक वृद्धि दर

आयु वर्ष में	बालको में वार्षिक वृद्धि		बालिकाओं में वार्षिक वृद्धि	
	पूर्णतः	प्रतिशत	पूर्णतः	प्रतिशत
6 से 7 आयु वर्ग	0.09	0.68	0.41	3.28
7 से 8 आयु वर्ग	0.5	3.76	0.04	0.31
8 से 9 आयु वर्ग	0.25	1.81	0.73	5.64
9 से 10 आयु वर्ग	0.08	0.57	1.49	10.90
10 से 11 आयु वर्ग	2.25	16.11	0.35	2.31
11 से 12 आयु वर्ग	1.22	7.52	0.79	5.09

तालिका 7 से स्पष्ट होता है कि माडिया बालकों के शरीर द्रव्यसूचकांक (बी.एम.आई) में सर्वाधिक वृद्धि दर (2. 25 प्रतिशत) 10 से 11 आयु वर्ग के बीच है तथा न्यूनतम वृद्धि दर (0.08 प्रतिशत) 9 से 10 आयु वर्ग के बीच पायी है। इसी क्रम में बालिकाओं के शरीर द्रव्यसूचकांक (बी.एम.आई) में सर्वाधिक वृद्धि दर (0.79 प्रतिशत) 11 से 12 आयु वर्ग के बीच है तथा न्यूनतम वृद्धि दर (0. 04 प्रतिशत) 7 से 8 आयु वर्ग में पायी गयी है जिससे स्पष्ट होता है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में शरीर द्रव्यसूचकांक (बी.एम.आई) में प्रति वर्ष वृद्धि की दर अधिक है तथा दोनों ही वर्गो में कुपोषण की समस्या है जिसके कारण बालको एवं बालिकाओं में शारीरिक वृद्धि में रूकावट आ सकती है।

निष्कर्ष : उपर्युक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि सर्वेक्षित 6 से 12 वर्ष के माडिया जनजाति के बालकों में पोषण स्तर 62.20 प्रतिशत एवं बालिकाओं में 58.88 प्रतिशत पाया गया है तथा सामान्य पोषित बालकों एवं बालिकाओं का प्रतिशत क्रमशः 9.71 प्रतिशत, 22.22 प्रतिशत है, जिसके कारण उनमें वृद्धि तथा विकास में बाध ाा उत्पन्न होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः शारीरिक श्रम को ही प्राथमिकता दी जाती है जिसके कारण बच्चों के पोषण पर माता-पिता द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे कुपोषण की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह भी पाया गया कि स्कूलों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, किन्तु सामाजिक आर्थिक कारक भोजन के सेवन और उनके स्वास्थ्य व्यवहार को प्रभावित करता है।

संदर्भ

1. Balgir, R.S., Kerketta, A.S., Murmu, B. and Dash, B.P. (2002).Clinical assessment of health and nutritional status of Gondchildren in Kalahandi District of Orissa. The Indi. J. Nutri. Dietet. 39:31-37.
2. Mitra, M., et.al., 'Nutritional Status of Kamar Tribal Children in Chhattisgarh', Indian Journal of Pediatrics; 2006 74: 2007 381-384.
3. Joshi HS, Joshi MC, Singh A, Joshi P and Khan NI, Determinantsof protein energy malnutrition (PEM) in 0-6 years children in ruralcommunity of Bareilly. Indian Journal of Preventive and Social Medicine42(2), 2011, 154-158.
4. Sharma, K.K.N. and Patanwar Pratibha, 'Nutritional Status of Kurmi Adolescent Girls of Raipur City Chhattisgarh, India. International Journal of Scientific and Research Publications, Vol. 3 (11), 2013 pp.1-7.
5. नायक जयंत कुमार, खान इरशाद, 'छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति 'पहाड़ी कोरवा' के बच्चों में कुपोषण की स्थितिः एक मानवमितीय अध्ययन', अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ एप्लॉइड रिसर्च 2(11), 2016, 312-316
6. WHO 'WHO Child Growth Standards', Geneva: World Health Organization, 2004.
7. https://bastar.gov.in.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 22 अंक 1, जनवरी–जून 2020 UGC-CARE List-Social Sciences

''सबाल्टर्न नायक'' के रूप में हिन्दी सिनेमा के मुख्य कथानक में किसान और उसके संघर्ष का विश्लेषण

❑ महेश कुमार मिश्रा

भारत एक ऐसा देश है, जहां मुख्य व्यवसाय के रूप में लोग खेती करते रहे हैं। आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग खेती से जुड़ा है। सबाल्टर्न स्टडीज[1] में किसान केन्द्र बिन्दु है। हिन्दी सिनेमा में फिल्मकार, ''किसान'' को मुख्य विषय के रूप में सबाल्टर्न[2] नायक बना कर कथानक को समाज के समक्ष पेश करते रहे हैं। समाज, समय के साथ बदला है तो कथानक में किसानों की स्थिति भी वैसे ही बदली है। महान फिल्म निर्देशक अंद्रे तारकोवस्की ने फिल्म को समय को बांधने वाली कला कहा है जिसके माध्यम से हम समय को सैल्यूलाइड फिल्म (अब डिजीटल) पर कैद कर लेते हैं।[3] हिन्दी सिनेमा के निर्देशकों के लिए किसान वर्ग और उनका संघर्ष सदैव से सिनेमा का मूल विषय रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से भारतीय हिन्दी सिनेमा में सबाल्टर्न नायक के रूप में किसानों के प्रतिनिधित्व का विश्लेषण किया गया और उन पर केन्द्रित हिन्दी सिनेमा के कथानकों पर सबाल्टर्न दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है।

आज के दौर में भारतीय आबादी का लगभग 55 प्रतिशत मुख्य व्यवसाय के रूप में खेती-किसानी से जुड़ा है।[4] आजादी के पहले और बाद के कुछ सालों तक खेती पर 70 प्रतिशत जनसंख्या परोक्ष रूप से इससे जुड़ी थी। समाज की रचना में परिवार प्रमुख इकाई के रूप में आता है।[5] भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो आज के दौर के मध्यम वर्ग या उससे जुड़े परिवार की नींव कहीं न कहीं खेती-किसानी से अवश्य जुड़ी रहती है। भारत का क्षेत्रफल 3.287 लाख वर्ग किलोमीटर और इसके 51 प्रतिशत भाग पर खेती होती है और बाकी अन्य चारागह, वन और बिना उपयोग के प्रयोग होती है।[6]

सिनेमा जनसंचार के सशक्त माध्यमों में से प्रमुख है।[7] सिनेमा समय को कैमरे में कैद करके, कथानक का वातावरण दर्शकों के सामने रखता है जिससे दर्शक उस कथानक से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। टीवी और डिजीटल क्रांति के फलस्वरूप दर्शकों तक सिनेमा की पहुंच एक साथ भारत सहित कई अन्य देशों तक हो गयी है। आज के दौर में सिनेमा में मुख्य विषय के रूप में कई कहानियां प्रस्तुत की जा रही हों लेकिन किसान और उसका संघर्ष सदैव सिनेमा से जुड़ा हुआ रहा है।

समाज ने समय के परिवर्तन को ही सिनेमा का परिवर्तन माना है।[8] स्वतंत्रता से पहले का परिदृश्य हो या उसके बाद का, सिनेमा के मुख्य विषयों में ग्रामीण जीवन, उनकी स्थिति का चित्रण सजीवता के साथ किया जाता रहा है। दादा साहब फाल्के, बिमल राय, सत्यजीत रे, महबूब खान, राजकपूर, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, गिरीश कर्नाड, सईं परांजपे, रमेश सिप्पी, जे पी दत्ता, दीपा मेहता, विशाल भारद्वाज आदि कई अन्य फिल्म लेखक और निर्देशकों ने सिनेमा में किसान या फिर ग्रामीण जीवन को परदे पर प्रभावी ढ़ंग से दर्शकों के समक्ष पेश किया है। इनकी रचनाओं में ग्रामीण परिवेश और सिनेमा का नायक किसान या फिर आम ग्रामीण होता है जो कि समाज की चुनौतियों से लड़ता है। वो कभी जीतता है तो कभी हारता हुआ भी दिखायी पड़ता है।

सिनेमा का लेखक कौन है तो इस प्रश्न का उत्तर मशहूर कहानीकार और फिल्म पटकथा लेखक राही मासूम रजा ने दिया है कि सिनेमा का असल लेखक निर्देशक ही होता है क्योंकि वह दर्शकों को अपने दिमाग में रखता है और निर्देशक जानता है कि वह किसके लिये फिल्म बना रहा है। सिनेमा की असली ताकत यही है कि वह कभी देखने वाले को नजर अंदाज नहीं कर सकता। सिनेमा वह मोर है जो कि जंगल में नाच ही नहीं सकता क्योंकि दर्शकों के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आम आदमी से उसका (सिनेमा) सीधा सम्बन्ध है।[9] हिन्दी सिनेमा की पहुंच अतिविस्तृत है और यह अपने क्षेत्र में साक्षर और निरक्षर दोनों को ही समेटे हुए रखता है।

सिनेमा के आवश्यक तत्व हैं जैसे पटकथा, फिल्मांकन,

❑ असिस्टेंट प्रोफेसर, डिजाइन विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, निवाई टोंक (राजस्थान)

कैमरा, संगीत, सम्पादन, ध्वनि संपादन आदि जिनका प्रयोग प्रायः सभी फिल्मकार करते हैं। रूपक के जरिये अपनी बात कहना काव्यशास्त्र या साहित्य का अलंकार है, लिखी हुई फिल्म की कालमिति। किसी प्रतीक का रुपक के माध्यम से बात को कहना उसका कलात्मक मूल्य तय करता है और बात रोचक ढ़ंग से दर्शक तक पहुंचती है। इसे कलामिति कहते हैं। दोस्तोव्सकी कहते थे कि यदि कलामिति अच्छी है तो विचार या दृष्टि अपने आप लोगों तक पहुंच जायेगी।[10]

यदि कहानी अच्छी है, नाटक का मंचन अच्छा है, पेंटिंग, गायन, वादन या नृत्य प्रस्तुति अच्छी है तो फिर अन्तर्वस्तु स्वतः दर्शकों तक पहुंच चुकी है। नाट्यशास्त्र में भरतमुनि इसे ही रस या प्रभाव कहते हैं।[10]

सिनेमा के मुख्य पात्र के रूप में किसान, सबाल्टर्न नायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। ऐसा नायक जो कि किसान संघर्ष, सामाजिक चुनौतियों के साथ जीवनगत समस्याओं को ढोता है, साहूकारों के कर्जों तले दबे रहता है, मानसून स्थिति, प्राकृतिक विभीषिकाओं से जीवन अशान्त होता है, परिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ को ढोता रहता है, वैमनस्य के चक्रव्यूह में फंसा, आर्थिक लाचारी से सदैव परेशान रहने वाला किसान दयनीय अवस्था में जीवन जी रहा होता है। समय के बदलते क्रम में किसान की स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं दिखे, लेकिन समय से साथ चुनौतियों ने बहरूपियों का भेष जरूर बना लिया।

निम्नजाति के लोग अच्छे खेतिहर नहीं थे। देहाती जनता में भी वे गरीब और कमजोर होने के कारण जमींदार और सरकार के लिए सबसे गिरे हुए काम करने के लिए विवश किए गए। उपनिवेश राज में जीविका के मुख्य स्त्रोत जंगलों से उनकी पहुंच से बाहर करके उनके जीवन को अभावग्रस्त बना दिया गया।[12] आज के दौर में बैंकों का दबाव, भूमि अधिग्रहण, गिरता जलस्तर, फसल का उचित मूल्य ना मिलना आदि कई ऐसी समस्याएं आज का किसान झेल रहा है और चुनौतियों के बीच अपने जीवन को जी रहा है।

सिनेमा के पुरोधा बाबूराव पेंटर की फिल्म में किसान सेठ साहूकारों या फिर जमीदारोंके आर्थिक शोषण में फंसे हुए दिखता है, जिसमें "सावकारी पाश" प्रमुख हैं, जोकि 1925 की मूक फिल्म है। सामाजिक मुद्दे पर बनी इस फिल्म में किसान को सेठ साहूकारों के चंगुल में फंसें हुए दिखाया गया है जोकि उस समय समाज की स्थिति को दर्शाता है।[13]

एक गरीब किसान जिसकी जमीन साहूकार ने हड़प ली है, और जीवनयापन के लिए उसे बड़े शहर में जाकर गुजर बसर के लिए मिल मजदूरी का काम करना पड़ेगा। सावकारी पाश का मूक यथार्थ हिन्दी फिल्मों में दिखा जिसमें औरत, दो बीघा जमीन, मदर इंडिया, गंगा-यमुना, जागते रहो, उपकार, सौदागर, दामुल, दिशा, मंथन, पार है तो वहीं ये विषय लगान, पीपली लाइव के साथ दर्शकों तक पहुंचता है।

इन सभी कथानकों में सबाल्टर्न नायक के रूप में किसान व्यक्ति, प्रकृति और भगवान से लड़ता है। कई कथानकों में हारता है और कभी गिरता है। कुछ कथानकों में जीवन संघर्ष को अटल नियति मान कर खुद संभलता है। प्रकृति के अभिशाप को भी झेलने की अपार शक्ति से झकझोड़ देता है लेकिन कभी-कभी वहीं किसान टूट जाता है और मजदूर बन जाता है। विषम परिस्थितियों में वह आत्महत्या करने पर मजबूर भी हो जाता है। किसान अपनी मेहनत से ही धरती के गर्भ में सूखे बीज से जीवन उत्पन्न करता है। हाड़तोड़ मेहनत करने के साथ वह फसल उपजाता है। जीवन भी कठोर ही रहता है क्योंकि आशा की प्रबल बुनियाद उसे कमजोर नहीं पड़ने देती है। बच्चों को अच्छी शिक्षा की बात हो या फिर संसाधनों के जुटाव की, किसान सामान्य बुनियादी जीवन से भी प्रवंचित ही दिखता है।

बिमल रॉय की कालजयी फिल्म दो बीघा जमीन जो कि किसान जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करती है। इस फिल्म में फिल्मकार ने सबाल्टर्न नायक किसान शंभू महतो को केन्द्र में रखा है।[14] शंभू महतो जिसके लिये जमीन उसकी मां है और वह किसी भी कीमत पर अपनी दो बीघा जमीन नहीं बेचना चाहता है। उसके परिवार में पत्नी पार्वती, बेटा कन्हैया, बाप गंगू और एक आने वाली संतान भी है। प्रकृति विभीषिका यह होती है कि गांव में लगातार सूखे की समस्या है और शंभू जैसे गरीब किसान बदहाली के शिकार हो जाते हैं।

नेहरू विचारधारा पर टिप्पणी करती इस फिल्म के माध्यम से पूंजीवाद को बढ़ावा देती सोच पर भी चोट की गयी है। फिल्म में गांव का जमींदार ठाकुर हरनाम सिंह, जो कि पैसे कमाने के लिए गांव की विशाल जमीन पर एक मिल खोलने के बारे में सोच रहा है। उसके इस योजना में सबसे बड़ा कांटा शंभू है क्योंकि वह अपनी

जमीन बेचने को तैयार नहीं है। मिल के लिए शंभू की जमीन बहुत जरूरी है इसलिये हरनाम सिंह शंभू को जमीन बेचने के लिए दबाव डालता है। शंभू जब जमीन बेचने को तैयार नहीं होता तो फिर, हरनाम सिंह उसे अपना कर्जा चुकाने के लिए कहता है। हरनाम सिंह ने जाली कागजात के बल पर उसके कर्जे की रकम 65 रूपये से बढ़ाकर 235 रूपये कर दी है। शंभू घर का सारा सामान बेच देता है लेकिन रकम अदा नहीं कर पाता। मामला कोर्ट में जाता है और शंभू को 3 माह के भीतर रकम चुकाने का आदेश दिया जाता है। रकम नहीं चुकाने की स्थिति में उसके खेत बेचकर रकम हासिल करने की मंजूरी दी जाती है।

दो बीघा जमीन, जिसको शंभू किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना चाहता अपना सर्वस्व लगाने के लिए तैयार हो जाता है उसे बचाने के लिए। वह गांव से कोलकाता जाता है नौकरी की तलाश में ताकि अच्छे पैसे कमा कर वह कर्जा चुका दे। शंभू अपने बेटे कन्हैया को भी कोलकाता ले आता है। यहां आकर वह हाथ से खिंचने वाला रिक्शा चलाना शुरू करता है। महत्वपूर्ण दृश्यों के साथ मानवीय भावनाओं से परिष्कृत फिल्मकार बिमल रॉय की अति उत्कृष्ट सिनेमायी रचना में सबाल्टर्न नायक शंभू महतो हार जाता है। वह बड़े शहर में मजदूरी करके कुछ भी नहीं कमा पाता है। वह चोटिल होता है, पत्नी चोटिल होती है और बेटा भी चोरी करने पर मजबूर हो जाता है। पूंजीवाद में किसान के सभी आदर्श ध्वस्त हो जाते हैं और वह खाली हाथ वापस गांव आ जाता है। गांव, जहां उसकी जमीन बिक चुकी है, उस जगह हरनाम सिंह की मिल का काम चल रहा है और शंभू का बाप पागल हो गया है। शंभू जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेने का प्रयास करता है लेकिन वहां बैठा गार्ड उससे वह भी छीन लेता है और वहां से भगा देता है।

जमीन ही किसान की शक्ति होती है, अगर वही उससे छिन जाये या ले ली जाये तो फिर किसान, मजदूर बनने को मजबूर हो जाता है। ''जमीन तो किसान की मां होती है हुजूर...मां को बेच दूं...नहीं हुजूर जमीन मैं नहीं बेचूंगा, जमीन चले जाने पर किसान का सत्यानाश हो जाता है।'' एक गरीब किसान का अहम जमीन होती है जिसे दो बीघा जमीन में दिखाया गया है।

जमीन को बचाने के लिए पूरे परिवार का संघर्ष इस तरह का होता है कि शंभू का बेटा कन्हैय्या अपने पिता की मदद के लिए पैसे ले कर आता है तो शंभू गरीब किसान होने के बावजूद, बेटे पर शक करता है कि कहीं उसने चोरी तो नहीं की।

''किसान का बेटा होकर तूने चोरी की...तेरी मां को पता चलेगा तो वह मर जायेगी।''[15] एक गरीब, बेबस किसान परेशान, हताश, संघर्षों के पथ पर जूझ रहा है लेकिन वह ईमानदारी को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता। यहां शंभू, भारतीय किसान की सोच का प्रतिनिधित्व करता दिखायी देता है।

स्वतंत्रता मिलने के बाद को व्यवस्था क्रम में और भी अलग बदलाव आया और नेहरू विचारधारा को थोपते हुए समाज को बदलने का क्रम शुरू हो गया । सबाल्टर्न और उच्च वर्ग में खाई और गहरी होने लगी। पूंजीवादी और व्यापारवादी को समाज बदलने के लिए पूरी तरह से छूट मिलती दिखी। उस दौर में साहित्यिक परिवर्तन के साथ विश्व पटल पर हो रहे बदलाव भी साफ तौर पर दिखे। पिछड़े हुए, उपनगरीय और हाशिये पर रहने वाला मुख्य किरदार अपनी विचार को प्रधानता देते हुए बदलते समाज के बदलाव को दिखाता है। बिमल रॉय की दो बीघा जमीन इसका सशक्त उदाहरण है।

मदर इंडिया का श्यामू भी, शंभू की तरह विवश हो जाता है क्योंकि उसकी शादी के लिए मां ने सुखी लाला से कर्जा लिया है।[16] ऐसा कर्जा जो कि पुश्तों को समेटे हुए है। महबूब खान ने किसान को मुख्य विषय के रुप लेते हुए पहले औरत फिल्म का बनायी थी, फिर इसी फिल्म का रीमेक थी मदर इंडिया। सुखी लाला देश का व्यवस्था का एक ऐसा जोंक होता है जो कि श्यामू जैसे किसानों का खून पीता है। श्यामू की शादी हेतु लिए लिए गये रूपये, श्यामू की जान तक ले लेते हैं। सारी जिम्मेदारी राधा को सम्भालनी पड़ती है। राधा जो घर की घरेलू स्त्री है, जिम्मेदारियों और संघर्षों के आगे अपनी राह बनाने में विश्वास रखती है। पहले पति और फिर सास के चले जाने के बाद मासूम बच्चों के साथ वह कठिन जीवन व्यतीत कर रही है। प्रकृति की मार ने उसे एक बार बेबस भी कर दिया है और वह अपना सौदा, कुटिल सुखीलाला से करने को तैयार भी हो जाती है। लेकिन एक किसान का संघर्ष, उसके मजबूत इरादों को तोड़ नहीं सकता, महबूब खान की मदर इंडिया इस बात की गवाही देती है। राधा, लाला से लड़ती है और अपने बच्चों के साथ गांववालों को भी प्रकृति से लड़ने का बल देती है, जिसका

परिणाम सुखद होता है। समय के बढ़ने के साथ मदर इंडिया के कथानक में किसानों की समस्या का कोई हल नहीं दिखता क्योंकि साहूकार लाला, बूढ़ी हो चुकी राधा और उसके बच्चों से ब्याज के एवज में फसल में अपना हिस्सा लेने आता रहता है। व्यवस्था के विरूद्ध रामू के डाकू बनने और फिर मां राधा के द्वारा अपने आदर्शों और गांव की इज्जत का मान रख कर बेटे रामू का गोली मार कर अंत कर देने, राधा को मदर इंडिया (भारत माता) बना देता है। ऐसी मां जिसके लिए बेईमानी बौनी है, संघर्ष जीवन का अंग है, भूख द्वंद है, व्यवस्था सुधारने के लिए सहयोग और आपसी भाई-चारे को मानती है, वो कभी भी गलत का साथ नहीं दे सकती। चाहे वह उसका कितना भी प्रिय न हो।

दो बीघा जमीन (1953) और मदर इंडिया (1957) भारतीय किसान की मनोस्थिति को दर्शाते हैं साथ ही सबाल्टर्न नायक के रुप में वर्ग संघर्ष के रूप में किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सबाल्टर्न कथानक पर आधारित फिल्मों में दर्शक जीवन की असलियत को देखते हैं और सोचने पर जरूर मजबूर होते हैं कि वास्तव में किसान का जीवन कितना दुरूह होता है। राज कपूर की जागते रहो (1956) फिल्म में किसान को एक अदद रोजगार की तलाश है, वह शहर आता है लेकिन दो घूंट पानी के लिए तरस जाता है और चोर समझ लिया जाता है।

रंजीत गुहा द्वारा संपादित A subaltern Studies Reader 1986-1995 पुस्तक में उन्होंने माना है कि सन् 1970 के दशक में, नक्सलबाड़ी उत्थान और आपातकाल के अस्त के बीच का दौर एक निराशा (मोहभंग) की समयावधि थी, जिसका एक परिणाम सबाल्टर्न स्टडीज हैं।[17]

मार्क कॉसिन द्वारा निर्देशित The Story of Film: An Odyssey डाक्यूमेंट्री में जावेद अख्तर ने इसी बात को सिनेमा से जोड़ते हुए कहा है कि आजादी मिले हुए 25 साल हो गये थे और ये दौर एक तरह के आघात से आगे बढ़ रहा था। आजादी के बाद लोगों की सोच बदल रही थी। स्वतंत्रता, संविधान निर्माण, पंथ निरपेक्षिता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सब मिल चुकी थी और लोगों को लग रहा था कि समृद्धि तो अब मिल ही जायेगी लेकिन 1970 के दशक तक पहुंचते-पहुंचते लोगों को ऐसा लग चुका था कि कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे समय में सभी तरह के आदर्श (Idealism) हिलने लगे और इसका सीधा असर कला पर भी पड़ा। उस दौर की कविताओं, कहानियों, उपन्यास, रंगमच और सिनेमा में भी ये असर देखने को मिला।[18]

"**सतर** का दशक आजाद भारत के इतिहास का उथल-पुथल का दशक है। नक्सलबाड़ी की अनुगूंज, चुनावी उठापटक, भारत-पाकिस्तान युद्ध, सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन और आपातकाल. यहाँ युद्ध भी है, तानाशाह भी, मसीहा भी, क्रांति भी। यह दशक युवा असंतोष का दशक है, जिसका सिनेमाई प्रतिफलन अमिताभ के 'एंग्री यंग मैन' किरदार में होता है. हिन्दी सिनेमा का सबाल्टर्न हीरो महानायकीय हिंसक टर्न लेता है।"[19]

जावेद अख्तर ने भी सिनेमा और बदलते समाज का प्रभाव खुद पर भी माना और उन्होंने मदर इंडिया के बिरजू के किरदार को पहला एंग्रीयंग मैन माना है। उन्होंने ये भी माना है कि वो बिरजू के किरदार को देखकर इतने प्रभावित हुए थे कि जब उन्होंने एंग्री यंगमैन (जंजीर, दीवार) का किरदार गढ़ा तो उसकी प्रेरणा भी मदर इंडिया का बिरजू ही था जो कि व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता है। वो व्यवस्था को बदलना चाहता है।[20] सलीम-जावेद द्वारा लिखी गयी मील का पत्थर कही जाने वाली फिल्म, शोले (1975) सबाल्टर्न संदर्भ में एक कामयाब उदाहरण है क्योंकि संस्था के विरूद्ध सबाल्टर्न की बात ही कामयाबी से कही गयी है।

मुजफ्फर अली की फिल्म गमन (1978) में गुलाम हसन अपने गांव की खेती बाड़ी को छोड़कर, पैसे कमाने के लिए बम्बई आ जाता है। सपनों के शहर में वह हालातों में ऐसा पड़ता है कि चाह कर भी घर वापसी का फैसला नहीं ले पाता।[21]

मजबूरी, एक शब्द नहीं है बल्कि सिनेमा में कथानक के लिए, मील का एक ऐसा पत्थर है जिसके आने के बाद किसान बेबस हो जाता है, खेती छोड़ने के लिए। प्रकाश झा की दामुल (1985) में दलित किसान संजीवना, अपने बैलों ले लिये जाने के बाद जंमीदार के घर पर बंधुआ मजदूर बनने को मजबूर है। एक ऐसा बंधुआ मजदूर जिसको रात के अंधेरे में जमीदार के लिए बैलों की चोरी करनी है।[22]

सईं परंजपे की दिशा (1990) में बसंता और सोमा बंजर भूमि और सूखे के चलते बम्बई (मुम्बई) की मिल फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर हैं।[23] फिल्म में किसान की बेबसी को मार्मिक तरीके से पेश किया गया है क्योंकि यह

सफलता और असफलता के बीच झूलते हुए लोगों के मस्तिष्क पर चोट करने वाली फिल्म है। बसंता और सोमा बम्बई में जैसे खो ही गये हैं लेकिन दोनों को ये आस है कि वो गांव वापस जायेंगे। सोमा तो वापस जाने का फैसला लेता है और गांव पहुंच भी जाता है लेकिन बसंता, गांव छोड़ने के साथ अपना सब कुछ खो ही चुका है। सारे मूल्य-आदर्श, सम्बन्ध झूठे और बेमानी से हो गये हैं। गांव में रहने वाली बसंता की पत्नी के सम्बन्ध बीड़ी ठेकेदार से हैं जिसकी वजह से घर की स्थिति ठीक है। बसंता के पिता की रजामंदी से सब हो रहा है। बसंता गांव वापस नहीं जाना चाहता।

जे पी दत्ता ने गुलामी (1985) फिल्म बनायी।[24] यह फिल्म राजस्थान की पृष्ठभूमि पर तैयार की गयी, जिसमें जमीदारी,साहूकारी, शोषण, वर्ग विभेद, लिंग भेद दर्शाया गया है। किसानों को संघर्ष के लिए खुद तैयार होना होगा और रूढ़िवादी, पुरातन सोच को दरकिनार करना होगा, फिल्म इसी उद्देश्य को समाहित करके निर्मित की गयी है।

श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत (1975) भी किसान संघर्ष और स्वतः आंदोलन को प्रदर्शित करती है। गांव के जमीदार के अत्याचार, कपट, बेईमानी, आडम्बर और व्यभिचार को पूरा गांव झेल रहा होता है लेकिन जब एक विवाहित अध्यापक की पत्नी को जमीदार के बेटे जबरन ले जाते हैं और उसे घर पर कैद करके रखते हैं तो इस घटना से किसानों में विद्रोह का बीज पैदा होता है और फिर वह एकत्रित होकर जमीदार का परिवार समेत खात्मा कर देते हैं। व्यवस्था विरूद्ध, किसानों के विद्रोह को निशांत में प्रदर्शित किया गया है।[25]

भारतीय संदर्भ में रंजीत गुहा ने अपनी पुस्तक 'ऐलमेन्ट्री आस्पैक्ट्स ऑफ पीजेन्ट्स इनसर्जेन्सी इन कोलोनियल इंडिया' में किसान-संघर्ष के 'स्वायत्त क्षेत्र' पर प्रकाश डाला है, जो अभिजात वर्ग से स्वतंत्र रहा है। उन्होंने कृषक को स्वतः अपने इतिहास का कर्ता करार दिया है।[26]

व्यवस्था विरूद्ध, किसान विद्रोह को आशुतोष गोवारिकर ने अपनी फिल्म ''लगान'' (2001) में दर्शाया है।[27] चम्पानेर गांव में किसान सूखे की मार से बेहाल है। ब्रिटिश राज के काल को दर्शानी वाली इस फिल्म में गांव वाले अंग्रेजी हुकूमत की मनमानी से परेशान हैं। वहां का राजा मात्र कठपुतली के रूप में कार्य कर रहा है। कैप्टन रसल, ब्रिटिश हुकूमत में अफसरों का प्रतिनिधित्व करता है जो कि अपने मनमानी और सनकीपन के लिए जाना जाता है। एक गांववाले भुवन के द्वारा उसके खेल (क्रिकेट) का उपहास उड़ाने पर वह क्षुब्ध हो जाता है और गांववालों को क्रिकेट में अंग्रेजों को हराने की चुनौती देता है। अंग्रेजों ने सूखे के ऊपर गांववालों पर दुगुना लगान वसूलने का आदेश दे रखा है। गांववालों को वह जीतने पर तीन साल के लगान की माफी का लालच देता है। भुवन उसकी चुनौती को स्वीकार करता है। गांववाले, अंग्रेजों से कितना डरते हैं इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि वो सब राजा के सामने अंग्रेजों से माफी मांगने के साथ भुवन को भी डराते धमकाते हैं। भुवन और उसके गांव के लोग भुवन का साथ देते हैं और फिर अंग्रेजों के खिलाफ एक जुट होते हैं। चम्पानेर में गांववालों के साथ उनकी बुराइयां, लिंग भेद, वर्ग भेद को तो दर्शाया ही गया है साथ ही एक मुद्दे पर गांव के लोगों का स्वतः जुटना भी दिखाया गया है। गांववाले पूरे तन मन धन से अर्पित होकर अंग्रेजों को हराने में लग जाते हैं। वे क्रिकेट सीखते हैं, उन्हें एलिजाबेथ क्रिकेट सिखातीं है। लगान के माध्यम से यह भी दर्शाया गया है भारतीयों को सुदृढ़ बनाने में कहीं न कहीं अंग्रेजों की भागीदारी भी रही हैं क्योंकि उनकी वजह से ही खेल तटस्थता के साथ सम्भव हो पाता है। लगान में क्रिकेट अंत में गांववालों की टीम ही जीतती है और उन्हें लगान से मुक्ति मिलती है। लगान के माध्यम से किसान संघर्ष और सबाल्टर्न गाथा को दर्शाया गया है।

पीपली लाइव (2010) फिल्म जिसके लेखक और निर्देशक अनुषा रिजवी है। फिल्म का निर्माण आमिर खान ने किया। पीपली लाइव दरअसल पत्रकारिता पर चोट करने के साथ, व्यवस्था के विरूद्ध सबाल्टर्न की स्थिति को सामने लाती है।[28] समय और समाज के बदलने पर भी किसान की स्थिति नहीं बदली और उसकी मौत पर भी तमाशा बनाने से लोग बाज नहीं आते हैं। इस फिल्म में अफसरशाही निशाने पर हैं, जो कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए मौत को बेच रहें हैं जबकि पत्रकारों के मुंह पर भी ये तमाचा लगाती है कि आखिर कैसे आत्महत्या को टीआरपी के लिए बेचा जा रहा है। फिल्म में नत्था एक गरीब किसान है जो कि अफवाहों के बीच फंस जाता है कि वह आत्महत्या करने वाला है। पत्रकारिता की नौटंकी बीच व्यवस्थाक्रम में नेता और अफसरों के बीच खलबली मच जाती है और वो तरह तरह के जतन करने लगते हैं ताकि यह लगे कि व्यवस्था में कितना बदलाव आ गया है। फिल्म के अंत में नत्था आत्महत्या तो नहीं करता लेकिन

गायब हो जाता है। वह किसी को नहीं मिलता लेकिन शहर के किसी एक कोने में वह मजदूर बना होता है। **आजादी** से पहले से लेकर आजादी के बाद तक सबाल्टर्न नायक के रूप में किसान सदैव से सिनेमा का विषय रहे हैं। जमीन का सीना फाड़ कर यह किसान ही होता है जो आबादी का पेट भरता है लेकिन क्या इस किसान ने कभी अपने लिये कुछ बोला है, भारतीय किसानों की स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। व्यवस्थाक्रम में पार्टियों नेताओं के मुख्य मुद्दों में किसान अवश्य रहें हो लेकिन सच्चाई से सभी परिचित है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 1995 से अबतक लगभग 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं।[29] पूरे भारत में ही किसानों की स्थिति नहीं बदली है। बढ़ती महंगाई, सीमित संसाधनों के बीच भारत में एक किसान की औसत कमाई करीब 78 हजार रूपये साल की है, जो कि माह का 6 हजार 500 रूपये के आस-पास होता है।[30] इतने कम पैसों में किसान का जीवन किस तरह का होगा सोचा जा सकता है।

निष्कर्ष : भारत विविधताओं का देश है जहां शहर बढ़ने के साथ गांव भी बढ़े हैं। भारत में लगभग 6.30 लाख गांव हैं।[31] हिन्दी सिनेमा ने शुरु से ही ग्रामीण परिवेश और कथानकों को केन्द्र में रखा है। सबाल्टर्न नायक और किरदार अपने संघर्ष, आंदोलन, विचार को सिनेमा में कहानियों के माध्यम से कहने में सक्षम हो पाये हैं। मूक फिल्म सावकारी पाश से लेकर पीपली लाइव जैसी कहानियों में किसान केन्द्र में है और उसकी संवेदनाएं सर्वोपरि हैं। फिल्मों में किसान को किसान की तरह से ही दिखाया गया है जैसे वह गरीब, लाचार, बेबस, डरपोक, निरक्षर है लेकिन इसके साथ ही वह भविष्य के लिए आशान्वित भी है। भविष्य की आशा जो कि किसान को बदले और उसके इतिहास को भी बदले। देश की आर्थिक सशक्तीकरण में किसान की भूमिका अभूतपूर्व है, ऐसे में किसान की स्थिति भी सबल, सुरक्षित और सामान्य होनी चाहिए। सिनेमा कला की परकाष्ठा है क्योंकि यह अपने में अन्य कई ललित कलाओं, संगीत, अभिनय, शिल्प आदि को समेटे हुए रहता है इसलिए बुद्धिजीवी फिल्मकार, एक फिल्म को कला में सृजित करता है जोकि समय के साथ-साथ इतिहास का हिस्सा बन जाती है। किसानों की स्थिति पर ऐतिहासिक विवरण में देखा जायेगा तो फिल्मों का उदाहरण अवश्य दिया जायेगा क्योंकि मानवीय मनोचेतना पर सिनेमा गहरी छाप छोड़ता है। मनोरंजन तो सदैव मनुष्य के साथ रहा है लेकिन किसान की स्थिति और उनको प्रमुख विषय के रूप में लेकर आना आवश्यक है क्योंकि फिल्मकार सिनेमा के माध्यम से समाज को चित्रित कर सजीवता के साथ दर्शकों के समक्ष पेश करता है। **सबाल्टर्न** स्टडीज के इतिहासकारों ने भी सिनेमा की पैरवी की है कि साहित्य की तरह सिनेमा को भी इतिहास-लेखन के क्रम में भागीदारी होनी चाहिए। रंजीत गुहा[32] ने हरिहर वैष्णव को दिये साक्षात्कार में सबाल्टर्न स्टडीज की जरूरत क्यों पड़ी प्रश्न के उत्तर में कहा भी है कि भारतवर्ष का जो इतिहास आज तक लिखा गया है, वह सब उच्च वर्ग की दृष्टिभंगी से हुआ। उच्च वर्ग में, ऊपर वाली जाति, श्रेणी, सरकार, साम्राज्यवाद आदि की दृष्टिभंगी से इतिहास लिखा गया। गवेषक ने एक नये किस्म का अनुसंधान किया, उसका नायक है, सबाल्टर्न यानि निम्न वर्ग। यह निम्न वर्ग है कृषक, मजदूर, आदिवासी और नारी। ये चार मेरे हिन्दुस्तान के निम्नवर्ग (सबाल्टर्न) हैं। उन्होंने इसी साक्षात्कार में माना है कि सबाल्टर्न इतिहास लेखन में सिनेमा के योगदान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि घर में काम करने वाली औरत जिसे झी यानि दासी कहते हैं वह एकदम गरीब है। वह गरीबी की मूर्ति है और यह मूर्ति हमें सिनेमा की कहानियों में साक्षात दिखती है। सबाल्टर्न स्टडीज में निम्न जन (सबाल्टर्न) की चेतना और उस चेतना की स्वायत्तता को मूल-स्तंभ मानकर चला गया है तो सिनेमा ने भी कालजयी रचनाओं में इसी चेतना और स्वायत्ता का मूल मान कर किसान को सबाल्टर्न नायक के रूप में जगह दी है।[33]

सन्दर्भ

1. रंजीत गुहा सबाल्टर्न स्टडीज के जनक माने जाते हैं। 1980 के दशक में इस परियोजना को शुरू किया था। उन्होंने इतिहास को संभ्रातीय और औपनिवेशक पूर्वाग्रह से ग्रस्त माना है। सबाल्टर्न स्टडीज में आम जनता- गरीब किसान, चरवाहा, मजदूर, कामगार, दलित जाति, स्त्री समाज आदि की उदारावस्था तक ही सीमित न रहकर उनके विचार, उनकी सोच तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। शाहिद अमीन एवं ज्ञानेंद्र पांडेय, 'निम्नवर्गीय प्रसंग-1' राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 20216, प्रस्तावना, पृ-7
2. सबाल्टर्न का अर्थ है- छोटा पद और इसका उपयोग मातहत वर्ग के किया जा रहा है जहां यह वर्ग, जाति, आयु, लैंगिक भेदभाव, पद या फिर कई अन्य तरह से सामने आता है। बाद के लेखों में जन और सबाल्टर्न एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग होने लगे हैं। इस श्रेणी में शामिल समूह और तत्व संभ्रांत समाज और समूह से बिल्कुल अलग हैं। वही, पृ-8
3. Tarkovsky, Andrey, 'Sculpting in Time, Chapter-III', University of Texas Press, 1989 pp. 62, 63
4. https://www.theglobaleconomy.com/India/Employment_in_agriculture/
5. http://www.uou.ac.in/sites/default/files/slm/BASO-102.pdf page-84
6. सिंह शीलकांत, मीनाक्षी कांत, 'भारत 2008, सार संग्रह', टाटा मैकग्रा हिल, 2008, पृ. 1 एवं 41
7. Sehgal, M.K., 'Business Communication', Excel Books, 2006, p. 143
8. पारख, जबरीपल्ल, 'हिन्दी सिनेमा का समाजशास्त्र', ग्रन्थ शिल्पी प्रकाशन, 2006 भूमिका
9. रजा राही मासूम, 'सिनेमा और संस्कृति', वाणी प्रकाशन, 2001, पृ-26
10. चटर्जी, गौतम, 'क्लासिक सिनेमा', कनिष्क पब्लिशिंग हाउस, 2018 पृ-8
11. वही, पृ-8
12. अमीन, शाहिद और पांडेय, ज्ञानेन्द्र, वही, पृ. 22
13. https://filmheritagefoundation.co.in/savkari-pash-the-indian-shylock-1925-80-mins/
14. Roy, Bimal (Producer & Director), (1953), Do Bigha Zameen [Motion Picture], India
15. वही
16. Khan, Mehboob (Writer, Producer & Director),(1957), Mother India, [Motion Picture] India
17. Guha, Ranajit, A Subaltern Studies Reader 1986-1995,University of Minnesota Press 1997, P-11
18. Cousins, Mark, The Story of Film:An Odyssey, Ep-11
19. https://www.bbc.com/hindi/entertainment-49821268
20. Cousins, Mark, The Story of Film:An Odyssey, Ep-11
21. Ali, Muzaffar, (Producer & Director),(1978), Gaman [Motion Picture], India
22. Jha, Prakash (Producer & Director),(1985),Damul [Motion Picture], India
23. Paranjpye, Sai (Director), (1990),Disha [Motion Picture], India
24. Dutta, J.P. (Producer & Director), (1985), Gulami [Motion Picture], India
25. Benegal, Shyam (Writer & Director),(1975),Ankur [Motion Picture], India
26. Guha, Ranjit, Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India,Duke University Press, 1983, P-1
27. Gowariker, Ashutosh, (Writer & Director),(2001), Lagaan [Motion Picture], India
28. Rizvi, Anusha, (Writer & Director),(2010), Peepli Live [Motion Picture], India
29. https://hindi.thequint.com/budget/budget-2019-farmer-expectations-with-modi-government
30. https://www.hindustantimes.com/india-news/rs-6-000-is-6-of-a-small-farmer-s-annual-income-according-to-nsso-data/story-rddMw0hk6cSbxjo7E1GyKK.html dated 12.03.2020
31. https://www.makehindi.com/bharat-me-kul-kitne-gaon-hai/
32. http://pahalpatrika.com/frontcover/getrecord/243 dated 08.03.2020
33. http://pahalpatrika.com/frontcover/getrecord/243

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 22 अंक 1, जनवरी-जून 2020
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

सम्पत्ति का अधिकार व हिन्दू महिलाएं : सत्ता एवं संस्कृति में अंतर्सम्बन्ध का समाजशास्त्रीय अध्ययन

❑ आभा मिश्रा

प्रस्तुत अध्ययन हिन्दू महिला सम्पत्ति उत्तराधिकार के सन्दर्भ में है जो कि शोध के दृष्टिकोण से प्रासंगिक विषय है। भारतीय समाज संस्कृति, परम्परा व मूल्यों पर आधारित रहा है इसलिये हिन्दू मान्यताओं में स्त्री को सदैव ही गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में अधिकार, सत्ता व संस्कृति के मध्य में सम्बन्धों के विश्लेषण का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है तथा अध्ययन क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नगर को चुना गया है जो कि सांस्कृतिक व शैक्षणिक रूप में समृद्ध होने के कारण अध्ययन हेतु उपयुक्त है। अध्ययन क्षेत्र से साक्षात्कार अनुसूची द्वारा आंकड़ा संग्रहण हेतु 200 हिन्दू महिलाओं का चयन किया गया। अध्ययन की प्रकृति के अनुसार केवल शहरी क्षेत्र से ही न्यादर्श रूप में हिन्दू महिलाओं का चयन किया गया है। शहरी क्षेत्र होने से अधिकांश महिलाएं शिक्षित, कार्यशील एवं जागरूक हैं परन्तु सम्पत्ति विषयक अधिकारों में उनका दृष्टिकोण संस्कृति प्रधान अधिक रहा है तथा तार्किकता का समावेश बहुत ही अल्प रूप में परिलक्षित हुआ है।

यद्यपि अपने उत्पत्ति के मूल रूप में प्राकृतिक आधार पर स्त्री एवं पुरूष दोनों समान ही हैं, परन्तु सामाजिक तौर पर ऐसा नहीं है। सैद्धान्तिक तौर पर देखा जाये तो वैदिक समाज में हिन्दू महिलाओं को देवी का स्थान प्राप्त था इसलिए भारतीय संस्कृति में हिन्दू स्त्री को सदैव ही गौरवपूर्ण स्थान मिला है और अधिकार भी, परन्तु पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में चाहे अधिकार हो या प्रस्थिति, स्त्री हमेशा निम्नतर ही रही है और उसकी भूमिका एवं महत्व पुरूषों की तुलना में कम ही रहा है। पारिवारिक व सामाजिक स्थिति से परे यदि हिन्दू महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण व सम्पत्ति स्वामित्व की बात की जाये तो उनकी स्थिति पिछड़ों में भी पिछड़े की रही है और यह आज भी है। परम्परागत समाज में एक हिन्दू स्त्री को जो भी सम्पत्ति (नकद, गहना) उपहार स्वरूप स्त्री धन के रूप में मिल जाती थी, वही उसकी सम्पत्ति होती थी शेष भूमि एवं मकान से सम्बन्धित सभी अधिकार अधिकांशतः पुरुषों के हिस्से में आते थे। यद्यपि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थिति परिवर्तित हुयी है परन्तु पितृसत्ता एवं परम्परा व संस्कृति के आधार पर आज भी अधिकांशतः महिलाएं सम्पत्ति में मकान व भूमि के अधिकार से वंचित ही है। परिवार व सामाजिक संरचना में स्थापित पुरूष सत्ता तथा परम्परा व संस्कृति का ही प्रभाव है जिसमें मकान व भूमि विरासत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी पुरूषों को ही हस्तान्तरित हुई है और महिलाओं ने भी स्वयं अपने अधिकारों की मांग नहीं की है क्योंकि उनका समाजीकरण ही इसी के साथ होता है कि तुम तो दूसरे घर जाओगी, मालिक तो भाई होगा तो सम्पत्ति भी उसी की हुई आदि। भारतीय सन्दर्भ में देखें तो उत्तराधिकार हो या महिलाओं के अन्य अधिकार या स्थिति जो कि परम्परागत सत्ता की देन हैं उनको कानूनी सत्ता आज भी पूरी तरह परिवर्तित नहीं कर सकी है। अतः सत्ता एवम् संस्कृति दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इनके अन्तर्सम्बन्ध सदैव ही जटिल रहे हैं। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के विभिन्न प्रकारों यथा- पारम्परिक, करिश्माई और तार्किक-विधिक पर ध्यान दें तो स्पष्ट है कि तार्किक-विधिक सत्ता ही आज सबसे अधिक प्रभावी है, लेकिन महिला उत्तराधिकार एवम् उनकी प्रस्थिति के सन्दर्भ में देखें तो इसी के समानान्तर पारम्परिक सत्ता अर्थात् पितृसत्तात्मक व्यवस्था भी चलती रहती है। पारंम्परिक सामाजिक संरचना एवं सत्ता में पुरूषों का महिलाओं पर वर्चस्व रहा है और स्त्री के अधिकार पुरूषों से निम्नतर ही रहें हैं, यद्यपि वर्तमान समय में स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों एवं अधिकारों में परिवर्तन हुआ है और तार्किक-विधिक सत्ता व संविधान द्वारा स्त्री के अधिकार क्षेत्र व सम्मान की व्यवस्था की गयी है जिससे एक समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। **यद्यपि** समाज में समय-समय पर सरकार द्वारा, राज्य

❑ शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान एवं समाजकार्य विभाग, डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)

कानून द्वारा व नीति निर्माताओं ने महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु कानून बनाये हैं और आवश्यकतानुसार उनमें संशोधन भी हुआ है। इन्हीं सकारात्मक पहल में से एक है हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम (2005)। इसके अनुसार हिन्दू (सिक्ख, बौद्ध, जैन भी) धर्म में अब पुत्रियों का पैतृक सम्पत्ति में उतना ही अधिकार है जितना कि पुत्रों का। यह संशोधित अधिनियम 1956 के उत्तराधिकार अधिनियम का सुधारात्मक रूप है और यह 9 सितम्बर 2005 से प्रभावी हुआ जिसमें हिन्दू महिलाओं के सम्पत्ति के अधिकार को वृहद रूप दिया गया है जिसका संक्षेप में विवरण अग्रांकित है :-

1. इसके अन्तर्गत 1956 के अधिनियम की धारा (6) में संशोधन करते हुय पुत्र के साथ पुत्री को भी (मिताक्षरा शासित परिवार में) जन्म से ही पैतृक सम्पत्ति में स्वतंत्र रूप से अधिकार दिया गया।
2. 2005 के अधिनियम द्वारा पुत्री अविवाहित हो या विवाहित उसे पुत्र के समान ही पैतृक सम्पत्ति में रहने एवं विभाजन का पूरा अधिकार दिया गया।
3. विधवा महिला (पुत्र की, पौत्र की, भाई की) यदि पुनः विवाहित हो तो भी वह उत्तराधिकाकार की अधिकारी होगी।
4. भूमि के सम्बन्ध में 1956 के अधिनियम की धारा 4 (II) को हटाकर कृषि भूमि में राज्य स्तरीय नियम समाप्त कर पुत्र एवं पुत्री को समान रूप में अधिकार दिया गया।[1]

अतः संशोधित अधिनियम 2005 से ही पुत्र एवं पुत्री दोनों को ही जन्म से पैतृक सम्पत्ति में स्थान दिया गया। परन्तु कानूनी तौर पर कुछ अधिकार अभी भी राज्य के कानून पर निर्भर है जैसे-कृषि भूमि पर राज्य के कानून ही लागू होते हैं। 2014 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने (अर्चना बनाम समेक के निदेशक और अन्य) कहा था कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम कृषि सम्पत्ति पर लागू नहीं होगा और इस मामले में पीड़ित महिला को पैतृक कृषि सम्पत्ति में किसी भी अधिकार से इनकार किया गया क्योंकि वह एक विवाहित महिला थी।[2] अतः भूमि उत्तराधिकार में कानून विवाहित की तुलना में अविवाहित को ज्यादा महत्व देता है, यद्यपि उत्तर प्रदेश राज्य कानून में भूमि व्यवस्था को समान रूप से लागू करने के लिये प्रयास किया जा रहा है। अब यदि कानूनी आधार पर देखा जाये तो उत्तराधिकार निर्धारण में 2005 से पुत्र एवं पुत्री को समान महत्व देकर एक समतामूलक समाज की स्थापना का प्रयास किया गया है जो कि लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। वैसे तो यह कानून आये एक दशक हो गया है परन्तु भूमि एवं मकान के स्वामित्व में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है और प्रस्तुत अध्ययन में इस अधिनियम के सामाजिक प्रभाव को ही देखने का प्रयास किया गया है कि जिस आधी आबादी के लिये यह सुधारात्मक पहल हुई है उनका स्वयं का क्या दृष्टिकोण है? क्योंकि आज भी महिलाओं का भूमि स्वामित्व का प्रतिशत बहुत ही कम है और यह कारक आंशिक रूप में ही सही, अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं न कहीं दहेज मृत्यु या वैवाहिक हिंसा के लिये जिम्मेदार है क्योंकि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होने के कारण भी यह सब सहती रहती हैं। अग्रवाल[3] ने वैवाहिक हिंसा के शारीरिक एवं मनौवैज्ञानिक और सम्पत्ति के स्वामित्व को महिलाओं की स्थिति से जोड़कर देखा और पाया कि जिन महिलाओं के पास भूमि या घर, चल सम्पत्ति थी उन्हें सम्पत्ति विहीन की तुलना में कम वैवाहिक हिंसा का शिकार होना पड़ा। अतः कानूनी तौर पर महिलाओं को बहुत से अधिकार प्राप्त है परन्तु अपने अधिकारों को लेने के लिये उन्हें स्वयं आगे आकर पहल करनी होगी तभी उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होगा।

सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य एवम् महत्व :- प्रस्तुत अध्ययन महिला सम्पत्ति अधिकार विषय पर केन्द्रित है अतः यह सैद्धान्तिक रूप में लिंग के समाजशास्त्र से सम्बन्धित है। नारीवादी आंदोलनों में ही महिला सम्पत्ति अधिकार को मुख्य रुप से लैंगिक समानता से जोड़कर देखा गया। मार्क्सवादी नारीवाद के अनुसार पुरूषों द्वारा निजी सम्पत्ति के स्वामित्व के आधार पर पूंजीवाद की स्थापना के साथ ही महिलाओं को सम्पत्ति और सामाजिक स्थिति में निम्न दर्जा दिया गया।[4] अध्ययन में लैंगिक आधार पर हिन्दू स्त्री के समाज एवं परिवार में उनके सम्बन्ध एवं स्थिति के विश्लेषण का प्रयास किया गया है तथा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तराधिकार कानून के सामाजिक व सांस्कृतिक पक्ष एवं उनके अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन किया गया है जिससे कि कुछ नवीन तथ्यों पर प्रकाश डाला जा सके जो कि महिला अध्ययन में उपयोगी हों।

साहित्य समीक्षा

किशवर मधु एवं रूथ वनिता[5] ने अपने महिला सम्पत्ति अधिकार को लेकर समाज में व्याप्त ऐसे कारणों

पर प्रकाश डाला है जिससे हिन्दू महिलाओं को 1956 के अधिनियम में जो सम्पत्ति का अधिकार मिला वास्तविकता में महिलाएं उससे वंचित ही हैं, जैसे- दहेज ही बेटी को मिलने वाला हिस्सा है, ऐसा होने से भाई-बहन में प्यार खत्म हो जायेगा, औरतें सम्पत्ति संभाल नहीं पायेंगी और ससुराल भी तो है आदि मिथक जिनके कारण महिलाएं आज भी पैतृक सम्पत्ति में अपने अधिकार के लिये संघर्ष कर रही हैं।

मुल्ला[6] के अनुसार हिन्दू महिलाओं के सम्पत्ति अधिकारों को स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर से एक विचारणीय विषय माना जाता है, और आपका तर्क है कि इस मुद्दे की जड़ें धार्मिक-कानूनी और सामाजिक-सांस्कृतिक दोनों क्षेत्रों से जुड़ी हैं। आपके अनुसार इस विषय पर सामाजिक-सांस्कृतिक, कानूनी और धर्म निरपेक्ष तत्वों के बीच एक अच्छे समन्वय और संतुलित विचार-विमर्श की आवश्यकता है जिससे पारम्परिक हिन्दू समाज में महिलाओं को समान अधिकार मिल सके।

सुनीता[7] का अध्ययन 300 महिलाओं के प्रतिदर्श पर आधारित है तथा अध्ययन क्षेत्र के रुप में आगरा शहर को चुना गया है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं अन्वेषणात्मक शोध पद्धति के द्वारा उत्तराधिकार कानून से स्त्रियों को जो सम्पत्ति का अधिकार दिया गया है उसका पितृसत्तात्मक संस्कृति से सम्बन्ध देखने का प्रयास किया गया है। निष्कर्ष रूप में यह पाया गया है कि कानूनी आधार पर भले ही स्त्री को अधिकार मिल रहे हैं वह स्वतंत्र है परन्तु सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर वह अधीन ही है।

अध्ययन के उद्देश्य :-

(1) हिन्दू महिलाओं की पारिवारिक स्थिति का अध्ययन करना।

(2) ऐसे कारकों की छानबीन करना जो हिन्दू महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार का दावा करने में अवरोधक है।

शोध पद्धति

शोध अभिकल्प- प्रस्तुत अध्ययन में शोध के उद्देश्यों एवं प्रकृति के आधार पर अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया गया है।

निदर्शन - अध्ययन में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की सभी हिन्दू महिलाओं का चयन किया गया जो कि अध्ययन के उद्देश्यों को पूरा करती हों। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में 200 हिन्दू महिला उत्तरदाताओं का चयन उनके शैक्षणिक स्तर, व्यवसायिक स्तर, वैवाहिक स्थिति एवं परिवारिक स्थिति के आधार पर साक्षात्कार अनुसूची के लिये किया गया था।

अध्ययन का क्षेत्र- अध्ययन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर का चयन अध्ययन क्षेत्र के रूप में किया गया है। गंगा यमुना नदियों के संगम पर अवस्थित यह शहर सांस्कृतिक होने के साथ-साथ न्यायिक-विधिक व शैक्षणिक केन्द्र भी है जो कि शोध समस्या की प्रकृति के आधार पर अध्ययन हेतु उपयुक्त है। प्रयागराज शहर व्यवस्थित विकास हेतु कुल 80 वार्ड एवं 5 जोन में विभाजित है जिसमें 4 वार्डो का चयन दैव निदर्शन प्रणाली से किया गया है जो कि (i) अल्लापुर (iii) ममफोर्डगंज (iii) गोविन्दपुर (iv) सिविल लाइन्स हैं।

अध्ययन की इकाई - प्रयागराज शहरी क्षेत्र में आने वाले हिन्दू परिवारों में से 18 वर्ष से ऊपर की सभी आयु वर्ग की हिन्दू महिलाओं का चयन अध्ययन की इकाई के रूप में किया गया है।

तथ्य संकलन के उपकरण एवम् प्रविधि- अध्ययन में तथ्यों का संकलन प्राथमिक एवम् द्वितीयक दोनों ही स्रोतों से किया गया है जहां प्राथमिक उपकरण के रूप में साक्षात्कार अनुसूची को शामिल किया गया है। यद्यपि शहरी क्षेत्र होने से अधिकांश उत्तरदाता शिक्षित थे परन्तु अशिक्षित व अल्प शिक्षित उत्तरदाताओं से साक्षात्कार व असहभागी अवलोकन विधि द्वारा तथ्यों का संकलन किया गया है। द्वितीयक स्रोतो में पत्र-पत्रिकाओं, रिपोर्ट एवम् अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदनों को शामिल किया गया है। संग्रहीत आंकड़ों के सम्पादन एवम् संकेतन के पश्चात आंकड़ों के विश्लेषण के लिये विंडोज आधारित प्रोग्राम का उपयोग किया गया जिसमें प्राप्त आंकड़ों को सारणीबद्ध करके सरल आवृत्ति एवम् प्रतिशत के द्वारा परिणामों का विश्लेषण किया गया।

विश्लेषण

अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त तथ्यों का प्रस्तुतीकरण एवम् विश्लेषण निम्नवत है-

तालिका क्रमांक-1
उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति एवं आयु समूह

आयु समूह A	आवृत्ति N = 200	वैवाहिक स्थिति			
		अविवाहित	विवाहित	तलाकशुदा/ परित्यक्ता	विधवा
18-28	50 (25%)	50	0	0	0
28-38	66 (33%)	22	39	5	0
38-48	43(21.5%)	5	34	4	0
48-58	21(10.5%)	0	0	6	15
58 से अधिक	20 (10%)	0	5	3	12
योग	200	77	78	18	27

तालिका 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्ययन में सम्मिलित कुल 200 हिन्दू महिलाओं को पांच आयु समूहों में विभाजित किया गया है जिसमें 18-28 आयु वर्ग में कुल 50 अविवाहित महिलाएं है जो कि कुल संख्या का 25 प्रतिशत हैं। 28-38 आयु वर्ग में कुल 66 (अविवाहित, विवाहित, तलाकशुदा) महिलाएं है जो कि 33 प्रतिशत हैं। 43 महिलाएं (अविवाहित, विवाहित, तलाकशुदा) 38-48 वर्ष में सम्मिलित हैं जो 21.5 प्रतिशत हैं। 21 महिलाएं (तलाकशुदा, विधवा) 48-58 वर्ष के आयु समूह में हैं जो 10.5 प्रतिशत हैं। 58 वर्ष से अधिक में 20 महिलाएं हैं जो कि कुल संख्या का 10 प्रतिशत हैं। अतः अध्ययन में 28 से 38 वर्ष के बीच में सर्वाधिक महिलाएं थीं जो कि विवाहित/तलाकशुदा एवं अविवाहित दोनों ही श्रेणी में थी।

तालिका क्रमांक-2
उत्तरदाताओं की शैक्षणिक योग्यता एवं श्रेणी समूह

श्रेणी	शैक्षणिक स्तर	कुल संख्या	प्रतिशत (%)	उच्चतम शैक्षणिक योग्यता					कुल योग
				प्राथमिक से माध्यमिक	हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट	स्नातक	परास्नातक	अन्य योग्यता	
सामान्य	शिक्षित (80)	85	94.11%	7	15	26	20	12	80
अन्य पिछड़ा	शिक्षित (63)	68	92.64%	2	0	27	24	10	63
अनुसूचित जाति	शिक्षित (17)	45	37.77%	0	0	10	4	3	17
अनु0 जनजाति	शिक्षित (2)	2	100%	0	0	1	0	1	2
योग	162	200	81%	9	15	64	48	26	162

तालिका क्रमांक 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र शहरी होने से अधिकांशतः 81 प्रतिशत महिलाएँ शिक्षित हैं तथा सिर्फ 38 (19 प्रतिशत) महिलाएँ ही अशिक्षित हैं। सामान्य श्रेणी में सर्वाधिक 94.11 प्रतिशत महिलाएँ शिक्षित हैं जिसमें अधिकांशतः महिलाएँ स्नातक (26) है, साथ ही (12) महिलाएँ अन्य योग्यता (व्यवसायिक/तकनीकि) रखती हैं। ओ0बी0सी0 श्रेणी समूह में 92.64 प्रतिशत महिलाएँ शिक्षित हैं और सर्वाधिक (27) महिलाएँ स्नातक हैं और 10 महिलाएँ ऐसी हैं जो कि अन्य योग्यता रखती हैं। अनुसूचित जाति में कुल 37.77 प्रतिशत महिलाएँ ही शिक्षित मिली जिसमें सर्वाधिक 10 महिलाएँ स्नातक योग्यता रखती थीं और 3

महिलाएँ ऐसी थीं जो व्यवसायिक व तकनीकि योग्यताधारी थीं, शहरी क्षेत्र होने पर भी अनूसूचित जाति में शिक्षित का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा है यह एक सोचनीय मुद्दा है। अध्ययन में अनुसूचित जनजाति की सिर्फ 2 महिलाएं मिलीं और दोनों ही शिक्षित थीं जिसमें स्नातक योग्यता व अन्य योग्यता रखती हैं अर्थात् अनुसूचित जनजाति (2) में सर्वाधिक शिक्षित 100 प्रतिशत महिलाएँ थी।

तालिका क्रमांक-3

हिन्दू महिलाओं की पारिवारिक संरचना एवम् स्थिति

वैवाहिक स्थिति	परिवार का प्रकार		परिवार का मुखिया				परिवार में मुख्य निर्णय कर्ता			
	संयुक्त	एकल	पुरूष	स्त्री	दोनों	स्वयं/पुत्र	पुरूष सदस्य	स्त्री सदस्य	पति पत्नी	स्वयं/ पुत्र
अविवाहित (77)	70	7	70	0	7	0	70	0	7	0
विवाहित (78)	18	60	43	17	18	0	18	0	60	0
तलाकशुदा/ अलग रहना परित्यकता (18)	5	13	5	0	5	8	5	3	0	10
विधवा (27)	17	10	12	0	5	10	12	5	0	10
N = 200	110	90	130	17	35	18	105	8	67	20

तालिका-3 के अवलोकन से ज्ञात है कि अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (110) महिलाएं संयुक्त परिवारों से थीं जिसमें सर्वाधिक 70 अविवाहित महिलाएं संयुक्त परिवार से थीं और इनमें परिवार के मुखिया के रुप में एवम् निर्णय लेना दोनों में पुरूषों की ही मुख्य भूमिका थी वहीं पर 7 अविवाहित महिलाएं एकल परिवार से थीं जहां पर परिवार के कर्ता के रुप में स्त्री-पुरूष दोनों एवं निर्णय भी पति-पत्नी मिलकर लेते थे। विवाहित महिलाओं में कुल 78 महिलाओं में से 18 महिलाएं संयुक्त परिवार से थीं तथा 60 महिलाएं एकल परिवार से भी इनमें ज्यादातर 43 महिलाओं के परिवार में मुखिया पुरूष ही थे तथा 17 महिलाएं ऐसी भी थीं जिनके परिवार में वही मुखिया थीं और 18 महिलाओं के यहां दोनों ही थे। 60 महिलाएं जो एकल परिवार से है वहां पर मुखिया के रूप में पुरूष ही हो परन्तु निर्णय पति एवम् पत्नि दोनों ही मिलकर करते थे वहीं 18 परिवारों में सिर्फ पुरूषों द्वारा ही निर्णय लिये जाते थे। यहां पर तलाकशुदा में वे सभी हिन्दू महिलाएं हैं जिनका तलाक हो चुका है या पति ने छोड़ दिया है या वे स्वयं ही अलग रहने लगी हैं। इनमें से कुल 18 महिलाओं में से 13 एकल हैं तथा 5 संयुक्त परिवार अर्थात मायके में रहती हैं जिनमें 13 एकल महिलाओं में मुखिया के रूप में वह है या पुत्र और निर्णय भी उन्हीं के द्वारा वयस्क पुत्र द्वारा लिये जाते हैं। कुल 27 विधवा में से 17 संयुक्त परिवार से थीं और 10 एकल परिवार से सम्बन्धित थीं। कुछ विधवा (27) महिलाओं में 12 ऐसी महिलाएं थीं जहाँ परिवार के मुखिया पुरूष ही थे और 10 ऐसी महिलाएं थीं जहाँ वह स्वयं या पुत्र मुखिया के रुप में थे और 5 विधवा महिलाएं जो संयुक्त परिवार में भी वहाँ दोनों ही मुखिया थे और निर्णयकर्ता भी थे।

तालिका क्रमांक-4
हिन्दू महिलाएं एवं उत्तराधिकार

प्रश्न (Query)	प्रतिक्रिया (हाँ)			
	चर (Varriable)	आवृत्ति	कुल संख्या	प्रतिशत
क्या आप पैतृक सम्पत्ति में भाइयों के समान ही स्वयं का भाग/हिस्सा लेना चाहती है?	**वैवाहिक स्थिति**			
	अविवाहित	……	77	……..
	विवाहित	25	78	32.05%
	विधवा	……	27	……
	तलाकशुदा	3	18	16.66%
	शैक्षणिक स्थिति			
	शिक्षित	28	162	17.3%
	अशिक्षित	……	38	……
	व्यवसायिक स्थिति			
	कार्यशील	20	61	32.78%
	गृहणी	8	90	8.88%
	विद्यार्थी/अन्य	……	49	……
योग = 200		28		14%

तालिका क्रमांक 4.1
पैतृक सम्पत्ति में दावा (Claim) न करने के कारण

प्रश्न (Query)	प्रतिक्रिया (नहीं)						
	चर (Varriable)	आवृत्ति	माता - पिता की निम्न आर्थिक स्थिति	भाई का अधिकार है	समाजिक रीति-रिवाज	आत्म निर्भर है	छात्र 200
यदि पैतृक सम्पत्ति में अपना भाग नहीं लेना चाहती तो उसका कारण क्या है?	**शैक्षणिक स्थिति**						
	शिक्षित	162	9(5.55)	26(16.04)	56(34.56)	14(8.64)	105
	अशिक्षित	38	---------	……	……	……	(52.5)
	व्यवसायिक स्थिति						
	कार्यशील	61	……	……	26(42.62)	14(22.95)	105
	गृहणी	90	9(10)	26(28.88)	30(33.33)	……	(52.5)
	वैवाहिक स्थिति						
	अविवाहित	77	9 (11.68)	26(33.76)	42(54.54)	14(17.94)	105
	विवाहित	78	……	……	14(17.94)	……	(52.5)
	विधवा	27	……	……	……		
	तलाकशुदा	18		……	……		

तालिक 4 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विवाहित (78) महिलाओं के एक छोटे प्रतिशत (32.05 प्रतिशत) ने कहा कि वे पैतृक सम्पत्ति में अपना भाग लेना चाहेगी वहीं पर तलाकशुदा (18) महिलाओं में से 3 (16.66 प्रतिशत) महिलाएं ऐसा चाहती थी क्योंकि वह आर्थिक रूप से सबल नहीं थी। इसके बाद कुल शिक्षित (162)

महिलाओं में से सिर्फ 28 (17.3 प्रतिशत) पैतृक सम्पत्ति में समान हिस्सेदारी के लिये तैयार थी तथा उनका कहना था कि सम्पत्ति का एक भाग मिलने न मिलने से कोई अमीर या गरीब नहीं होता बात यहां पर लैंगिक समानता की है इसलिये यह सकारात्मक है और सबको लेना चाहिए। कार्यशील (61) महिलाओं में 20 (32.78 प्रतिशत) ने कहा कि वह अपना भाग लेना चाहेंगी वहीं पर गृहणी (90) में यह प्रतिशत 8.88 रहा है। अतः अध्ययन में शामिल कुल 200 महिलाओं में से सिर्फ 14 प्रतिशत का ही मानना था कि लैंगिक समानता की दिशा में यह सकारात्मक पहल है और वह अपना भाग लेना चाहेंगी क्योंकि यह उनका अधिकार है और उसमें कुछ भी गलत या नकारात्मक नही हैं।

तालिका 4.1 से स्पष्ट है कि शिक्षित (162) महिलाओं का एक बड़ा भाग पैतृक सम्पत्ति में अपना भाग नहीं लेना चाहतीं जिसमें 5.55 प्रतिशत महिलाओं के माता-पिता की आर्थिक स्थिति निम्न थी, 16.04 प्रतिशत महिलाओं का मानना था कि भाई का अधिकार है, लड़कियों को शादी में मिल जाता और सर्वाधिक 34.56 प्रतिशत ने कहा ऐसा नहीं होता रीति-रिवाज और परम्परा में शामिल नहीं है। वहीं 8.64 प्रतिशत महिलाएं आत्म निर्भर थीं इसलिये आवश्यकता नहीं थी। कार्यशील (61) महिलाओं में 22. 95 प्रतिशत आत्म निर्भर थीं और 42.62 प्रतिशत ने कहा कि ऐसा रीति-रिवाज नहीं है अभी। अविवाहित (77) महिलाएं पैतृक सम्पत्ति में भाग लेना ही नहीं चाहती जिसमें 11.68 प्रतिशत ने कहा कि माता-पिता के पास सिर्फ कुछ भूमि है निम्न आर्थिक स्थिति के कारण नहीं लेंगी, 26(33.76 प्रतिशत) का विचार था कि भाई का अधिकार है जन्म से ही और मांग करने पर विवाद होगा, सर्वाधिक 42(54.54 प्रतिशत) महिलाओं का कहना था कि केवल पुरूष सदस्य को ही सम्पत्ति विरासत में मिली है दावा करने का रिवाज नहीं है तो नहीं कर सकते अगर प्रचलन में आ जाये तो सोचेंगे। विवाहित (78) महिलाओं में भी 17.94 प्रतिशत परम्परा के कारण नहीं लेना चाहती और 17.94 प्रतिशत महिलाएं आत्मनिर्भर है, आर्थिक रूप से सक्षम होने से आवश्यकता नहीं।

इसके अतिरिक्त अध्ययन में सम्मिलित कुल 200 हिन्दू महिलाओं में से 14 महिलाएं ऐसी थीं जिन्हें पैतृक सम्पत्ति में कुछ भाग मिला था जिनमें विधवा (7) तलाकशुदा/परित्यक्ता या अलग रहने वाली (2), विवाहित (5) थीं, इनमें से कुछ महिलाओं को वारिस होने के कारण ही सम्पत्ति मिली है जैसे- भाई का न होना, इकलौती होने पर आदि और 49 महिलाओं अर्थात 24.5 प्रतिशत ने आवश्यकतानुसार विकल्प का जवाब दिया अर्थात यदि भविष्य में कभी आवश्यकता हुई तो वह अपने इस अधिकार का उपयोग जरूर करेंगी अन्यथा नहीं साथ ही 4 महिलाओं का कहना था कि यदि पिता व भाई प्रसन्नता से दे तो वह ले सकती है अन्यथा सम्पत्ति के लिये सम्बन्ध नहीं खराब करेंगी। पंकजा.पी.बी.[8] का भी यही निष्कर्ष रहा है कि हम किसी कानून को समाज के साथ जोड़ सकते हैं लेकिन सामाजिक व्यवहार को कानून के साथ सहजता से नही जोड़ सकते और हिन्दू महिला सम्पत्ति उत्तराधिकार में पारम्परिक सत्ता, प्रथा, परम्परा आदि एक सामाजिक अवरोध के रुप में इतनी गहराई से समाज में बैठी है कि हम किसी भी विधिक न्याय व सुधार को पूरी तरह ला ही नही सकते जब तक कि समाज स्वयं को न बदले। महिला सम्पत्ति अधिकार को लेकर तो समाज की विचारधारा परिवर्तित हो इसके साथ-साथ महिलाओं को भी स्वयं अपने अधिकार के लिये आगे आना होगा और पुरूषों को भी इस बारे में सोचना होगा।[9] उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में जागरूकता को लेकर आगरा शहर में हिन्दू महिलाओं के अध्ययन में जो तथ्य सामने आये वह ये थे कि आज भी अधिकांश महिलाएं अधिनियम को जानती ही नही और सम्पत्ति के अधिकार को लेकर वह उदासीन भी हैं।

निष्कर्ष व सुझाव :- संग्रहीत प्रदत्तों के विश्लेषण एवं व्याख्या के उपरान्त जो तथ्य सामने आये हैं, निष्कर्ष के रूप में इस प्रकार हैं :-

अध्ययन क्षेत्र नगरीय होने के कारण तथा वर्तमान समय में शिक्षा के समान अवसर भी प्राप्त होने से अधिकांश महिलाएं शिक्षित थीं तथा अपने अधिकार के बारे में जागरूक थीं अर्थात निर्णय/अधिकार लेने व देने के लिये शिक्षित व जागरूक होना आवश्यक है तभी हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं या संघर्ष कर सकते हैं। अध्ययन क्षेत्र नगरीय होने के बाद भी अधिकांश महिलाएं संयुक्त परिवार से थीं इससे यह परिलक्षित होता है कि नगरीय क्षेत्र में अभी भी समष्टिवादी विचारधारा का प्रभाव है। सामान्यतः संयुक्त परिवारों में स्त्रियों की निम्न स्थिति होती है जो कि महिलाओं की पारिवारिक स्थिति के विश्लेषण में स्पष्ट रूप से दिखा कि संयुक्त परिवार में

अधिकांशतः मुखिया की भूमिका में पुरूष सदस्य ही थे तथा निर्णयकर्ता भी वहीं थे अर्थात् संयुक्त परिवारों में आज भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था व संस्कृति कहीं न कहीं विद्यमान है। अतः संयुक्त हिन्दू परिवारों में परम्परागत सत्ता की भांति पारिवारिक सत्ता में पुरूष का पद आज भी मुख्यकर्ता एवं निर्णयकर्ता के रूप में स्वीकृत है। वहीं पर एकल परिवार में मुखिया के रूप में अधिकतर पुरूष ही थे परन्तु कोई भी निर्णय पति-पत्नी या सभी सदस्य मिलकर लेते थे अर्थात संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकल परिवार में रहने वाली महिलाएं ज्यादा स्वतंत्र थीं और वह परिवार में एक प्रबंधक की स्थिति में थी न कि दासी या परिचारिका।

वर्तमान में महिलाएं अब अपने हितों के प्रति सजग हो रही हैं और उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी है यद्यपि ज्यादातर महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार की जानकारी थी परन्तु एक छोटा भाग सिर्फ 14 प्रतिशत महिलाएं ही पैतृक सम्पत्ति में अपना हिस्सा लेना चाहती थीं और उनके विचार स्पष्ट थे कि यह उनका अधिकार है और लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। अधिकांश (52.5 प्रतिशत) महिलाएं ऐसी थीं कि वो पैतृक सम्पत्ति में अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती और जो कारक प्रमुख रूप से सामने आये हैं इसके लिये वह है-रीति-रिवाज, संस्कृति, परम्परा, भाई का अधिकार आदि। अधिकतर महिलाओं का कहना था कि ऐसी परम्परा नहीं है अगर यह प्रचलन में आये जाये तो वह लेंगी ऐसे में नहीं क्योंकि भाई-बहन के बीच में विवाद बढ़ेगा और फिर मायके से सम्बन्ध खराब हो सकते हैं इसलिये अगर पिता, भाई खुशी से दे तो वह लेंगी लेकिन कानूनी रूप से नहीं। तलाकशुदा महिलाएं जिनके सामने आर्थिक समस्याएं थीं और मायके में भूमि थी वह चाहती थीं लेना लेकिन यह उनके लिये आसान प्रक्रिया नहीं थी क्योंकि वह आर्थिक रूप में सक्षम नहीं थीं। अतः निष्कर्षतः कह सकते हैं कि आज भी हिन्दू महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तो हैं परन्तु उनका दृष्टिकोण संस्कृति प्रधान है जोकि एक अवरोध के रुप में है। कानूनी सत्ता को सर्वमान्य होते हुये भी पारम्परिक सत्ता व संस्कृति से सहज स्वीकृत नहीं मिलती जिससे समाज की विचारधारा परिवर्तित हो सके। अतः इस दिशा में राज्य सरकार या महिला आयोग द्वारा जमीनी स्तर पर जागरूकता एवं उपलब्धिपरक कार्यक्रम करने चाहिये जिससे महिलाएं साथ ही साथ पुरूष भी इसे सहजता से ले सकें तथा एन0जी0ओ0 के माध्यम से उन महिलाओं के लिये पटल बनाया जाना चाहिये जिनके सामने जीवन यापन की समस्या है और वह पैतृक सम्पत्ति में अपना हिस्सा लेना चाहती हैं।

सन्दर्भ

1. केसरी, यू0पी0डी0, 'हिन्दू विधि', सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2016, पृ0 274-275
2. शर्मा, गायत्री, 'भारत में हिन्दू महिलाओं के लिये सम्पत्ति का अधिकारः मिथक और वास्तविक्ता', हम सबला (जागोरी), अक्टूबर 2017-सितम्बर 2018, पृ0 18-20
3. Panda, Pradeep & Agrawal, Bina, 'Marital Violence Human Development and Women's Property status in India', World Development. Vol-33, No-5, 2005, PP. 823-850
4. परमार शुभ्रा, 'नारीवादी सिद्धान्त और व्यवहार', ओरियंट ब्लैक-स्वॉन, हैदराबाद, 2017, पृ0 45
5. Madhu Kishwar & Ruth Vanita, 'Inheritance rights for women : A Response to some commonly expressed fears', Manushi,Issuee No-57, 1990, PP. 3-15
6. Mollah, I.H., 'Hindu Women's Right to Property at the crossroads: The tension between Human Rights and Cultural Relativism',Journal of society and change, August 2015, P. 8
7. सुनीता, 'पुरूष सत्तात्मक संस्कृति : उत्तराधिकार अधिनियम के सन्दर्भ में सामाजिक अवरोधकों की विवेचना', Asian Journal of Educational Research & Technology, Vol 6(3), July, 2016, PP. 76-81
8. Pankaja, P.B., 'Women's Right to Inherit Under Hindu Succession Act-1956 as Amended in 2005- Legal Entitlements and Social Barriers', International Journal of Research in Applied Natural and Social Sciences, Vol.4, Issue 9, 2016
9. सुनीता, 'हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एवं सम्बद्ध संशोधनों का एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण', शोध मंथन, VOL-VII, NO-2, 2016 पृ0 6
10. सिंह, रामगोपाल, 'सामाजिक अनुसंधान पद्धति विज्ञान', मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ आकदमी, भोपाल, 2014

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 22 अंक 1, जनवरी-जून 2020
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

वर्तमान परिदृश्य में लैंगिक समानता - एक विश्लेषण (असंगठित क्षेत्र में कार्यरत प्रवासी महिलाओं के विशेष संदर्भ में)

❑ डॉ. वर्षा पटेल

देश को आजादी मिलने के पश्चात् भारतीय संविधान ने महिलाओं के प्रति संवेदना दिखाते हुए, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये, और आजाद देश की सरकारों ने महिलाओं के हितों में समय समय पर अनेक कानून बनाये, शिक्षा के प्रचार प्रसार को महत्व दिया गया और बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्त्रियां हमारी सभ्यता की मेरूदंड कही जाती हैं, किंतु कालांतर में ये पुरूष की तुलना में काफी उपेक्षित रहीं हैं। प्रवासी महिला श्रमिक जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनकी समस्याओं का अध्ययन आज की परिस्थितियों में अत्यंत ही प्रासंगिक है। इस वर्ग पर शोध काफी कम हुये हैं अतः इस विषय पर शोध की अत्यंत आवश्यकता है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की कार्यस्थल पर लैंगिक समानता की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों को लिंग भेद के कारण किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? असंगठित क्षेत्र में कार्यदशायें किस प्रकार की हैं? सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्न अधिनियमों का किस सीमा तक लाभ उन्हें मिल रहा है? इन्हीं तथ्यों को इस शोध पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। महिला श्रमिकों को शिक्षित करने के साथ-साथ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने की भी आवश्यकता है ताकि वे स्वयं अपने अधिकारों को जाने व उनको प्राप्त न होने पर आवाज भी उठायें।

घर में सम्मान पाने, घरेलू हिंसा से बचने, एवं परिजनों के अपमान से बचने के लिए जब एक महिला आत्म निर्भर होने के लिए घर से बाहर निकलती है, तो उसे समाज और पुरुष सत्तात्मक सोच रखने वालों का सामना करना पड़ता है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सदियों से दयनीय रही है। उनका हर स्तर पर शोषण और अपमान होता रहा है. पुरुष प्रधान समाज होने के कारण सभी नियम, कायदे, कानून पुरुषों के हितों को ध्यान में रख कर बनाये जाते रहे। खेलने और शिक्षा ग्रहण करने की आयु में बेटियों की शादी कर देना और फिर बाल्यावस्था में ही गर्भ धारण कर लेना, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होता रहा है। स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण जीवन अनेक बीमारियों के साथ व्यतीत करना पड़ता था।

सदियों तक देश में विदेशी शासन होने के कारण उनकी समस्याओं की कहीं कोई सुनवाई भी नहीं की गयी, शिक्षा के अभाव में वे इसे ही अपना भाग्य मान कर सहती रहती थीं। इसके अतिरिक्त दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के कारण भी महिलाओं को कभी भी सम्मान से नहीं देखा गया। अक्सर परिवार में पुत्री के होने को ही अपने दुर्भाग्य की संज्ञा दी जाती रही है। इसी कारण परिवार में लड़की के जन्म को टालने के लिए हर संभव प्रयास किये जाते रहे, जो आज कन्या भ्रूण हत्या के रूप में भयानक रूप ले चुका है।

देश को आजादी मिलने के पश्चात् भारतीय संविधान ने महिलाओं के प्रति संवेदना दिखाते हुए, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये और आजाद देश की सरकारों ने महिलाओं के हितों में समय समय पर अनेक कानून बनाये, शिक्षा के प्रचार प्रसार को महत्व दिया गया और बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया । इस प्रकार से जनजागरण होने के कारण महिलाओं ने अपने अधिकार को पाने के लिए और पुरुषों द्वारा किये जा रहे अन्याय के विरुद्ध अनेक आन्दोलनों के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद की और समाज में पुरुषों के समान अधिकारों की मांग की। देश में महिला के हितों के लिए महिला आयोग का गठन किया गया, जो महिलाओं के प्रति होने वाले अन्याय के लिये संघर्ष करता है, उनके कल्याण के लिए शासन और प्रशासन से संपर्क कर महिलाओं की समस्याओं का समाधान कराता हैं।

साहित्य समीक्षा

ब्रेमन[1] ने अपने अध्ययन ''फुटलूज लेबरः वर्क्रिंग इन द इंडियन इनफार्मल इकोनामी" में यह पाया कि प्रवासियों को इतना कम वेतन दिया जाता है कि

❑ असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय, बिड़वाल, जिला-धार (म.प्र.)

वे अपनी निम्न स्थिति से ऊपर उठने में असमर्थ होते हैं, उनके काम का अधिकांश लाभ शोषणकारी मध्यस्थ एवं ठेकेदारों द्वारा प्राप्त किया जाता है।

भारत में महिलाओं की स्थिति पर अध्ययन हेतु गठित राष्ट्रीय समिति (1975)[2] द्वारा निर्माण कार्य में कार्यरत महिला श्रमिकों पर दो अध्ययन किये गये, एक पटना में (3 मुख्य प्रोजेक्ट) एवं दूसरा दिल्ली में (9 निर्माण कार्यस्थल)। इन अध्ययनों में महिलाओं की कार्यदशाओं का वर्णन है। महिलायें मुख्य रूप से अकुशल श्रमिक के रूप में मिट्टी, गारा एवं ईंट ढोना एवं हेंड पंप पर कार्य करती हैं। इन श्रमिकों की भर्ती या तो सीधे या ठेकेदार के द्वारा की जाती है। मजदूरी का भुगतान दैनिक या साप्ताहिक रूप से किया जाता है। बिहार में किये गये अध्ययन के अनुसार ठेकेदार ठेके पर कार्य करवाता है परंतु उसके श्रमिकों को दैनिक मजदूरी देता है, व स्वयं के लिये ज्यादा लाभ रखता है। श्रमिकों की हमेशा कम मजदूरी व अस्पष्ट कटौतियों की शिकायत रहती है। इस व्यवस्था में मजदूरी में भिन्नता, अन्यायपूर्ण अर्थदंड एवं कटौतियाँ दोनों अध्ययनों में पाई गईं। दिल्ली में हुये अध्ययन के अनुसार अर्थ दंड के भाग के रूप में जमादार 25-50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से उनकी मजदूरी में से बिना कोई कारण बताये काट दिये जाते थे। मध्यस्थों की उपस्थिति से मजदूरी दर और कम हो जाती है। बिहार के तीनों प्रोजेक्ट में महिलाओं व पुरूषों की मजदूरी में भिन्नता पाई गई है।

दिल्ली अध्ययन में 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं की पारिवारिक आय 200-300 रूपये के बीच थी। बिहार अध्ययन में औसत आय 194-334 रूपये थी। दोनों अध्ययनों में खर्च का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि उनकी आय का अधिकांश भाग भोजन व प्रतिदिन की अनिवार्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। दिल्ली में 37 प्रतिशत व 37.7 प्रतिशत बिहार में (58.7प्रतिशत अन्यवर्ग के व 10.3 प्रतिशत आदिवासी) ऋणग्रस्त थे। कर्ज लेने का मुख्य कारण बीमारी,रोजमर्रा के खर्चों के लिये व विवाह आदि हैं।

ये महिलायें मुख्य रूप से ग्रामीण गरीब हैं (77.6 प्रतिशत बिहार में व 86 प्रतिशत दिल्ली में) दिल्ली अध्ययन में राजस्थान से आये प्रवासी श्रमिक हैं। बिहार अध्ययन में 81 प्रतिशत ने अपना कार्य जीवन एक मजदूरी श्रमिक के रूप में शुरू किया। 12.7 प्रतिशत ने 15-20 वर्ष की आयु में मजदूरी श्रमिक के रूप में कार्य शुरू किया। दिल्ली अध्ययन में 40 प्रतिशत महिलायें 15-25 वर्ष आयुवर्ग, 40.6 प्रतिशत महिलायें 25-35 वर्ष आयु वर्ग व 19.3 प्रतिशत 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की हैं।

दिल्ली अध्ययन में 23 प्रतिशत महिलायें प्रसूतिकाल के आखिरी दिन तक, एवं 40 प्रतिशत आठवें एवं नौवें महीने तक कार्य करती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ठेका श्रम अधिनियम में जो मातृत्व हित लाभ के अंर्तगत अवकाश इन महिला श्रमिकों को प्राप्त नहीं होता, न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में गर्भकाल के दौरान कुपोषण के कारण अधिकतर बाल एवं मातृ मृत्यु होती हैं।

लैंगिक समानता से संबंधित वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, 2020 के अनुसार वैश्विक स्थिति[3]-
स्विटजरलैंड के विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum & WEF) ने 153 देशों के आँकड़ों के आधार पर वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट- 2020 (Gender Gap Report-2020) जारी की। इस रिपोर्ट में भारत 91/100 लिंगानुपात के साथ 112वें स्थान पर रहा। उल्लेखनीय है कि वार्षिक रूप से जारी होने वाली इस रिपोर्ट में भारत पिछले दो वर्षों से 108वें स्थान पर बना हुआ था। यह जेंडर गैप रिपोर्ट, स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा हर वर्ष जारी की जाती है। वर्ष 2006 में पहली बार जारी इस रिपोर्ट में चार बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मानकों पर व्यापक सर्वे और अध्ययन के आधार पर आँकड़े जारी किये जाते हैं, जो हैं-

स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता	राजनीतिक सशक्तीकरण
वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट- 2020	
शिक्षा का अवसर	आर्थिक भागीदारी और अवसर

प्रमुख बिंदुः
महिला स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता तथा आर्थिक भागीदारी के मामले में भारत इस रिपोर्ट में नीचे के पाँच देशों में सम्मिलित रहा जबकि भारत के मुकाबले हमारे पड़ोसी देशों का प्रदर्शन बेहतर रहा - बांग्लादेश (50वाँ), नेपाल (101),श्रीलंका (102वाँ), इंडोनेशिया (85वाँ) और चीन (106वाँ)।

रिपोर्ट में आइसलैंड को सबसे कम लैंगिक भेदभाव (Gender Neutral) वाला देश बताया गया। जबकि

यमन (153वाँ), इराक (152वाँ) और पाकिस्तान (151वाँ) का प्रदर्शन सबसे खराब रहा।

WEF के अनुमान के अनुसार, विश्व में फैली व्यापक लैंगिक असमानता को दूर करने में लगभग 99.5 वर्ष लगेंगे, जबकि इसी रिपोर्ट में पिछले वर्ष के आँकड़ों के आधार पर यह अवधि 108 वर्ष अनुमानित थी।

संगठन के अनुसार, इस वर्ष सुधार का कारण राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है (न्यूजीलैंड, फिनलैंड, हाँगकाँग आदि देशों में महिला प्रधानमंत्री शीर्ष नेता)।

रिपोर्ट के आधार पर प्रमुख निष्कर्ष-

स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता :

1. स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के क्षेत्र में भारत (150वाँ स्थान) का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है।
2. रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के चार बड़े देशों भारत, विएतनाम, चीन और पाकिस्तान में अभी भी करोड़ों की संख्या में ऐसी महिलाएँ हैं जिन्हें पुरुषों के सामान स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
3. भारत (91/100) और पाकिस्तान (92/100) में असमान शिशु लैंगिक जन्मानुपात को भी चिंताजनक बताया है।

राजनीतिक सशक्तीकरण और भागीदारी :

1. राजनीतिक सशक्तीकरण और भागीदारी में अन्य बिंदुओं की अपेक्षा भारत का प्रदर्शन (18वाँ स्थान) बेहतर रहा है।
2. लेकिन भारतीय राजनीति में आज भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बहुत ही कम है, आकड़ों के अनुसार, केवल 14 प्रतिशत महिलाएं ही संसद तक पहुँच पाती हैं (विश्व में 122वाँ स्थान)।
3. मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी केवल 23 प्रतिशत ही है (विश्व में 69वाँ स्थान)।
4. रिपोर्ट के अनुसार, भारत के इस बेहतर प्रदर्शन का कारण यह है कि भारतीय राजनीति में पिछले 50 में से 20 वर्षों में अनेक महिलाएँ राजनीतिक शीर्षस्थ पदों पर रही है। (इंदिरा गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता आदि)
5. आँकड़ों के अनुसार, आज विश्व के विभिन्न देशों में 25.2 प्रतिशत महिलाएँ संसद के निचले सदन का हिस्सा हैं, जबकि 21.2 प्रतिशत मंत्रिपद संभाल रही हैं, जो कि पिछले वर्ष के अनुपात (24.1 प्रतिशत और 19 प्रतिशत) से बेहतर है।
6. WEF के अनुमान के अनुसार, इस राजनीतिक असमानता को दूर करने में 95 वर्ष लग जाएँगे, जबकि पिछले वर्ष के आँकड़ों के अनुसार इसका अनुमान 107 वर्ष था।

शिक्षा के अवसर :

1. महिलाओं के लिये शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता के मामले में भारत का स्थान विश्व में 112वाँ है।
2. जबकि इस आँकड़े में पिछले वर्ष भारत का स्थान 114वाँ और 2017 में 112वाँ स्थान रहा था।
3. महिला साक्षरता के मामले में भारत का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है, पुरुषों के मुकाबले (82 प्रतिशत साक्षर) केवल दो-तिहाई महिलाएँ ही साक्षर हो पाती हैं।

आर्थिक भागीदारी और अवसर :

1. रिपोर्ट के अनुसार, 2006 में पहली बार प्रकाशित आकड़ों की तुलना में आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के लिये सक्रिय भागीदारी के अवसरों में कमी आई है।
2. 153 देशों में किये गए सर्वे में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत राजनीतिक क्षेत्र से कम है।
3. श्रमिक बाजार में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पुरुषों (82 प्रतिशत) की तुलना में एक-चौथाई ही है तथा महिलाओं की औसत आय पुरुषों की तुलना में 1/5 है, इस मामले में भारत का विश्व स्थान 144वाँ स्थान है।
4. अवसरों के मामले में विभिन्न देशों में आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति इस प्रकार है- भारत (35.4 प्रतिशत), पाकिस्तान (32.7 प्रतिशत), यमन (27.3 प्रतिशत), सीरिया (24.9 प्रतिशत) और इराक (22.7 प्रतिशत)।
5. 2006 में पहली बार प्रकाशित आकड़ों की तुलना में आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के लिये सक्रिय भागीदारी के अवसरों में कमी आई है।
6. श्रमिक बाजार में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पुरुषों (82 प्रतिशत) की तुलना में एक-चौथाई ही है तथा महिलाओं की औसत आय पुरुषों की तुलना में 1/5 है, इस मामले में भारत का विश्व स्थान 144वाँ स्थान है।
7. रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में फैली इस विषमता को दूर करने में लगभग 257 वर्ष लग सकते हैं, जो

चिंता का विषय है क्योंकि पिछले वर्ष के आंकड़ों के अनुसार यह अनुमान केवल 202 वर्षों का था।

रिपोर्ट के अनुसार भारत में आधी से अधिक महिलाएं कनिष्ठ और मध्यम स्तर के पदों पर आते-आते नौकरियों से बाहर हो जाती हैं।अधिकांश मामलों में ऐसा युवा महिला कर्मियों के मातृत्व से जुड़ी जिम्मेदारियों के कारण होता है। मां बनने के बाद कई कंपनियां उन्हें काम पर वापस नहीं रखतीं और बच्चे की जिम्मेदारी होने के कारण उन्हें नई नौकरी पर रखने में कंपनियां हिचकिचाती हैं। **इसके** अलावा मातृत्व अवकाश, क्रेच की सुविधा और लचीले काम के घंटे होना तो फिलहाल कहीं हैं ही नहीं।

शोध पद्धति :-

उद्देश्य

1. असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की कार्यस्थल पर लैंगिक समानता की स्थिति का विश्लेषण।

शोध प्रश्न

1. असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों को लिंग भेद के कारण किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ताहै?
2. असंगठित क्षेत्र में कार्य दशायें किस प्रकार की हैं?
3. सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्न अधिनियमों का किस सीमा तक लाभ उन्हें मिल रहा है?

अध्ययन की प्रासंगिकता

स्त्रियां हमारी सभ्यता की मेरूदंड कही जाती हैं, किंतु कालांतर में ये पुरूष की तुलना में काफी उपेक्षित रहीं हैं। प्रवासी महिला श्रमिक जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनकी समस्याओं का अध्ययन आज की परिस्थितियों में अत्यंत ही प्रासंगिक है। इस वर्ग पर शोध काफी कम हुये हैं अतः इस विषय पर शोध की अत्यंत आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध द्वारा महिला होने के कारण किस प्रकार के भेदभाव का शिकार होना पड़ताहै? उनकी कार्यदशायें किस प्रकार की हैं? सरकार द्वारा इनके लिये कई सारे अधिनियम बनाये गये हैं क्या उनका लाभ इन तक पहुंच पाता है यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य इस अध्ययन से सामने आयेगा। इन अधिनियमों का लाभ किन कारणों से उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार व अन्य गैर सरकारी संगठन किस प्रकार इनकी समस्याओं को सुलझायें कि उनका अधिकतम लाभ इन महिला श्रमिकों को प्राप्त हो सके, इस हेतु यह अध्ययन काफी उपयोगी सिद्ध होगा।

शोध पद्धति – प्रस्तुत शोध के अंतर्गत मध्य प्रदेश का इंदौर शहर अध्ययन का क्षेत्र है। निर्माण कार्य में कार्यरत 6500 प्रवासी महिला श्रमिक (श्रम कार्यालय के अपर श्रमायुक्त से प्राप्त जानकारी के अनुसार) अध्ययन का समग्र है। एकाकी महिला श्रमिक अध्ययन की इकाई है। टारो यमाने[4] द्वारा दिया गया गणितीय सूत्र $n/1+n(e)^2$ का उपयोग कर 0.05 विश्वास स्तर पर निदर्शन का आकार 380 प्रवासी महिला श्रमिक प्राप्त हुआ। निदर्शन इकाईयों के चयन हेतु उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन पद्धति का उपयोग किया गया। अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ऐसी महिलाओं को चुना गया जो प्रवासित हैं। तथ्य संकलन के स्त्रोत के अंतर्गत प्राथमिक स्त्रोत के अंतर्गत साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन का उपयोग किया गया। अनुसंधानकर्त्ता द्वारा साक्षात्कार अनुसूची के अंतर्गत अध्ययन के उद्देश्यों से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित कर तथ्यों का संकलन किया गया। महिला श्रमिकों के बीच जाकर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि व उनकी कार्यदशाओं का अवलोकन किया गया। साक्षात्कार अनुसूची के प्रश्नों को साक्षात्कार के माध्यम से भरा गया। द्वितीयक स्त्रोतों के अंतर्गत पत्र-पत्रिकाएं, जरनल, पुस्तकें व पूर्व शोध कार्य का उपयोग किया गया।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की कार्यस्थल पर लैंगिक समानता की स्थिति का विश्लेषण।

उत्तरदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी संबंधी निष्कर्ष

आयु, जाति, वैवाहिक स्तर, शैक्षणिक स्तर एवं परिवार के स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण

1. आयु समूह का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि 71.8 प्रतिशत उत्तरदाता 30-45 आयु समूह के, 27.4 प्रतिशत उत्तरदाता 15-30 व 0.8 प्रतिशत उत्तरदाता 15 से कम आयु समूह की हैं। अर्थात् अधिकतर महिला श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु की हैं। 15 वर्ष से कम आयु की बालिकायें भी बहुत कम संख्या में निर्माण कार्य में लगी हुई हैं।
2. जाति के आधार पर प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट हुआ कि 90 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति की, 8.9 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग की व 1.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति की हैं अर्थात् अधिकतर महिला श्रमिक अनुसूचित जनजाति की हैं। अधिकतर अनुसूचित जनजाति के परिवार अपने पिछड़े हुये क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र की

ओर प्रवासित होते हैं।

3. वैवाहिक स्तर के आधार पर स्पष्ट हुआ कि 97.1 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित, 1.8 प्रतिशत अविवाहित व 1.1 प्रतिशत विधवा हैं। अर्थात् अधिकतर महिला श्रमिक विवाह के पश्चात् अपने पति के साथ ही प्रवासित होती हैं।
4. महिला श्रमिकों का शैक्षणिक आधार पर विश्लेषण करने से स्पष्ट हुआ कि 96.3 प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर व मात्र 3.7 प्रतिशत साक्षर हैं, इन 3.7 प्रतिशत साक्षर में से 57.1 प्रतिशत पांचवी से कम व 42.9 प्रतिशत 8वीं कक्षा तक ही पढ़ी लिखी हैं। इस प्रकार अधिकतर महिला श्रमिक निरक्षर हैं व बहुत कम महिलायें ही शिक्षित हैं जिनका स्तर 8वीं से कम है।
5. प्रवास के पश्चात् परिवार के स्वरूप में परिवर्तन के संबंध में देखने को मिलता है कि 96.6 प्रतिशत उत्तरदाता एकाकी परिवार में व 3.4 प्रतिशत संयुक्त परिवार में प्रवास पश्चात् निवासरत हैं अर्थात् अधिकतर महिला श्रमिक प्रवास पूर्व संयुक्त परिवार से प्रवास पश्चात् एकाकी परिवार में रहते हैं।

कार्यदशाओं से संबंधित समस्यायें

1. **कार्य की प्रकृति से संबंधित निष्कर्ष** - प्रवासी महिला श्रमिकों की कार्यदशाओं का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ है कि 100 प्रतिशत महिला श्रमिक अकुशल कार्यों में लगी हुई हैं अर्थात् महिला होने के कारण उसे कुशल कार्य करने के योग्य नहीं समझा जाता है।
2. **वेतन एवं भुगतान से संबंधित निष्कर्ष** - 93. 7 प्रतिशत उत्तरदाताओं को मजदूरी का भुगतान दैनिक रूप से व 6.3 प्रतिशत को साप्ताहिक भुगतान किया किया जाता है अर्थात् अधिकतर महिला श्रमिकों को दैनिक मजदूरी ही प्राप्त होती है। 62.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं को मजदूरी का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जाता है तथा 37.9 प्रतिशत को नियमित रूप से मजदूरी प्राप्त होती है अर्थात् अधिकतर श्रमिकों को दैनिक मजदूरी दी जाती है जो उन्हें नियमित रूप से प्राप्त नहीं होती है।

   83.7 प्रतिशत पुरूष श्रमिकों को 100-120 रू. प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। 8.7 प्रतिशत को 120 रू. से अधिक मजदूरी प्राप्त होती है। 6.8 प्रतिशत को 80-100 रू. व 0.8 प्रतिशत को 60-80 रू. मजदूरी दी जाती है। जबकि 50. 3 प्रतिशत महिला श्रमिकों को 60-80 रू. तक मजदूरी प्राप्त होती है जबकि 49.7 प्रतिशत को 80-100 रू. तक मजदूरी प्राप्त होती थी। अर्थात् महिला श्रमिकों को पुरूषों की तुलना में समान कार्य के लिये समान वेतन नहीं दिया जाता है। अधिकतर पुरूष श्रमिकों को 100 से 120रू. के मध्य व महिलाओं को 60-80 रू. के मध्य ही मजदूरी प्राप्त होती है। अतः महिला श्रमिक लिंग भेद के कारण पुरूषों की तुलना में अधिक भेदभाव का शिकार होती हैं। यह समान वेतन अधिनियम के प्रावधनों का उल्लंघन है।
3. **कार्य के घंटे एवं अवकाश से संबंधित निष्कर्ष-** 96.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें 8 घंटे से अधिक कार्य कराया जाता है, व मात्र 3.2 प्रतिशत के अनुसार 8 घंटे कार्य कराया जाता है। 86.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सवैतनिक छुट्टियों का कोई प्रावधान नहीं है जबकि 13.7 प्रतिशत के अनुसार कभी जरूरी कार्य आने पर छुट्टी मिल जाती है परंतु उसकी भरपाई बाद में ज्यादा कार्य कर करवाई जाती हैं। 59.7 प्रतिशत के अनुसार कभी -कभी अवैतनिक कार्य भी कराया जाता है, जबकि 40.3 प्रतिशत के अनुसार बिना मजदूरी के कार्य नहीं कराया जाता है अर्थात् महिला श्रमिक घर के सारे कार्य के साथ बिना अवकाश के कार्य करने को मजबूर हैं।

   कार्य के दौरान या बीच में विश्राम या खाने के लिये 72.9 प्रतिशत के अनुसार आधे घंटे का समय दिया जाता है जबकि 27.1 प्रतिशत के अनुसार एक घंटे का समय दिया जाता हैं। जो समय उन्हें मिलता है वह वे अपने बच्चों को देखने व उनकी जरूरतों को पूरा करने में व्यतीत करती हैं उनके पास स्वयं के लिये कोई समय नहीं होता है।
4. **मालिक का व्यवहार से संबंधित निष्कर्ष-** 60. 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनके मालिक उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, 38.4 प्रतिशत के अनुसार मालिकों का व्यवहार सामान्य व मात्र 0.8 प्रतिशत के अनुसार मालिक उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। किसी प्रकार का नुकसान होने की

स्थिति में 89.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार मालिक का व्यवहार कठोर रहता है व 10.8 प्रतिशत के अनुसार मालिकों का व्यवहार नुकसान की स्थिति में सामान्य ही रहता हैं। किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में 81.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनकी मजदूरी में नुकसान की रकम काटी जाती है 18.4 प्रतिशत के अनुसार उनसे अतिरिक्त कार्य कराया जाता है।

5. **कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी सुविधाओं से संबंधित निष्कर्ष** - बीमार होने पर कार्य पर आने के लिये 82.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं को मजबूर नहीं किया जाता परंतु कार्य पर ज्यादा दिन तक न जाने पर दूसरी जगह कार्य के लिए भटकना पड़ता है। 17.9 प्रतिशत के अनुसार बीमार होने पर भी कार्य पर जाने के लिये मजबूर किया जाता है। 100 प्रतिशत कर्मचारियों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत कोई भी सुविधा किसी भी अधिनियम जैसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम, प्रसूति हित लाभ, दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति सुविधा, प्रोविडेंड फंड, पेंशन, बोनस आदि किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

58.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार मजदूरी के अतिरिक्त मालिक द्वारा चाय पिलाई जाती है जबकि 40 प्रतिशत के अनुसार कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती 1.3 प्रतिशत के अनुसार कभी-कभी नाश्ता करवाया जाता है।

63.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार कार्य स्थल पर उन्हें पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 36.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार की सुविधा (पीने के पानी की सुविधा, कैंटीन व शिशु गृह आदि) उपलब्ध नहीं कराई जाती है। **अतः** स्पष्ट है कि ठेकेदारों द्वारा काम पर रखी गई महिला श्रमिकों को न तो न्यूनतम मजदूरी ही प्रदान की जाती है और न ही अतिरिक्त कार्य हेतु अतिरिक्त पैसा ही दिया जाता है। इस प्रकार ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 व अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरी कानून, 1979 का उल्लंघन है, जिसके अंर्तगत यह प्रावधान है कि ठेकेदार का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रवासी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करे।

इन महिला श्रमिकों से सप्ताह में सातों दिन दैनिक मजदूरी पर ही कार्य करवाया जाता है। उन्हें कोई भी सवैतनिक अवकाश नहीं दिया जाता है। यह विल्डिंग एंड कन्सट्रक्शन एक्ट व न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन है। इन अधिनियमों के अनुसार साप्ताहिक अवकाश अवश्य मिलना चाहिये परंतु यदि श्रमिक अवकाश वाले दिन भी कार्य करता है तो उसे दैनिक मजदूरी दर से दुगुनी मजदूरी दी जानी चाहिये।

श्रमिकों को कोई भी पहचान पत्र व मजदूरी रसीद नहीं दी जाती है। इस कारण इन श्रमिकों के पास अपने रोजगार का कोई सबूत या पहचान नहीं होती है। यह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 व ठेका श्रम(निरोधक एवं नियमन) अधिनियम 1970 का उल्लंघन है। अंर्तराज्यीय प्रवासी मजदूरी कानून 1979 के अनुसार सभी प्रवासी मजदूरों को पासपोर्ट आकार की फोटो लगी हुई पास बुक दी जानी चाहिये। उस पासबुक में काम पर रखने का दिनांक, मजदूरी समय, श्रमिक का नाम एवं पता की जानकारी होना चाहिये।

मजदूरी भुगतान की पद्धति भी शोषणकारी है। अधिकाधिक श्रमिकों को नियमित मजदूरी प्राप्त नहीं होती है। प्रवासी मजदूरों विस्थापन भत्ता व यात्रा भत्ता भी नहीं दिया जाता जो अंर्तराज्यीय प्रवासी मजदूरी कानून 1979 के अनुसार ठेकेदार द्वारा देय है।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री **सिल्विया वाल्बे**[5] के अनुसार, ''पितृसत्ता सामाजिक संरचना की ऐसी व्यवस्था हैं, जिसमें पुरुष, महिला पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है'' और भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है।

1. महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक प्रघटना है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिन्दू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न हों, सबसे प्राप्त की है।
2. समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति होने के कुछ कारणों में अत्यधिक गरीबी और शिक्षा की कमी भी हैं। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बहुत सी महिलाएँ कम वेतन पर घरेलू कार्य करने या प्रवासी मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिये मजबूर हो जाती हैं।
3. महिलाओं को न केवल असमान वेतन दिया जाता हैं,

बल्कि उनके लिये कम कौशल की नौकरियाँ पेश की जाती हैं जिनका वेतनमान बहुत कम होता हैं। यह लिंग के आधार पर असमानता का एक प्रमुख रूप बन गया है।

4. लड़की को बचपन से शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता हैं क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी और उसे पिता के घर को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ेगा। इसलिये, अच्छी शिक्षा के अभाव में अधिकांश महिलाएँ वर्तमान में नौकरी के लिये आवश्यक कौशल की शर्तों को पूरा करने में असक्षम हो जाती हैं।

महिलाओं को खाने के लिये वही मिलता है जो परिवार के पुरुषों के खाने के बाद बच जाता है। अतः समुचित और पौष्टिक भोजन के अभाव में महिलाएँ कई तरह के रोगों का शिकार हो जाती हैं।

सुझाव - शोध से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह सुझाव दिया जा सकता है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों को सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियमों का पूरा लाभ दिलाये जाने की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि व्यवहारिक रूप से अधिनियमों का क्रियान्वयन संभव हो सके।

महिला श्रमिकों को शिक्षित करने के साथ-साथ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने की भी आवश्यकता है ताकि वे स्वयं अपने अधिकारों को जाने व उनकी उपलब्धि न होने पर आवाज भी उठायें। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध किये जाने के राज्य के प्रयास में ग्राम सभाओं को भी (उनकी ग्राम विकास समितियों के माध्यम से) जन जाग्रति, क्रियान्वयन एवं प्रभावी प्रवर्तन की गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए।

महिला श्रमिकों के साथ उनके बच्चों की शिक्षा का भी उचित प्रबंध किया जाना चाहिये ताकि शिक्षित होकर अच्छे अवसरों का लाभ उठाकर अपने पारिवारिक जीवन स्तर व सामाजिक प्रस्थिति को ऊंचा उठा सकें।

इसके साथ ही प्रवासियों के लिये उचित आवास व्यवस्था हेतु पर्याप्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। रोजगार में भर्ती करने के लिये लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव नही किया जाना चाहिये। महिलाओं को भी पुरूष श्रमिकों के समान ही समान प्रकृति के कार्य के लिये समान मजदूरी का भुगतान करना चाहिये। महिलाओं को नियोजन में बराबरी के अवसर दिये जाने के साथ ही उनके लिये प्रशिक्षण एवं स्थानांतर के संबंध में भी लिंग भेद के आधार पर भेदभाव नही किया जाना चाहिये । महिला कामगारों को दुर्घटना मुआवजा और बच्चों की देखभाल की सुविधाओं को देने के लिए कदम उठाए जाऐं। अनेक वर्तमान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी जनसाधारण को नहीं है। अतएव उन्हें भली-भाँति प्रचारित किया जाए।

प्रवासी श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन की प्राप्ति सुनिश्चित करना चाहिये। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिये चलित शालाएं खोली जानी चाहिये अथवा जिन जिलों से पलायन होता है, वहां छात्रावासों की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रवासी श्रमिकों को विशेष राशन कार्ड वितरित करना चाहिये जिससे वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ प्रवास स्थल पर प्राप्त कर सकें।

प्रवासी श्रमिकों के बारे में परिपूर्ण जानकारी एकत्र करने और उस पर कार्रवाई के लिए श्रम विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना करना चाहिये। प्रवासी श्रमिकों के लिये कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को ऐसे श्रमिकों के हित संरक्षण हेतु श्रम निरीक्षक की शक्तियां प्रदान करना चाहिये।

सन्दर्भ

1. Breman J, 'Footloose Labour:Working in the Indian Formal Economy', Cambridge University Press, Cambridge, 1996, pp. 23-30.
2. रिपोर्ट भारत में महिलाओं की स्थिति पर अध्ययन हेतु गठित राष्ट्रीय समिति, 1975, पृ. 20-120
3. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
4. आहूजा राम, 'प्रतिदर्शन सामाजिक अनुसंधान', रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2004, पृ. 167
5. Walby Syliva, 'Patriarchy at Work: Patriarchial and Capatalist Relations in Employment', Minneapolis University of Minnesota Press, 1986, pp. 1-29

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 22 अंक 1, जनवरी-जून 2020
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

वर्तमान परिदृश्य में सोशल मीडिया की प्रासंगिकताः एक अध्ययन

❑ संध्या यादव

इंटरनेट की खोज ने संचार की दुनिया के वह द्वार खोले जिसने अभिव्यक्ति की परिभाषाएं पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दीं। सोशल मीडिया के उपयोग की सुविधाओं ने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इस माध्यम ने संचार के पारंपरिक स्वरूपों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, रेडियो अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी माध्यमों को इंटरनेट व सोशल मीडिया से सामंजस्य स्थापित करना आज की आवश्यकता हो गया है। प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने पूर्व में किए गए शोधों के अध्ययन के आधार पर सोशल मीडिया व वर्तमान परिदृश्य में उसके अनुप्रयोगों के विश्लेषण का प्रयत्न किया है। प्रस्तुत शोध द्वितीयक आंकड़ों तथा पूर्व में की गयी अध्ययन सामग्री पर आधारित है।

मानव सभ्यता के प्रारंभ में किसी ने यह स्मरण तक नहीं किया होगा कि संचार एक तकनीक के रूप में इतिहास का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार बनेगा। मनुष्य ने संकेतों, भित्तिचित्रों, शिलालेखों व भाषा तक की यात्रा संचार को सुगम बनाने हेतु संपूर्ण की है। संचार जो आरंभ में भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम भर रहा वर्तमान में संचार-क्रांति का स्वरुप धारण कर चुका है। जनसंचार की भाषा में माध्यम ही संचार है।[1] यदि उपर्युक्त कथन का अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि सन्देश प्रवाह में माध्यम की भूमिका मुख्य है। माध्यम की प्रभावशीलता के आधार पर ही सन्देश की प्रभावशीलता निर्भर करती है। सेल्फी अपलोड करने से लेकर अर्थ-जगत तक के सभी क्रियाकलाप सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। सार्वजानिक संस्थान भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपना प्रचार व जनसंपर्क करने में व्यस्त हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग की अवधारणा ने सम्पूर्ण बाजार को ही एक क्लिक पर उपलब्ध करा दिया है। सोशल मीडिया ऑनलाइन मीडिया का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। जहाँ भी सोशल मीडिया शब्द प्रयुक्त होता है, लोग सामान्यतः इससे कुछ बेहद प्रचलित सोशल नेटवर्किंग साईट्स से अर्थ लगा लेते हैं जैसे फेसबुक अथवा ट्विटर। वास्तव में सोशल मीडिया का आशय उस मीडिया से है जो अपनी सूचनाएं साझा करने की सुविधा प्रदत्त करता है, यथा फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग्स व अन्य वेबसाईट्स। हालाँकि सोशल मीडिया को किसी निश्चित परिभाषा के अंतर्गत बांधना कठिन है। सोशल नेटवर्क साइट्स जिसे लोकविमर्श की भाषा में प्रायः सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी कहा जाता है, पर दो या उससे अधिक लोग आपस में जुड़ते हैं। ये उपयोगकर्ता एक दूसरे से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ भी हो सकते हैं और परिचित भी। 'वेब आधारित वे प्रसारण तकनीकें जो विषय सामग्री के प्रजातंत्रीकरण की सुविधा प्रदान करती हैं तथा विषय सामग्री के उत्पादनकर्ताओं को प्रकाशक बनने के अवसर उपलब्ध कराती है।[2] सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जहाँ उपयोगकर्ता कंप्यूटर जनित संचार के माध्यम से अपने सामाजिक संजाल को और अधिक पुष्ट करता है। जहां आपकी रूचि के अनुरूप उपयोगकर्ताओं से जुड़ने के लिए आप किससे जुड़ना चाहते हैं जैसे सर्च ऑप्शंस उपलब्ध कराता है।

विद्वानों ने सोशल मीडिया को तकनीकी रूप से परिभाषित करते हुए कहा कि ''सोशल मीडिया इंटरनेट आधारित एप्लीकेशंस का एक ऐसा समूह है जो कि सैद्धांतिक व तकनीकी रूप से वेब 2.0 की आधारशिला है तथा जो उपयोगकर्ता आधारित विषय-सामग्री को उत्पादित करने व उसके विनिमय की सुविधा प्रदत्त करता है।''[3]

प्रमुख सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में फेसबुक प्रथम स्थान पर है। फेसबुक सहित अन्य कई सोशल मीडिया अपने उपयोगकर्ताओं को अन्य दूसरी वेबसाइट्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम व ट्विटर आदि से सम्बद्ध होने की सुविधा भी प्रदान करता है। इन सुविधाओं के द्वारा उपयोगकर्ता फेसबुक फीचर्स को अधिक परिष्कृत कर सकने में सक्षम है। चूँकि एक फेसबुक प्रोफाइल पर सीमित संख्या में ही मित्र सम्बद्ध हो सकते हैं अतः फेसबुक पेजेस का प्रयोग व्यापारिक प्रचार-प्रसार हेतु भी किया जा रहा है।

❑ शोध अध्येत्री, पत्रकारिता एवं समूह संचार विभाग, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला (हि.प्र.)

भारत में कुल 687 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता हैं तथा सक्रिय मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 629 मिलियन है। स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के अनुसार- 'सन 2020 में 29 वर्ष की आयु वाले लोगों की संख्या बहुतायत में होगी। फेसबुक के अनुसार दिसंबर 2013 तक 757 अरब लोग प्रतिदिन इसे लॉग इन करते हैं। यदि भारतीय सन्दर्भ में आंकड़ों का विश्लेषण किया जाये तो सन 2015 में भारतीय फेसबुक उपयोगकर्ताओं की संख्या 135 मिलियन थी तथा मई 2020 में यह 346 मिलियन के करीब पहुँच गयी। सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार इन उपभोक्ताओं में 33 प्रतिशत संख्या महिला उपयोगकर्ताओं की है।[4] भारतीय युवा-सन्दर्भ में इन आंकड़ों के उपरान्त यह प्रश्न अवश्यम्भावी है कि इतनी बड़ी संख्या में युवा उपभोक्ता आखिर सोशल मीडिया में करते क्या हैं? क्या वे इसका प्रयोग सिर्फ सूचना अथवा मनोरंजन हेतु करते हैं या कोई अन्य कारण इसके पीछे उत्तरदायी हैं? 2014 के लोकसभा चुनावों में सोशल मीडिया के रणनीतिक प्रयोग ने भारत में चुनावों की दिशा ही बदल दी। वर्तमान सरकार की पूर्व विदेशमंत्री ने ट्विटर के माध्यम से प्रवासी भारतीयों की मदद कर देश सहित विदेश के मीडिया में भी जमकर प्रशंसा प्राप्त की थी। इसी प्रकार भारतीय रेलवे का ट्विटर हैंडल अपने यात्रियों की शिकायतों के शीघ्र निवारण करता रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में अच्छे गवर्नेंस के क्षेत्र में सोशल मीडिया की अपार संभावनाएं हैं। उपर्युक्त विमर्श के साथ वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान भी सोशल मीडिया की सकारात्मक व नकारात्मक छवियाँ आई हैं। सोशल मीडिया की भूमिका अब सिर्फ एक सार्वजानिक मंच, उपभोक्ताओं या उपयोगकर्ताओं तक सीमित नहीं है। यह एक सामानांतर चलने वाला डिजिटल संसार भी है, जिस पर अध्ययन की अधिकाधिक सम्भावनाएं हैं।

उद्देश्यः प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया साईट्स व उनके अनुप्रयोगों का विवरण प्रस्तुत करना है।

शोध पद्धतिः समाजशास्त्र के शोध कार्यों में साहित्य-अवलोकन प्रविधि भी प्रयुक्त होती है। यह मेटा स्तर पर शोध परिणामों के निष्कर्षों को सत्यापित करने की उत्तम प्रविधि है जो कि सैद्धांतिक तथा वैचारिक ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण घटक हैं।[5] यह प्रविधि इसलिए भी प्रासंगिक मानी जाती है क्योंकि इसके माध्यम से विषय-विशेष से सम्बंधित शोधकार्य को महत्वपूर्ण व निश्चित दिशा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शोधार्थी उन बिन्दुओं पर भटकने से बच जाता है जो शोधकार्य के लिए आवश्यक नहीं होते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में साहित्य-अवलोकन प्रविधि प्रयुक्त की गयी है, जोकि निम्न बिन्दुओं पर आधारित है-

1. इंटरनेट
2. सोशल मीडिया
3. सोशल मीडिया अनुप्रयोग
4. युवा व सोशल मीडिया
5. सोशल मीडिया व संतृप्ति

साहित्य अध्ययन

मोहम्मद फरियाद की पुस्तक का अनुगमन साहित्य समीक्षा के लिए इस संज्ञान के अंतर्गत किया गया कि इस पुस्तक में मीडिया शिक्षक, मीडियाकर्मी एवं मीडिया शोधार्थियों के शोध आलेखों को विभिन्न अध्यायों के रूप में प्रकाशित किया गया है। लेखक के अनुसार सोशल मीडिया विषय पर पढ़ने योग्य एवं शोधगत सामग्री की कमी के कारण से इस पुस्तक का प्रकाशन किया है। शोध विषय की समझ को बढ़ाने और शोध की तकनीक एवं उपकरणों को विषय के अनुसार लागू करने में विस्तृत दृष्टि इस पुस्तक के शोध आलेखों का अध्ययन करने पर मिलती है। विभिन्न शोध पत्रों में प्रयुक्त प्रविधियां शोध के क्षेत्र को बढ़ाने वाली प्रतीत होती हैं, जिससे साहित्य समीक्षा के कार्य को सम्यक संबल प्राप्त होता है।[6]

ए क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सोशल नेटवर्किंग यूजेज शीर्षक से 'इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेल्थ' नामक शोध पत्रिका में शोधार्थी ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उपयोग के गुणात्मक विश्लेषण पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। शोधार्थी के अनुसार सोशल नेटवर्किंग साइट्स उभरती हुई प्रवृत्तियाँ हैं, जो सामाजिक अंतःक्रियाओं और मनोवैज्ञानिक कल्याण को गहराई से प्रभावित करती हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है- भारतीय युवाओं में सोशल नेटवर्किंग की अत्यधिक व्यापकता और गतिशीलता की प्रकृति का अध्ययन करना। सामग्री विश्लेषण और विषयगत विमर्श के उपरांत एक गुणात्मक अनुसंधान रूपरेखा का उपयोग इस शोध को त्रिकोणीय बनाने के लिए किया गया था। नई दिल्ली में युवाओं के बीच औसत उपयोग को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए यादृच्छिक नमूने का उपयोग करके नमूना चुना गया था। प्रस्तुत अध्ययन

के उपरांत जो तथ्य निकालकर आए उनके परिणाम बताते हैं कि अधिकांश युवा 14.6 साल में सोशल नेटवर्किंग शुरू करते हैं, जो लिंग और परिवार की प्रकृति से प्रभावित होते हैं। शोध आलेख के परिणाम के अनुसार सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बिताए गए औसत समय 3.6 घंटे दैनिक था। फेसबुक चौटिंग और दोस्त बनाने के कार्यों के लिए सबसे पसंदीदा सोशल नेटवर्किंग साइट रहा। ज्यादातर उत्तरदाता रात्रि के समयान्तराल में सोशल नेटवर्किंग करने, विपरीत लिंग के साथ बातचीत करने, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में रुचि रखने, दैनिक गतिविधियों को अनदेखा करने, दूसरों से अपने ऑनलाइन कार्यों को छिपाने, सोशल नेटवर्किंग का गुप्त रूप से उपयोग करने के लिए पाए गए।[7]

जेएमसीजे एन ओपेन एसेस जर्नल में प्रकाशित इस शोध आलेख में शोधार्थी ने **डिजिटल सोसायटी में अनुप्रयोग एवं संतृप्ति दृष्टिकोण की वर्तमान में प्रासंगिकता** पर शोध कार्य किया है। शोधार्थी के अनुसार नए सिद्धांतों, दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली की एक विस्तृत श्रृंखला डिजिटलीकरण में होने वाले परिवर्तनों की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है। इंटरनेट की विस्तृत प्रसार के कारण से ऐसा संभव हो पाया है। विभिन्न स्रोतों से आने वाली सूचनाओं और समाचारों को सोशल मीडिया ने किस प्रकार से फैलाने में अपनी भूमिका निभाई है, सोशल मीडिया साइट्स किस प्रकार से उपयोगकर्ताओं के लिए स्थानीय और वैश्विक सूचनाओं के प्रति बनाने में कितना प्रासंगिक है। प्रस्तुत शोध आलेख से शोधगत दृष्टिकोण को विस्तार मिलता है। इस कारण से शोध आलेख का चयन साहित्य समीक्षा के लिए किया गया है।[8]

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिंदी रिसर्च नामक शोध पत्रिका में **'सोशल मीडिया के उपयोग के बाद युवाओं की पुस्तकों से बढ़ती दूरी का अध्ययन'** विषय पर शोध के माध्यम से एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। शोधार्थी के अनुसार पहले के समय में जब लोग खालीपन महसूस करते थे तो वे पुस्तक, अखबार या अन्य कहानियों की पुस्तकों को पढ़ने बैठ जाते थे। शोधार्थी ने निम्नलिखित शोध उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह अध्ययन किया है- सोशल मीडिया के उपयोग और समय के बीच मनोवैज्ञानिक अंतर्संबंध का अध्ययन, सोशल मीडिया में युवाओं की संलिप्तता की प्रवृत्ति का अध्ययन, सोशल मीडिया के उपयोग के बाद पुस्तकों से बढ़ती दूरी का अध्ययन। शोध और सर्वेक्षण के क्षेत्र में सामग्री एकत्रित करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है, उनमें प्रश्नावली भी एक है।

उपर्युक्त अध्ययन से यह तथ्य निकाल कर आए कि अधिकांश उपयोगकर्ता सोशल मीडिया नेटविर्कंग साइट जैसे- फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग, इंस्टाग्राम आदि का प्रयोग कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि बहुत कम लोग ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट- ट्विटर का उपयोग कर पा रहे हैं, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया उपयोगकर्ता फेसबुक पर सक्रिय हैं। अध्ययन में यह बात सामने निकलकर आई कि कुछ लोग आधे-आधे घंटे के भीतर इन सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं शोध में शामिल किए गए करीब आधे उत्तरदाताओं का मानना है कि वे 1-1 घंटे के अंतराल में सोशल मीडिया साइट चेक करते हैं। यह अध्ययन सोशल मीडिया और युवाओं पर शोध दृष्टि प्रदान करती है इसलिए उपर्युक्त शोध आलेख का चयन साहित्य समीक्षा के लिए किया गया।[9]

'ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी कम्यूनिकेशन : अ रेफेरेंस हैंडबुक' नामक पुस्तक में लेखक ने माना है कि संचार के अनुशासन ने 1960 के दशक के मध्य में पत्रकारिता और जनसंचार के विद्वानों के बीच इसकी लोकप्रियता में वृद्धि की है। पत्रकारिता के प्रोफेसरों ने मीडिया पेशेवरों की शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। दूसरी ओर, जनसंचार के प्राध्यापक, अक्सर उदारवादी कलाओं के प्रति अधिक उन्मुख रहे और इस तथ्य को महत्व देते थे कि संचार को विभिन्न प्रकार की परंपराओं से संपर्क किया जा सकता है, जिनमें कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और यहां तक कि विज्ञान भी शामिल हैं। 21वीं सदी के संचार में एक महत्वपूर्ण शब्द, अभिसरण है। अभिसरण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संचार साधनों का उपयोग कोई भी उपयोगकर्ता बड़ी ही कुशलता एवं एक सशक्त माध्यम के रूप में कर सकता है।

संचार के नए साधनों का मीडिया कार्यक्रम निर्माण करने के लिए न केवल मीडिया और प्रौद्योगिकी एक-दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, बल्कि व्यक्ति संचार के नए रूपों को बनाने के लिए नए और वर्तमान दोनों संचार साधनों का उपयोग कर रहे हैं। यह अभिसरण संचार अनुशासन के भीतर विभिन्न शिविरों को एक-दूसरे के सिद्धांतों और अनुसंधान विधियों पर तेजी से बदलते संचार वातावरण की व्याख्या करने के लिए बनाए रखने के लिए मजबूर

करता है। 21वीं सदी में जनसंचार के क्षेत्र में आए ऐसे कई बदलावों पर अध्ययन सामग्री की उपलब्धता के कारण से यह पुस्तक शोध समीक्षा में शामिल की गई है।[10]

'थ्योरीज ऑफ ह्यूमन कम्यूनिकेशन' नामक प्रस्तुत पुस्तक संचार के संबंध में पाठकों और शोधार्थियों की समझ को प्रभावित करती है। इस पुस्तक के पहले संस्करण ने संचार विद्वानों द्वारा सिद्धांत की व्यापक चर्चा के साथ नई जमीन तैयार करने का कार्य किया। उस समय से, इस क्षेत्र ने कई परंपराओं ने अपना विस्तार कर एक समृद्ध वातावरण निर्मित किया। अन्य संस्करण संचार विद्वानों द्वारा बनाए गए शास्त्रीय और हाल के सिद्धांतों, दोनों को समेटा है और अन्य क्षेत्रों के विद्वानों द्वारा समर्थित भी है। लिटिलजॉन और फॉस दो अन्तर्विभाजक तत्वों, संदर्भों और सैद्धांतिक परंपराओं के आसपास संचार सिद्धांत का आयोजन करते हैं और सिद्धांतों के बीच संबंध, प्रक्षेपवक्र और संबंधों पर जोर देते हैं। वे स्पष्ट, सुलभ स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। उदाहरणों का व्यापक उपयोग एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में सिद्धांत प्रस्तुत करता है और पाठकों को अपने स्वयं के अनुभवों को प्रतिबिंबित करने और बातचीत जारी रखने में सक्रिय भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करता है। लेखकद्वय ने सिद्धांतों के स्पष्ट विवरण के साथ संचार पर अपने दृष्टिकोण साझा किए हैं। शोध विषय पर पुस्तक में व्यापक सामग्री की उपलब्धता है। अतः प्रस्तुत पुस्तक साहित्य समीक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है।[11]

'मीडिया स्टडीज इन्स्टीट्यूसंस, थ्योरीज एंड इसूज' नामक प्रस्तुत पुस्तक संचार सिद्धांतों पर नये तरीके से विचार उपलब्ध कराती है। इस पुस्तक में मुद्रित सामग्री अनुसंधान पद्धति के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोणों से संबंधित है। अनुसंधान प्रक्रिया में विभिन्न चरणों का पालन किया गया है। साथ ही शोध डिजाइन लागू करने और अनुसंधान प्रदत्त की व्याख्या करते समय कई शोध प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। लेखक के अनुसार शोध कार्य का प्रकाशन वैज्ञानिक मानदंडों और दिशानिर्देशों के ढांचे के साथ संपन्न होता है, जिनका उपयोग शोध लेखन की योजना बनाते और लेखन कार्य सम्पन्न करते समय किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रकाशित शोध रिपोर्टों का विश्लेषण और मूल्यांकन भी किया जा सकता है। इस प्रकाशन में संबंधित अनुसंधान तकनीकों, विधियों और अनुप्रयोगों को विविध संचार क्षेत्रों में प्रासंगिकता मिलती है। उदाहरण के लिए राजनीतिक और सरकारी संचार, मीडिया अध्ययन, पारस्परिक विकास और स्वास्थ्य संचार, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, न्यू मीडिया तकनीक आदि। इस प्रकार से शोध अध्ययन से संबंधित व्यापक सामग्री की उपलब्धता के कारण इस पुस्तक का सहारा लिया गया है।[12]

'रूटलेज प्रकाशन' से प्रकाशित पुस्तक **'मीडिया पर्सपेक्टिव्स फॉर द ट्वेंटीफर्स्ट सेंचुरी'** नामक पुस्तक में लेखक ने माना है कि 21वीं शताब्दी के लिए मीडिया परिप्रेक्ष्य समकालीन लोकतांत्रिक समाजों में संचार वातावरण के विषय में अवधारणाओं, विषयों और मुद्दों का पता लगाने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को एक साथ लाता है। यह एक अंतःविषय संचार सामग्री प्रदान करती है और वास्तव में वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टिकोण को आपसी संबद्धता प्रदान करती है। पुस्तक मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में समाज में मीडिया की भूमिका को लेकर विस्तृत व्याख्या की गई है। दूसरे भाग में न्यू मीडिया से जुड़े हुए विषयों की पड़ताल को शामिल किया गया है।

पुस्तक में वर्णित अध्याय सोशल नेटवर्किंग, न्यू मीडिया, राजनीतिक संचार, लोक पत्रकारिता, वैश्विक इंफोटेनमेंट और उपभोक्ता संस्कृति सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को समेटते हुए कई अलग-अलग दृष्टिकोणों और सामाजिक-राजनीतिक संदर्भों से मीडिया के विभिन्न आयामों पर व्यापक सामग्री उपलब्ध कराती है। लेखक का मानना है कि मीडिया और संचार अध्ययन, जनसंचार, पत्रकारिता और न्यू मीडिया के क्षेत्र में 21वीं सदी के लिए मीडिया के दृष्टिकोण से यह पुस्तक शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसी कारण से इस पुस्तक का चयन शोध साहित्य समीक्षा के लिए किया गया है।[13]

साइकोलोजी प्रेस न्यूयॉर्क प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक **'कल्चर ऑफ द इंटरनेट'** इंटरनेट की विभिन्न पहलुओं पर आधारित पुस्तक है। लेखक के अनुसार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुलभ कंप्यूटर-आधारित संचार नेटवर्क के आश्चर्यजनक प्रसार ने हर जगह लोगों की कल्पना को छुआ है। लेखक के अनुसार अगर इंटरनेट सामाजिक व्यवहार की एक नई दुनिया है तो सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने वालों के लिए भी यह एक नई दुनिया है। वस्तुतः पुस्तक का यह खंड निबंधों और शोध

रिपोर्टों का एक संग्रह है, जिसमें दिखाया गया है कि शोधकर्ता इलेक्ट्रॉनिक संचार की सामाजिक प्रक्रियाओं और समाज में इसके प्रभावों के बारे में किस तरह से विचार कर रहे हैं। पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इंटरनेट से जुड़े कई अलग-अलग विषयों से संबंधित सामग्री और शोध विधियां और शैलियाँ हैं। प्रस्तुत पुस्तक की सामग्री सामाजिक और व्यवहारिक प्रक्रियाओं पर एक नए परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करती है।[14]

'रिव्यू ऑफ रिसर्च' नामक शोध पत्रिका में प्रकाशित यह शोध कार्य **सोशल मीडिया और ग्रामीण युवाओं** पर आधारित है। शोधार्थी के अनुसार वर्तमान में सोशल मीडिया की लोकप्रियता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इन साइट्स का उपयोग करने वाली एक बड़ी जनसंख्या में किशोर व युवा सम्मिलित हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं द्वारा सोशल मीडिया के अनुप्रयोग की स्थिति जानना तथा ग्रामीण युवाओं द्वारा सोशल मीडिया के प्रयोग से पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाना था। इस अध्ययन में स्तरित निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया तथा महाविद्यालय में अध्ययनरत 200 ग्रामीण विद्यार्थियों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के द्वारा किया गया.प्रस्तुत अध्ययन में निष्कर्ष के रूप में शोधार्थी ने पाया कि आज अधिकतर ग्रामीण युवा फेसबुक की तुलना में व्हाट्सएप का प्रयोग अधिक कर रहे हैं और ग्रामीण युवा संदेश, फोटो, विडियो, चुट्कुले, कविता, शायरी विज्ञापन आदि साझा कर रहे हैं तथा उपयोगी जानकारी बहुत कम साझा करते हैं।[15]

बहुभाषी अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका 'रिसर्च रिव्यू जर्नल' में प्रकाशित इस शोध पत्र में शोधार्थी ने **सोशल मीडिया का उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनात्मकता, आवासीय पृष्ठभूमि एवं उनकी अन्तर्क्रिया के संदर्भ में प्रभाव** का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन किया है। प्रस्तुत शोध की परिकल्पना थी- उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनात्मकता पर सोशल मीडिया उपयोग स्तर, आवासीय पृष्ठभूमि एवं उनकी अन्तर्क्रिया का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा। न्यादर्श का चयन खरगोन जिले एवं उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 10 व केवल शासकीय विद्यालयों से किया गया। शोध कार्य हेतु ग्रामीण एवं शहरी दोनों आवासीय पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया। इनमें से कुल 224 ग्रामीण एवं 229 शहरी आवासीय पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का चयन किया गया। इन विद्यार्थियों की उम्र 15-19 वर्ष के मध्य थी।

अध्ययन के उपरांत निष्कर्ष के तौर पर शोधार्थी ने पाया कि उच्चतर माध्यमिक स्तर के 'सोशल मीडिया गैर-उपयोगकर्ता' विद्यार्थियों की सृजनात्मकता, 'सोशल मीडिया उपयोगकर्ता' विद्यार्थियों की सृजनात्मकता से सार्थक रूप से उच्च पायी गयी। 'शहरी' एवं 'ग्रामीण' आवासीय पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की सृजनात्मकता के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। साथ ही उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनात्मकता पर 'सोशल मीडिया उपयोग स्तर' एवं 'आवासीय पृष्ठभूमि' की अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया। शोध कार्य को यह शोध पत्र दृष्टि प्रदान करने वाला है। इस कारण प्रस्तुत शोध पत्र का चयन शोध कार्य के लिए किया गया।[16]

मीडिया मीमांसा नामक शोध पत्रिका में प्रकाशित शोध आलेख **'युवाओं की राजनीतिक विचारधारा पर फेसबुक का प्रभाव'** में लेखकद्वय ने माना है कि सोशल मीडिया लोकतांत्रिक विचार-विमर्श को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शोधार्थी के अनुसार एक ऑनलाइन सर्वेक्षण पर आधारित अध्ययन से पता चलता है कि फेसबुक राजनीतिक चर्चाओं के लिए एक मंच हो सकता है, लेकिन युवाओं की राजनीतिक विचारधारा पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्तमान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि फेसबुक उपयोगकर्ता राजनीतिक पोस्ट पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। सोशल मीडिया लोकतांत्रिक विचार-विमर्श को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अध्ययन के लिए प्राथमिक डेटा को दो सप्ताह के लिए एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किया गया था। कुल 92 लोगों ने 71 प्रतिशत की प्रतिक्रिया दर के साथ अनुरोध का जवाब दिया। प्रश्नावली ने पहले भाग में उत्तरदाताओं की लिंग, आयु, शिक्षा, रोजगार और आय जैसी जनसांख्यिकीय विशेषताओं का अनुमान लगाया। दूसरे भाग में, इसने अपने फेसबुक के उपयोग के बारे में जानकारी एकत्र की, जैसे कि जब उनके पास फेसबुक अकाउंट था, फेसबुक पर घंटे बिताए, दोस्तों और समूहों की संख्या और वे फेसबुक का उपयोग करने का कारण बताते हैं।[17]

'सोशल मीडिया और युवा विकास' शीर्षक से प्रकाशित प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी ने माना है कि नयी सदी के सूचना माध्यमों में सोशल नेटवर्किंग साइट समाज को तीव्र गति से प्रभावित कर रहा है। शोधार्थी के अनुसार देश का सरकारी तंत्र युवाओं के इस रुचि को देखते हुए सरकारी योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। प्रस्तुत शोध कार्य के लिए चुने गए क्षेत्र में 100 प्रश्नावली वितरित की गयी, जिसमें विभिन्न प्रकार के 10 वैकल्पिक प्रश्न सम्मिलित किए गये थे। निष्कर्ष के रूप में शोधार्थी ने पाया कि आज का समय इन्टरनेट की विद्यमानता का है। लोग किसी भी सूचना को लेकर सोशल साइट्स के माध्यम से अपनी त्वरित टिप्पणी दे रहे हैं। किसी भी जानकारी या सूचना को युवा तुरंत सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर साझा करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भी दायित्व बढ़ता जा रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट युवाओं के विकास से संबंधित जानकारी के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करते हैं। इस कारण से प्रस्तुत शोध पत्र को साहित्य समीक्षा में स्थान दिया गया है।[18]

लेखक मंगल एवं मंगल द्वारा पुस्तक **व्यावहारिक विज्ञानों में अनुसंधान विधियाँ** लिखित अनुसंधान कार्य का उचित क्रियान्वयन और उसकी गुणवत्ता पूरी तरह से अनुसंधानकर्ताओं की अनुसंधान अभिक्षमताओं पर निर्भर करती है। प्रस्तुत पुस्तक में व्यावहारिक विज्ञानों के अनुसंधान अध्ययनों के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है जिससे कि उन्हें शोध अध्ययन हेतु आवश्यक आधारभूमि एवं विभिन्न प्रविधियों की जानकारी उचित रूप में उपलब्ध हो सके। पुस्तक में मुख्य रूप से व्यावहारिक विज्ञानों में अनुसंधान करने के लिये आवश्यक कार्यप्रणाली का विवरण प्रदान करने वाली विषयवस्तु का तार्किक एवं सम्यक प्रस्तुतीकरण किया गया है। पाठ्यसामग्री के उचित प्रस्तुतीकरण एवं बोधगम्यता हेतु दृष्टांतों, तालिकाओं, रेखाचित्रों, आरेखों एवं कार्यकारी उदाहरणों का समावेश विस्तारपूर्वक ढंग से किया गया है। परिमाणात्मक एवं गुणात्मक अनुसंधान अध्ययनों में प्रयुक्त आवश्यक प्रदत्त संकलन उपकरणों के उपयोग, निर्माण तथा मानकीकरण का विस्तृत परिचय इस पुस्तक के अध्यायों में समाहित किया गया है। साथ ही परिमाणात्मक एवं गुणात्मक अनुसंधान करने हेतु कंप्यूटर तकनीकी के उपयोग पर आधारित एक सम्पूर्ण अध्याय की प्रस्तुति प्रस्तुत पुस्तक में की गई है।[19]

'द हैंडबुक ऑफ मीडिया एंड मास कम्यूनिकेशन थ्योरी' एक संपादित पुस्तक है जिसका संपादन दो लेखकों ने मिलकर किया है और साथ ही प्रस्तुत पुस्तक में अन्य कई लेखकों ने विभिन्न अध्यायों के माध्यम से अपना योगदान दिया है। संपादकद्वय के अनुसार मीडिया और जनसंचार सिद्धांत एक समृद्ध क्षेत्र और संभावित रूप से निराशाजनक दोनों है। यह विभिन्न कार्यप्रणाली दृष्टिकोणों से आता है जिन्हें सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए या मीडिया की कक्षा के भीतर विभिन्न वैचारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए विकसित किया गया है। वास्तविकता यह है कि मीडिया एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मौजूद नहीं है जहां उन्हें करीबी प्रणाली के भीतर समुचित रूप से परखा जा सकता है, बल्कि वे मानव अनुभव के अन्य तत्वों के साथ निरंतर प्रवाह में हैं।[20]

सेज प्रकाशन से मुद्रित **'पॉलिटिकल कम्यूनिकेशन एंड डेलिबरेशन'** नामक पुस्तक में शोध विषय से संबंधित प्रचुर साहित्य की उपलब्धता के कारण इस पुस्तक को शोध अध्ययन में शामिल किया गया है। पुस्तक में इस तथ्य का वर्णन किया गया है कि हम समाज या संस्कृति के बारे में मीडिया के संबंध के बारे में नहीं जानते हैं और इस प्रकार अभी भी कई संदर्भ हैं जो अपने स्वयं के संदर्भों के भीतर विस्तृत परीक्षाओं, अटकलों और सिद्धांत विकास के लिए खुले हैं। यह पुस्तक जनसंचार विषय पर विस्तृत सामग्री प्रस्तुत करती है, जिस कारण इसे शोध कार्य में स्थान दिया गया है।[21]

निष्कर्ष : संबंधित साहित्य अध्ययन के पश्चात अध्ययन में पाया गया कि सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता इसका प्रयोग मनोरंजन व सूचना के अतिरिक्त भावनात्मक संतुष्टि के लिए भी करते हैं। युवाओं का लम्बी अवधि तक फ़ेसबुक पर समय व्यतीत करना तथा तस्वीरों पर आने वाले लाइक्स व कमेंट्स, भावनात्मक संतृप्ति का कारण हैं। यही नहीं सोशल मीडिया इसके उपयोगकर्ताओं विशेषतः युवाओं के लिए वास्तविक संसार के सामानांतर एक डिजिटल संसार भी निर्मित कर रहा है । हम यह कह सकते हैं कि यह डिजिटल संसार उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन चुका है। विश्वभर में जिस तरह सोशल मीडिया का प्रयोग विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक

आंदोलनों की आवाज़ मुखर करने के लिए होता रहा है, भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आन्दोलन से भारत में इसका प्रारंभ माना जा सकता है। इस माध्यम द्वारा राजनीतिक विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बल मिला है। सोशल मीडिया के माध्यम से इसके उपयोगकर्ता राजनीति व सामाजिक सरोकारों से सम्बद्ध कार्यों में न सिर्फ रूचि रखते हैं अपितु उनमे प्रतिभाग भी कर रहे हैं। यह माध्यम राजनितिक विचारों को स्वतंत्रता भी उपलब्ध करा रहा है। शोधार्थी ने अपने निष्कर्ष में यह पाया कि भविष्य में राजनीतिक रणनीति में सोशल मीडिया की मुख्य भूमिका रहेगी। युवाओं तक अपनी पहुँच बनाने में राजनीतिक दलों की सोशल मीडिया रणनीति मुख्य कारक होगी। युवाओं को सोशल मीडिया के रूप में एक ऐसा मंच उपलब्ध हुआ है जो उन्हें न सिर्फ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है अपितु अपनी विचारधारा से जुड़े लोगों से संवाद स्थापित करने की भी सुविधा प्रदान करता है।

राजनीतिक विचारधारा, मनोरंजन व सूचनाओं के अतिरिक्त साहित्य, शिक्षा, सामाजिक सरोकारों, संस्थाओं, अर्थ, खेल व अन्य कई क्षेत्रों से सम्बद्ध लोग व उनसे सम्बंधित विभिन्न ग्रुप सोशल मीडिया पर उपस्थित हैं। इस प्रकार से सोशल मीडिया अपने उपयोगकर्ताओं को विकल्प भी उपलब्ध करा रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसा आभासी संसार है जहां सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सामाजिक आधार पर भी इसके उपयोगकर्ताओं की उपस्थिति है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप तथा ऐसे विभिन्न सोशल मीडिया से संबंधित सुविधाओं का उपयोग वर्तमान समय की आवश्यकता बन चुका है। इस डिजिटल संसार को युवा, शहरी, स्त्रियों, ग्रामीण, वृद्धजनों के अतिरिक्त अर्थ जगत, मीडिया शिक्षा, राजनीति, सामाजिक संस्थाएं सार्वजनिक संस्थाएं तथा ऐसे अनगिनत रूपों में विभक्त किया जा सकता है। भारत में इंटरनेट के कुल उपभोक्ताओं में से 33 प्रतिशत उपयोगकर्ताओं की संख्या स्त्रियों की है। कई अध्ययनों में यह स्पष्ट हुआ है कि सोशल मीडिया ने न सिर्फ स्त्रियों को अपितु समाज के पिछड़े व शोषित वर्ग को भी अभिव्यक्ति का एक अवसर प्रदान किया है। सामग्री के विज्ञापन सहित शिक्षा, राजनीति,सामाजिक जागरूकता विभिन्न आपदाओं पर सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग के भी उदाहरण हमारे समक्ष हैं। वर्तमान समय में कोरोना वायरस जैसी महामारी के दौरान हम सोशल मीडिया पर अधिक आश्रित हुए हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर इससे प्रभावित लोगों की मदद से संबंधित अनेक घटनाओं के साथ-साथ फेक न्यूज जैसे नकारात्मक प्रभाव भी परिलक्षित हो रहे हैं। अनुप्रयोग व संतृप्ति का सिद्धांत अथवा मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा, ऐसे कई विस्तृत क्षेत्र हैं जिन पर सोशल मीडिया के संदर्भ में अध्ययन की अपार संभावनाएं बनती है। सोशल मीडिया बढ़ती लोकप्रियता के साथ साथ इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। युवाओं में इसके अधिक उपयोग से सोशल मीडिया के व्यसन से सम्बंधित समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। इसके अति सक्रिय उपयोगकर्ताओं में व्यवहार से सम्बंधित परिवर्तन पर विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है।

सन्दर्भ

1. Mcluhan, M; 'Understanding MediaThe Extensions of Man book', McGraw hill, newyork, 1964, pp. 100-101.
2. Scott, P. R., & Jacka, J. M; 'Auditing social media: A governance and risk guide', John Wiley & Sons, 2011.
3. Nmezi, O. U; 'University students' response to social media advertisements (Doctoral dissertation', Eastern Mediterranean University (EMU)-Do?u Akdeniz Universitesi (DAÜ), 2013, p. 102
4. Diwanji; S. 'Social media usage in India - Statistics & Facts' Retrieved from https://www.statista.com/topics/5113/social-media-usage-in-india/, 2020 May11
5. Snyder, Hannah; 'Literature review as a research methodology: An overview and guidelines', Journal of Business Research, 104, 2019, 333-339.

6. फरियाद एम, 'सोशल मीडिया के विविध आयाम', स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, 2018
7. Reema and Gopal; 'A qualitative analysis of social networking uses', International journal of research and development health, (2014), pp. 34 - 44.
8. Haase; 'Is the Uses and Gratifications Approach Still Relevant in a Digital Society?' JMCJ: An open access journal, 2014, pp. 1-3.
9. Roy, Sanjit; 'Determining Uses and Gratifications for Indian Internet Users', Retrieved from- http://www.bentley.edu/csbigs/vol2-1/roy.pdf, 2008, pp. 77-91.
10. Eadie, William; '21 Century Communication: A reference Handbook', Sage Publication Inc, New York, 2009.
11. Littlejohn and Foss; 'Theories of Human Communication. Illinois', Waveland press Inc, 2011.
12. Fourie, Pieter; 'Media Studies: Institutions, Theories and uses': Creda Communications, Lansdowne SA, 2007.
13. Stylianos, P; 'Media Perspectives for the 21st Century' Routledge, London, 2011.
14. Kiesler, Sara; 'Culture of the Internet', N.J: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New Jersey: Mahwah, 1997.
15. रफत जे, 'सोशल मीडिया और इसका ग्रामीण युवाओं पर प्रभाव', रिव्यू ऑफ रिसर्च, 2018, पृ. 1-10
16. रतोरिया, एस, 'सोशल मीडिया का उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सृजनात्मकता', आवासीय पृष्ठभूमि एवं उनकी अंतक्रिया के संबंध में प्रभाव का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन, रिसर्च रिव्यू जर्नल, 2019, पृ. 653-656
17. Padmanabk and Kumar; 'Effects of Facebook on the political ideology of the youth' Media Mimansa, 2017, p. 31.
18. श्रीवास्तव एवं कुमार, 'सोशल मीडिया और युवा विकास', मीडिया मीमांसा, 2017, पृ. 37-72
19. मंगल एवं मंगल, 'व्यावहारिक विज्ञानों में अनुसंधान विधियाँ', दिल्ली, पी.एच.आई. लर्निंग प्राइवेट लि., 2014
20. फोर्टनर एवं फैकलर, 'द हैंडबुक ऑफ मीडिया एंड मास कम्यूनिकेशन थ्योरी', यूनाइटेड किंग्डमः जॉन विली एण्ड संस लि., 2014
21. Gastil, John' Political Communication and Deliberation', Sage Publication Inc, New Delhi, 2008.

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

डिजिटल मीडिया की पत्रकारिताः चुनौतियाँ और संभावनाएं

❑ डॉ. गुरु सरन लाल

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने समाज में सूचना व संचार के प्रवाह के लिए समय-समय पर विभिन्न तकनीकों का आविष्कार किया है। इन तकनीकों व आविष्कारों का अनुप्रयोग मीडिया में भी बखूबी किया गया है। फलस्वरूप संचार के नये माध्यमों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से प्रिंट मीडिया, रेडियो के आविष्कार से रेडियो संचार व रेडियो पत्रकारिता, टेलीविजन के आविष्कार से टेलीविजन पत्रकारिता का प्रारम्भ हुआ। तदपश्चात् इंटरनेट के आविष्कार से इंटरनेट, ऑनलाइन, साइबर पत्रकारिता या न्यू मीडिया का प्रारंभ हुआ। इसे ही डिजिटल मीडिया कहा जाता है। वर्तमान समय में डिजिटल मीडिया काफी प्रासंगिक माध्यम है। इससे त्वरित गति से सूचना लोगों तक पहुंच रही हैं। लोग अपनी प्रतिक्रिया भी त्वरित गति से दे रहे हैं। लाइक, कमेंट और शेयर कर रहे हैं। डीजिटल मीडिया से नागरिक पत्रकारिता को बढ़ावा मिला है। ब्लोबल विलेज व मीडिया मिक्स की अवधारणा साकार हुई है। एक तरफ जहां मूल कंटेंट की कमी, एडिटोरियल बोर्ड का न होना, भाषा, विश्वसनीयता, निष्पक्षता आदि चुनौतियाँ डिजिटल मीडिया के समक्ष हैं तो वहीं संभावनाएं भी कम नहीं हैं। डीजिटल मीडिया से साहित्यिक पत्रकारिता को बढ़ावा मिला है। ब्लॉग और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से लेखकों को मंच मिला है। टाइम और स्पेस का संकट नहीं है। दो-तीन हजार शब्दों की न्यूज स्टोरी प्रकाशित की जा सकती है। अनेकानेक फोटोग्राफ्स तथा बड़े-बड़े वीडियो को आसानी से अपलोड किया जा सकता है। डिजिटल मीडिया में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ी हैं।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने समाज में सूचना व संचार के प्रवाह के लिए समय-समय पर विभिन्न तकनीकों का आविष्कार किया है। अलग- अलग कालखण्डों में आविष्कार किये गए इन तकनीकों व आविष्कारों का अनुप्रयोग मीडिया में भी बखूबी किया गया है। फलस्वरूप संचार के नये माध्यमों का प्रादुर्भाव हुआ। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो इसका प्रयोग करके समाचार-पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात् जब रेडियो का आविष्कार हुआ तब रेडियो संचार व रेडियो पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ। रेडियो पर समाचार व समसामयिक कार्यक्रम, रेडियोवार्ता, परिचर्चा, साक्षात्कार, रेडियो नाटक, फीचर, गीत-संगीत इत्यादि कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। टेलीविजन के आविष्कार से दृश्य-श्रव्य संचार संभव हुआ। टेलीविजन ने अपनी विशेषताओं के कारण दर्शकों को सर्वाधिक प्रभावित किया। टेलीविजन का प्रयोग भी मीडिया के लिये किया जाने लगा। टेलीविजन पर समाचार व समसामयिक कार्यक्रम, धारावाहिक, रियलिटी शो, टैलेंट हंट शो, गीत-संगीत के कार्यक्रम इत्यादि ने दर्शकों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला।

जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ तो इसका प्रयोग भी मीडिया के लिए किया जाने लगा। न्यू मीडिया का प्रादुर्भाव हुआ। मीडिया का क्षेत्र बढ़ गया। अन्तर्वस्तु को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करने में सुविधा हुई। न्यू मीडिया कब तक नया रहता। इसकी शुरूआत के भी लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। न्यू मीडिया, सोशल मीडिया, साइबर मीडिया, ऑनलाइन मीडिया को ही समेकित रूप से डिजिटल मीडिया कहा जाता है। इसके अन्तर्गत ई-पेपर, ई-मैगेजीन, ऑनलाइन रेडियो, ऑनलाइन टेलीविजन, वेबपोर्टल, ब्लॉग, सोशल मीडिया, यूट्यूब इत्यादि आते हैं। डिजिटल मीडिया, मीडिया का नवीन प्रकार है। यह मीडिया का विस्तार है। यह ऐसा माध्यम है जिसने मीडिया मिक्स और नागरिक पत्रकारिता की अवधारणा को साकार किया है। डिजिटल मीडिया की अन्तर्वस्तु टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, विजुअल, ऑडियो-विजुअल, एनिमेशन, इलेस्ट्रेशन, ग्राफ, चार्ट आदि रूपों में उपलब्ध होती है। यह ऐसा माध्यम है जो ट्रेडिशनल, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विशेषताओं को अपने में समाए हुए है।

अध्ययन का उद्देश्य : अध्ययन का उद्देश्य डिजिटल मीडिया की अवधारणा का वर्णन करना। इसके विभिन्न मंचों की चर्चा करना। डिजिटल मीडिया की चुनौतियां और संभावनाओं का पता लगाना। डिजिटल मीडिया के लिए सुझाव देना।

शोध पद्धति : अवलोकन विधि एवं अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध प्रविधि।

❑ सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

साहित्य समीक्षा

दुनिया भर में डिजिटल मीडिया पर लिखा जा रहा है, शोध किये जा रहे हैं। सभी को इस साहित्य समीक्षा में समाहित कर पाना संभव नहीं है अतः कुछ चयनित साहित्य की समीक्षा प्रस्तुत है।

यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन, यूथ एण्ड मीडिया के प्रोफेसर डेविड बकिंघन ने 'यूथ, आइडेंटिटी एण्ड डिजिटल मीडिया' नामक पुस्तक का संपादन किया है। यह पुस्तक 2008 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक द जॉन डी एण्ड कैथरीन टी मैक अर्थर फाउण्डेशन की डीजिटल मीडिया एण्ड लर्निंग विषय पर प्रकाशित सीरीज में से एक है। इंट्रोड्यूसिंग आइडेंटिटी नामक अध्याय में प्रोफेसर डेविड बकिंघन लिखते हैं कि आइडेंटिटी को लेकर लोगों का मत अलग-अलग हो सकता है। डिजिटल मीडिया से युवाओं की सोशल आइडिंटिटी बनी है। डिजिटल मीडिया के साथ युवाओं के जुड़ने की गति बढ़ी है और उन्हें डिजिटल मीडिया से दूर रख पाना एक बड़ी चुनौति है।[1]

पोलिटी प्रेस कैम्ब्रिज, यूके से 2013 में प्रकाशित 'मीडिया, सोसाइटी, वर्ल्डः सोशल थ्योरी एण्ड डिजिटल मीडिया प्रेक्टिस' नामक पुस्तक के लेखक **निक चौल्ड्री** ने लिखा है कि जब हम डिजिटल मीडिया के सामाजिक परिणामों पर विचार करते हैं तो एक सकारात्मक क्रांति की पूर्व दिशाएं और भी जटिल हो जाती हैं। वे लिखते हैं कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए बुनियादी संभावनाओं और यह व्यावहारिक उपयोग में कैसे आता है, के बीच एक बड़ा अंतर है।[2]

पोलिटी प्रेस कैम्ब्रिज, यूके से ही 2014 में प्रकाशित 'डिजिटल मीडिया इथिक्स' नामक पुस्तक के लेखक **चार्ल्स इस** ने डीजिटल मीडिया में नैतिकता की बात की है। उन्होंने लिखा है कि वर्तमान समय में सावधान और प्रणालीगत नैतिक प्रतिबिंब के लिए एक दबाव का सामना कर रहे हैं, ताकि डिजिटल मीडिया के लिए दिशा निर्देशों, कोड और कानूनों के प्रकार को विकसित किया जा सके। ये हमें विशेष रूप से नए प्रकार के नैतिक मुद्दों के माध्यम से काम करने में मदद कर सकते हैं।[3]

अरविन्द कुमार सिंह की पुस्तक 'वेब पत्रकारिता' आदि बुक्स, नई दिल्ली से 2017 में प्रकाशित हुई। सिंह लिखते हैं कि वेब पत्रकारिता इंटरनेट तकनीक की एक विशेष देन है। पिछले दो दशकों से इंटरनेट एक ऐसे संचार माध्यम के रूप में विकसित हुआ है, जो न केवल संचार का एक विशेष साधन बना है, वरन् इससे विविध प्रकार के अन्य कार्य भी किये जाने संभव हो गये हैं। ब्लॉग एवं सोशल नेटवर्किंग में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो गयी है। वे आगे लिखते हैं कि वेब पत्रकारिता अभी भी अपने तकनीकी और कलात्मक विकास एवं प्रसार की अवस्था में है और इसके विविध प्रकार के पक्षों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव के बारे में भी काफी अधिक चर्चा हो रही है। इस विषय पर जगह जगह सेमिनार से लेकर अन्य प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। वेब पत्रकारिता के बारे में ऐसी बहस के पीछे इसके विशिष्ट गुण एवं उसका विशिष्ट प्रभाव ही है।[4]

अरविन्द कुमार सिंह का विश्लेषण बिल्कुल सटीक है कि वेब पत्रकारिता के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों की चर्चा का कारण इसका विशिष्ट गुण एवं उसका विशिष्ट प्रभाव है। आजकल अधिकतर वेबिनार डीजिटल मीडिया विषय पर आयोजित हो रहे हैं।[5]

प्रोफेसर संतोष कुमार तिवारी ने 'कम्युनिकेशन टुडे' शोध जर्नल के अक्टूबर-दिसंबर, 2012 अंक में 'नीड फॉर ए न्यू मीडिया थ्योरी' नामक लेख में लिखा है कि प्रेस के चार सिद्धान्त हैं-प्रभुत्ववादी सिद्धान्त, उदारवादी सिद्धान्त, कम्युनिस्ट प्रेस सिद्धान्त और सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त। उनकी चिंता है कि अभी तक न्यू मीडिया का सिद्धान्त नहीं है। प्रोफेसर तिवारी ने लिखा है कि सामाजिक आन्दोलनों में अपने माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने लीबिया, ट्यूनीशिया और इजिप्ट जैसे देशों के सामाजिक आन्दोलनों में सोशल मीडिया की भूमिका की चर्चा की है। वे मानते हैं कि ऑनलाइन वर्ल्ड अब रीयल वर्ल्ड का हिस्सा है।[6]

शिखा शुक्ला ने 'कम्युनिकेशन टुडे' शोध जर्नल के अक्टूबर-दिसंबर, 2017 अंक में 'भविष्य का मीडिया:वेब जर्नलिज्म' नामक लेख लिखा है। उन्होंने लिखा है कि न्यू मीडिया अपने स्वरूप, आकार और संयोजन में मीडिया के पारम्परिक रूपों से भिन्न और उनकी तुलना में काफी व्यापक है। पारम्परिक रूप से मीडिया या मास मीडिया शब्दों का प्रयोग किसी एक माध्यम पर आश्रित मीडिया के लिए किया जाता है, जैसे कागज पर मुद्रित विषयवस्तु का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रिंट मीडिया, टेलीविजन या रेडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दर्शक या श्रोता तक पहुंचने वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। न्यू मीडिया इस सीमा से बहुत हद तक मुक्त तो है ही, पारम्परिक मीडिया की तुलना में

अधिक व्यापक भी है।[7]

प्रोफेसर संजय द्विवेदी के अनुसार आज ये सूचनाएं जिस तरह सजकर सामने आ रही हैं कल तक ऐसी करने की हम सोच भी नहीं सकते थे। संचार क्रांति ने इसे संभव बनाया है। नई सदी की चुनौतियाँ इस परिप्रेक्ष्य में बेहद विलक्षण हैं। इस सदी में यह सूचना तंत्र या सूचना प्रौद्योगिकी ही हर युद्ध की नियामक है, जाहिर है नई सदी में लड़ाई हथियारों से नहीं, सूचना की ताकत से होगी। जर्मनी को याद करें तो उसने दूसरे विश्वयुद्ध में ऐतिहासिक जीतें दर्ज कीं, वह उसकी चुस्त-दुरुस्त टेलीफोन व्यवस्था का ही कमाल था। सूचना आज एक तीक्ष्ण और असरदायी हथियार बन गई है।...... फेस बुक, ब्लाग और ट्विटर ने जिस तरह सूचनाओं का लोकतंत्रीकरण किया है उससे प्रभुवर्गों के सारे रहस्य लोकों की लीलाएं बहुत जल्दी सरेआम होंगी। काले कारनामों की अंधेरी कोठरी से निकलकर बहुत सारे राज जल्दी ही तेज रौशनी में चौंधियाते नजर आएंगे। बस हमें, थोड़े से जूलियन असांजे चाहिए।[8]

डिजिटल मीडिया की विशेषताएं :- डिजिटल मीडिया की अनेक विशेषताएं हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण यह माध्यम बहुत ही कम समय में लोगों के मध्य काफी लोकप्रिय हो गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं-

त्वरित माध्यम : डिजिटल मीडिया बहुत ही तीव्र गति से सूचनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाता है। कोई घटना घटित होने के तुरंत बाद ही उसकी जानकारी डिजिटल मीडिया पर आ जाती है। यह जानकारी कई रूपों में होती है जैसे-लिखे गए शब्द, ऑडियो-विजुअल, एनिमेशन इत्यादि। सरकार द्वारा जारी आदेश-निर्देश, न्यायालयों द्वारा जारी आदेश-निर्देश, संसद व विधानसभा की कार्यवाही एवं महत्वपूर्ण निर्णय, मौसम के समाचार इत्यादि त्वरित गति से डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रकाशित-प्रसारित किये जाते हैं। साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दों व विषयों पर चर्चा-परिचर्चा, कमेंट, बहस इत्यादि सामग्रियां भी उपलब्ध होती हैं।

त्वरित प्रतिक्रिया : डिजिटल मीडिया के उपभोक्ता उपलब्ध सामग्रियों पर अपनी प्रतिक्रिया आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। अन्तर्वस्तु के अंत में लाइक, कमेंट और शेयर का विकल्प उपलब्ध होता है। अन्तर्वस्तु को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर विकल्प के माध्यम से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं।

रीयल टाइम इंफार्मेशन : डिजिटल मीडिया पर सूचनाएं रीयल टाइम में दी जाती हैं। जब कोई घटना घटित हो रही है या कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ठीक उसी समय उपभोक्ताओं को वह सूचना दी जाती है। डीजिटल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर लाइव का विकल्प है जैसे फेसबुक लाइव। रेडियो और टेलीविजन पर लाइव आ रहे कार्यक्रम भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधे लाइव देखे-सुने जा सकते हैं।

फॉलोअप : अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय मुद्दों, विषयों, समस्याओं पर लगातार फॉलोअप डिजिटल मीडिया में मिलता है। अन्य मीडिया जिन मुद्दों को प्राथमिकता नहीं देती या भुला देती है, उन्हें भी डिजिटल मीडिया पर देखा जा सकता है। जब तक समस्या का निराकरण नहीं हो जाता तब तक डिजिटल मीडिया पर उस मुद्दे पर लगातार सामग्रियां आती रहती हैं।

ग्लोबल विलेज : प्रसिद्ध संचारशास्त्री **मार्शल मैकलुहान** की परिकल्पना है कि एक ऐसा समय आएगा जब पूरा विश्व एक 'ग्लोबल विलेज' में परिवर्तित हो जाएगा। वास्तव में इस परिकल्पना को डिजिटल मीडिया ने साकार किया है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं बहुत ही आसानी से मात्र एक क्लिक पर विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जाना संभव हो पाया है। इसमें टू वे कम्यूनिकेशन होता है अर्थात् सम्प्रेषक और प्राप्तकर्ता आपस में अपने विचार, प्रतिक्रिया, सूचना साझा कर सकते हैं।

नागरिक पत्रकारिता : डिजिटल मीडिया के द्वारा नागरिक पत्रकारिता को बढ़ावा मिला है। समाचार पत्रों में 'संपादक के नाम पत्र' से नागरिक पत्रकारिता की शुरूआत माना जाता है। इसके बाद रेडियो और टेलीविजन पर पाठकों/दर्शकों के पत्र, ई-मेल, फोन कॉल, एसएमएस प्रसारित किये जाने लगे। श्रोताओं, दर्शकों की प्रतिक्रियाओं का इतना प्रभाव होता है कि कार्यक्रमों की अन्तर्वस्तु में आंशिक परिवर्तन-संशोधन करने पड़ते हैं। पाठकों व दर्शकों की मांग या रूचि के अनुसार कई बार कार्यक्रमों को बंद करना पड़ता है या नये कार्यक्रम शुरू करने पड़ते हैं। संचारविद् जॉर्ज गर्बनर ने अपने कल्टीवेशन सिद्धान्त में कहा है कि टेलीविजन के कार्यक्रम और टेलीविजन के दर्शक एक दूसरे को परिवर्तित, आरोपित और प्रतिरूपित करते हैं। डिजिटल मीडिया पर प्रत्येक उपभोक्ता एक रिपोर्टर है। वह किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी सामग्री अपलोड/पोस्ट कर सकता है। वह सामग्री किसी भी रूप में हो सकती है-लिखे गये शब्द, फोटो, ऑडियो, वीडियो, ऑडियो-विजुअल, एनिमेशन, चार्ट

इत्यादि। इसमें गेटकीपिंग का प्रावधान नहीं होता।

मीडिया मिक्स : जब किसी मीडिया की अन्तर्वस्तु को अन्य मीडिया द्वारा प्रकाशित-प्रसारित किया जाता है तो उसे मीडिया मिक्स कहा जाता है। डिजिटल मीडिया में ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अन्तर्वस्तु समाहित होती है। उपभोक्ता ई-पेपर व ई-मैगेजीन पढ़ सकता है, ऑनलाइन रेडियो सुन सकता है, ऑनलाइन टेलीविजन देख सकता है, लोकगीत, लोकसंगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोककला के कार्यक्रम देख-सुन सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो डिजिटल मीडिया में सभी मीडिया का मिश्रण है।

योजना पत्रिका का मई 2013 अंक सोशल मीडिया पर आधारित था। इसमें सैम पित्रोदा ने अपने लेख 'सूचना का लोकतंत्रीकरण' में लिखा है कि वास्तव में, सूचना के आदान-प्रदान, जनमत तैयार करने, विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के लोगों को आपस में जोड़ने, भागीदार बनाने और सबसे महत्वपूर्ण यह कि नये ढंग से संपर्क करने में सोशल मीडिया एक सशक्त और बेजोड़ उपकरण के रूप में तेजी से उभर रहा है। यदि सरकारें सर्वोत्कृष्ट ढंग से लाभ उठाना सीख लें तो सोशल मीडिया उनके लिए अत्यंत प्रभावकारी नीति उपकरण बन सकता है। विश्वभर में सरकारों को अधिक कारगर ढंग से संपर्क करने, नागरिकों को जोड़ने, नीतियों एवं कार्यक्रमों के बारे में सही समय पर फीडबैक हासिल करने और एक अधिक भागीदारीपूर्ण शासन मॉडल के प्रति वचनबद्धता व्यक्त करने की आवश्यकता है।[9]

डिजिटल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म :- डिजिटल मीडिया के कई प्लेटफार्म हैं जिनके माध्यम से सूचना लोगों तक पहुंचती हैं।

ई-पेपर : जो समाचार-पत्र पेपर पर प्रकाशित होकर लोगों तक पहुंचता है, उसी के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को ई-पेपर कहते हैं। पेपर पर प्रकाशित समाचार-पत्र और उसके ई-संस्करण की अन्तर्वस्तु बिल्कुल समान होती है। लगभग सभी समाचार-पत्रों के ई-पेपर उनके वेबपोर्टल पर उपलब्ध होते हैं। उपभोक्ता संबंधित समाचार-पत्र के वेबपोर्टल पर जाकर ई-पेपर पढ़ सकता है। कई अखबारों के मोबाइल एप भी हैं। पाठक अपने स्मार्टफोन में मोबाइल एप डाउनलोड करके ई-पेपर पढ़ सकते हैं।

ई-मैगजीन : लगभग सभी पत्रिकाओं के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण उनके वेबपोर्टल पर उपलब्ध होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को ई-मैगजीन कहते हैं। पत्रिकाओं का अपना पाठक वर्ग है। विभिन्न श्रोता वर्ग के लिए विभिन्न विषयों पर पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं।

ऑनलाइन रेडियो : इंटरनेट के माध्यम से रेडियो के विभिन्न कार्यक्रम आसानी से सुने जा सकते हैं। एक स्थान पर बैठे-बैठे दुनिया के किसी भी कोने में प्रसारित होने वाले रेडियो चैनल के कार्यक्रमों को ऑनलाइन रेडियो के माध्यम से सुना जा सकता है। विभिन्न रेडियो चैनलों के मोबाइल एप भी उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से रेडियो के कार्यक्रम उपलब्ध हैं। जिन कार्यक्रमों को श्रोता सुन नहीं पाते, उन्हें उनके वेबपोर्टल के माध्यम से सुन सकते हैं। इसमें समय की बाध्यता नहीं है, जब फुर्सत मिले आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुन सकते हैं।

ऑनलाइन टेलीविजन : टेलीविजन बहुत ही आकर्षक माध्यम है क्योंकि इसमें कार्यक्रम दृश्य-श्रव्य दोनों होते हैं। इंटरनेट की सहायता से टेलीविजन के कार्यक्रम आसानी से देखे जा सकते हैं। अब टेलीविजन सेट के समक्ष उपस्थित होकर कार्यक्रम देखने की बाध्यता नहीं है। आप जहां भी हों ऑफिस में हों, बस में या ट्रेन में हों, अपने स्मार्टफोन के माध्यम से टेलीविजन देख सकते हैं। पूर्व में प्रसारित कार्यक्रमों को भी देखा जा सकता है। विभिन्न टेलीविजन चैनलों के अपने मोबाइल एप हैं। मोबाइल एप के माध्यम से भी टीवी के कार्यक्रम उपलब्ध होते हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब आदि पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध होते हैं। दर्शक अपनी पसंद के अनुसार कार्यक्रम का चयन कर सकता है। कार्यक्रम देखने के बाद दर्शक तुरंत फीडबैक दे सकते हैं।

सोशल मीडिया के विभिन्न मंच :

फेसबुक :- यह सोशल नेटवर्क साइट वर्तमान समय में युवाओं के द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय साइट माना जाता है। क्योंकि जिस किसी के पास स्मार्ट फोन है उनका एक एकाउंट फेसबुक पर जरूर होगा। इसका प्रारंभ फरवरी 2004 मे मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक इंक नामक कंपनी के अंतर्गत "www.facebook.com" नाम से वेब पर एक दूसरे से संपर्क करने के लिए किया था। उपयोगकर्ता अपने मोबाइल नंबर एवं ई-मेल द्वारा इसमें अपना एकाउंट बना सकते हैं। इस साइट के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने फोटो, वीडियो एवं अपनी बात को लिख कर भी पोस्ट कर सकते है। साथ ही हम एक-दूसरे के साथ चैट भी कर सकते हैं। पोस्ट की गई फोटो, वीडियो एवं

लेख के बारे में हम अपनी राय यानी कमेंट्स भी कर सकते हैं। यह एक अद्भुत जनमाध्यम है जिसका अनुसरण और अनुकरण विश्व भर में किया जा रहा है यानी इसका उपयोग कर हम अपनी बातों को दूसरों तक पल भर में पहुंचा सकते हैं एवं कोई भी सूचना पल में आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है।

यूट्यूब :- 'ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ' (Broadcast Yourself) नामक स्लोगन से पहचानी जाने वाली यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। इसका उपयोग करके हम अपनी विचार को एक वीडियो के रूप में बना कर लोगों के बीच अपनी विचार को बड़ी आसानी से रख सकते हैं। इस वेबसाइट का प्रारंभ 14 फरवरी 2005 में अल्फाबेट इंक कंपनी द्वारा से मातिओ, कैलिफोर्निया (अमेरिका) में किया गया था। इसके संस्थापक चैड हर्ली, जावेद करीम तथा स्टीव चैन हैं। बाद में नवंबर 2006 में इसे गूगल द्वारा खरीद लिया गया। यूट्यूब सोशल साइट के उपयोगकर्ताओं को अपनी वीडियो शेयर करने के लिए पूरी तरह से आजादी दी। इस पर वीडियो अपलोड करने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की कोई जरूरत नहीं होती।

ट्वीटर :- यह सूचनाओं का तीव्रगति से आदान-प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। ट्वीटर एक सोशल वेबसाइट है जिसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को जैक डॉर्जी, इवान विलियम्स, बिज स्टोन तथा नोआह ग्लास ने मिलकर की थी। 15 जुलाई 2006 में शुरू होने के बाद ट्वीटर वर्तमान समय में सभी वर्गो के लोगों में यानी खास करके युवाओं में बेहद लोकप्रिय हो गया। यह वेबसाइट सोशल नेटवर्किंग और माइक्रो ब्लॉगिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है जो ट्वीटर कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित होती है। इसका उपयोग कर उपयोगकर्ता 140 शब्दों में अपना संदेश भेज सकते हैं।

लिंक्डइन :- 'रिलेशनशिप मैटर' नाम से चर्चित लिंक्डइन एक व्यावसायिक सामाजिक नेटवर्क सेवा है। इसकी स्थापना रीड हॉफमैन, कॉन्सटेंटि ग्वेरिक, एलेन ब्लू, एरिक ली, जीन वायलेंट ने मिलकर 28 दिसम्बर 2002 में की और इसे 5 मई 2003 को कैलिफोर्निया (अमेरिका) में लॉन्च किया गया। यह साइट 24 भाषाओं में उपलब्ध होने के कारण इसने दुनिया में एक अलग पहचान एवं स्थान बनाया है। इस सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से आप एक समय में कई लोगों से संबंध जोड़ सकते हैं। इस साइट का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें फेक एकाउंट नहीं बना सकते हैं।

ब्लॉग :- यह एक ऐसा सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसका उपयोग ज्यादातर कविता, कहानी, लेख, चित्र आदि को पोस्ट करने के लिए किया जाता है। यह 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में ब्लॉग के रूप में सामने आया था। जो 21वीं सदी के शुरूआती दशक में बहुत लोकप्रिय हो गया है। जॉर्न बर्गर ने 17 दिसंबर 1997 में सर्वप्रथम 'वेबलॉग' शब्द का प्रयोग किया था। जिसे वर्ष 1999 में पीटर मरहॉल्ज ने संक्षिप्त करते हुए 'ब्लॉग' में परिवर्तित कर दिया।

वॉट्सएप :- वॉट्सएप एक मैसेंजर हैं। ऑनलाइन चैटिंग के लिए वाट्सएप सबसे अच्छा तरीका है। इसका उपयोग करके हम डॉक्यूमेंट, पीडीएफ फाइल, ऑडियो फाइल, फोन नम्बर, वीडियो आदि को एक-दूसरे के पास मात्र एक क्लिक से भेज सकते हैं। वॉट्सएप को इंटरनेट के द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें वीडियो कॉलिंग की भी सुविध ा है, जिसमें हम अपने दोस्तों के साथ घर बैठे आसानी से बात कर सकते हैं। इसमें हम मोबाइल नंबर को एड कर ग्रुप भी बना सकते हैं और संदेश भेज सकते हैं। वॉट्सएप का आविष्कार ब्रायन ऐक्टन और जॉन कॉम नामक दो दोस्तों ने 2009 में किया था।

इंस्टाग्राम :- इंस्ट्राग्राम एक पॉपुलर सोशल एप है। जिसको एक एंड्राइड मोबाइल के साथ-साथ पीसी पर भी यूज कर सकते हैं। इसमें फोटो, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यह लगभग फेसबुक की तरह होता है, लेकिन इसमें फेसबुक जैसा चैट या कॉल जैसी फीचर नहीं होती है।

माई स्पेस :- माई स्पेस भी एक लोकप्रिय सोशल नेटर्वकिंग साइट है। इसका प्रारंभ सन् 2003 में हुआ। इसमें भी हम फोटो, वीडिया इत्यादि को पोस्ट कर सकते है।

ई-मेल :- इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है ई-मेल । यह पारम्परिक डाक का डिजिटल रूप है और इसके द्वारा हम एक दूसरे को डिजिटल तौर पर मैसेज भेज सकते है या कोई फाइल्स भी भेज सकते है। साल 2000 के बाद से ईमेल ने लोगों के कम्युनिकेशन का तरीका ही बदल दिया और लोगों की जिन्दगी में खास जगह बनाई है। इसका उपयोग कर हम मीलों दूर बैठे व्यक्ति के पास फोटो, वीडियो, टेक्सट आदि को भेज सकते है।

हाइक :- यह सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण प्लेटफार्म है। इसका उपयोग एक-दूसरे को टेक्स्ट संदेश के अलावा ग्राफिकल स्टीकर, ऑडियो-वीडियो, फोटो, फाइल, वॉइस संदेश को भेजने के लिए किया जाता है। इसकी स्थापना

भारती इंटरप्राजेस के केविन भारती मित्तल ने 12 दिसम्बर 2012 को की थी।

डिजिटल मीडिया के समक्ष चुनौतियां :- डिजिटल मीडिया की चुनौती है कि उसके पास मूल अन्तर्वस्तु नहीं है। यहां समाचार-पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी की अन्तर्वस्तु उपलब्ध हैं। अच्छे ब्लॉग और यूट्यूब चैनलों को छोड़ दें तो अधिकतर कंटेंट दूसरे माध्यमों के दिखाई देते हैं। कंटेंट की कमी इसलिए भी है कि डिजिटल मीडिया में टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, रिपोर्टर या एडीटर नहीं होते। जब तक प्रशिक्षित प्रोफेशनल इस दिशा में काम नहीं करेंगे, तब तक अधिकतर कंटेंट अन्य माध्यमों के ही आते रहेंगे। डिजिटल मीडिया पर विश्वसनीयता का संकट है। फेक न्यूज के बढ़ते चलन ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। अफवाह/भ्रम की स्थिति बनी रहती है। भाषा की शुद्धता एक बड़ी चुनौती है। डिजिटल मीडिया में भाषा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। निष्पक्षता का भी संकट है। इसी कारण राजनीतिक पार्टियां और सरकारें अपने फायदे के लिए इस माध्यम का बखूबी इस्तेमाल कर लेती हैं। डिजिटल मीडिया पर भी बाजार का प्रभाव देखा जा सकता है। इस कारण भी अन्तर्वस्तु के निष्पक्ष और विश्वसनीय न होने का खतरा मंडराता है। डिजिटल मीडिया में पत्रकारिता और रचनात्मक अभिव्यक्ति का घालमेल हो गया है। अर्थात कौन-सी सामग्री समाचार है और कौन विचार, इसका अंतर कम हो गया है।

योजना पत्रिका के मई 2013 अंक में सामाजिक सक्रियता का एक नया चेहरा फेसबुक शीर्षक से लिए अपने लेख में नंदिनी सी कहती हैं कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना है कि सोशल मीडिया की संरचना के आधार कहे जाने वाले वैश्विक इंटरनेट और अन्य डिजिटल संरचनाएं समतावादी बनी रहें। वर्तमान में एक सुपरिभाषित वैश्विक नियामक तंत्र की अनुपस्थिति में उन राज्यों की प्रौद्योगिकीय संरचनाओं का प्रभुत्व बढ़ रहा है जो भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली हैं, विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका। अमरीका ने साफतौर पर कहा है कि सभी स्थानों पर इंटरनेट की स्वतंत्रता का संरक्षण; अभिव्यक्ति संघ बनाने और एकत्रित होने के मौलिक अधिकार सहित इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है।[10]

देवस्तुति दास गुप्ता और शिवानी अग्रवाल ने अपने शोध-पत्र **'फेक न्यूज एण्ड सोशल मीडियाः स्टडीज ऑफ सम पॉपुलर फेक न्यूज ऑन फेसबुक एण्ड व्हाट्सअप'** में लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर बढ़ती उपभोक्ताओं की संख्या से नेटवर्किंग साइट्स सूचना प्राप्त करने का प्रचलित माध्यम बन गई हैं। वर्तमान समय में समाचार मात्र एक क्लिक की दूरी पर है लेकिन समाचार की विश्वसनीयता का ह्रास हुआ है।[11]

डिजिटल मीडिया की संभावनाएं :- डिजिटल मीडिया की तमाम चुनौतियों और संकट के बावजूद संभावनाएं बनी हुई हैं। यह मीडिया अभी अपने शैशव काल में है। जिस गति से लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और डिजिटल मीडिया से जुड़ रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि आने वाला समय डिजिटल मीडिया का है। क्योंकि मीडिया और मीडिया की अन्तर्वस्तु वहीं उपलब्ध होगी, जिस माध्यम का अधिक से अधिक लोग इस्तेमाल करते हैं। डीजिटल मीडिया ने साहित्यिक पत्रकारिता को बढ़ावा दिया है। समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में लेखकों की रचनाओं को बहुत कम स्थान दिया जाता था। सप्ताह में एक दिन ही कविता, कहानी, व्यंग्य, उपन्यास के अंश, पुस्तक समीक्षा, यात्रा वृतांत आदि प्रकाशित होते थे। उसमें भी नये लेखकों को बहुत कम मौके मिलते थे। डिजिटल मीडिया के आने के बाद ब्लॉग लिखे जाने लगे। लेखक अपने ब्लॉग बनाते हैं और उस पर लिखते हैं। उन्हें अपनी रचनाओं के प्रकाशित होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। साथ ही एक बड़े पाठक समूह तक रचनाएं पहुंच रही हैं और लोकप्रिय हो रही हैं। कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृतांत, संस्मरण इत्यादि लिखे जा रहे हैं।

वर्तमान में डिजिटल मीडिया काफी प्रासंगिक माध्यम है। इसमें जनपत्रकारिता बहुत अच्छी दृष्टि है। डीजिटल मीडिया में टाइम एवं स्पेस का संकट नहीं है। दो-तीन हजार शब्दों की बड़ी न्यूज स्टोरी, कई फोटोग्राफ्स, बड़े-बड़े वीडियो अपलोड कर सकते हैं। रोजगार सृजन की दृष्टि से देखें तो डिजिटल मीडिया में रोजगार की संभावनाएं बहुत हैं। कंटेंट राइटर, कंटेंट डबलपर, वेबपोर्टल, ब्लॉग लेखक, यूट्यूब चैनल इत्यादि में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, दिल्ली के सदस्य-सचिव सच्चिदानंद जोशी जी के अनुसार डिजिटल मीडिया की चुनौतियों का समाधान 5 स हैं। यह 5स हैं-सत्य, संयम, सहनशीलता, सद्चरित्र और सौहार्द। अगर इन 5 स का पालन किया जाए तो डिजिटल मीडिया की चुनौतियों से निपटने में काफी हद से सफलता मिल जाएगी। अच्छे लोग, गंभीर लोग, सतर्क लोग आगे आएंगे तो निश्चित रूप से

संकट दूर होगा।

निष्कर्ष : वर्तमान समय में डिजिटल मीडिया काफी प्रासंगिक माध्यम है। इससे त्वरित गति से सूचना लोगों तक पहुंच रही हैं। लोग अपनी प्रतिक्रिया भी त्वरित गति से दे रहे हैं। लाइक, कमेंट और शेयर कर रहे हैं। डीजिटल मीडिया से नागरिक पत्रकारिता को बढ़ावा मिला है। ब्लोबल विलेज व मीडिया मिक्स की अवधारणा साकार हुई है। एक तरफ जहां मूल कंटेंट की कमी, एडिटोरियल बोर्ड का न होना, भाषा, विश्वसनीयता, निष्पक्षता आदि चुनौतियां डीजिटल मीडिया के समक्ष हैं तो वहीं संभावनाएं भी कम नहीं हैं। डिजिटल मीडिया से साहित्यिक पत्रकारिता को बढ़ावा मिला है। ब्लॉग और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से लेखकों को मंच मिला है। टाइम और स्पेस का संकट नहीं है। दो-तीन हजार शब्दों की न्यूज स्टोरी प्रकाशित की जा सकती है। अनेक-अनेक फोटोग्राफ्स अपलोड किये जा सकते हैं। बड़े-बड़े वीडियो को आसानी से अपलोड किया जा सकता है।

वेबदुनिया पर प्रकाशित सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान विषय पर लेख में **श्री विनय कुशवाहा** लिखते हैं कि लोकप्रियता के प्रसार में सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफार्म है, जहां व्यक्ति स्वयं को अथवा अपने किसी उत्पाद को ज्यादा लोकप्रिय बना सकता है। आज फिल्मों के ट्रेलर, टीवी प्रोग्राम का प्रसारण भी सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। वीडियो तथा आडियो चौट भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुगम हो पाई है जिनमें फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम कुछ प्रमुख प्लेटफार्म हैं।[12]

डिजिटल मीडिया में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। देखा जाए तो डिजिटल माध्यम की बहुत सारी विशेषताएं हैं, संभावनाएं हैं। इसी कारण यह माध्यम अन्य माध्यम से अलग है। इसे दिशा देने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि भविष्य में यह मीडिया और समृद्ध होगा।

सुझाव :

1. डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। इससे मीडिया लिटरेसी को बढ़ावा मिलेगा।
2. डिजिटल मीडिया को अपना मूल कंटेंट विकसित करना होगा।
3. भाषा समृद्ध करनी होगी।
4. डिजिटल मीडिया को अपनी विश्वसनीयता व निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उसी अनुरूप अन्तर्वस्तु का चयन करना होगा।
5. तकनीक के साथ-साथ एडिटोरियल कंटेंट पर भी जोर देना चाहिए।

सन्दर्भ

1. Buckingham David, 'Youth, Identity, and Digital Media'; Edited by The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008. p. 18
2. Nick Couldry, 'Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice'; Polity Press, Cambridge, UK; 2013; p. 11
3. Charles Ess; 'Digital Media Ethics', Polity Press, Cambridge, UK; 2014 (Second edition); p. 14
4. सिंह, अरविन्द कुमार, 'वेब पत्रकारिता', आदि बुक्स, नई दिल्ली, 2017, पृ. 1
5. वही, पृ. 315
6. Tewari Santosh Kumar; 'Need foa a New Media Theory; Communication Today', Vol. 14, No. 4 October-December, 2012, p. 01
7. शुक्ला, शिखा, 'भविष्य का मीडियाः वेब जर्नलिज्म', कम्यूनिकेशन टुडे, Vol. 19, No. 4, अक्टूबर-दिसंबर, 2017, पृ. 131
8. द्विवेदी, संजय, 'सोशल नेटवर्किंग नए समय का संवाद', यश पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2013, पृ. 2-3
9. योजना, मई 2013, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, पृ. 7
10. वही पृ. 26
11- Gupta Debastuti Das, 'Shivanie Agarwal; Fake news and Social media: Studies of some popular Fake news on facebook and whatsapp'; Communication Today; Vol. 22, No.1, January-March, 2018, p. 41
12. https://hindi:webdunia.com/hindi-essay/social-media-essay on 09/03/2018.

पुस्तक समीक्षा

डॉ. अंजू सिंह द्वारा विरचित पुस्तक ''उत्तर प्रदेश के राजकीय मूक-बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' उनके पी-एच.डी. स्तरीय शोध प्रबन्ध के मूल कलेवर पर आधारित है। वस्तुतः इन्हें इसी कार्य पर समाजशास्त्र विषय में पी-एच.डी. की उपाधि से, शायद, महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा अलंकृत किया गया है। शायद शब्द इसलिए कि अनुसंधात्री ने इस पुस्तक में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि उन्हें इस कार्य पर किस विश्वविद्यालय ने पी-एच. डी. की उपाधि से अलंकृत किया है। निस्सन्देह अनुसंधात्री का यह शोध अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही दृष्टि-प्रवेश को लेकर मूक-बधिर विद्यार्थियों की समस्याओं पर शोध करना एक चुनौती है जिसे अनुसंधात्री ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरा किया है। विषय की प्रकृति एवं अध्ययन के उद्देश्य को देखते हुए यह स्वीकार करना पड़ेगा कि डॉ. अंजू सिंह द्वारा प्रस्तुत इस पुस्तक का समाजशास्त्रीय वाड्मय की श्रीवृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान है।

पुस्तक	: 'उत्तर प्रदेश के राजकीय मूक-बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन'
लेखक	: डॉ. अंजू सिंह
प्रकाशक	: हर्षवर्द्धन पब्लिकेशनंस, लिम्बागनेश, बीड (महाराष्ट्र)
प्रकाशन वर्ष	: 2018
मूल्य	: रू. 1200/-
पृ. सं.	: 290

यह पुस्तक सात अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय प्रस्तावना एवं शोध पद्धतितंत्र से संबंधित है। दूसरा अध्याय मूक-बधिर विद्यार्थियों की सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि से सम्बद्ध है। तीसरा अध्याय माता-पिता व अध्यापकों के दृष्टिकोण से संबंधित है और चौथा अध्याय विद्यालय व समाज में होने वाली गतिविधियों से सम्बद्ध है। पाँचवां अध्याय प्रशिक्षण प्रक्रिया व पुनर्वास कार्यक्रम पर प्रकाश डालता है जबकि छठे अध्याय में समस्याओं एवं भविष्य की योजनाओं से संबंधित सामग्री को प्रस्तुत किया गया है। सातवें अध्याय के अंतर्गत अध्ययन की उपलब्धियाँ एवं निष्कर्षों को समाहित किया गया है। इसके अंतर्गत अध्ययन समस्या के समाधान के संदर्भ में कतिपय सुझाव भी प्रस्तुत किए गये हैं। अध्यायों के वितरण की योजना बहुत तर्काश्रित नहीं है।

डॉ. अंजू सिंह किसी भी अध्याय का संक्षिप्तीकरण करते समय विचार-श्रंखला को क्रमबद्ध करने में असफल रहीं हैं। एक अभिनव कृति होते हुए भी पुस्तक में संदर्भ सूची भी वर्णानुक्रमिक नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक का मूल्य प्रकाशक द्वारा रू. 1200/- रखा गया है वह भी एक सामान्य अध्येता को ग्राह्य नहीं हो सकता।

अध्ययन की प्रकृति अनुभवाश्रित है एवं संगणना पद्धति का अनुशीलन करते हुए दत्त-सामग्री का संकलन उत्तर प्रदेश के सभी चार राजकीय मूक-बधिर विद्यालयों (बरेली, आगरा, गोरखपुर, फरूखाबाद) में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों से किया गया है। अध‍्ययन के समय विद्यार्थियों की संख्या 532 थी और अध्यापकों एवं कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 31 और 25 थी। पद्धतिशास्त्रीय दृष्टि से तो यह अध्ययन कमजोर है ही, साथ ही किसी विज्ञान के विषय में जिस तरह अनुसंधानों की आवश्यकता होती है उसी तरह अपनी भाषा में उनकी समस्त समृद्धि की अभिव्यक्ति भी आवश्यक है- इस दृष्टि से भी यह अध्ययन बहुत ही कमजोर है तथापि विषय की जटिलता और उसकी सीमाओं को देखते हुए प्रस्तुत पुस्तक की सामग्री शोध अनुसंधित्सुओं एवं समाजशास्त्रीय विषयों के सामान्य पाठकों के लिए भी समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकती है। कहना न होगा कि डॉ. अंजू सिंह का यह प्रयास समाजशास्त्रीय अवधारणाओं की वृद्धि में परिचयात्मक रूपरेखा अवश्य प्रस्तुत करता है। किसी अवधारणा के विषय विस्तार के संदर्भ में क्या ग्राह्य है और क्या अग्राह्य है का चयन करना बहुत कठिन कार्य है। ऐसा करने में इस लेखिका को जो बेचैनी एवं पीड़ा हुई होगी वह सहृदय पाठक ही समझ सकता है। हाँ संकलित दत्त-सामग्री का विश्लेषण व निर्वचन अनुसंधात्री ने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया है। अस्तु इस दिशा में नवशोधकर्ताओं के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, इसकी पूरी संभावना है।

डॉ. श्यामधर सिंह
प्राक्तन प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी (उ.प्र.)

डॉ. राकेश कुमार स्मृति शोध पुरस्कार

डॉ. राकेश कुमार की स्मृति को अक्षुण्य बनाये रखने के लिए '**समाज विज्ञान विकास संस्थान**', **बरेली (उ.प्र.)** ने यह निर्णय लिया था कि शोध अध्येताओं को अच्छे शोध-लेख लिखने के लिए प्रेरित करने हेतु शोध पत्रिका ''**राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा**'' में शोध अध्येताओं द्वारा लिखे गये वर्ष के दोनों अंकों के शोध पत्रों को विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकित कराकर सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र लिखने वाले शोध अध्येता को '**डॉ. राकेश कुमार स्मृति शोध प्रशस्ति पत्र**' तथा **रू. 2100/-** मूल्य की शोध सहायक पुस्तकें पुरस्कार स्वरूप संस्थान द्वारा प्रदान की जायेंगी।

संस्थान के उपर्युक्त निर्णय के क्रम में वर्ष 2019 के दोनों अंकों में शोध अध्येताओं द्वारा लिखे गये शोध पत्रों का विद्वानों द्वारा मूल्यांकन कराकर वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र लिखने वाले शोध अध्येता की घोषणा की जाती है।

श्री विशाल शर्मा, शोध अध्येता, पत्रकारिता एवं सृजनात्मक लेखन विभाग, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) को उनके शोध पत्र ''*भारतीय राष्ट्रवाद के विमर्श का नया केन्द्र : सोशल मीडिया*'' को वर्ष 2019 का डॉ. राकेश कुमार स्मृति शोध पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उन्हें एक प्रशस्ति पत्र तथा रू. 2100/- मूल्य की पुस्तकें प्रदान की जाती हैं।

संस्थान के शोध पुरस्कार के इस कार्य में डॉ. बिक्रम शाह, डीन शिक्षा संकाय, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय, टिहरी-गढ़वाल (उत्तराखण्ड), डॉ. हरि प्रकाश श्रीवास्तव, सेवा निवृत्त प्राचार्य, एल.बी.एस. (पी.जी.) कालेज, गोण्डा (उ.प्र.) तथा डॉ. रचना गंगवार असिस्टेंट प्रोफेसर, समूह संचार एवं पत्रकारिता विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) ने प्रशंसनीय सहायता प्रदान की है। संस्थान इन विद्वानों के प्रति आभार व्यक्त करता है।

डॉ. जे.एस. राठौर
सचिव
समाज विज्ञान विकास संस्थान, बरेली